राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] तेरहवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का बाईसवां दिवस [संख्या : 10

सोमवार;

15 मार्च, 2010

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री बनवारीलाल सिंघल।

अलवर जिले में राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना में अनियमितता के दर्ज प्रकरण

134. श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर) **:** क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारण्टी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला अलवर में राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कितने मुकदमे गत एक वर्ष में दर्ज किये गये? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला अलवर में गत वर्ष उक्त योजना में कितने स्थानों पर मानव के स्थान पर जे सी बी व अन्य मशीनों में काम करवाकर अनियमितता करने के मामले दर्ज किये गये व इन पर क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला अलवर में राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना में सामग्री खरीद की जांच में अनियमितताओं के कितने मामले गत एक वर्ष में पाये गये तथा उक्त मामलों में क्या कानूनी कार्यवाही की गयी व वर्तमान में उक्त योजना में भ्रष्टाचार रोकने की सरकार की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि अलवर जिले में राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना के तहत फर्जी मस्टररोल से पैसा उठाने के मामले सामने आये हैं? यदि हां, तो सरकार फर्जी मस्टररोल को रोकने हेतु क्या कार्यवाही करने जा रही है? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री (श्री भरत सिंह कुन्दनपुर): (1) जिला अलवर में राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना में भ्रष्टाचार के खिलाफ गत वर्ष में कुल 13 मुकदमे दर्ज कराये गये जिसकी पंचायत समितिवार सूचना परिशिष्ट-1 में संलग्न है।

(2) जिला अलवर में गत वर्ष में केवल पंचायत समिति उमरेण की ग्राम पंचायत पृथ्वीपुरा में जे सी बी मशीन से काम करवाने का एक मामला मालाखेड़ा थाने में दर्ज हुआ है, जिसकी एफ आई आर नम्बर 338/20.11.08 है। उक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा एफ आर नम्बर 74/31.03.09 (अदम वकू गलतफहमी) लगा दी गयी है।

(3) जिला अलवर में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में सामग्री खरीद की जांच में अनियमितताओं का गत एक वर्ष में कोई प्रकरण जानकारी में नहीं आया है। उक्त योजना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार द्वारा जिला कलक्टर को अनियमितता करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के विशेषाधिकार दिये गये हैं। योजना में पारदर्शिता हेतु वाल पेंटिंग्स, ग्राम पंचायतों की विशेष जांच, मस्टररोल वितरण की नई व्यवस्था, नरेगा स्थाई समिति के गठन, सामग्री क्रय की स्पष्ट व्यवस्था एवं निरीक्षण के नवीन निर्देश दिये गये हैं।

(4) जी हां। यह सही है कि अलवर जिले में राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना के तहत फर्जी मस्टररोल से पैसा उठाने के 13 मामले सामने आये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। फर्जी मस्टररोल को रोकने हेतु उठाये गये कदमों की जानकारी उक्त बिन्दु संख्या-3 में अंकित है।

(सूचना विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जून 2009 में सौंख ग्राम पंचायत के सरपंच नत्थू सिंह के खिलाफ एक एफ आई आर महेन्द्र पुत्र गुल्लन ने धोखाधड़ी की दर्ज करवाई थी। पुलिस ने मात्र 6 दिन में इसकी जांच करके एफ आर लगा दी। जांच में यह व्यक्ति दोषी सिद्ध हुआ, पुलिस जांच में निर्दोष सिद्ध हुआ। हमारी राजस्थान पुलिस की कार्यवाही इतनी त्वरित हो गयी कि मात्र 6 दिन में इसकी टोटल जांच करके मामला झूठा मानकर इस पर एफ आर लगा दी गयी।

अलवर के थानागाजी पंचायत समिति के किशोर गांव में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, सी ई ओ ने जांच की, जांच में सी ई ओ ने इसकी पुष्टि की कि

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

फर्जीवाड़ा हुआ और इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। कब? 23 अगस्त, 2009 के समाचार पत्रों में 'कब होगी आखिर इसकी एफ आई आर', समाचार प्रकाशित हुआ।

एक मामला अलवर के राजगढ़ पंचायत समिति के खो दरीबा गांव का है, पिता ने अपने पुत्र के बाहर रहने का एफीडेविट पेश किया, फर्जी मस्टररोल से पैसा उठाने का मामला हुआ। पिता ने एफीडेविट पेश किया व्यथित होकर कि मेरा बेटा बाहर नौकरी करता है, इन दिनों में कभी यहां गांव में आया ही नहीं। गांव के दूसरे लोगों-जगदीश पुत्र मन्ना लाल, नरेन्द्र मिश्रा पुत्र श्रीराम, मथुरई देवी बालूराम, बालूराम पुत्र कल्याण, प्रहलाद पुत्र प्रभुदयाल, इन सब ने एफीडेविट के माध्यम से कहा कि फर्जी मस्टररोल से भुगतान उठाया गया है। जिला कलक्टर श्री कुंजीलाल मीणा ने जांच की और कहा कि नरेगा में फर्जीवाड़े का यह संगीन मामला है, इसकी एस डी एम से जांच कराई जाए। जांच में यदि ग्रामीणों का आरोप सही पाया जाता है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। कब की जाएगी? मंत्रीजी, मेरे पूरक प्रश्न का जवाब दें।

श्री भरतसिंह कुन्दनपुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं माननीय सदस्य जो अलवर से आते हैं उनको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि वह शहरी क्षेत्र से आते हैं और 7 ग्राम पंचायतें उनके विधान सभा क्षेत्र में आती हैं।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): मात्र दो आती हैं।

श्री भरतसिंह कुन्दनपुर : मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने भ्रष्टाचार से सम्बन्धित मामला उजागर करने के लिए प्रश्न विधान सभा में रखा है और मुझे एक अवसर प्रदान किया है कि सरकार क्या प्रयास कर रही है उसके बारे में मैं सदन को अवगत करा सकूं। इन्होंने जो सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछे हैं वह तो मुख्य रूप से यह है कि एफ आर लगा दी, एफ आर लगाने में, चालान पेश करने में मेरे विभाग का कोई सीधा दखल नहीं होता है।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): मात्र छह दिन में जांच हो गयी, यह तो बता दें कि जांच रिपोर्ट क्या आई।

श्री भरतसिंह कुन्दनपुर : आपने इसमें तीन बातों पर प्रश्न किया है। एक तो जे सी बी चलाने के बारे उसका उत्तर मैं दे चुका हूं। सामग्री खरीद की

(श्री भरतसिंह कुन्दनपुर)
जांच के सम्बन्ध में अनियमितता के मामले गत एक वर्ष में कितने पाये गये? दूसरा इन्होंने इस बात पर ध्यान दिलाया है कि उक्त योजना में भ्रष्टाचार रोकने में सरकार की क्या योजना है और फर्जी मस्टररोल से पैसा उठाने के मामले कितने सामने आये। ये इनके मूल प्रश्न हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार तो अपने प्रयास कर ही रही है, मगर सभी माननीय सदस्यों से भी मेरा अनुरोध है कि हमारी पंचायती राज संस्थाओं में 1 लाख 20 हजार निर्वाचित सरपंच हैं, आप सभी माननीय सदस्य और सांसद हमारे हैं, यह हमारा भी दायित्व बनता है कि हम इस भ्रष्टाचार को रोकने में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करें। यह बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि जिस जिले के आप हैं और जिस जिले का आपने प्रश्न किया है, इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी मैं सदन के सामने रखना चाहूंगा, आपको ध्यान होगा कि हमने भीलवाड़ा से जहां से हमारे केन्द्रीय मंत्री भी हैं पार्लियामेंट के, वहां से हमने सोशल आडिट की प्रक्रिया चालू की थी और यह कोशिश की थी कि जहां सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, जहां गड़बड़ियां हैं, उनको उजागर किया जाए और जो लोगबाग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही हो ताकि जो भ्रष्टाचार के आरोप नरेगा में लग रहे हैं उन पर रोक लगे। (व्यवधान) भीलवाड़ा में सोशल ऑडिट में यह निर्णय लिया गया कि हम अलवर जिले के जो सांसद थे, वे उसमें शामिल थे, उन्होंने कहा कि अगली सोशल ऑडिट हम अलवर जिले में कराएंगे। उस निर्णय के उपरान्त जब सरकार ने यह निर्णय लिया कि हम अलवर के अन्दर सोशल आडिट कराएंगे, वहां क्या गुजरी उसका मैं उल्लेख आपको करना चाहूंगा ताकि यह पूरा प्रकरण सामने आ जाए। अलवर जिले में नरेगा में भ्रष्ट आचरण करने वाले अधिकारियों एवं पंचायत पदाधिकारियों के विरुद्ध जनवरी, 2009 से फरवरी, 2010 तक कुल 12 एफ आई आर दर्ज की गयीं, यह इस प्रश्न का ही हिस्सा है। इसी जिले में नरेगा योजना में अप्रैल, 2008 से जून, 2009 तक 1 करोड़ 69 लाख रुपए व्यय करने वाली एवं सामग्री मद में 77.40 लाख रुपए का सर्वाधिक व्यय करने वाली ग्राम पंचायत माधोगढ़, पंचायत समिति उमरेण में राज्य सरकार द्वारा जिला परिषद अधिकारियों और ग्राम पंचायत माधोगढ़ एवं उसकी पड़ौस की 4 ग्राम पंचायतों की ग्राम सभा द्वारा चयनित सामाजिक अंकेक्षण मंच के दो-दो व्यक्ति एवं सामाजिक संगठनों का परीक्षण करने वाले दो कार्मिकों के साथ दिनांक 24.11.09 से 28.11.09 तक सामाजिक अंकेक्षण का कार्यक्रम रखा गया था

(श्री भरतसिंह कुन्दनपुर)

ताकि योजना की क्रियान्विति में किसी प्रकार की खामियां, अनियमितताएं व भ्रष्टाचार की जानकारी हो सके। मस्टररोल, सामग्री, फर्जी तरीके से पैसा उठाने वाले लोगों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा सके। परन्तु मुझे सदन को अवगत कराते हुए खेद है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के इन प्रयासों को अलवर जिले के 11 विधायकों में से 6 माननीय विधायकों ने, जिनके नाम मेरे पास हैं, मगर मैं उनका उल्लेख करना नहीं चाहता ... (व्यवधान) आप सुनिए बाद में कर दूंगा मैं। हमारे इन माननीय सदस्यों ने नरेगा योजना में भ्रष्टाचार समाप्त करने के इस महत्वपूर्ण सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम के विरुद्ध में दिनांक 24 नवम्बर, 2009 को दोपहर डेढ़ बजे 5 बजे तक अलवर-जयपुर राज मार्ग पर मंच लगा कर श्री तुलसीराम नावलिया सरपंच पृथ्वीपुरा एवं श्री विजेन्द्र यादव ग्राम सेवक उमरेन मंच संचालन करवा कर धरना प्रदर्शन करते हुए रास्ता जाम किया एवं यातायात रोक कर आवागमन में बाधा पहुंचाई एवं सामाजिक अंकेक्षण करने में सहयोग देने वाले कार्यकर्ताओं को पंचायत से सही सलामत नहीं जाने देने हेतु उकसाया। इसका परिणाम- इन सभी के विरूद्ध संबंधित पुलिस थाना मालखेड़ा के थानाधिकारी द्वारा नामजद एफआईआर संख्या 413/209 के अन्तर्गत 143, 283, 109 आईपीसी के इस मुकदमे का अनुसंधान प्रकरण की राट्रीय अपराध शाखा सीआईडी, सीबी राजस्थान, जयपुर द्वारा किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास में भ्रष्टाचार समाप्त कर पारदर्शिता लाने हेतु ग्राम पंचायत के सामाजिक अंकेक्षण मंच एवं सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर कार्यवाही की गयी। अलवर जिले में 6 विधायकों द्वारा ही विरोध नहीं किया गया बल्कि इनके साथ दो प्रधान, एक उप प्रधान, तीन पूर्व प्रधान, 28 सरपंच एवं 27 ग्राम सेवक इस रास्ता रोकने में सम्मिलित हुए जिनकी नामजद एफआईआर पुलिस द्वारा की गयी है। वीडियोग्राफी......(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया व्यवधान नहीं ।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय मंत्रीजी, आप एक बात और बता दें बीच में।

श्री अध्यक्ष: आप जवाब आने दीजिए।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): कि यह जो एफआईआर दर्ज हुई, यह किस कारण से हुई?

श्री अध्यक्ष: आप सप्लीमेंटरी बाद में पूछ लेना ......(व्यवधान) माननीय सदस्य, अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): किन-किन लोगों के खिलाफ हुई, आप नामजद कर दें जरा, जो 6 विधायक थे?

श्री अध्यक्ष: पहले आप उसका जवाब आ जाने दीजिए, फिर सप्लीमेंटरी पूछ लीजिए। (व्यवधान) प्लीज, प्लीज, जवाब आने दीजिए, आप बैठिए। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): राजनीतिक कारणों से जो मुकदमे दर्ज हुए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ...... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप व्यवधान नहीं कर सकते। अंकित नहीं होगा... (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): ×××

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): की गयी वीडियोग्राफी की सीलबंद दो कैसेट राज्य सरकार के पास हैं, इससे यह स्पष्ट होता है कि......(व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप जवाब आने दीजिए पहले। कृपया आप विराजिये, जवाब आने दीजिए।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): ×××

श्री अध्यक्ष: आप जवाब आने दीजिए, मैं आपको सप्लीमेंटरी पूछने का मौका दूंगा ......(व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है, जवाब आ जाने दीजिए। मैं अलाउ करूंगा। अंकित नहीं होगा। मैं जवाब के पहले आपको अलाउ करूंगा, जवाब आ जाने दीजिए।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ×××

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): ×××

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: यदि आप जवाब नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं अगला प्रश्न पुकार लूं?

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ×××

श्री अध्यक्ष: सप्लीमेंटरी जवाब देने के लिए मैं आपको छूट दे रहा हूं, आपका जवाब सप्लीमेंटरी का दिलाने का कह रहा हूं उसके बाद भी व्यवधान करेंगे तो मुझे मजबूर होकर अगले प्रश्न के लिए पुकारना पड़ेगा।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, मैंने इस बात को ध्यान में रखते हुए ही किसी भी सदस्य का नाम नहीं लिया था क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैं नाम लूंगा तो उत्तेजित हो जाएंगे। हमारा लक्ष्य भ्रष्टाचार रोकने का है, सरकार उसमें पहल कर रही है, आप कम से कम मुझे ......(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री अध्यक्ष: किसी भी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा, माननीय मंत्री के अलावा ......(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): ×××

श्री अध्यक्ष: किसी भी माननीय सदस्य का अंकित नहीं हो रहा है ......(व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी उत्तर दे रहे हैं। आप जवाब आने दीजिए, व्यवधान नहीं पैदा करें...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। मंत्रीजी।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, मैंने इसीलिए नाम नहीं लिया था। कृपया मुझे इसको पढ़ लेने दीजिए। इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारे समाज में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी बैठ गयी हैं, इसे समाप्त करने के लिए हमको हमारी सोच में आमूल-चूल परिवर्तन करना होगा। यह सदस्य का है, इसका कोई वैक्सीन नहीं है, स्वाइन फ्लू जैसे आप बाजार में खरीद कर लगा दें किसी को। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप मुझे ......(व्यवधान)......

श्री अध्यक्ष: आपस में नहीं उलझें। आप जवाब दीजिए......(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री अध्यक्ष: आप, मंत्रीजी, जवाब दीजिए।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप सुनिए तो सही। इस ग्राम पंचायत में फिर सरकार ने अपने प्रयास खतम नहीं किये। इस ग्राम पंचायत में फिर नरेगा परियोजना के निदेशक व अन्य अधिकारियों की एक टीम ने दिनांक 23.12.09 से 27.12.09 तक जांच कर 11 लाख 56 हजार से अधिक की अनियमित व्यय की गयी राशि वसूल की है। गौरतलब यह भी है कि ग्राम पंचायत द्वारा नरेगा में खरीदी गयी 77 लाख की सामग्री में से साढ़े 57 लाख से अधिक की राशि स्वयं सरपंच हीरालाल के पुत्र श्री ओमप्रकाश सैनी से खरीदी गयी है। मैं यहां सदन को यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि इन्होंने, सरपंच ने इस पूरी व्यवस्था को रोकने के लिए हाई कोर्ट वहां एक अपील दायर की और हमारे पूरे प्रोसेस को रोका, उसके बाद भी सरकार ने इसके अन्दर यह वसूली की है। आपकी जानकारी में यह भी लाना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी की पहल पर नरेगा योजना की क्रियान्विति में लगातार सुधार करने एवं भ्रष्टाचार करने वालों के विरुद्ध जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान, जयपुर में प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह में संवाद नामक कार्यक्रम किया जाता है। अब तक गत 8 महीनों में 6 बार कार्यक्रम आयोजित किया जा चुका है। अलवर जिले के संबंध

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

में इसी संभाग कार्यक्रम में मुझे दिनांक 30 अक्टूबर, 2009 को ग्राम पंचायत खोह-दरीबा पंचायत समिति, राजगढ़ से आये श्री जगदीश प्रसाद शर्मा ने अवगत करवाया था कि उनकी पंचायत में नरेगा में मस्टर-रोल में फर्जी व्यक्ति का नाम दिखा कर पेमेंट उठाया गया है। अगस्त, 2009 में एसडीएम, राजगढ़ श्री लालचंद पारीक की जांच के बाद मुकदमा भी दर्ज हो चुका है परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस पर मेरे द्वारा कार्यक्रम के दौरान ही जिला कलक्टर, अलवर से दूरभाष पर वार्ता कर जांच कर दोषियों को गिरफ्तार करने हेतु कहा गया था। उसके उपरांत 7 नवम्बर को कनिष्ठ तकनीकी सहायक दीपेन्द्र राजपूत एवं 18 नवम्बर, 2009 को बाबूलाल को गिरफ्तार किया गया। रोजगार सहायक विनोद कुमार शर्मा ने माननीय उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत प्राप्त कर ली परन्तु राज्य सरकार ने उसका अनुबंध समाप्त कर दिया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप में से जो भी माननीय सदस्य नरेगा संवाद में भाग लेकर अपना योगदान देना चाहते हैं, 26 तारीख को इस महीने में फिर संवाद होगा, भ्रष्टाचार के जो भी प्रकरण हैं, हम सामने लाएंगे, सरकार उसको मिटाने का प्रयास करेगी। और आप तो एक इंडिविजुअल एफआईआर की बात कर रहे हैं, उसमें क्या एफआर लगा दी, वह पुलिस विभाग से संबंधित है।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): जांच रिपोर्ट तो आपके पास आई होगी, माननीय मंत्रीजी? नरेगा में भ्रष्टाचार की एफआईआर हुई, जांच रिपोर्ट केवल पुलिस तक रह गयी है, ऐसा संभव नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्षजी, माननीय मंत्रीजी सदन को गुमराह कर रहे हैं। नरेगा की सोशल आडिट जो एनजीओ के माध्यम से करवाये जाने का सरकार ने निर्णय लिया था, उसके खिलाफ यह प्रदर्शन था, किसी भी पंचायत समिति के खिलाफ नहीं होने देने या ग्राम पंचायत के खिलाफ कोई जांच नहीं होने दी जाए, ऐसा किसी भी जन प्रतिनिधि का कोई विचार नहीं था। आपने आज पूरे को, इस सारे कार्यक्रम को घुमाने का प्रयास किया है। आप यह बता दें कि वहां कौन-कौन लोग मौजूद थे, किन-किन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई? उनके खिलाफ ही क्यों हुई और जो मौजूद थे जिन्होंने जाकर वहां मोर्चा लगाया था? उनके खिलाफ क्यों नहीं हुई? (व्यवधान) पूरा प्रशासन वहां मौजूद था......(व्यवधान) इसमें बाकायदा सीडी बनी है......(व्यवधान)

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): जानकारी पूरी नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी को। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : राजनैतिक द्वेषता के रूप में कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, कृपया विराजें। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, वीडियोग्राफी हुई और कांग्रेस के प्रधान और एमएलए को इन्होंने बचा दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता की सप्लीमेंट्री का जवाब दें।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, इन्होंने नाम मांगे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो नहीं बताना चाहता था क्योंकि.....

एक माननीय सदस्य : आप बतायएं कि वहां कौन-कौन लोग मौजूद थे और किन-किन के नाम छोड़े गये। (व्यवधान)

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, पंचायती राज के इस प्रयास में अलवर जिले के 11 विधायकों में से 6 माननीय विधायक जिनमें श्री बनवारी लाल सिंघल, अलवर, जो मूल प्रश्नकर्ता हैं वो.....

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): क्या हो गया, कोई इसमें चोरी की है क्या जो कह रहे हो? इसका मतलब आप जन प्रतिनिधि नहीं हो, जन प्रतिनिधि के सम्मान के लिए जाएंगे नहीं? (व्यवधान)

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): श्री जसवंत सिंह यादव बहरोड़, श्री रामहेत सिंह यादव किशनगढ़बास, श्री हेमसिंह भड़ाना थानागाजी, श्री बाबूलाल बैरवा कठूमर एवं श्री टीकाराम जूली अलवर ग्रामीण ने.....

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): इनमें किन-किन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, यह बताओ आप? (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): आपका एमएलए था, आपका प्रधान भी था।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): अध्यक्ष महोदय, मुकदमे में किन-किन के नाम दर्ज हुए, यह बताओ? (व्यवधान) एफआईआर किनके खिलाफ दर्ज हुई? (व्यवधान)

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): एफआईआर किन-किन के खिलाफ दर्ज हुई यह बताओ आप। (व्यवधान)

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्षजी, मेरा तो आपसे यही अनुरोध है...

श्री अध्यक्ष: कृपया जवाब सुनें, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। कृपया व्यवधान नहीं।

एक माननीय सदस्य : जूली हमको बुलाकर ले गया। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): कांग्रेस के विधायक टीकाराम जूली ने हमको बुलाया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया जवाब सुनें, व्यवधान नहीं। माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। अंकित नहीं होगा।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): ×××

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ×××

श्री अध्यक्ष: सप्लीमेंट्री पूछ रहे हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूं। माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया उससे एक बात स्पष्ट होती है, उन्होंने दूसरी धुन निकालने की कोशिश की। इससे स्पष्ट है कि सरकार सामाजिक अंकेक्षण कराए, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन सामाजिक अंकेक्षण के नाम पर अन्याय करे और उस अन्याय के खिलाफ विधायक कोई बात कहें, उसमें कांग्रेस के भी विधायक शामिल हों और बीजेपी के विधायक भी शामिल हों, तो विधायकों पर आक्षेप करना, यह बहुत गलत बात है। अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल गलत बात है। इस विषय की पूरी जांच की जाए कि किस विषय पर अंकेक्षण हुआ था, क्या काम कर रहे थे और विधायकों का आब्जेक्शन क्या था। जन प्रतिनिधि अगर किसी अभियान में गलती हो रही है और उसका आब्जेक्शन करने के लिए वो जाते हैं तो यहां पर मंत्री महोदय खड़े होकर विधायकों को लांछित करें, यह उचित नहीं है। जो व्यवस्था में गड़बड़ है, अभियान में गड़बड़ है उस गड़बड़ को देखने की कोशिश करें, यह मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: जवाब दे रहे हैं। एक मिनट, जवाब तो होने दीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: जवाब तो देने दीजिये, आपके उप नेता की सप्लीमेंट्री का जवाब दे रहे हैं।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष जी, मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि सीआईडी (सीबी) में जांच चल रही है, पूरी वीडियोग्राफी है, आपके चैम्बर में इसको देख लें। अगर वास्तव में इस भ्रष्टाचार को नरेगा में रोकना है तो चाहे हम जिला कलक्टर पर कार्यवाही करने की बात करते हैं मगर हमारे विधायक भी अगर इस प्रोसेस को रोकने में कानून को हाथ में लेते हैं तो उसको देखकर उनके खिलाफ चालान पेश करने की अनुमति जितनी जल्दी दी जाएगी, व्यवस्था में सुधार होगा। धन्यवाद।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा। अंकित नहीं होगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप अपना काम करें, सरकार अपना काम करेगी। अगला प्रश्न, श्री राधेश्याम गंगानगर।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्रीगंगानगर के सहकारी होलसेल भण्डारों पर जेनरिक दवाइयों के विक्रय पर रोक

135. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) श्रीगंगानगर उपभोक्ता होल सेल भण्डार द्वारा संचालित दवा दुकानों पर अप्रैल, 2009 से जनवरी, 2010 तक किस-किस फर्म से कितनी-कितनी दवा क्रय की गयी? फर्म का नाम दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

(2) क्या यह सही है कि श्रीगंगानगर की एक ही फर्म द्वारा एक ही कम्पनी की दवाई 1 अप्रैल, 2009 से 31 दिसम्बर, 2009 तक जेनरिक दवाई फार्मा के रेट से बाजार में बिकने वाली अन्तरराष्ट्रीय कम्पनियों के मूल्यों से अधिक मूल्य पर खरीदी गयी जो जीवन रक्षक दवाइयां नहीं हैं? क्या सरकार उसकी जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार ने समस्त होलसेल भण्डारों को आदेश जारी कर मरीजों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध करवाने हेतु अधिकांश जेनरिक दवाइयां खरीदने व बेचने हेतु पाबन्द किया है? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सरकार के आदेशों को अनदेखा कर निम्न से निम्न स्तर की दवाइयां उच्चतम रेटों से भी अधिक दामों पर खरीदकर एक विशेष फर्म को फायदा पहुंचाया गया है? यदि हां, तो कौन-कौनसी दवा व इसमें कौन-कौन अधिकारी शामिल हैं? नाम दर्शाते हुए विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उपरोक्त मामले की जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

सहकारिता मंत्री (श्री परसादीलाल): (1) श्रीगंगानगर उपभोक्ता होल सेल भण्डार द्वारा संचालित दवा दुकानों पर अप्रैल 2009 से जनवरी 2010 तक फर्मवार क्रय की गयी दवाइयों की राशि की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आदेश क्रमांक पी.एस./पीएनएस/2009/140 दिनांक 12.5.09 एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान के आदेश क्रमांक सविरा/उप/2396-2400 दिनांक 20.5.2009 की प्रति परिशिष्ट-2 एवं 3 पर संलग्न है।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री अध्यक्ष: अन्य माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

बहिर्गमन

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य श्री बनवारीलाल सिंघल, श्री रामहेत सिंह, श्री हेमसिंह भड़ाना, डा. जसवन्त सिंह यादव द्वारा बहिर्गमन)

मैं प्रतिपक्ष के उप नेता से निवेदन करूंगा कि आप प्रोसीडिंग देख लें, आपके माननीय सदस्य ने कहा +++ इसलिए मैं बहिर्गमन कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री अध्यक्ष: एक्सपंज कर दें वो। वह एक्सपंज कर दिया है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री अध्यक्ष: उसको एक्सपंज कर दिया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप विराजें। (व्यवधान) आप चालू करें। आप विराज जाएं।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि यह इश्यू अभी का नहीं है। शुरू से जब से स्कीम बनी है, लागू हुई है तब से लगातार यह शिकायतें आती रही हैं और मैंने पहले भी कहा कि यह विश्व की सबसे बड़ी रोजगार योजना जो देश को मिली है एक्ट बनाकर, उसी एक्ट की भावना को सामने रखकर हम प्रतिनिधि चाहे वह वार्ड पंच हो, सरपंच हो या प्रधान हो, प्रमुख हो, मैम्बर जिला परिषद हो या पंचायत समिति हो या एमएलए, एमपी हों, सब मिलकर अगर हम लोग प्रयास नहीं करेंगे तो माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हाउस गवाह है, 20-30 साल पहले भी जब कभी अकाल, सूखे पड़ते थे, माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत साहब जब प्रतिपक्ष के नेता थे उस जमाने के अन्दर भी लगातार 5-5, 6-6 दिन तक हाउस में बहस चलती थी कि अकाल के अन्दर भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर 3-4 महीने काम चलते थे तब भी करप्शन होते थे, गुंजाइश बनी रहती थी क्योंकि इतने बड़े प्रदेश के अन्दर जब पेमेंट होता है, प्रक्रिया चालू होती है, काम होता है, मेजरमेंट होता है तो कहीं चूक होती है, कहीं गलती होती है तो कई लोग सस्पैंड भी हुए होंगे। यह योजना इतनी बड़ी योजना आ गयी, पिछली आपकी गवर्नमेंट का बजट 14 हजार करोड़ था, 40

(श्री अशोक गहलोत)

प्रतिशत के करीब, 8 हजार करोड़ खाली इस नरेगा के आ रहे थे। मान लीजिये 40 प्रतिशत पैसा खर्च करना बजट के अलावा, इतना बड़ा चैलेंज का काम है कि जब तक हम सब मिलकर इसमें नहीं लगेंगे तब तक मानकर चलो कि इतने बड़े जहां लाखों लोग इन्वाल्व होते हैं, उतने में कहीं वेस्टेड इंटरेस्ट भी होते हैं, कई स्वार्थी भी होते हैं, कई करप्शन करने वाले भी होते हैं उनको रोकने की मंशा अगर हाउस के पक्ष-विपक्ष दोनों तरफ के सदस्यों की नहीं होगी, आम सरपंच की नहीं होगी, जिला प्रमुख, प्रधान की नहीं होगी, पंचायती राज के पूरे परिवार की नहीं होगी तो मानकर चलो कि गवर्नमेंट चाहे किसी पार्टी की हो, यह कहीं भी करप्शन रुक नहीं सकता। इसलिए, माननीय सदस्य, जो माननीय मंत्रीजी कह रहे थे, वो अपनी भावना बता रहे थे। हालत ये हो गये कि हम जन प्रतिनिधि भी बजाय इसके कि मंत्री को आकर कहें, मुख्य मंत्री से मिलें, आप लोगों से मिलें कि हमारी शिकायत है, मेरे पास में भी अलवर के करीब 50-60 सरपंच एक साथ में आये थे, जैसे ही उन्होंने सुना कि भीलवाड़ा के बाद में अलवर में सोशल ऑडिट हो रही है। यह तो माननीय केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं, उन्होंने अपने खुद के जिले को चूज किया। एक्टिविस्ट मिसेज अरुणा राय हैं, उनकी पूरी टीम में हिन्दुस्तान भर के लोग वहां आये थे और आकर उन्होंने सोशल आडिट किया। जो केन्द्रीय मंत्री हैं, अपने जिले में उन्होंने आडिट करवाया, कुछ अच्छाइयां भी थीं, कुछ कमियां थीं। ऐसा नहीं है कि कमियां-कमियां ही थीं पर जैसाकि एक बात उठी अलवर लिए तो उन लोगों को आशंका हुई, कि हो सकता है, हमारे वहां आकर के भी कोई स्थिति आ जाए कि हम बदनाम हो जाएं। मैंने खुद उनको आश्वासन दिया था कि आप निश्चित रहें। सारे सरपंच करप्ट नहीं होते हैं। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, उस ढंग की स्थिति होती है चाहे एम.एल.ए. में हो, एम.पी. में हो, प्रधान में हो, प्रमुख में हो, सरपंच में हो। परन्तु अगर ऐसी स्थिति है तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें सोचना पड़ेगा। मैंने उनको आश्वासन दिया था कि आप निश्चित रहो। जो हमारे ईमानदार सरपंच हैं, उनकी प्रतिष्ठा किसी भी कीमत पर कम नहीं होनी चाहिए गलतफहमी के आधार पर। यह सरकार का काम है सुनिश्चित करने का। परन्तु जब तक सहयोग सब का नहीं मिलेगा, यह असम्भव काम है। यह योजना जिसके लिए मैं बार-बार कहता हूं, अगर सिस्टम में जाब कार्ड एक परिवार के एक से दो बन गये, बिना जाब कार्ड काम दे दिया, मस्टररोल फर्जी भरे जाएंगे, मेजरमेंट नहीं होगा तथा उस सिस्टम में करप्शन घुस गया तो

(श्री अशोक गहलोत)

फिर जैसा हमारे बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि हर विभाग में करप्शन है, उसका नाम लेकर हम इस करप्शन से आंखें नहीं मूंद सकते। पर मैं कहना चाहूंगा कि उन विभागों में करप्शन है शुरु से ही- एक प्रतिशत, दो प्रतिशत, तीन प्रतिशत, चार प्रतिशत। धीरे-धीरे तो एक्स.ईएन. और एस.ई ठेकेदारों के साथ पार्टनरशिप करने लग गये। सब दुनिया जानती है। इसमें प्रयास करके यह जो करप्शन है, इसके लिए अगर हमने अभी से ध्यान नहीं दिया तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को कहना चाहूंगा, और आने वाला समय याद रखेगा मेरे शब्दों को, इस करप्शन को सिस्टम में घुसा दिया तो कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। इसलिए माननीय सदस्यों से अपील करना चाहूंगा, सब मिलकर हम कैसे इस करप्शन को रोकें। इसमें माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि कैसे हम लोग संवाद कर रहे हैं, सुझाव ले रहे हैं। हमने कई कदम उठाये हैं, और कदम उठाएंगे और प्रयास करेंगे कि किसी कीमत पर इसमें करप्शन नहीं होने दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री राधेश्यामजी। श्री राधेश्यामजी। चर्चा समाप्त है। (व्यवधान) श्री राधेश्याम जी, सप्लीमेंट्री पूछें। श्री राधेश्यामजी, सप्लीमेंट्री। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भाग संख्या-एक में प्रश्न के बारे में संबंधित विभाग के मंत्री द्वारा मुझे जो उत्तर दिया गया है, अधूरा है, असत्य है। प्रश्न के जवाब में सूची प्राप्त हुई है, वह सूची अधूरी है। प्रश्न में पूछा गया है कि अप्रैल, 2009 से जनवरी, 2010 तक किस-किस फर्म से कितनी-कितनी दवाइयां क्रय की गयी हैं, लेकिन जवाब में दवाइयों की संख्या को नहीं दर्शाया गया है, अर्थात् संख्या को छिपाया गया है। उदाहरण के तौर पर परिशिष्ट-एक के क्रम संख्या-81 पर मैसर्स एस.एस. डिस्ट्रीब्यूटर्स, श्रीगंगानगर से 4,20,630 रुपये की दवाइयां क्रय की गयी हैं। लेकिन कितनी दवाइयां क्रय की गयी हैं, इस सत्य को छिपाया गया है। भाग संख्या-दो में ड्रग सेंटर से जो आठ दवाइयां जरूरत से अधिक मात्रा में खरीदी गयी जोकि जीवन रक्षा की श्रेणी में नहीं आती हैं। कालसिक सीरप, पैट्रोजोल-डी टेबलेट, केनेसिक 200 एसई, मिलटीविट कैप्सूल, ट्रोयोक 1000 एमजी इंजेक्शन, आफमोर-जेड टेबलेट, प्रोडेल-एस टेबलेट, आवसीडेट कैप्सूल, ये उपरोक्त आठ दवाइयों का अधिकतम मूल्य बाजार में बिकने वाली इन्टरनेशनल एवं नेशनल दवाई कम्पनियों से कहीं अधिक है जिसका सीधा असर निर्धन वर्ग के गरीब लोगों पर, मरीजों पर पड़ता है।

श्री अध्यक्ष: सप्लीमेंट्री क्या है आपकी, भाषण नहीं।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): एक प्रश्न बता देता हूं, जवाब दे देंगे। यह जो जवाब इन्होंने दिया है, वह जवाब ही सारा गलत है जी।

श्री अध्यक्ष: सप्लीमेंट्री पूछो आप।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मैं इस सरकार का ध्यान इस सदन के माध्यम से दिलाना चाहता हूं कि अप्रैल-मई 2009 में उपरोक्त आठ दवाइयों की भण्डार में कुल कितनी बिक्री हुई, मंत्री महोदय सदन को अवगत कराएं। अगर बिक्री नहीं हुई तो इतनी बड़ी मात्रा में दवाइयां इतनी महंगी दरों पर क्यों खरीदी गईं? मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि उक्त आठ दवाइयों की बाजार में बिक्री नहीं होती है, फिर भी होल सेल भण्डार में ये दवाइयां क्यों खरीदी गईं और होलसेल भण्डार ने...

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को हमने पूरी सूची...

श्री अध्यक्ष: इनका सप्लीमेंट्री समझ तो गये न आप।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): ...पूरी सूची मैंने उपलब्ध करा दी है और पूरे 111 फर्मों से ...

श्री अध्यक्ष: इनका जवाब आ जाए। जवाब आ जाए।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): ...111 फर्मों से दवाइयां खरीदी हैं। आपने कहा जेनरिक दवाइयों के लिए, हमने उन दवाइयों का भी पूर्ण विवरण दिया है। कहीं भी एम.आर.पी. रेट से कहीं कोई दवाई ज्यादा नहीं खरीदी। कानफेड की रेट से भी गंगानगर भण्डार ने कम रेट में दवाइयां खरीदी हैं। आपको जो यह सूची दी है हमने, 238.32 लाख रुपये की कुल दवाइयां खरीदी हैं, उसमें 32.57 लाख रुपये की जेनरिक दवाइयां खरीदीं, जो 13 प्रतिशत हैं। मार्केट रेट से कहीं भी ज्यादा पर दवाइयां नहीं खरीदी गयीं। जहां उनको डाक्टर जेनरिक दवाइयां ज्यादा लिखेंगे, जो डाक्टर लिखेगा, वहीं मेडिकल शाप को हमारे केन्द्रों से दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं। अगर हम ऐसी दवाइयां खरीद लेंगे सस्ती जो डाक्टर लिखेंगे ही नहीं तो वे दवाइयां खराब हो जाएंगी। जो डाक्टर दवाइयां लिखते हैं, वहीं दवाइयां हमारे भण्डार खरीदते हैं और 111 फर्मों को आप देख लीजिये, मिलान कर लीजिये, एम.आर.पी. से बहुत कम, मार्केट

(श्री परसादीलाल)

रेट से कम पर दवाइयां हमारे गंगानगर भण्डार ने खरीदी हैं। आपको जो आशंका है और जो कोई किसी तरह की बात है, आप मुझे व्यक्तिगत रूप से मिलकर बता सकते हैं, मैं आपका समाधान कर दूंगा।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का बहुत स्पेसिफिक प्रश्न है। इसके खण्ड-एक में आपने पूछा है कि अप्रैल, 2009 से जनवरी, 2010 तक किस-किस फर्म से कितनी-कितनी दवाइयां क्रय की गयीं? अगर आपके पास सूचना है, मंत्री महोदय, तो आप बताएं सदन को कि आपने कितनी-कितनी दवाइयां क्रय की इसमें? इसमें कितनी-कितनी दवाइयां क्रय की गयीं, का कोई कालम ही नहीं है। आपने दवाइयों के नाम दे रखे हैं, दवाइयों की कीमत दे रखी है। कितनी-कितनी दवाइयां, क्वांटिटी कितनी खरीदी है, ...

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): यह जो परिशिष्ट-एक की सूचना है इसमें पूरी अमाउंट लिखी हुई है, कितनी दवाइयां खरीदीं।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): यह अमाउंट का मतलब उसकी कीमत से है, मंत्री महोदय।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): हां, अमाउंट लिखा हुआ है। कीमत आप देख लीजिये।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अमाउंट का मतलब उसकी क्वांटिटी से नहीं है। इस अमाउंट से कितनी दवाइयां खरीदीं, यह बताइये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): यह बताओ, यह आपने हमें दी है क्या? जो आपने हमें दी है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): यही तो माननीय सदस्य का कहना था। यह जो सवाल का जवाब दिया है, यह बिलकुल भ्रामक है, अध्यक्ष महोदय। इसमें केवल कीमत दर्शाई गयी है दवाइयों की, कहीं भी क्वांटिटी नहीं दर्शाई गयी है। अध्यक्ष महोदय, इसके पीछे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जेनरिक मेडिसिन्स का जो माननीय मंत्री महोदय बता रहे हैं, गरीब मरीजों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध हों, इसलिए जेनरिक मेडिसिन्स के लिए बार-बार सरकार की तरफ से भी कोई न कोई सर्कुलर निकलते रहते हैं परन्तु अभी माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा, उसके हिसाब से जो आपने उत्तर दिया है, अगर इस तरह से मेडिसिन्स जेनरिक मेडिसिन्स के नाम से खरीदी गयी तो मैं

(डा. दिगम्बर सिंह)

समझता हूं कि गरीब मरीजों पर बहुत बड़ा अत्याचार होगा। यह कासिमेक सीरप खरीदा गया है, यह लाइफ सेविंग ड्रग के नाम से दवाई परचेज की। पेंटाजोल-डी टेबलेट है, यह कौनसी लाइफ सेविंग ड्रग है अध्यक्ष महोदय? और केवल एक फर्म से, कुल मिलाकर बात यह है कि जो उपभोक्ता भण्डार का अध्यक्ष है गंगानगर का, केवल एक फर्म को फायदा देने के लिए चाहे वह मरीज के काम की दवाई हो या नहीं हो, चाहे वह जेनरिक मेडिसिन्स की श्रेणी में आती हो चाहे नहीं आती हो और जो ब्रांडेड मेडिसिन्स हैं, उनसे भी ज्यादा कीमत पर ये आठ दवाइयां खरीदी गयी हैं, यह हमारा आरोप है। इसका, मंत्री महोदय, जवाब दें आप कि ब्रांडेड मेडिसिन्स से ज्यादा कीमत पर ये दवाइयां जेनरिक के नाम से कैसे खरीदी गयीं?

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अभी फरर्माया कि...

श्री अध्यक्ष: आप विराजें, जवाब आने दें। जवाब आने दीजिये। (व्यवधान) अगर वह डाक्टर हैं तो मैं क्या करूं? यहां तो माननीय सदस्य हैं। जवाब आने दीजिये।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): डाक्टर जो दवाइयां देते हैं, सरकार ने डाक्टर को पाबंद कर रखा है जेनरिक दवाइयां लिखने को गरीब पेशेंट का इलाज करने के लिए, बावजूद उसके ये कह रहे हैं कि जो डाक्टर लिखते हैं, वे उनको रखनी पड़ती हैं।

श्री अध्यक्ष: बैठिये बैठिये, प्रश्न जिनका है, मूल प्रश्नकर्ता ने जो पूछा है, उसका जवाब आने दीजिये। (व्यवधान) प्लीज, प्लीज, मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं, एक मिनट।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जैसा पूछा कि अधिक रेट पर दवाइयां खरीदी गयी हैं, मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया कि कोई भी दवाई अधिक रेट पर नहीं खरीदी गयी है। न किसी एक फर्म विशेष से कोई दवाई खरीदी गयी है। 111 फर्मों से दवाइयां खरीदी गयी हैं। यह परिशिष्ट-एक है, इसमें आप देख लीजिये, कानफेड की रेट कम है, एम.आर.पी. कम है, हमारे भण्डार ने किस रेट पर वह दवाई खरीदी है। एक भी दवाई ऐसी नहीं है...

श्री अध्यक्ष: जवाब तो आने दीजिये।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): जो कानफेड से और मार्केट रेट से, एम.आर.पी. रेट से, आपकी जो एम.आर.पी. रेट है, उससे भण्डार ने कहीं भी कोई भी दवाई ज्यादा रेट पर नहीं खरीदी। सारी दवाइयां कम रेट पर हैं। अगर इसकी जानकारी आप देंगे तो मैं इसकी जांच करा दूंगा।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, आज जो दवाइयों के ऊपर एमआरपी रेट लिखी रहती है, आप मेरे साथ बाजार में चलें, उनसे कम से कम पन्द्रह प्रतिशत कम पर एमआरपी रेट पर आज खुदरा में बाजार में आपको दवाइयां मिल जाएंगी। एमआरपी का कोई मतलब नहीं है अध्यक्ष महोदय। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि एमआरपी तो उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। वह हमारा कोई पैमाना नहीं है और जेनरिक मेडिसिन खरीदने का हमारा यह परपज भी नहीं है। जेनरिक मेडिसिन ब्रांडेड मेडिसिन का वह रूप है जो ज्यादा बल्क में बनती है इसलिए हमको सस्ती पड़ती है। उस सस्ती मेडिसिन को सस्ती मरीजों को हम अवेलेबल करवाएं इसके पीछे मानसिकता तो यह है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा, इसके लिए कई बार सरकार ने इस तरह के सर्कुलर भी निकाले हैं परन्तु आज तक उन सर्कुलर्स के ऊपर कोई गौर नहीं हो रहा। लास्ट जो सर्कुलर निकला है, अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: सप्लीमेंट्री क्या है?

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): यह आपके विभाग से ही, मैं बता दूं, चिकित्सा-स्वास्थ्य विभाग एवं परिवार कल्याण विभाग का निकला है, अध्यक्ष महोदय, 12 मई 2009 को।

श्री अध्यक्ष: तो माननीय मूल प्रश्नकर्ता को आप नहीं करने देंगे?

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): 30.5.09 को निकला है। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह करना चाहूंगा कि जो परपज है जेनरिक मेडिसिन का, इसमें प्रिंसिपल सैक्रेटरी मेडिकल एण्ड हैल्थ ने बाकायदा पाबंद किया है डाक्टर्स को कि वह केवल जेनरिक मेडिसिन जो अवेलेबल हों, वह उसको प्रैस्क्रिप्शन पर लिखें। परन्तु सारी ब्रांडेड मेडिसिन इसके नाम पर खरीदी जा रही हैं और चार-चार गुना ज्यादा रेट पर खरीदी जा रही हैं। उपभोक्ता भण्डार के अध्यक्ष महोदय ने अपने परिवार की दुकानें खुलवा रखी हैं उनको सहायता करने के लिए, अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहते हैं हम लोग। इसका अगर मंत्री महोदय कुछ स्पष्टीकरण देना चाहें...

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा, जो सर्कुलर निकला है, हैल्थ डिपार्टमेंट का है। अभी हैल्थ डिपार्टमेंट और कोआपरेटिव में एक एमओयू किया है और उन्होंने कहा है कि आप 106 जगह पर और जेनरिक दवाइयों की दुकानें चालू करें। हमने एमओयू करने के बाद उस पर कार्य शुरू कर दिया, हम चाहते हैं हमारे भण्डार ज्यादा से ज्यादा जेनरिक दवाओं का काम करें। डाक्टरों को पाबंद करने का काम हैल्थ डिपार्टमेंट का है। डाक्टर लिखेंगे तो हम निश्चित रूप से जहां भी वह लिखेंगे, जितनी दवाइयां लिखेंगे वैसी दवाइयां भण्डार उपलब्ध कराएगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त करें। समाप्त करें।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, विभाग कोई भी हो, चाहे चिकित्सा विभाग हो, चाहे सहकारिता विभाग हो, सरकार से ऊपर कोई विभाग नहीं है। मंत्री यह कहकर कि चिकित्सा विभाग चाहेगा तो यह हो सकता है, इस बात से बच नहीं सकते। अध्यक्ष महोदय, उपभोक्ता भण्डार की कहानी यह है कि जितने भी पेंशनर्स हैं उनकी डायरी इकट्ठा करके रखते हैं ये, this is an open fact. मेरे खयाल से सारे विधायक महोदय जो सदन में बैठे हैं, इनको भी पता होगा। उन डायरियों पर फर्जी दवाइयां लिख-लिख कर अपना धंधा करते हैं, बीस परसेंट किसी को देंगे, तीस परसेंट किसी को देंगे और इसकी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त करें। चर्चा समाप्त करें। कृपया विराजें।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, इसको एक बार जांच कराने की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष: श्री वासुदेव देवनानी। (व्यवधान) श्री वासुदेव देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): प्रश्न संख्या 82 । (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): कमाल है, मेरे को तो आपने बोलने ही नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष: दो प्रश्न निकले हैं, समय समाप्त होने जा रहा है। माननीय सदस्य, कृपया आप विराजें। कृपया आप विराजें, समय समाप्त होने जा रहा है, दो प्रश्न हुए हैं खाली।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): अध्यक्ष महोदय, मेरे को तो बोलने ही नहीं दिया, मैं कई चीज उजागर करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं, जो उजागर करना चाहते थे वह सब हो गयी, सारी उजागर हो गयी।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि ऐसी एक फर्म है जिसको तीस परसेंट पैसा, तीस परसेंट फर्म रखती है..

श्री अध्यक्ष: श्री वासुदेव देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): प्रश्न संख्या 82

श्री अध्यक्ष: कार्मिक मंत्रीजी।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): सत्तर प्रतिशत होल सेल भण्डार के अध्यक्ष और कर्मचारी लेते हैं। झूठे बिल, नीचे कार्बन नहीं है, लाखों रुपये का बारदाना आप बता दो जो बिका है, वह कहां गये लाखों रुपये? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसी के भाई...

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें, जवाब आने दें। आपकी बात आ चुकी है, कृपया विराजें, जवाब आने दें।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): जो अध्यक्ष है उसका सगा भाई नरेश जिसके द्वारा यह सारा काम किया जा रहा है...

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): कमाल है, अध्यक्ष महोदय, मेरा...

श्री अध्यक्ष: समय देखिये, प्रश्न नहीं आ पाएंगे।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मेरे को तो दो मिनट भी आपने नहीं दिये। मैं यह..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, ...(व्यवधान) मैं आपका जवाब दे देता हूं, मैं दे रहा हूं।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): नहीं, आप इन्क्वायरी करवा दो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य ने जो आशंकाएं व्यक्त की हैं, उन पर आप जांच करवा लें। खत्म हो गयी बात।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): खड़े होकर कहें, जांच खोलेंगे, ऐसे नहीं।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: कह दिया न ।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: क्या बोलो? आपके समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या बोलो? (व्यवधान) हो गये खड़े। जवाब दे रहे हैं मंत्रीजी, खड़े होकर ही तो दे रहे हैं।

स्थगित प्रश्न

(24 फरवरी, 2010)

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा रिक्त पदों हेतु साक्षात्कार

18. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा दिसम्बर, 2008 से दिसम्बर, 2009 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग को कितने रिक्त पदों को भरने की अर्थना भेजी गयी? विभागानुसार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में की गयी अर्थनाओं/अनुशंसाओं में से कितने पदों हेतु साक्षात्कार हुए तथा कितने पद भरे गये?

(3) सरकार द्वारा दिसम्बर, 1998 से दिसम्बर, 2003 एवं दिसम्बर, 2003 से दिसम्बर, 2008 की अवधि में भेजी गयी अर्थनाओं/अनुशंसाओं में से कितने पद भरे गये?

(4) सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में कितने पदों का सृजन किया गया व कितने पद विज्ञापित किये और कितने पद भरे गये?

गृह मंत्री (श्री शांती कुमार धारीवाल) : (1) दिसम्बर, 2008 से दिसम्बर, 2009 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेजी गयी अर्थनाओं का विभागानुसार विवरण संलग्न परिशिष्ट-क पर उपलब्ध है।

(2) उक्त अवधि में की गयी अर्थनाओं में चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) दिसम्बर, 1998 से दिसम्बर, 2003 तक की अवधि में आयोग को भेजी गयी अर्थनाओं/अनुशंषाओं में से भरे गये पदों का विवरण संलग्न परिशिष्ट ख भाग-1 पर उपलब्ध है। दिसम्बर, 2003 से दिसम्बर, 2008 तक

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

की अवधि में भेजी गयी अर्थनाओं/अनुशंसाओं में से भरे गये पदों का विवरण संलग्न परिशिष्ठ ख भाग-2 पर उपलब्ध है।

(4) सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में 5868 पदों का सृजन किया गया, 1873 पद विज्ञापित किये गये 3444 पद भरे गये। शेष पदों को नियमानुसार भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, राज्य सरकार ने दिसम्बर, 08 से दिसम्बर, 09 तक जो अभ्यर्थनाएं भेजी हैं, उनका टोटल है 11670, जबकि इन्होंने सृजित किये हैं खण्ड चार में उल्लेखित के अनुसार 5868 पद, तो बाकी पद कब के सृजित हैं, एक इसकी जानकारी कराएं। दूसरा, खण्ड 2 में जो प्रक्रियाधीन है और सृजन के चार के साथ जुड़ा हुआ है, कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछले बजट में घोषणा की थी कि इन-इन पदों को भरा जाएगा, उनका टोटल लगभग 82 हजार आता है। उसमें आरपीएससी से भरे जाने वाले पदों की संख्या 28 हजार तो अध्यापकों की है, और बाकी पद और भी आरपीएससी से भरे जाने हैं और आपने केवल सृजित किये हैं 5868, तो बाकी पद चौदह महीने में या साल भर में आपने सृजित नहीं किये तो आप कब भरेंगे? नम्बर तीन, खण्ड दो और तीन में आपने खण्ड एक का तो टोटल लगाकर दिया है इसके साथ संलग्नक में कि 11670 है, लेकिन खण्ड दो और तीन का आपके अधिकारियों को शायद टोटल करना भी नहीं आता, उन्होंने टोटल भी नहीं किया कि कितने पद की आपने अभ्यर्थनाएं भेजीं। यदि नहीं किया तो मैं आपको टोटल करके बता रहा हूं कि खण्ड दो में 1998 से 2003 तक आपकी अभ्यर्थनाएं गयीं 6776, और जबकि 2003 से 2008 तक 84033 पदों की अर्थनाएं गयी हैं हमारी सरकार के समय। यह यदि आंकड़ा आप टोटल करके इस उत्तर के साथ बताते। मैंने पूछा कितनी, आपने कह दिया संलग्न सूची है, नीचे टोटल करने का भी आपके अधिकारियों ने कोई प्रयत्न नहीं किया। नम्बर खण्ड चार, आपने विज्ञापित किये...

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब तो आने दें, इतना फिर लम्बा हो जाएगा। लम्बा हो जाएगा, दोबारा पूछ लें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): एक साथ दे दें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): बेहतर यह रहेगा, साहब, कि यह एक-एक सवाल पूछते जाएं और मैं एक-एक का जवाब देता जाऊंगा। एक साथ पूछेंगे यह तो कोई समझ में भी नहीं आई बात।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): इन तीन का आप दे दीजिये, बाकी नहीं। मेरे को आप पूरा अवसर दें। मेरे तो आठ मुद्दे हैं, आप मेरे को पूछने का अवसर दें।

श्री अध्यक्ष: पहले एक-एक पूछ लीजिये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): एक-एक पूछ लें आप।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ये तीन पूछे हैं न मैंने, तीन में कोई अड़चन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: एक-एक पूछ लें। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): हां। पहला पूछा, राज्य सरकार ने दिसम्बर, 08 से दिसम्बर, 09 तक अर्थनाएं भेजी हैं 11670, आपने पद ही सृजित किये हैं 5868, बाकी पद कब के सृजित हैं? (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): दिसम्बर, 2008 से 2009 तक जो 11675 भेजी गयी हैं उसमें तो आप एग्री करते हैं, अब सवाल यह रह गया, आपने यह पूछा कि 5868 कब भेजी गयीं...

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यह नहीं पूछा, 5868 तो आपने सृजित किये हैं और अर्थनाएंस भेजी हैं 11675, तो बाकी पद कब के सृजित हैं। वे कब के सृजित हैं, कहां से आये?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): 11575 कौन सी भेजी गई।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): 11675 दिसम्बर, 08 से दिसम्बर, 09 तक अभी आपने बताया...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): बताया ही नहीं, मैंने कभी नहीं बताया आपको। कभी नहीं बताया।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यह लिखा हुआ है, यह टोटल है आपका। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अभी-अभी बताया है। इसको स्थगित करो, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): कभी नहीं बताया। (व्यवधान) कभी नहीं बताया। (व्यवधान) देखिये, सुनिये, मेरा जवाब सुन लीजिये आप।

श्री अध्यक्ष: आप दोबारा बता दें। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मेरा जवाब सुन लीजिये। मेरा जवाब सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष: एक बार स्पष्ट कर देंगे जवाब।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): स्पष्ट कर रहा हूं मैं। मैं कह रहा हूं कि दिसम्बर, 2008 से 2009 तक 11675 अर्थनाएं भेजी गई हैं, ठीक हैं? और खण्ड...

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): खण्ड 4 में आप लिख रहे हो, आपने इसी दौरान सृजित किये 5668, तो बाकी पद कब के सृजित हैं?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यह मैं बताता हूं आपको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...(व्यवधान) कितनी अर्थनाएं भेजी हैं, हमारा आरोप यह है, जो आपने पद सृजित किये हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आरोप नहीं, सवाल पूछ रहे हैं यह।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): कौन से साल में? कौन से वर्ष में? 2008, आप किस वर्ष की पूछ रहे हो?

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): जो आपके खण्ड-1 और 4 में हैं। खण्ड-1 और 4 में जो आपने उत्तर दिया है। खण्ड-1 में आपने लिखा है, आपने अर्थनाएं 1168 पदों की भेजीं, ठीक है। खण्ड-4 में आप लिख रहे हैं कि आपकी सरकार ने कुल 5660 पद ही सृजित किये, तो बाकी पदों की अर्थनाएं कब की हैं?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): देखिए, विभिन्न विभागों का सृजन जो है बिलकुल अलग-अलग है और दोनों विभागों की अवधियां भी अलग-अलग हैं। आप उन दोनों अवधियों को एक मिला रहे हो, सारे विभागों को एक मिला रहे हो।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): नहीं, अध्यक्ष महोदय, देखिए, आपके दोनों सामने हैं। पहले खण्ड-1 में हैं, आप पढ़िये जरा, सरकार द्वारा

(श्री वासुदेव देवनानी)
दिसम्बर, 08 से दिसम्बर, 09 तक और खण्ड-4 में सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में कितने पदों को सृजित किया? दोनों प्रश्न एक ही समय के हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं कह रहा हूं आपसे, आप सुनिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आपने पहले भी इसको स्थगित कराया और आज फिर कह रहे हैं....

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): पहले मेरा जवाब सुन लीजिए। चालू वित्तीय वर्ष में 2009 और 2010 में जो पद सृजित किये गये, वे टोटल थे 5868, उनमें से 1873 विज्ञापित किये गये और जो भरे गये वे 3444 हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यह तो मैंने पढ़ लिया है, मैं पूछ रहा हूं पहले 11668 थे...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): वे तो अलग हैं। वे तो अलग हैं, वे तो प्रक्रियाधीन हैं, फिर कह रहा हूं आपसे...

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अलग कैसे हैं? मैं कह रहा हूं, आपकी सरकार के समय के हैं। मैंने तो यह पूछा है, कब के सृजित हैं? आप यह बता दीजिए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि दिसम्बर, 08 से दिसम्बर, 09 तक जो पद भेजे गये हैं, अर्थनाएं जिनकी की गयी हैं, वे सब आज तक प्रक्रियाधीन हैं। यह प्रक्रियाधीन क्यों हैं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपके सामने।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): खण्ड-4 में पढ़िये न, सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): खण्ड-4 बाद में आयेगा। पहले आप इसका एक्सप्लेन कर लेने दीजिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यह इसी से रिलेटेड है, चालू वित्तीय वर्ष में...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं चालू वित्तीय वर्ष की ही बात कर रहा हूं आपसे। देखिए, जो 11675 पद हैं जिनकी कि अर्थनाएं भेजी गयीं मुख्य तौर पर, आपको ध्यान हो तो तीन बार आचार संहिता लगी, तीन बार, और तीन बार की आचार संहिताओं में...

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यह प्रश्न ही नहीं है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं बता रहा हूं आपको, पहले मेरा जवाब सुनिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): इस प्रश्न को लम्बा करके आप 12 बजाना चाह रहे हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): उसका क्या कारण रहा, वह आपको बता देता हूं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मेरे पहले का उत्तर दीजिए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): क्या कारण रहा, मैं बता देता हूं आपको। इसका क्या कारण रहा, वह मैं आपको बता देता हूं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्त्तर): कारण मैंने नहीं पूछा है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): तो फिर क्या पूछना चाहते हैं आप?

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मैंने पूछा है, वे कब के सृजित हैं?

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): कौन से वर्ष के हैं?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सृजित हैं 2008 और 2009 में।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): 2009 के सृजित तो ये हैं, मेरा दूसरा प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये इसका तो उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, मैं दूसरा पूछ रहा हूं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप जो प्रश्न पूछना चाहते हैं, साफ-साफ पूछिए। कनफ्यूज मत होइए, आप कनफ्यूज हो रहे हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आप कनफ्यूज हो रहे हो, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। पहले भी इसको स्थगित कराया। मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी अपने बजट भाषण में नए पद भरने के लिए कहा है, वे लगभग 80 हजार होते हैं और आपने केवल सृजित किये 5668, बाकी पदों का क्या हुआ? क्यों नहीं आरपीएससी को आज तक अर्थनाएं भेजी गयीं?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपने जो प्रश्न पूछा है, वह आपका खण्ड-3 है। खण्ड-3 में आपने पूछा कि 1998 में कितने पदों की अर्थना की गयी? 646 पदों की अर्थना की गयी, 1999 में 2998 की...

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मैंने दूसरा पूछा है, मैंने कहा कि मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में जो नए पद सृजित किये हैं...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपने जो प्रश्न पूछा उसी का जवाब दे रहा हूं मैं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): उसी से रिलेटेड है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): उसी का जवाब दे रहा हूं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आपने 82 हजार की घोषणा की है और आपने सृजित किये 5868, बाकी के पदों का सृजन क्यों नहीं किया?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): क्या पूछना चाहते हैं यह?

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय मंत्रीजी कनफ्यूज हो रहे हैं, मेरा सीधा-सीधा प्रश्न है ...(व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ...(व्यवधान) इसको स्थगित माना जाए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में टोटल पदों की जो घोषणा की हैं वह संख्या आती है लगभग 82 हजार की...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): जो बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है, वह 31 जुलाई को घोषणा हुई। उससे लेकर अभी तक का मैं आपको सारा टाइम टेबिल दे देता हूं कि किन कारणों से उन घोषणाओं पर कितना अमल हो पाया, कितना अमल नहीं हो पाया।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछ रहा हूं सीधा-सीधा, बाकी घोषणाओं का मुझे पता नहीं...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): नहीं, क्यों नहीं सुनना चाहते आप? प्रश्न का पूरा जवाब सुनिये। प्रश्न का पूरा जवाब सुनिये। जवाब सुनिये पूरा आप।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आप यह बताइए ...(व्यवधान) जवाब ही तो पूछ रहा हूं, यह जवाब नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, यह जवाब नहीं है। जवाब ही नहीं है इनके पास में। हमने 84 हजार पद अर्थना किये, आपने केवल 6 हजार किये हैं, बताइए क्या है आपका?

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ...(व्यवधान) उनका सप्लीमेंट्री का भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय तैयार होकर नहीं आये हैं, सप्लीमेंट्री का जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष भी 2009, मुझे कम्पलीट कर लेने दीजिए पहले।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया साहब कुछ कह रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): एक सैकिण्ड, विराज तो जाएं, आप। मतलब इतना उलटने का काम नहीं है, इस प्रश्न को थोड़ा सरल करो आप।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न को तो सरल आप करें, यह तो उत्तर देंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं कर रहा हूं। क्या यह सच है कि दिसम्बर, 08 से लेकर दिसम्बर, 09 तक जो भी आपने आरपीएससी को पद भेजे थे, उसके अगेंस्ट में आज दिन तक एक व्यक्ति भी नहीं लगा, एक? क्या यह सच है कि वर्ष 2009 और 2010 की जो बजट घोषणा थी, उस बजट घोषणा में 82 हजार पदों की घोषणा थी? उसमें से कितने आपने आरपीएससी को भेजे और उनके तहत अब तक कितने लोगों को नौकरी दे दी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट थोड़ा-सा, मैं तो इनके साथ ही बोल दूंगा..

श्री अध्यक्ष: पहले इनका जवाब आ जाए।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ...(व्यवधान) आधे घण्टे की चर्चा रखवा दीजिए, मंत्रीजी तैयार होकर आ जाएंगे, बेरोजगारों का भला हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर 560 पदों पर, मैं बता रहा हूं आपको, वही बता रहा हूं आपको, पूरा सुनिये आप। आपने पूछा है कि 2009 और 2010 में कितनी तो अर्थनाएं की गयीं और कितने साक्षात्कार किए और कितने पद भरे गये? 2009 और 2010 में 5868 नए पद सृजित किये गये, 1873 विज्ञापित किये गये, 3444 पद भरे गये। एक सवाल का तो जवाब आ गया। दूसरा, सवाल आपका जो है...

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यह थोड़े ही पूछा है मैंने? इन्होंने कितने पदों का ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ...(व्यवधान) लिखित में दिया है मैंने जवाब आपको। आपको लिखित में दिया है जवाब। अब आप मेरे जवाब से संतुष्ट नहीं हो, उसको तो कोई कारण है नहीं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आप जवाब ही नहीं दे रहे हो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): लेकिन जवाब यही है। मेरा जवाब यही है और मैंने लिखित में दिया है जवाब।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं, मैंने पूछा है, गुर्जर आंदोलन के कारण जो आपने आरक्षण किया ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): दूसरा सवाल आपका यह है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में 82 हजार नए पद सृजित करने का उल्लेख किया, निश्चित तौर पर किया होगा।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): किया होगा? मुख्य मंत्रीजी ने कहा है, यह कहो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अब आप यह देखिए कि जो बजट माननीय मुख्य मंत्रीजी ने विधान सभा में पेश किया वह जुलाई के आखिर सप्ताह में किया, ठीक है। जुलाई के बाद से लेकर आप अगस्त ले लें, सितम्बर ले लें, अक्टूबर ले लें, तसल्ली से सुनें, मुझे कोई जल्दी नहीं है।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): पहले आप सृजित तो करते। नहीं भरते लेकिन सृजित तो करते।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप तो कन्फ्यूज्ड हो, आप तो बैठ जाइए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): कन्फ्यूज्ड मैं नहीं आप हो। अध्यक्ष महोदय, कन्फ्यूज़्ड मेरे को करना चाह रहे हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप कनफ्यूज्ड हो, बैठ जाओ। आप इनको पूछने दें, यह आपसे ज्यादा विद्वान हैं, इनकी बात को सुन लेने दो।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): लेकिन इनकी बात का भी तो आप कहां उत्तर दे रहे हैं

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अच्छा, आप तो विराजो। यह जुलाई में घोषणा हो गई, जुलाई में घोषणा होने के बाद 30 जुलाई को राज्यपाल के द्वारा गुर्जर आरक्षण आंदोलन के जो 5 प्रतिशत और 14 प्रतिशत ईबीसी का था, उसको स्वीकृति दे दी गयी उसका नोटिफिकेशन हुआ 25 अगस्त को और नोटिफिकेशन होने के बाद से फिर से वो लागू हुआ। 25 अगस्त को लागू होने के बाद से 12 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया और हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया और कह दिया कि पचास प्रतिशत से ज्यादा वर्टीकल आरक्षण आप नहीं कर सकते। उसका जवाब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एकदम जल्दी से जल्दी 27 अक्टूबर को पेश कर दिया गया। उसमें साफ-साफ यह कहा कि संविधान के अनुच्छेद 46 की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए यह आरक्षण पचास प्रतिशत से अधिक होने की हमें इजाजत दी जाए। लेकिन उसके बाद 4-11 को हाईकोर्ट ने फिर उस स्टे को कन्फर्म कर दिया। अब आप यह तो देखिये कि कुल मिला कर कितने से दिन बचते हैं हमारे पास कुल मिला कर 48 दिन बचे हैं। 48 दिन में हमें दो बातें करनी थीं, एक बात तो यह करनी थी कि जो आरक्षण पांच प्रतिशत और चौदह प्रतिशत के हिसाब से विधान सभा ने पास। किया था और राज्यपालजी ने जिसकी इजाजत दे दी थी, उसके अनुसार सारी प्रक्रियाओं को लेकर सारे प्रावधान उसमें बदलने थे। लेकिन वो 48 दिन में नहीं हो पाया और ठीक इसी के बाद में दो आचार संहिता और लग गयीं और लगने के बाद में ये आचार संहिता 11-2 तक कायम रहीं। इसी बीच में बगैर कोई टाइम को गंवाये यह फैसला राज्य सरकार के द्वारा कर दिया गया 8 फरवरी को कि पुराने एक्ट के तहत ले लिया जाए ...(व्यवधान) उसमें क्या गलती थी (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ...(व्यवधान) आपने अभ्यर्थना तो नहीं भेजी लेकिन आपने पद सृजित क्यों नहीं किये? (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): एक निवेदन मैं करना चाहता हूं कि जिस संकट का हमें सामना करना पड़ा..।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ये कोरी घोषणाएं हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ... इस गवर्नमेंट को करना पड़ा नयी भर्ती के लिए, ठीक उसी तरीके के संकट का सामना आपको भी करना पड़ा है। और करना पड़ा इसलिए कि आपके द्वारा ...(व्यवधान)...

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ...(व्यवधान) आपकी सरकार की क्या मंशा है? गुर्जर आंदोलन के कारण आरक्षण पर जो स्टे लगा है, आरपीएससी ने ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): बैठ जाइये न।

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): आपने अपनी बच्ची के नंबर बढ़ाये थे, वैसा घोटाला कराना चाहते हो आप।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आरपीएससी को चिट्‌ठी भेजी है, उसका क्या हुआ? आरपीएससी की चिट्‌ठी का जवाब दो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ठीक इसी तरीके का संकट ...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आरपीएससी की चिट्‌ठी का जवाब दो आप।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ठहरो तो सही। ठीक इसी तरीके का संकट आपको भी फेस करना पड़ा ...(व्यवधान) 6 महीने में आठ सौ भर्तियां कीं ...(व्यवधान) आठ सौ भर्तियों से ज्यादा ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...(व्यवधान)... बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ ...(व्यवधान)...

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): आपने झूठी अंक तालिका बनवाई। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्नकाल समाप्त।

मुझे इसदन को सूचित करना है कि ...

(शेष तारांकित एवं अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया पृष्ठ सं. 202 पर देखें।)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ...(व्यवधान) 82 हजार पदों पर रहेंगे, इसमें से कई पद तो ऐसे थे जिसकी आवश्यकता आरपीएससी से नहीं थी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ... श्री ओटाराम देवासी, सदस्य विधान सभा ने नवरात्रा के कारण .... माननीय सदस्य, विराजें। आसन पैरों पर है, विराजिये। आसन पांवों पर है। अंकित नहीं होगा। किसी भी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा। आसन पांवों पर है, विराज जाएं। किसी सदस्य का अंकित नहीं होगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

बहिर्गमन

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

अनुपस्थिति अनुमति

ओटाराम देवासी, श्री, सदस्य को 15 मार्च से 25 मार्च, 2010 तक

श्री अध्यक्ष: मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री ओटाराम देवासी, सदस्य, विधान सभा ने नवरात्रा के कारण दिनांक 15 मार्च, 2010 से 25 मार्च, 2010 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

...(व्यवधान) आसन पांवों पर है, विराजिये।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैः-

1. श्री ज्ञान चन्द पारख, सदस्य की ओर से पाली शहर के रेलवे फाटक पर अधूरे ओवरब्रिज निर्माण कार्य को पूर्ण करवाने के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इस पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं।

2. श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से ब्राण्डेड रेडीमेड गारमेंट्स पर वैट दर 4 प्रतिशत से बढ़ा कर 14 प्रतिशत करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इस पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। वैसे भी इस विषय पर माननीय सदस्य को विनियोग विधेयक एवं वित्त विधेयक पर चर्चा के समय बोलने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है।

3. श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं 4 अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नेत्र ज्योति बाधित छात्रों को नि:शुल्क चश्मा वितरण एवं ब्रेल पद्धति की पुस्तकें वितरण में अनियमितता के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

4. श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से बाली एवं फालना नगर पालिकाओं के लिए केन्द्र सरकार की 776.38 लाख रुपये की आई.एच.एस.डी.पी. योजना को पूर्ण कराने के संबंध में।

5. श्री केसाराम चौधरी एवं 5 अन्य सदस्यों की ओर से जिला पाली की देसूरी पंचायत समिति के ग्राम पंचायत कोट सोलंकियान में नरेगा के तहत हुए कार्यों में सरकारी धन का दुरुपयोग होने के संबंध में।

6. श्री पवन दुग्गल, सदस्य की ओर से उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय, झालावाड़ के छात्र आंदोलन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री पुष्पेन्द्र सिंह, श्री केसाराम चौधरी एवं श्री पवन दुग्गल को अपने-अपने प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्रीमती अनिता भदेल, श्री नगराज, श्रीमती कमला कस्वां, श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, श्री रामनारायण मीणा, श्रीमती कृष्णेन्द्र (दीपा), श्री रामहेत सिंह यादव, श्री पेमाराम, श्रीमती किरण माहेश्वरी, श्री हबीबुर्रहमान, श्री भगवान सहाय सैनी, श्री बहादुर सिंह – माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने एक व्यवस्था दी है कि प्रश्न का उत्तर एक दिन पहले मिल जाएगा, मेरा 144 नंबर का प्रश्न है आज की प्रश्नसूची में, जो एससी/एसटी और ओबीसी को पिछले शिक्षा सत्र की छात्रवृत्ति नहीं मिली है, उनका प्रश्न था। यह सत्र 10-11 का समाप्त होने जा रहा है और उसका उत्तर मुझे न कल मिला और न आज मिला। जो एक दिन पहले मिलने के लिए आपने दी है, उसके लिए...

श्री अध्यक्ष: विराजिये। यह प्रश्न स्थगित भी हो चुका है और आपको इसकी सूचना भी दे दी गयी है। इस कारण से उत्तर आपको नहीं मिल पाया है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): स्थगित हो तो उसकी सूचना तो मिले।

श्री अध्यक्ष: दे दी आपको सूचना।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): कहां? मेरे को न स्थगित होने की सूचना मिली है न ही इसका उत्तर मिला है। कोई भी स्थगित हो तो कम से कम ये तो सूचना मिले कि यह प्रश्न स्थगित है।

श्री अध्यक्ष: मुझे जानकारी दी गयी है कि आपको सूचना दी गयी है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, पिछले साल की छात्रवृत्ति नहीं मिली और इस साल का सत्र खतम हो रहा है, इससे ज्यादा अफसोसजनक बात क्या होगी। और उसका उत्तर भी सरकार नहीं देना चाहती है।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

नेत्र परीक्षण कैम्प में बिना जांच चश्मों का वितरण

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिससे राजस्थान के लाखों विद्यार्थियों का जीवन जुड़ा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, हम सबको मालूम है कि हिन्दुस्तान में सर्व शिक्षा अभियान के साथ शिक्षा के सार्वजनीकरण का कार्य प्रारम्भ हुआ और जुलाई, 2008 से सरकार ने अभिनव कार्यक्रम को इस अभियान के साथ जोड़ा कि पूरे प्रदेश में नेत्र ज्योति बाधित जितने विद्यार्थी हैं उनका विद्यालयों में नेत्र परीक्षण कराया जाए और फिर उनको मुफ्त में चश्मा वितरण किया जाए। इस कार्यक्रम की आवश्यकता इसलिए भी पड़ी कि एशिया के अन्दर सबसे ज्यादा नेत्र बाधित बच्चे अगर कहीं हैं तो हिन्दुस्तान के अन्दर हैं और हिन्दुस्तान के अन्दर अगर सबसे ज्यादा नेत्र बाधित बच्चे कहीं हैं तो राजस्थान में हैं। हमारी आबादी का 2.4 फीसदी बच्चे आज भी नेत्र बाधित हैं, आंखों की बीमारी से ग्रसित हैं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 12 लाख 80 हजार ऐसे बच्चे हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जो योजना चलायी गयी उस योजना के अनुसार माह मार्च में विद्यालयों में बच्चों का नेत्र परीक्षण और चश्मा वितरण करने का कार्य

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सम्पन्न होना था। संबंधित जिला परियोजना अधिकारी को निविदाएं आमंत्रित करके चाहे सोसाइटी आए, चाहे कंपनी आए, चिकित्सक से नेत्र परीक्षण करा कर चश्मे बांटने का काम करना था। जब इस तरह के अभियान के साथ चांदी कूटो अभियान प्रारम्भ हो जाता है तो इसमें मैं समझता हूं कि पूरे सदन की चिन्ता होनी चाहिए कि हमारे नौनिहालों के साथ किस तरह खिलवाड़ हो रहा है। दिनांक 28.3.09 से 31.3.09 तक उदयपुर संभाग के अन्दर नेत्र ज्योति परीक्षण और चश्मा वितरण के लिए निविदाएं आमंत्रित की गयीं। निर्धारित अवधि से कम अवधि में निविदाएं आमंत्रित की गयीं। संजीवनी सोसाइटी के माध्यम से इस कार्य को संपादित करना था। अध्यक्ष महोदय, आदिवासी क्षेत्र चाहे वो भीण्डर हो, गिरवा हो, उसमें जिस दिन विद्यार्थियों का नेत्र परीक्षण का कैम्प लगाया गया। तैयार किये गये चश्मे साथ ले जाये गये। नेत्र का नंबर कोई भी हो चश्मे का नंबर चाहे कोई हो, उन बच्चों को कहा कि ये चश्में लेकर चले जाओ। बिना नेत्र परीक्षण के बच्चों को चश्मे वितरण करने का काम किया। यह मामला उजागर तब हुआ जब आदिवासी क्षेत्र गिरवा में मात्र 130 बच्चे नेत्र बाधित थे और सूची बन गयी 420 की। वहां एक हेमलता नाम की अध्यापिका थी उसको लगा कि बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक तरफ चांदी कूटने का अभियान, दूसरी तरफ बिना नेत्र परीक्षण के बच्चों को चश्मा देकर उनकी आंखों के साथ खिलवाड़। उन्होंने शिकायत की। न्यायालय आयुक्त के पास जब यह शिकायत आई तब पूरा मामला उजागर हुआ।

अध्यक्ष महोदय, यह मामला सिर्फ उदयपुर सम्भाग का नहीं है, इसी तरह अजमेर में शिकायत हुई कि बिना नेत्र परीक्षण के बच्चों को चश्मा वितरित किया जा रहा है। जांच प्रारंभ हुई, अजमेर के मेडिकल हैल्थ के ज्वाइण्ट डाइरेक्टर ने जांच प्रारम्भ की। वह जांच भी ठंडे बस्ते में डाल दी गयी। इसी तरह की शिकायत जयपुर के निवाई मालपुरा में पाई गई कि ज्योति पुंज आई चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा इसी तरह बिना नेत्र परीक्षण के बच्चों को चश्मा दे दिया गया। मैं समझता हूं, कुछ विषय ऐसे हैं, चाहे सरकार बोले या नहीं बोले, पर बच्चों के जीवन के साथ यह जुड़ा है, संवेदनशील मुख्य मंत्रीजी को जरूर इसके बारे में चिंता करनी चाहिये।

यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, जो हमारे यहां पूर्णतः अन्धे बच्चे हैं जिनकी संख्या लगभग एक हजार है, ब्रेल पद्धति की किताबों से वे पढ़ सकते हैं। ये किताबें पूर्व में समाज कल्याण विभाग बांटा करता था, हमारे शिक्षा मंत्री

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जी ने एक आदेश जारी कर दिया कि अब सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अंधे बच्चों को पढ़ने के लिये ब्रेल पद्धति की पुस्तकें बांटी जाएंगी। अध्यक्ष महोदय, आज 7-8 महीने हो गये सत्र को एक किताब भी अन्धे बच्चों के हाथ में नहीं गयी। मैं समझता हूं कि यह न केवल हमारे बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ है, बल्कि उन बच्चों के मां-बाप सोचते हैं कि स्कूल में इसकी नेत्र की परीक्षा हुई है, स्कूल में चश्मा मिला है, चश्मा लगा कर मेरा बच्चा ठीक होगा, उनके साथ भी खिलवाड़ है और उसके साथ-साथ उन बच्चों के साथ खिलवाड़ है जो अपनी आंखों से जमाना नहीं देख सकते।

श्री अध्यक्ष: विराजिये ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): जिन्हें ब्रेल पद्धति की पुस्तक नहीं मिली, अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा, आप जैसा संवेदनशील व्यक्ति आसन पर विराजमान है ....

श्री अध्यक्ष: विराज जाओ अब आप। श्री केसाराम चौधरी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ का मामला उठा है, सरकार को जवाब देना चाहिये।

सूचना

सवाईमाधोपुर जिले में बच्चों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ इन्फारमेशन के माध्यम से मैं आपका ध्यान एक बहुत ही दुःखद घटना की ओर खींचना चाहता हूं। गृह मंत्री जी आपको पता हो तो सवाईमाधोपुर जिले में एक बस जो बच्चों को लेकर जा रही थी वह नदी में गिर गई है और खबर आई है कि उसमें 30 से अधिक पढ़ने वाले बच्चे मारे गये हैं। यह बहुत ही दुखद घटना है और सारा सदन इससे चिंतित है। दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, यह इतनी बड़ी दुर्घटना है कि सारे लोग आज चिंतित हैं। मैं, गृह मंत्रीजी आपसे चाहूंगा राज्य सरकार इसके बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करें, सही बात बताये। राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये, वह भी बताए और जो बच्चे चले गये हैं उनके परिजनों को राज्य सरकार क्या। सहायता दे रही है, क्या विचार कर रही है, इसके बारे में सदन को सूचित करे। सारा सदन उन बच्चों के निधन पर दुःखी है और उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करना चाहेगा, मैं चाहूंगा, सरकार इस बारे में पूरा स्पष्टीकरण दे और सदन को पूरी सूचना दे।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, उसमें से कुछ बच्चे कोटा एमबीएस अस्पताल में हैं। कोटा, सवाईमाधोपुर ...(व्यवधान) चिकित्सा मंत्रीजी के सुपरविजन में उनका इलाज ठीक से हो ताकि कुछ लोगों की हम जान बचा सकें, इसके लिये भी सरकार को तुरन्त व्यवस्था करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष: श्री केसाराम चौधरी। अब हो गई बात ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): किस तरह का संवेदनशील मामला है...

श्री अध्यक्ष: हो गया।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

पाली जिले में नरेगा कार्यों में अनियमितताएं

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, पाली जिले की देसूरी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कोट सोलंकियान में नरेगा के तहत होने वाले भ्रष्टाचार के बारे में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, कोट सोलंकियान में नरेगा के मस्टररोल की मेरे पास इंटरनेट से निकाली हुई कापी है, उस कापी में एक केसाराम, दीपाराम पुत्र हंसाराम मेघवाल के कुए की खुदाई स्वीकृत हुई थी 1.30 लाख की और खर्च हुए 1.29 लाख। उसके मस्टररोल के कार्य नं 2700072/आईएफ/2-431 है। इस कार्य के मस्टरोल में 630 क्रम संख्या पर राजमल-राजमल को 2500 रुपये का भुगतान किया है जो बाम्बे रहता है। 632 पर अरविन्द कुमार जैन को 2500 रुपये का भुगतान जो बाम्बे रहता है। 634 क्रम संख्या पर कुन्दनमल जैन को 2500 रुपये का भुगतान किया है। महेन्द्र कुमार जैन 1200 रुपये पुत्र राजमल और ललित कुमार जैन को 2500 रुपये का भुगतान किया है। ये एक मेघवाल के कुए की खुदाई के कार्य के लिये गये थे जो बाम्बे में रहते है। उसी के साथ संगीता प्रकाश सोनी 1100 रुपये 637 नंबर पर, 639 पर सत्यप्रकाश सोनी, 677 पर गुलाबदास-गुलाबदास और 681 पर लाच्छा कुमारी रघुवरदास, 704 पर गोपी डायालाल दर्जी, 710 पर आणंदलाल आणंदलाल जैन, 711 पर सुमन आणंदलाल जैन, आशा रूपचन्द सोनी, रूपचन्द रूपचंद सोनी, पार्वती देवी राजेन्द्र सोनी, लीला देवी राजेन्द्र सोनी, विनोद कुमार, प्रकाश चन्द, प्रकाश चन्द जैन जो सैलो कम्पनी का बम्बई में डीलर है, उस व्यक्ति का भी उस मस्टररोल में नाम है। रतन चन्द जो उसका पुत्र है उसका भी उस मस्टररोल में नाम है।

(श्री केसाराम चौधरी)

इसी तरह गावई नाड़ी खुदाई ओटा निर्माण कार्य नं 27200072/wh/2-176 शान्ती देवी राजमल जैन जो बम्बई में रहती है, 1200 रुपये में उस नाड़ी खुदाई में काम किया है जबकि वह बम्बई रहती है। सुन्दर बाई अरविन्द कुमार जैन जो बम्बई रहती है, उसका भी मस्टररोल में नाम है। आनन्दराज आनन्दराज सोनी क्रम संख्या 641 जो पूर्व सरपंच का चचेरा भाई है और क्रम संख्या 643 पर विमला आनन्दराज सोनी ।

इसी तरह से तीसरा काम है पिपलाज वाली नाड़ी खुदाई एवं ओटा निर्माण- 27200010/if/2-178 कार्य का नंबर है। उसमें संगीता प्रकाश सोनी 1300 रुपये क्रम संख्या 638। 640 पर आनन्दराज आनन्दराज सोनी, 643 पर विमला आनन्दराज सोनी, गुलाबदास और भंवरी देवी गुलाबदास 2700 रुपये, लच्छा रघुवीरदास 2700 रुपये, पार्वतीदेवी राजेन्द्र सोनी, लीला देवी राजेन्द्र सोनी, वरसा विनोद कुमार सोनी। ये सभी व्यापारी वर्ग के लोग हैं और कुछ पूजा-पाठ करने वाले महाराज हैं, ऐसे लोगों के भी मस्टररोल में नाम हैं।

नाइयों की नाल एनीकट खुदाई एवं ओटा निर्माण कार्य नं 272007210/wc/2-519, इस कार्य का ओटा निर्माण हुआ ही नहीं मगर कार्य पूर्ण कर दिया है स्वीकृत 6.63 लाख रुपये थे। इसी तरह गावई नाड़ी खुदाई एवं ओटा निर्माण कार्य नं 2720007210/wh/2-175 स्वीकृत 8.01 लाख, ओटा बनाया ही नहीं है और कार्य पूर्ण बता दिया गया है। यह मस्टररोल की कापियां भी मेरे पास हैं, इन मस्टररोल में इस तरह से फर्जी हाज़िरी भरकर लाखों रुपये की नरेगा में गड़बड़ी कर रहे हैं। जैसा कि आज अख़बार में भी मालूम हुआ, टौंक व दौसा जिलों में सवा दो करोड़ रुपये के कम्प्यूटर व पालने खरीदने में गड़बड़ी करने से दोनों जिलों के कलक्टर, आरएसएस, इंजीनियर जांच के दायरे में है। सामाजिक अंकेक्षण की जांच में बिना टेण्डर व गुणवत्ता जांच के कम्प्यूटर खरीद लिये गये जो बेकार पड़े हैं। 110 करोड़ में 225 कम्प्यूटर खरीदे, 32.76 लाख रुपये में 3267 पालने खरीदे कम्प्युटर डीजीएसडी के दिशा-निर्देशों के मुताबिक सीधे निर्माता से व तय दर से खरीदे जाने चाहिये थे। डीजीएसडी के दिशा-निर्देश की पालना नहीं होने से गुणवत्ता की जांच भी नहीं हो सकी। आवश्यकता का आकलन भी नहीं किया गया जिससे कुछ तो पंचायत समितियों में काम आ रहे हैं, बाकी बेकार पड़े हैं। इसी तरह 1092 पालनों के लिये विज्ञापन निकाला गया किन्तु तय अवधि एक माह के बजाय 17 दिन में ही निविदा खोल दी गयी। फर्म से 1092 के बजाय

(श्री केसाराम चौधरी)

32.76 लाख रुपये के 3276 पालने खरीद लिये गये। खरीद में फर्म को 4.26 लाख रुपये वैट के पेटे भुगतान कर दिया गया। जांच में यह गड़बड़ी भी उजागर हुई तो फर्म से वैट का भुगतान पुनः वसूल लिया गया।

इस तरह से नरेगा में आईएसएस, आरएएस सभी तरह के लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। राजस्थान में नरेगा बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सदन का ध्यानाकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जांच कराई जाए और दोषियों को दण्ड दिया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री पवन दुग्गल।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): गृह मंत्रीजी जानकारी दें।

श्री अध्यक्ष: अभी दो मिनट, पहले इसको निपटा दूं। पहले एडजार्नमेंट को निपटा दूं।

झालावाड़ के उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय के विद्यार्थियों का आंदोलन

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करवाना चाहता हूं कि उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय झालावाड़ के छात्र लगातार पिछले दो वर्ष से आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। उद्यानिकी व वानिकी महाविद्यालय, झालावाड़ राजस्थान का एक मात्र उद्यानिकी और वानिकी महाविद्यालय है। महाविद्यालय के दो, पूर्व में उतीर्ण बैच एवं वर्तमान अध्ययनरत बैच अपनी मांगों को लेकर आज भी लगातार आंदोलनरत हैं।

इन छात्रों के हित में राजस्थान लोक सेवा आयोग में उद्यानिकी एवं वानिकी विषय को प्रथम ऐच्छिक विषय के रूप में सम्मिलित किया जाए। उद्यानिकी विषय को कृषि विज्ञान के समकक्ष दर्जा दिया जाना चाहिये ताकि इन विद्यार्थियों का जीवन भी सफल हो सके। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का इस बात की ओर ध्यानाकर्षित कराना चाहता हूं कि राज्य में वानिकी स्नातकों को राज्य वन विभाग के पदों पर होने वाली भर्ती में प्राथमिकता दी जाए जैसा कि अन्य राज्यों के अन्दर दिया गया है। अन्य राज्यों में सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारी के पदों पर

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

हिमाचल प्रदेश में 100 प्रतिशत, जम्मू कश्मीर में 10 प्रतिशत और केरल के अन्दर 80 प्रतिशत पदों पर वानिकी स्नातकों को सीधी भर्ती के माध्यम से लिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में राज्य कृषि विभाग में कृषि अधिकारी एवं सहायक कृषि अधिकारी के पद सृजित हैं, उसी प्रकार राज्य उद्यानिकी विभाग में भी उद्यानिकी अधिकारी व सहायक उद्यानिकी अधिकारी के पद सृजित किये जाएं। उद्यानिकी विषय की सैद्धांतिक मान्यता आईसीएआर द्वारा एवं वानिकी विषय की सैद्धांतिक मान्यता आईसीएफआरई देहरादून द्वारा कराई जाए ताकि उनकी वित्त योजनाओं का लाभ विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष मिल सके। ये विद्यार्थी लगातार पिछले दो वर्ष से आन्दोलनरत हैं। 12 दिसम्बर, 08 को तत्कालीन मुख्य मंत्री से इनकी वार्तालाप हुई थी, उसका भी कोई संतोषजनक जवाब आज तक नहीं दे पाये। अभी 6 मार्च, 2010 को जब ये छात्र अध्ययन कर रहे थे तब छात्रों का पंजीयन निरस्त कर पुलिस प्रशासन के सहयोग से छात्रों को छात्रावास से बाहर निकाल दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, इन छात्रों का सम्मान सड़कों के ऊपर आज भी सरकार और वहां के प्रशासन द्वारा गिराया गया है। छात्रों ने लगभग 6 महीने की फीस जमा कराई है। आज अपने भविष्य को लेकर सारे छात्र असमंजस की स्थिति में पड़े हुए हैं। मेरी मांग है कि राज्य सरकार इन विद्यार्थियों के विषय में गम्भीर सोचकर विद्यार्थियों के हित में फैसला ले, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

कच्ची बस्ती परिवारों हेतु सुविधाएं

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका, नगर परिषद आईएचएसडीपी योजना के तहत कच्ची बस्तियों में नये आवास बनाना, मकानों का अपग्रेडेशन करना, नाली, नाले, सीसी रोड़, सामुदायिक शौचालय, इसी प्रकार सभी कच्ची बस्तियों को कैसे आम शहर की जनता के लिए उपलब्ध सुख-सुविधाएं उपलबध हो, क्योंकि कच्ची बस्तियों में रहने वाले बीपीएल परिवार के लोग, गरीब जनता के लोग हैं उनके लिए महत्वपूर्ण योजना 2005 में केन्द्र सरकार द्वारा चालू की गयी थी। इसमें 80 प्रतिशत खर्चा केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है, 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और नगर पलिका, नगर परिषद, जिसका आवास बनाया जा रहा है, वह स्वयं 10 प्रतिशत देकर अपना आवास ले सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाली विधान सभा क्षेत्र में सादड़ी में 128.90 हजार की योजना

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

2006-07 में लागू हुई, बाली में 329.90 हजार की 2006-07 में लागू हुई और फालना में 446 लाख इस मद में हमारे केन्द्र सरकार द्वारा राशि हमको उपलब्ध कराई गई। मैं, माननीय मंत्रीजी, यह कहना चाहूंगा कि इसमें पूरे नाली निर्माण, नये आवास बनाना, अपग्रेडेशन करना, शौचालय बनाना यह पूरा खर्चा इस योजना के तहत उपलब्ध कराया गया है। बाली नगरपालिका में 310 नये मकान बनाने का काम आवासीय विकास द्वारा लिया गया जिसकी टेण्डर रेट 45 प्रतिशत एबव है। अपग्रेडेशन का काम है जो बाली नगरपालिका द्वारा किया जा रहा है, उसमें 181 मकान हैं टेण्डर कास्ट 63 प्रतिशत एबव प्रीमियम है। फालना नगरपालिका में आवास विकास लगभग 188 मकान बनाएगा जिसकी कास्ट 45 प्रतिशत एबव बीएसआर रेट और अपग्रेडेशन है,102 मकान नगरपालिका फालना द्वारा बनाये जाएंगे, उसकी 45 प्रतिशत अबाऊ बीएसआर रेट। इसमें 80 प्रतिशत केन्द्र सरकार राशि उपलब्ध करायेगी, 10 प्रतिशत स्टेट सरकार और 10 प्रतिशत स्वंय जो बीपीएल परिवार का व्यक्ति है, जो बहुत ही गरीब स्थिति में रह रहा है, कच्ची झोंपड़ी में रह रहा है, मकान में रह रहा है मैं यह कहना चाहता हूं मुझे मालूम है कि बाली और फालना, सादड़ी में ऐसे गरीब परिवार हैं जो आज भी मेन्यो के नीचे, जो प्लास्टिक की होती है उसके नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं, प्रीमियम रेट 45 प्रतिशत और 63 प्रतिशत एबव है, उसका लगभग 38 से 48 हजार वे भरेंगे जब उसको यह आवास मिलेंगे। सरकार की योजना गरीब को आवास बिलकुल न्यूनतम रेट पर 8-10 हजार रुपये में उपलब्ध कराने की है। 45 प्रतिशत, 63 प्रतिशत एबव बीएसआर रेट का टेण्डर आपके समय में स्वीकृत हुआ है, 2009 में टेण्डर पास हुआ है और आज उनको 38 हजार से 40 हजार रुपये भरना पड़ेगा। सीसी रोड, नाली कन्स्ट्रक्शन, जीएलआर की कन्स्ट्रक्शन है, पाइप लाइन बिछाना है उनका भी टैण्डर 45 प्रतिशत एबव है। नगरपालिका बाली, फालना, सादड़ी डी क्लास नगरपालिकाएं हैं, आज वहां के कर्मचारी है उनको 5-5 महीने तक भुगतान नहीं हो रहा। जीपीएफ अमाउण्ट जमा नहीं हो रहा है। नगरपालिका बाली, फालना, सादड़ी में 17 हजार, 18 हजार रुपये बिजली का बिल नहीं भरा जा रहा है जो पिछले 8-9 महीने के बिल हैं। ऐसे में मैं मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रीमियम राशि का सरकार द्वारा भुगतान कराया जाए। गरीब जनता को आवास मिलने वाले हैं या अपग्रेडेशन हो रहा है, केन्द्र सरकार की मंशा है कि गरीब आदमी को आठ-दस हजार से ज्यादा भुगतान नहीं करना पड़े और आठ-दस हजार में उसको अपना मकान मिल जाए ताकि वह अपना

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

जीवन-यापन कर सके मैं एक और निवेदन करूंगा, यह योजना 2006-07 में लागू हुई थी उस समय आवास योजना की कास्ट 80 हजार थी, आज रेट एक लाख है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाली में 110 नये आवास बनने थे उसमें से 19 आवास का काम पूरा हुआ है, अभी भी 80 आवास का काम शुरू नहीं हुआ जोकि 2009 तक पूर्ण करना था । 181 अपग्रेडेशन में 36 का पूरा हुआ, जिसका 63 प्रतिशत एबव बीएसआर रेट है। मैं निवेदन करना चाहूंगा। जो अभी बीएसआर रेट है, जो काम चालू नहीं हुए उनका बीएसआर रेट एक लाख रुपया दे रहे हैं, उसको एक लाख रुपया कर दें...

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): ताकि उसमें प्रीमियम की कास्ट आम आदमी पर नहीं पड़े और गरीब जनता को सुविधा उपलब्ध हो, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल, 295.

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, केवल एक सैकण्ड, आपसे विनम्र आग्रह है। आपकी व्यवस्था को चुनौती नहीं देना चाह रहा हूं लेकिन मैं बहुत ही दुःखी मन से इस बात को कह रहा हूं कि मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया, अगर मुझे भी आपके पास आकर या स्थगन प्रस्ताव के लिये मेरे चीफ व्हिप को कहना पड़े या लगना पड़े, लगभग ढाई करोड़ राजस्थान की जनता इस 14 प्रतिशत वैट के कारण से रेडीमेड के कपड़े...

श्री अध्यक्ष: मैंने व्यवस्था दी है न कि आप उसमें एप्रोप्रिएशन पर बोल लीजिएगा। (व्यवधान) शायद सुना नहीं होगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): नहीं साहब, नहीं साहब।

श्री अध्यक्ष: उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इस पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। वैसे इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य को विनियोग विधेयक एवं वित्त विधेयक पर चर्चा के समय बोलने का पर्याप्त अवसर होगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक पर इसके ठप्पा लग गया तो उसके बाद इस पर बोलने का कोई अर्थ? रहेगा? तीन दिन से मार्केट सारे बंद हैं।

श्री अध्यक्ष: अच्छा तो अभी आप बोल गये, तो फिर जरूरी है, ठप्पा लगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): इसलिये कि सरकार आज जवाब देगी।

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं कोई मेरा नाम अखबार में दिखाना चाहूं, उस उद्देश्य से नहीं आया हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, वह तो कोई बात नहीं है। कृपया अब विराजें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): और न मैं कोई स्थगन प्रस्ताव आपको देता हूं। देता हूं तो जब उसका कोई महत्व होता है।

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें। सारे माननीय सदस्यों का महत्व होता है स्थगन प्रस्ताव पर तो। आप कहां से लेकर आ गये इसको?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सारा राजस्थान बंद है इस कारण से। उसमें भी मुझे आकर आपके पास, कौनसा स्थगन आज डिस्कशन में आएगा, अगर इस प्रक्रिया में जाना पड़े तो यह मेरा दुर्भाग्य मानता हूं।

श्री अध्यक्ष: यह मैंने नहीं कहा। प्लीज, यह मैंने नहीं कहा। (व्यवधान) यह मैंने नहीं कहा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं ऐसा महसूस करता हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, गलत महसूस करते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): या तो सवेरे उठते ही मुझे भी कम से कम चैम्बर में आकर जब लिस्ट तय होती है, उसमें मुझे भी तय कराना पड़ेगा, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य और कुछ नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष: नहीं, यह गलत विचार है आपका। (व्यवधान) यह गलत विचार है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ढाई करोड़ जनता आज की तारीख में ये कपड़े पहनती है, छोटे बच्चे से लेकर आप और मैं, और उसके ऊपर 14 प्रतिशत का वैट बढ़ाया है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये। (व्यवधान) विराजिये, आप विराजिये। श्रीमती अनिता भदेल।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

अनुदानित शिक्षण संस्थाओं को अनुदान का भुगतान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम संख्या 295 के तहत मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान अनुदानित शिक्षण संस्थाओं को दिये जाने वाले अनुदान का भुगतान न होने के कारण कर्मचारियों को हो रही आर्थिक परेशानियों की ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहती हूं कि राजस्थान की सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं का अनुदान वर्ष 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 तक फ्रीज था जिसे अप्रैल, 2008 में मुक्त कर दिया गया है। किन्तु सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को बजट आबंटित नहीं होने से इन संस्थाओं में कार्य करने वाले शिक्षकों एवं कर्मचारियों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों को न तो छठे वेतन आयोग का लाभ ही मिल रहा है और न ही सेवानिवृत्ति पश्चात् बकाया उपार्जित अवकाश के भुगतान का ही लाभ मिलता है। पिछले 7 माह से बजट के अभाव में कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा। मेरा माननीय शिक्षा मंत्रीजी से आग्रह है कि शिक्षा से जुड़े इन कर्मचारियों की न्यायसंगत मांगों को मानकर अनुदान की राशि शीघ्र जारी कर कर्मचारियों को राहत पहुंचाएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री नगराज।

धरियावद में चिकित्सा सुविधाएं

श्री नगराज (धरियावद): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र धरियावद में जनता को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु निम्नांकित स्थानों पर राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के बहुत से गांवों में 20 किलोमीटर की परिधि क्षेत्र में ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होने से बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गम्भीर बीमारियों में/दुर्घटनाओं में समुचित इलाज नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए वर्तमान बजट में निम्नांकित स्थानों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की महत्ती आवश्यकता है। मैं

(श्री नगराज)

सरकार से मांग करता हूं कि मेरे क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलकर जनता को राहत प्रदान करने की कृपा करें:-

1. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र माण्डवी, तहसील धरियावद, जिला प्रतापगढ़।
2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, झल्लारा, तहसील सलूम्बर, जिला उदयपुर
3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मानागांव, तहसील धरियावद, जिला प्रतापगढ़।
4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेडावल, तहसील सलूम्बर, जिला उदयपुर।
5. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केसरियाबाद, तहसील धरियावद, जिला प्रतापगढ़।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती कमला कस्वां।

सादुलपुर कस्बे में रेल-फाटक पर ओवर ब्रिज/अण्डर ब्रिज का निर्माण

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम संख्या 295 के तहत मेरे विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर-पिलानी मार्ग पर सादुलपुर कस्बे में पड़ने वाले रेलवे फाटक से उत्पन्न आवागमन की गम्भीर समस्या की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं। सादुलपुर से होकर श्री गंगानगर-जयपुर, सरायरोहिल्ला-बीकानेर, सादुलपुर-हिसार, सादुलपुर-डेगाना आदि कई रेलगाड़ियों का आवागमन होता है। वर्तमान में ब्राडगेज का काम होने के कारण उपरोक्त गाड़ियां केवल सादुलपुर तक ही आती हैं उक्त रेलवे फाटक शहर में होने के कारण अधिकांश समय बंद रहता है जिससे पिलानी व बहल जाने वाले यात्रियों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। साथ ही रैफरल चिकित्सालय, महाविद्यालय आदि में भी रेलवे फाटक क्रास करके जाना पड़ता है जिससे गम्भीर रोगियों, प्रसूताओं व विद्यार्थियों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है जनता की असुविधा को दूर कर जन हित में उक्त फाटक पर पुल निर्माण अत्यावश्यक हो गया है। मैं सरकार से मांग करती हूं कि उक्त फाटक पर ओवर ब्रिज/अण्डर ब्रिज की व्यवस्था करवाने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

सूरसागर की पत्थर की खान क्षेत्रों की समस्याओं का निराकरण

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत आपके माध्यम से खान मंत्री का ध्यान सूरसागर विधान सभा के खनन क्षेत्र के विकास की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। खनिज विभाग, जोधपुर द्वारा फिदूसर चौपड़ का 1953 में नक्शा (डिलिमिटेशन) बनाया गया था जिसमें सड़क के लिए जमीन नहीं छोड़ी गयी थी। समस्त 30 गुना 60 वर्गमीटर नाप की खानें परस्पर सटी हुई बनाई गयीं। खनिज विभाग, जोधपुर द्वारा खनिज आवागमन हेतु खनिज सम्पर्क सड़क (एप्रोच रोड) का निर्माण करवाया गया था। एप्रोच रोडों पर जो 40 वर्षों से खानें चलती आ रही हैं, उनका अब खनिज विभाग, जोधपुर द्वारा किराया नहीं लिया जा रहा है व क्वारी लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जा रहा है। जबकि पुराने समय से इन खानों में से गुजरने वाली एप्रोच रोडों पर खनिज विभाग द्वारा किराया भी लिया जाता था व क्वारी किराया भी लिया जाता था। इसलिये सड़क बीच से 25 फीट एक तरफ व 25 फीट दूसरी तरफ पहले की भांति आदेश फर्मावें। सन् 2006 में राजस्थान सरकार का एक आदेश हुआ कि हाइ्वे के मध्य से 25 किलोमीटर दूसरी तरफ होने वाले खनन कार्य को बन्द करवाने के तथा खानों का नवीनीकरण नहीं करने के निर्देश जारी किये जावें। यह आदेश तथा उपरोक्त किराया नहीं लेने के तथा लाइसेंस नवीनीकरण नहीं करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं। इस आदेश को रद्द कर 50 फीट के पुराने आदेश को पुन: प्रभावी किया जावे।

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एक निर्णय पारित कर संभागीय आयुक्त, जोधपुर को रेलवे भूमि व खान विभाग की खानों के विवाद सुलझाने के निर्देश दिये गये थे। इस क्रम में निवेदन है कि जिन खानों पर रेलवे लाइन हट चुकी है उस भूमि को रेलवे से लेकर खान विभाग के नाम किया जावे।

जोधपुर के चने का बाडिया खनन क्षेत्र की कुछ खानों को कैचमेंट क्षेत्र में मान कर उन खानों का आबंटन व नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है। उक्त खानें कैचमेन्ट क्षेत्र में आती हैं या नहीं, बाबत कमेटी गठन का प्रकरण खान विभाग की पत्रावली स.प.19(42)खान/ग्रुप-2/2003 द्वारा मुख्य मंत्री महोदय के समक्ष विचाराधीन है। इस पर शीघ्र कमेटी के गठन को मंजूरी देकर प्रकरण का निपटारा किया जावे। खनिज अभियन्ता, जोधपुर द्वारा अपनी मनमर्जी से 101 खानों को कैचमेन्ट में नहीं मान कर उनका किराया लिया जा रहा है न

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

नवीनीकरण किया जा रहा है। जबकि इन 101 खानों के आस-पास की 39 स्वीकृत खानों का सीमांकन हो चुका है व किराया लिया जा चुका है। शेष खानों को गलत आधार पर कैचमेन्ट क्षेत्र में माना है।

राजस्थान खनिज नियम कानूनों के अनुसार खानों के आबंटन हेतु आठ कैटेगरी के आवेदकों के लिये खान आरक्षित की जाती है। इस कानून में लाइसेंस ट्रांसफर के लिए दोनों पक्षों के समान कैटेगरी का होना आवश्यक किया गया है। इससे सैकड़ों खानें ट्रांसफर न होने के कारण विकास रुका हुआ है। इसलिये नियमों में हस्तान्तरण के लिए समान कैटेगरी के प्रतिबन्ध को हटाया जावे। यह इसलिए किया जा सकता है कि कोई खान निरस्त हो जाती है तो वह खान उसी कैटेगरी के लिए आरक्षित नहीं रहती है और अन्य कैटेगरी के आवेदक को पुन: स्वीकृत हो सकती है।

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेशों की पालना में राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को प्रदूषण को रोकने के लिए पाबंद किया गया है। सरकार द्वारा पिछले पांच वर्ष से प्रदूषण को रोकने के नाम पर शुल्क रुपये 1000/- हर वर्ष वसूला जा रहा है किन्तु प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा खानों पर प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर कोई खर्चा नहीं है। यह इसलिए कि खानों में खनन से कोई प्रदूषण नहीं हो रहा है। इसलिए प्रदूषण नियंत्रण के नाम से की जाने वाली अवैध वसूली को रोका जाए। प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर प्राइवेट लोगों द्वारा भी रुपये 500/- प्रति खान की दर से अलग से चौथ वसूली की जा रही है, जो यह 500/- रुपये की रसीद लाता है उसी खान के लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाता है इसलिए इस अवैध वसूली को भी तुरन्त प्रभाव से रोका जाए।

श्री अध्यक्ष: खान मंत्रीजी। खान मंत्रीजी, आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं यह, आप बातों में मशगूल हैं। ध्यान है आपका, क्या कहा इन्होंने? आप जरा सुनिये इनका ध्यान देकर। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बातों में ही मशगूल थे।

माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन है कि जोधपुर की 20 प्रतिशत जनता पत्थर उद्योग पर निर्भर है, उनकी उक्त समस्याओं पर उचित गौर फर्माकर इसका शीघ्र निदान कराएं ताकि जनता को सरकार की तरफ से समुचित राहत मिल सके।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

मानननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बैठूंगी नहीं। आप कुछ भी कह दो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हो गयी बात। बात समाप्त हो गयी। पढ़ा हुआ ...(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आज आपसे हाथ जोड़कर ...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात, नहीं मेरे को आज उत्तर दिलवाओ आप, नहीं तो मैं बैठूंगी नहीं। मैं तो आज बैठूंगी भी नहीं। भले ही आप आज कुछ भी कह दो।

श्री अध्यक्ष: आप खड़े हो क्या?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): आज आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप खड़े हो क्या?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मैं गलत बात नहीं कह रही हूं, मैं आपको सही कह रही हूं। मेरे को इतना दुःख होता है, मैं उधर जाती हूं जब, कि इन मजदूरों का क्या हाल है? जबकि सबसे ज्यादा रायल्टी, सब से ज्यादा पैसा, मैंने कितनी दफा लिखकर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपने यह लिखकर दे दिया है। पहुंच गया है, पढ़ दिया है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): नहीं, मेरे को तो आप आज उत्तर दिलवाओ। मैं तो यहां खड़ी हूं आज। नहीं, मैं नहीं बैठूंगी। मेरे को मालूम नहीं कि सूरसागर क्या चीज थी, मगर जब एक जनरल सीट हो गयी और मेरी पार्टी ने मेरे को मौका दिया, मैं उनकी समस्या का समाधान करवा कर रहूंगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपकी बात आपने रख दी है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह भी चाहती हूं कि खनिज मंत्रीजी से कि उसको उद्योग का दर्जा दें। जब तक यह होगा नहीं, तो वहां के लेबर्स का क्या हाल हो रहा है?(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे को जवाब दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष: श्री रामनारायण मीणा। श्री रामनारायण मीणा। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे को जवाब दिलवाओ। भले ही कुछ भी जवाब दें, मेरा यह निवेदन है, जवाब दिलवाओ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खड़ी हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे, पहले मेरा जवाब दिलवाओ, मेरे को आप उत्तर दिलवाओ इनसे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मेरे को आप उत्तर दिलवाओ इनसे। एक कोई भी आप इन मंत्रीजी से उत्तर नहीं दिलवाते हमको या आश्वासन, यह कुछ तो बोलें। यह कोई बात थोड़े ही हुई। (व्यवधान)

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई): माननीय सदस्या का जवाब दिलवाइये, साहब। मंत्रीजी को कहकर इनका जवाब दिलवा दीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, इनको आप अलाउ करें। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय, उप नेता विपक्ष, मेरे को आप मदद करो। बोलने नहीं दें, नहीं, आप मेरे को जवाब दिलवाओ। नहीं, यह क्या बात हो गयी? कभी कोई भी मंत्री मेरी बात का उत्तर नहीं देते हैं। यह क्या बात हो गयी? मेरी उम्र का तो खयाल रखो। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इतने वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई): इन्होंने बात उठायी है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय सदन में बैठे हैं, उत्तर होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वह बैठ गयी हैं। अब आप विराजिये। वह बैठ गयी हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मेरी उम्र का तो खयाल रखो आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना महत्वपूर्ण मामला है और उस पर मंत्री महोदय उत्तर भी नहीं दे तो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः श्री रामहेत सिंह यादव।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे को उत्तर दिलवाओ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे को उत्तर दिलवाओ।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जवाब आ जाए तो हमारा भी नम्बर आ जाएगा फिर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मैं आपका तो नाम तीन बार पुकार चुका हूं। बाहर थीं आप। (व्यवधान)

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई): नहीं, मैं बाहर नहीं, मैं यहां ही बैठी हूं।

श्री अध्यक्षः आप सुनो ही नहीं तो मैं क्या करूं?

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई): मैं तो यहीं बैठी हूं इन्हीं के साथ।

श्री अध्यक्षः आपने सुना ही नहीं, मैं तीन बार नाम पुकार चुका हूं। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे को उत्तर दिलवाओ आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे को उत्तर दिलवाओ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे को उत्तर दिलवाओ आप।

श्री अध्यक्षः मैं उत्तर के लिए बाध्य तो नहीं कर सकता।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): आप हमारी रक्षा या मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम अगर गलत हैं तो मत बात करो। चलो, मैंने इसका एक-एक शब्द, एक-एक शब्द मेरा महत्वपूर्ण शब्द है और अगर गलत हो तो, मंत्रीजी क्यों नहीं उत्तर दें? मंत्रीजी सक्षम हैं, उत्तर देवें न। आप कहेंगे तो यह उत्तर देंगे। आप आदेश दो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः विराजिये। माननीय सदस्य, 295 में जो पुट-अप होता है, पहली बात तो उसका लिखित में उत्तर आता है। आपके वह उत्तर आएगा। दूसरी चीज, हमने यह व्यवस्था भी कर दी कि कितने समय में आएगा,

(श्री अध्यक्ष)

इसलिए ज्यादा लम्बा नहीं चलेगा। दूसरी चीज, खान और मंत्रीजी से संबंधित विभाग के लिए डिमांड रखी हुई है, उसमें फिर आप अपनी बात रखें। उसमें मंत्रीजी जवाब देंगे आपके कटमोशन का इसलिए वह व्यवस्था आपके सामने मौजूद है। श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया एवं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: महिला सदस्य विराज रही हैं इनको ...(व्यवधान)

नदबई के मोहल्लों में भरे गंदे पानी की निकासी हेतु नाला निर्माण

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के अन्तर्गत कस्बा नदबई, भरतपुर के मोहल्लों एवं नई कालोनियों में भरे गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था हेतु नाला निर्माण के संबंध में निवेदन करना चाहती हूं।

महोदय, मैं आपका ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र नदबई, भरतपुर के कस्बा नदबई की पुरानी एवं नई कालोनियों में भरे गंदे पानी की निकासी की काफी समय से चली आ रही समस्या की ओर दिलाना चाहूंगी। कस्बा नदबई में कुल 20 वार्ड हैं, इन वार्डों में पुरानी एवं नई कालोनियां बसी हुई हैं। इनमें वर्षा के पानी एवं घरों से निकले पानी की निकासी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। कई कालोनियों की स्थिति तो बड़ी दयनीय है। इनमें सुबह के वक्त आम रास्तों में गंदा पानी भर जाता है। यह पानी इतनी तादाद में आम रास्तों पर आ जाता है कि समुचित निकासी नहीं होने की वजह से यह पानी पुन: मकानों की नालियों से घरों में प्रवेश करने लगता है जिसके कारण कालोनीवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वह अपने घरों को छोड़कर गंदे पानी की निकासी के लिए अथक प्रयास करते दिखाई देते हैं। यह क्रम प्रात:काल के समय रोजाना जारी रहता है। इस विकट समस्या के समाधान के लिए कस्बा नदबई के नागरिक काफी समय से नाला निर्माण कराने की मांग कर रहे हैं।

अत: मेरा निवेदन है कि जन हित में कस्बा नदबई में गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था हेतु शीघ्र नाला निर्माण कराने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रामहेत सिंह।

किशनगढ़बास में बिजली के जले हुए ट्रांसफार्मर बदलने व विद्युत वितरण की व्यवस्था दुररुस्त हो

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के माध्यम से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में बिजली के जले हुए ट्रांसफार्मर शीघ्र बदलने एवं सिंगल फेस की सप्लाई 10 घंटे करने के क्रम में निवेदन करना चाहता हूं।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में विद्युत विभाग के कोटकासिम-किशनगढ़बास एवं खैरथल सहायक अभियंता कार्यालय हैं जिनमें कई दर्जनों सिंगल फेस के ट्रांसफार्मर महीने भर से जले हुए हैं परन्तु बार-बार उपभोक्ता द्वारा सहायक अभियंता कार्यालय में शिकायत करने के बावजूद भी ट्रांसफार्मर नहीं बदले गये हैं जिसके कारण विद्यार्थियों की परीक्षा में विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है तथा विद्यार्थियों का भविष्य लाइन के अभाव में अंधकारमय नजर आता है। इसलिए आपके माध्यम से आग्रह है कि जले हुए ट्रांसफार्मर तुरन्त बदलवाने का कष्ट करें ताकि पढ़ाई में व्यवधान नहीं हो। इस बात की भी विद्युत विभाग से मांग करता हूं कि गांव में रात्रि में 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक सिंगल फेस की लाइट दी जाए तथा सिंगल फेस की लाइट सप्लाई का समय प्रात: साढ़े चार बजे से छह बजे किया जाए। सिंगल फेस की लाइट सप्लाई का समय कम से कम परीक्षा के दौरान 8 घंटे किया जाए। तथा किसानों के जिनकी डिमांड राशि जमा है तथा माह अक्टूबर, 2009 से जमा है, उनके कनेक्शन तुरन्त प्रभाव से किये जाएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री पेमारामजी।

सीकर जिले के थाना रघुनाथगढ़ का स्थानान्तरण व लोसल थाने की सिंगरावट चौकी के भवन का निर्माण

श्री पेमाराम (धोद): यस। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के अन्तर्गत सीकर जिले के थाना रघुनाथगढ़ को ग्राम दादिया की चौकी में स्थानांतरित करने व सिंगरावट चौकी का भवन निर्माण करने के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं।

(श्री पेमाराम)

सीकर जिले के थाना रघुनाथगढ़ की स्थिति के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि थाना रघुनाथगढ़ मुख्य सड़क से चार किलोमीटर कच्चे रास्ते की दूरी पर स्थित है तथा मुख्य सड़क से थाने जाने के लिए कच्चा ही रास्ता है। उक्त थाने के अन्तर्गत भी धोद विधान सभा क्षेत्र के लगभग 10-15 गांव आते हैं जिनमें पलथाना, थ्योरासी, कूदन, जीतपुरा, जेरठी आदि गांव हैं। धोद विधान सभा क्षेत्र के गांवों की दूरी थाने से आने-जाने में 30-35 किलोमीटर है तथा इन गांवों का थाने पर जाने का कोई सीधा रास्ता नहीं है। बीच में दो बसें बदलनी पड़ती हैं। थाने पहुंचने के बजाए सीकर में जो उच्च अधिकारी बैठते हैं, उनके पास पहुंचना आसान है। उच्च अधिकारियों के पास पहुंचना आसान है।

श्री अध्यक्ष: आप तो पढ़िये।

श्री पेमाराम (धोद): पढ़ ही रहा हूं, साहब। पढ़ ही रहा हूं। बिलकुल लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष: कोई बात नहीं।

श्री पेमाराम (धोद): बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं को मद्देनजर रखकर धोद विधान सभा क्षेत्र के गांवों को या तो थाना सदर, सीकर के क्षेत्र में दे दिया जाए या फिर रघुनाथगढ़ थाने को जो कि क्षेत्र के मध्यम में न होकर कोने में अवस्थित है, उसको 3 किलोमीटर की परिधि में ही झुन्झुनूं जिले के थाना दादिया ग्राम में अवस्थित चौकी में खोल दिया जावे ताकि जनता की थाने पर पहुंच तथा अपराधों व दुर्घटनाओं में पुलिस की पहुंच आसान हो सके।

इसी प्रकार से लोसल थाने की चौकी जो कि सिंगरावट में स्थित है, यह चौकी मौजूदा समय में ग्राम पंचायत भवन पर कब्जा जमाये हुए है जिससे ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य बाधित होते हैं, अत: इस चौकी का भवन निर्माण कर ग्राम पंचायत कार्यालय को मुक्त करवाया जावे।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

राजसमन्द जिला मुख्यालय पर बस स्टैण्ड का निर्माण

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय यातायात मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

करती हूं कि राजसमन्द एक औद्योगिकी एवं तीर्थ नगरी है। यह विश्व का सबसे बड़ा संगमरमर उत्पादक क्षेत्र भी है। प्रति वर्ष यहां द्वारिकाधीश, श्रीनाथजी, चारभुजा नाथ जी के दर्शन करने हेतु हजारों तीर्थ यात्री आते हैं। राजसमन्द जिला मुख्यालय पर बस स्टैण्ड निर्माण हेतु 5 बीघा भूमि नगर पालिका राजसमन्द को द्वारिकाधीश मन्दिर न्यास ने मात्र एक रुपये सांकेतिक मूल्य पर स्थानान्तरित कर रखी है तथा इस भूमि पर बस स्टैण्ड निर्माण आरक्षित रखने हेतु नगरपालिका राजसमन्द को न्यायिक आदेश भी हैं।

बस स्टैण्ड के अभाव में यात्रियों को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है तथा निगम द्वारा कोई नई बस सेवा भी प्रारम्भ नहीं की जा रही है। पूर्व में भी मुख्य मंत्री सचिवालय ने निगम को बस स्टैण्ड बनवाने के निर्देश दिये थे, किन्तु अभी तक उनकी पालना नहीं हुई है। अत: राजसमन्द जिला मुख्यालय पर उपयुक्त भूखण्ड का चयन कर केन्द्रीय बस स्टैण्ड का निर्माण अतिशीघ्र करवाकर आमजन को राहत प्रदान करने का श्रम करें।

श्री अध्यक्ष: श्री हबीबुर्रहमान।

सरेण्डरशुदा खातेदारी जमीन की पुन: खातेदारी में बहाली

श्री हबीबुर्रहमान (नागौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, संचालन एवं प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये उद्योग प्रयोजनार्थ राज्य हक में सरेण्डर की गयी खातेदारी की जमीन को पुन: खातेदारी में बहाल करने के सरलीकरण के क्रम में राजस्व मंत्री एवं राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं कि उद्योग प्रयोजनार्थ लोगों को खातेदारी भूमि को राज्य हक में सरेण्डर कराकर इसकी लीज डीड जारी करानी होती है। उपरोक्त कार्य के लिये कानूनी अड़चनें संबंधित अधिकारियों द्वारा ज्यादा बताई जाती हैं एवं संबंधित व्यक्ति इधर-उधर डोलता रहता है। मध्यमवर्गीय परिवार वाले को कोई उद्योग स्थापित करना हो तो उसे अपनी एकत्रित पूंजी के अतिरिक्त बैंकों या सरकारी एजेन्सियों से लोन लेना होता है। उस लोन के लिये जमीन का उद्योग प्रयोजनार्थ लीज डीड होना आवश्यक है। इस लीज डीड कार्यवाही हेतु कार्यवाही में सालों लग जाते हैं। तब तक उस व्यक्ति के परिवार की वित्तीय स्थिति ज्यादा खराब हो जाती है, उसे दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं तथा चारों तरफ निराशा ही हाथ लगती है। यह कार्य बहुत ही मुश्किल हो जाता है।

(श्री हबीबुर्रहमान)

अत: उद्योगों को बढ़ावा देने एवं बेरोजगारों को रोजगार दिलाने में सहायता करने हेतु निवेदन है कि राजस्व भूमि को उद्योग प्रयोजनार्थ लीज डीड में बहाल करने हेतु नियमों में सरलीकरण किया जावे एवं तहसील स्तर पर ही यह कार्य हो जाए, ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये जिसमें पुराने मामलों को भी शामिल करना आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष: श्री भगवान सहाय सैनी।

चौमूं में फ्लैट रेट के कृषि कनेक्शन

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र चौमूं में बिजली संबंधी समस्याओं के बारे में निवेदन है कि किसानों के कृषि कनेक्शन जो कि फ्लैट रेट पर हैं, विद्युत विभाग उन्हें मीटर प्रणाली में परिवर्तन करने पर उतारू है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय पांच वर्ष तक कृषकों को विद्युत शुल्क नहीं बढ़ाने की घोषणा कर चुके हैं, उसके उपरान्त भी अधिकरी वर्ग किसानों को आये दिन परेशान करता रहता है। फ्लैट रेट और मीटर प्रणाली से बिल का अन्तर राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जा रहा है। इसी प्रकार कृषक द्वारा विद्युत कनेक्शन को एक से दो यानि ए-बी करवाने पर, नाम परिवर्तन करवाने पर, कृषि कनेक्शन शिफ्ट करवाने पर फ्लैट रेट समाप्त करके उपरोक्त तीनों स्थितियों में फ्लैट रेट के स्थान पर मीटर प्रणाली लागू कर दी जाती है, जो कि उचित नहीं है।

किसानों के कुओं में पानी गहरा चला गया है, 10 एच.पी. व 5 एच.पी. के मोटर पम्प सैट से पानी बराबर मात्रा में आता है। ऐसी स्थिति में कस्बों को वर्तमान भार के स्थान पर कम भार का कनेक्शन लेने व 10 एच.पी. के स्थान पर 5-5 एच.पी. के दो पम्प सैट लगाने की छूट दिया जाना आवश्यक है। साथ ही कृषकों को तीन एच.पी. के कृषि कनेक्शन लेने का प्रावधान भी चालू किया जाए।

अत: माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय से आपके माध्यम से अनुरोध है कि कृषकों के फ्लैट रेट के स्थाई आदेश जारी करावें तथा हर स्थिति में फ्लैट रेट ही रहे, चाहे कृषक कनेक्शन को ए-बी में करावें, नाम परिवर्तन करावें या शिफ्टिंग करावें।

(श्री भगवान सहाय सैनी)

फ्लैट रैट कृषकों के विद्युत कनेक्शन की डी.पी. खराब हो जाने पर कनेक्शन स्थल पर ही सुधारने या बदलवाने की व्यवस्था करवाई जाए, तथा अन्य डी.पी. 33 के.वी. जी.एस.एस. पर ठीक करवाने या बदलवाने की व्यवस्था करवाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: श्री बहादुर सिंह। (अनुपस्थित)

आज दिनांक 15 मार्च, 2010 को शून्य काल में बोलने हेतु 19 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा चार पर्चियां निकाली गयीं, जो निम्नांकित हैं – श्री हेमसिंह भड़ाना, अलवर-जयपुर तथा अलवर-बूंदी वाया टहला स्टेट हाइवे-13 तथा 29 को संचालित करने एवं निर्माण करने के संबंध में; श्री कालीचरण सराफ, सघन आबादी के बाइस गोदाम सुदर्शनपुरा-करतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में; होने के कारण इसको अन्यत्र स्थानान्तरित करने की आवश्यकता के संबंध में, श्री ज्ञानचन्द पारख, भीषण अकाल के कारण गौ-वंश पर मौत का साया मंडराने के संबंध में तथा श्री सुखराम कोली, धौलपुर में बिगड़ती कानून व्यवस्था के संबंध में।

श्री हेमसिंह भड़ाना।

श्री हबीबुर्रहमान (नागौर): मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, आप कहें पहले।

सूचना

जोधपुर में खन्नाड़ के पास हुई दुर्घटना में चार व्यक्तियों की मृत्यु

श्री हबीबुर्रहमान (नागौर): विधान सभा क्षेत्र जोधपुर में हाइवे पर खन्नाड़ के पास एक बस और ट्रोले का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें चार आदमियों की आन-स्पाट मृत्यु हो गयी और आठ को जोधपुर रेफर किया। मैं सरकार से चाहूंगा, उन गरीब परिवारों को सरकार द्वारा इमदाद दी जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री हेमसिंह भड़ाना।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

भर्तृहरि मंदिर को जाने वाली सड़क की मरम्मत

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पर्ची के द्वारा सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि सरकार हर व्यक्ति

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

को मूलभूत सुविधाएं दिलाने की व्यवस्था करती है, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे सड़क हो। अध्यक्ष महोदय, अलवर से जयपुर वाया भतृहरि-थानागाजी होते हुए स्टेट हाइवे नम्बर 13 जो कि आज से 50-60 वर्ष पहले बना था, उसके अंदर कुशालगढ़ से लेकर थैंकयू बोर्ड थानागाजी तक तीन-तीन, चार-चार फीट के गड्ढे हैं। कोई भी साधन वहां पर जाये, उसकी गारंटी नहीं है कि वह साधन और सवारी अपनी जगह सुरक्षित पहुंच जाए। हम सड़कों को देने की बात करते हैं, लेकिन उसका निर्माण किस व्यवस्था के तहत उसका निर्माण क्यों नहीं कराया जा रहा है? दूसरा, उसी स्टेट हाइवे के अन्दर से हम देवस्थानों की बात करते हैं, देवस्थान को बढ़ावा देने की बात करते हैं। (व्यवधान) माननीय कालीचरणजी थोड़ी देर बाद में कर लेना, आपको भी थोड़ी देर बाद बोलना है। भतृहरि जी पवित्र स्थान है, वहां पूरे हिन्दुस्तान के श्रद्धालु दर्शन करने के लिये आते हैं। पाण्डुपोल का स्थान है वह अलवर से लेकर बूंदी वाया टहला स्टेट हाइवे नम्बर 29 पर है, उसके अन्दर भी पूर्ण रूप से गड्ढे हैं और अन्दर पाण्डुपोल स्थान है जहां पर श्रद्धालु आते हैं। हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े राजनेता, न्यायविद् भी वहां पर जाते हैं। सब आस्तिक लोग वहां पर जाते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, भारी संख्या में आने वाले दर्शनार्थियों के लिये उस रास्ते के गड्ढों की मरम्मत क्यों नहीं कराई जा रही है?

(समय : 13.00 बजे)

दूसरा, नीलकंठ महादेव मंदिर है जो कि टहला से लेकर गडराजोर ग्राम पंचायत मुख्यालय से जोड़ी जाती है। ग्राम पंचायत मुख्यालय के लिये प्रधानमंत्री सड़क योजना से पिछली सरकार के समय में यह हुआ था कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय को सड़क से जोड़ा जाएगा। उसी के तहत गडराजोर भी टहला से ग्राम पंचायत मुख्यालय से जोड़ा गया। वहां एक बहुत बड़ा दर्शनीय स्थल है, नीलकंठ महादेव का स्थान है। उस सड़क में कम से कम बीस घुमाव हैं और वहां पर 35 लाख रुपये स्वीकृत हैं सड़क के लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं यहां पर वन मंत्रीजी बैठे हुए हैं, वन विभाग वाले यह बात रखते हैं कि यह सैंक्चुरी एरिया है। तो सैंक्चुरी एरिया के लिए इस देश के अन्दर दो नियम लागू नहीं होंगे। या तो उन गांवों से वहां से विस्थापित कर दूसरी जगह दो या पंचायत मुख्यालय हटाया जाए। उनको हटाने की जब बात करते हैं तो उसके अन्दर आप कहते हैं

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

कि कमर्शियल गतिविधियां चालू हैं, तो अन्दर दो-दो, तीन-तीन होटल हैं उनको भी विस्थापित किया जाए। आज हमारे यहां पर यह स्थिति हुई पड़ी है कि अलवर से जो जयपुर आने वाला व्यक्ति है वह या तो राजगढ़ की तरफ से आता है या कोटपूतली होकर आता है। आने-जाने का इतना दुर्गम साधन हो रहा है। मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जब 35 लाख रुपये स्वीकृत हैं तो उसके बावजूद भी वहां पर सड़कें मंजूर नहीं हो रही हैं? उस गांव के अन्दर रहने वाले व्यक्तियों के आने-जाने के लिए और जो टयूरिस्ट आते हैं उनके आने-जाने के लिए परेशानी हो रही है। एक तरफ तो हम सड़क को नहीं छेड़ने की बात करते हैं, दूसरी तरफ पिछले दो महीने से, अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, जगह-जगह ब्रेकर बने हुए हैं। जब आप सड़क को नहीं छेड़ने की बात कर रहे हैं तो फिर ब्रेकर कौन से नियम के तहत लगा रहे हैं? आप कहते हैं कि हम जंगल को नहीं छेडेंगे, सैंक्चुरी एरिया में किसी तरह की कोई गतिविधि नहीं होगी, तो उसके अन्दर सफाई की व्यवस्था कैसे हो रही है?

आज अलवर जिले की बहुत बड़ी, अलवर जिले की ही नहीं, पूरे राजस्थान की समस्या है कि देवस्थान उसके अन्दर हैं। कम से कम पचास गांव सैंक्चुरी के अन्दर बसे हुए हैं, उन गांवों के व्यक्तियों को आने-जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता होती है। उन गांवों के आने जाने वाले व्यक्तियों की पढ़ाई की व्यवस्था होती है। उस ग्राम में रहने वाले बच्चों को हम सर्व शिक्षा अभियान की बात करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित करने की बात करते हैं, नरेगा के अन्दर काम देने की बात करते हैं लेकिन उन व्यक्तियों को रोजगार की व्यवस्था नहीं है। विधायक कोटे से हो, सांसद कोटे से हो चाहे और दूसरी निधि से, अगर उनको हैण्ड पम्प भी लगाने की बात करते हैं तो वन विभाग के कर्मचारी उनको लगाने नहीं देते। या तो उन गांवों को विस्थापित करो। जब तक विस्थापित नहीं करते हैं तब तक, मैं यह कहता रहूंगा कि उनको मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं करें। आज सरकार संवेदनशील है, सरकार हर व्यक्ति को काम और रोजगार देने की बात करती है। हर व्यक्ति को साक्षर करने की बात करती है। सबको शिक्षा से जुड़ाव की बात करती है। वे व्यक्ति जो सैंक्चुरी के अन्दर रह रहे हैं, आदिकाल से रह रहे हैं, आज से नहीं रह रहे, उनकी सुविधाओं की तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है।

अध्यक्ष महोदय, पिछली दफा मैंने आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहा था, आज भी मैं कह रहा हूं और तब तक पूछता रहूंगा जब जब

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

तक कि उसका वैकल्पिक मार्ग नहीं हो जाए। दूसरी बात, हमारे सामने यह कहते हैं कि यहां पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश यह है कि यहां पर दर्शनार्थियों को कोई नहीं रोकेगा, पाण्डुपोल से कोई वंचित नहीं करेगा और कमर्शियल गतिविधियां नहीं होंगी। सरकार रास्ता रोकने में तो कामयाब हुई लेकिन कमर्शियल गतिविधियों को रोकने में नहीं। हम कोई भी काम करते हैं, सरकार पुल बनाती है, सड़क बनाती है, चाहे मकान बनाते हैं तो वहां पर किसी भी रास्ते को बन्द नहीं किया जाता, उसके लिए पहले वैकल्पिक मार्ग निकाला जाता है और तब तक वह रास्ता चालू रहता है। आप रास्ते तो सरिस्का से बन्द करने की बात करते हैं, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार की वैकल्पिक मार्ग देने की व्यवस्था है या नहीं? इस योजना को सरकार कब तक लागू करेगी? कहां से कहां तक वैकल्पिक मार्ग चालू किया जाएगा? जब तक वैकल्पिक मार्ग चालू नहीं हो तब तक उस रास्ते को सरकार अपने स्तर पर सुधरवाने की व्यवस्था करे। सार्वजनिक निर्माण विभाग कहता है कि हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है, विभाग हमारे हिसाब से काम करे। यहां वन मंत्रीजी बैठे हुए हैं, वन विभाग अपने विभाग की कार्यकारी एजेंसी नियुक्त कर उस कार्य को चालू करवाने का काम करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): मेरा आपसे आग्रह है कि जो सड़क मार्ग बन्द पड़ा है, उसको चालू करवाएं, खड्डों को ठीक और सुरक्षित करवाएं और जब तक वैकल्पिक मार्ग नहीं हो तब तक उस रास्ते में आने-जाने में कोई रोक टोक नहीं करे और उसका निर्माण कार्य चालू करवाएं। आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री कालीचरण सराफ।

जयपुर स्थित बाईस गोदाम, सुदर्शनपुरा व करतारपुरा औद्योगिक क्षेत्रों का विस्थापन

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पचास साल से बाईस गोदाम, सुदर्शनपुरा और करतारपुरा इण्डस्ट्रियल एरिया जो अब सघन आबादी में आ गये हैं, उनको विस्थापित करने की आवश्यकता पर ध्यान

(श्री कालीचरण सराफ)

दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, बाईस गोदाम इण्डस्ट्रियल एरिया, करतारपुरा इण्डस्ट्रियल एरिया और सुदर्शनपुरा इण्डस्ट्रियल एरिया मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पड़ते हैं। यहां 1960 के लगभग इण्डस्ट्रीज को डवलप करने के लिए दो सौ वर्ग गज से छह सौ वर्ग गज तक के भूखण्ड उद्यमियों को दिये गये और पिछले पचास साल से वहां पर इण्डस्ट्रीज बड़े निर्बाध गति से चल रही हैं। पहले तो यह जगह जयपुर शहर के बाहर मानी जाती थी और वहां कोई आबादी नहीं थी, परन्तु अब जैसे जैसे जयपुर शहर का विस्तार हुआ, ये तीनों इण्डस्ट्रियल एरिया सघन आबादी क्षेत्र में आ गये हैं और इसके कारण वहां अब भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। केवल रात्रि को ग्यारह बजे से सुबह पांच बजे तक ट्रक्स वहां पर आ जा सकते हैं। इसके कारण क्या हुआ? जो कच्चा माल बाहर से आता है, उसको आने में दिक्कत और तैयार माल जो बाहर जाता है उसको ले जाने में दिक्कत। आज जो नया कन्सैप्ट है, जो बड़े-बड़े इण्डस्ट्रियल एरियाज डवलप हुए हैं वी.के.आई. और सीतापुरा इण्डस्ट्रियल एरिया वहां 1500 वर्ग गज, 2000 वर्ग गज और 3000 वर्ग गज के भूखण्ड उद्यमियों को आबंटित करते हैं और यहां पर 200 वर्ग गज, 300 वर्ग गज, 400 वर्ग गज और 600 वर्गगज के भूखण्ड उद्योगों के पास हैं। जितने भी श्रमिक काम करते हैं, चाहे वे कुशल श्रमिक हों चाहे अकुशल हों, ज्यादातर श्रमिक हमारे प्रान्त के बाहर से आते हैं या गांवों से आते हैं। अब उनको ठहराने की व्यवस्था भी वहां नहीं की जा सकती, उनके आवास की व्यवस्था भी नहीं की जा सकती। इसलिये इन तीनों औद्योगिक क्षेत्रों के व्यापारी मेरे से मिले और उन्होंने कहा कि अभी सीतापुरा इण्डस्ट्रियल एरिया के चौथे फेज का काम चल रहा है, यदि वहां इन तीनों इण्डस्ट्रियल एरियाज को स्थानान्तरित कर दिया जाए और यहां के उद्योगों को यदि प्राथमिकता के आधार पर रियायती दर वहां भूखण्ड आबंटित कर दिये जाएं तो निश्चित रूप से इसका फायदा उद्यमियों को मिलेगा और इण्डस्ट्रीज फलेंगी-फूलेंगी। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे।

अध्यक्ष महोदय, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब बाईस गोदाम, सुदर्शनपुरा और करतारपुरा इण्डस्ट्रियल एरियाज के एसोसिएशन ने गोल्डन जुबली का कार्यक्रम आयोजित किया था, पचास साल पूरे हुए थे। उसमें हमारे उद्योग मंत्रीजी वहां गये थे और उन्होंने उनको आश्वस्त किया था कि

(श्री कालीचरण सराफ)

आपकी यह मांग बिलकुल वाजिब है और इस पर हम सकारात्मक रुख अपनाते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। अब आज सरकार आपकी है इसलिये मैं आपसे कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा मामला है। वहां के स्थानीय नागरिक भी इससे परेशान हैं और इण्डस्ट्रियलिस्ट भी परेशान हैं। नागरिक भी यह चाहते हैं कि यहां से उद्योग शिफ्ट हों, क्योंकि आज यदि वहां भगवान न करे, कोई आग भी लग जाए तो गलियां इतनी छोटी व संकरी हैं, रास्ते इतने संकरे हैं कि फायर बिग्रेड भी वहां जा नहीं सकती। आज चाहे वायु प्रदूषण का मामला हो, चाहे ध्वनि प्रदूषण का मामला हो, वहां की स्थानीय जनता बहुत पीड़ित है। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। जल्दी से जल्दी सीतापुरा इण्डस्ट्रियल एरिया में जहां फोर्थ फेज का काम हो रहा है, यदि इनको रियायती दर भूखण्ड आबंटित किये जाएंगे तो निश्चित रूप से उनका भी भला होगा और प्रदेश का भला होगा। आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानचन्द पारख।

सूखे की स्थिति के कारण गौवंश पर मण्डराता मौत का साया

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी राजस्थान का यदि आप कोई भी अख़बार उठा कर देख लें तो ऐसी खबरें रोज मिलेंगी कि मवेशियों पर मौत का साया। यह जो भीषण अकाल है उसमें मवेशियों की क्या हालत हो रही है, ये खबरें पश्चिमी राजस्थान के अखबारों में रोज छप रही हैं। भूख ने ली गायों की जान' माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस डाक्टर ने पोस्ट मार्टम किया है उसकी रिपोर्ट अगर देख लें तो उसने लिखा है कि गाय के पेट में से पोलीथिन की थैलियां, कीलें, जूते, चमड़े यह चीजें निकली हैं। एक नहीं चार गायों का पोस्ट मार्टम परसों मेरे विधान सभा क्षेत्र के जैतपुर गांव में हुआ था। साथ में यह भी लिखा है कि उनके पेट से भोजन नहीं मिला, पूरा फूला हुआ पेट है, चारे का दाना उसके पेट में से नहीं मिला। पोलीथिन मिला, जूते मिले, कीलें मिलीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां तीन-चार पशु रोज भूख से या प्यास से नहीं मर रहे होंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र और राज्य सरकार की नीतियों ने महंगाई इतनी बढ़ा दी कि गांव के व्यक्ति का खुद को पेट पालना बहुत

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

मुश्किल हो गया। उसका अपना पेट भर जाए, परिवार का पेट पाल ले, तो भी वो खुश है और ऐसे में पशुओं को पालना उसके लिए दुश्वार हो गया। जिस गांव की उसने जीवन भर सेवा की, चारे के बढ़े हुए दामों के कारण उसकी औकात या उसकी हैसियत इतनी नहीं रही कि मां मानने वाली गाय को वो चारा खिला सके। टीका लगा-लगा कर उसने हाथ जोड़ कर गाय को अपने घर से बाहर रवाना कर दिया। हर गांव के आस-पास ऐसी 100-200 गाएं आपको मंडराती नजर आ जाएंगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट में बी.पी.एल. परिवार के लिए गेहूं दो रुपये किलो की घोषणा तो कर दी, मैं उसका स्वागत करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: डिस्टर्ब नहीं।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): लेकिन पशु चारे के भाव पता हैं मुख्य मंत्रीजी को? खाखला मिल रहा है सात रुपये किलो। जो गेहूं का खाखला होता है न उसके भाव बाजार में सात-आठ रुपये किलो। ज्वार की कुतर मिल रही है आठ, नौ, दस रुपये किलो। मतलब जो बी.पी.एल. का गेहूं है उससे भी तिगुनी दरों से चारा मिल रहा है। ऐसे में आप उम्मीद करो कि कोई पशुपालक उनको चारा खिला पाएगा? यह तो हमारे राजस्थान का संस्कार है कि यहां बहुत सारे दानदाता बैठे हैं जो मूक पशुओं की रक्षा के लिए अपनी ओर से बहुत बड़ी धनराशि दान में देते हैं और राजस्थान में ऐसी बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं भी हैं जो करोड़ों रुपयों के खर्चों के बाद भी इन गायों को बचाने के लिए गौशालाएं चला रही हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब अकाल नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, गौशालाएं कभी सरकार से मांग भी नहीं करतीं, सरकार के सामने हाथ भी नहीं फैलातीं। पर जब अकाल पड़ता है, चारे के ऊपर संकट आता है, चारा महंगा होता है तो गौशालाएं यह उम्मीद करती हैं कि सरकार इस संकट के समय कुछ अनुदान हमको देगी। सरकार अनुदान देती है। आपकी पूर्ववर्ती सरकार प्रति छोटे पशु 6 रुपये और प्रति बड़े पशु 12 रुपये का अनुदान देती थी। जब माननीय वसुन्धराजी मुख्य मंत्री बनीं, चाहे इतना भीषण अकाल नहीं था लेकिन चारे के अनुदान की राशि में बढ़ोतरी की, छोटे पशु दस रुपये और बड़े पशु 20 रुपये का अनुदान उन्होंने दिया। उस समय चारे के भाव आज से लगभग 30 परसेंट थे। चारे के भाव तिगुने हो गये, ऐसे समय में अनुदान नहीं

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

बढ़ाना, गायों को मौत का सबसे बड़ा कारण है। अगर आपने अनुदान नहीं बढ़ाया तो यह गौशाला वाले भी अब इतने सक्षम नहीं रहे कि लम्बे समय तक इन गायों का पाल सकें। पाली के पास एक गौशाला है, उसके जो संचालक थे, प्रयास कर लिया, गिड़गिड़ा लिया, चंदा ले आया उसके बाद भी वो अपनी गौशाला के 100 पशुओं की भूख नहीं मिटा सका। माननीय अध्यक्ष महोदय, पेपर में लम्बा-लम्बा छपा था। मेरा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह है, आज वो बजट पर अपना जवाब देंगे। मैंने व्यक्तिगत तौर से मिल कर उनसे निवेदन भी कर लिया कि मवेशी के ऊपर बहुत बड़ा संकट है और इस संकट में सरकार अपनी ओर से अनुदान की राशि बढ़ा दे। व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने मुझे हां भी भरी। मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि जब वापस जवाब दें तो आपने पहले इतनी-इतनी अच्छी घोषणाएं की हैं, मेहरबानी कर के एक घोषणा इस अनुदान राशि के बारे में भी कर दें ताकि जो पशु के यह समाचार रोज आ रहे हैं, न ये छपने बंद हो जाएं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी और देना चाहूंगा। जो कुछ कम अनुदान सरकार दे रही है वो अनुदान भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारियों की लालफीताशाही के कारण तीन-तीन महीने तक गौशालाओं को और चारा डिपो वालों को नहीं मिल रहा है। अगर आप बिल उठा कर देख लें तो ऐसी बहुत सारी अनावश्यक टिप्पणियां हैं कि बिल को कैसे लौटाएं और अनुदान कैसे काटा जा सकता है। अनुदान भी पूरा नहीं दे रहे और समय पर नहीं दे रहे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चारा डिपो पर भी सरकार अनुदान देती है। उसके भाड़े पर, दस साल से जो चल रहा है वो ही दे रहे हैं- 70 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये, जितनी दूर से चारा आएगा उसमें परिवहन अनुदान के नाम से राशि सरकार देती है। अब केन्द्र सरकार ने डीजल के भाव कितने बढ़ा दिये, उससे परिवहन कितना महंगा हो गया और चारा भी कितना महंगा, लेकिन अनुदान वो ही 70 रुपये प्रति क्विंटल। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: श्री सुखराम कोली।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूरा सदन बैठा है, गाय सब के क्षेत्र में है और सब ऐसी घटनाएं रोज अपने क्षेत्र में देखते होंगे, अगर गाय को बचाना है तो सरकार को आगे आना होगा। सरकार अगर

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

आगे नहीं आयी, अपनी ओर से अनुदान की राशि नहीं बढ़ायी तो जब तक बरसात का समय आएगा गौवंश उंगलियों पर गिनने लायक होगा। इतना ही बचेगा, बाकी बचने वाला नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजो। शुरू करें, श्री सुखराम कोली।

धौलपुर में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति

श्री सुखराम (बसेड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री साहब को और मुख्य मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि धौलपुर जिले में आज जो कानून-व्यवस्था है वो अत्यन्त दयनीय है। वहां पर बैठे हुए जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो प्रशासनिक अधिकारी स्वयं अपनी शह पर रोड पर खड़े होकर लूटपाट खुद कराते हैं, अवैध वसूली कराते हैं। यहां की जो कानून-व्यवस्था है वो पूरी इतना चरमरा गयी है कि हत्या, लूटपाट और अन्य प्रकार की घटनाएं आये दिन होती रहती हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री साहब को यह भी पता होगा कि बाजार लूट के विरोध में सर्व समाज, सर्व धर्म और सभी प्रतिष्ठानों, यहां तक कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उन्होंने भी मिल कर बाड़ी बाजार को पांच दिन तक बंद रखा था, परन्तु आज 11 बजे एक व्यापारी से बीच बाड़ी बाजार में कट्टा दिखा कर साढ़े छह लाख रुपये लूट कर के ले गये।

यहां, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि चम्बल क्षेत्र घड़ियालों के लिए आरक्षित है और वहां से रेता निकालना अवैध घोषित है परन्तु स्वयं प्रशासनिक अधिकारी पैसा लेकर के वहां से रात को रेता निकलवाते हैं। दूसरा, फिर कहेंगे कि आरोप लगाते हैं, इस चीज का पुख्ता प्रमाण यह है कि स्वयं धौलपुर कलक्टर की लाल बत्ती लगी हुई गाड़ी को मनिया थाने पर अवैध वसूली करते हुए पकड़ा गया और स्वयं एस.पी. ने उसके विरोध में एफ.आई.आर. दर्ज करायी, गृह मंत्री साहब। मतलब उसमें तीसरा आदमी कौन था यह तो नहीं पता, था पर उसका जो ड्राइवर और गनमैन था, उन दोनों के विरूद्ध स्वयं एस पी ने विरोध किया। अध्यक्ष महोदय, एस पी ने इसीलिए रिपोर्ट दर्ज करवाई क्योंकि कलक्टर, धौलपुर रोड पर खड़े होकर तूरी के आने वाले ट्रक और मध्य प्रदेश से जो रेता आता है उस से स्वयं वसूली करते थे। दोनों विभागों में लड़ाई हुई,

(श्री सुखराम)

कलक्टर कहता है कि मेरा हिस्सा मुझे चाहिए, एस पी कहता है कि नहीं, जब मेरा डिपार्टमेंट है, तू क्यों टांग अड़ा रहा है। दोनों में लड़ाई हुई और इस परिप्रेक्ष्य में, गृह मंत्रीजी, वहां पर मनिया थाने में एफ आई आर दर्ज हुई।

दूसरी जो घटना है, अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ी शर्मनाक कोई घटना नहीं हो सकती। गृह मंत्रीजी, धौलपुर के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे प्रशासनिक अधिकारी वहां पर बैठाये गये हैं जो स्वयं जनता को लूट रहे हैं। दूसरी घटना यह है, अध्यक्ष महोदय, कि आये दिन कट्टे और बंदूक की नोक पर, प्रति दिन का औसत बता रहा हूं, चार- पांच बाइक लूटी जा रही हैं, वह भी बाजार में। तीसरी गैंगसा यूनिट, पत्थर व्यवसाइयों को सरेराह डकैत चिट्ठी देकर जाते हैं। हमारे यहां प्रचलन-सा है, डकैत क्या है कि आपको एक कुछ लिख कर देते हैं कि ढाई लाख रुपये दो या तीन लाख रुपये दो, अन्यथा तुम्हें मार दिया जाएगा या तुम्हारे प्रतिष्ठानों को जला दिया जाएगा। इस तरह आये दिन वहां पत्थर व्यवसायियों पर डकैत जुल्म ढाते रहते हैं।

तीसरी जो बड़ी शर्मनाक घटना है, 20 जनवरी को नादलपुर से एक बालिका का अपहरण हुआ। उसका प्रकरण सरमथुरा थाने में दर्ज किया गया, लेकिन 20 जनवरी से आज तक वह बालिका बरामद नहीं हुई। एकऔर बड़ी ही शर्मनाक घटना मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यह घटना 11 मार्च को शाम 3 बजे छतरपुर के मजदूर हैं वे मजदूरी करने के लिए यहां आते हैं, सर मथुरा कस्बे के पास वे मजदूरी कर रहे थे, उसी समय 11 मार्च को शाम 3 बजे सरमथुरा कस्बे के बाहरी स्टैण्ड पर एक छह वर्ष की बालिका के साथ बलात्कार हुआ है। जो अधिकारी हैं उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। उषा नामक बच्ची है उसकी एफ आई आर सरमथुरा थाने में हुई है, उषा डाटर आफ बाबूलाल। छतरपुर के रहने वाले मजदूर हैं और उस बालिका के साथ बलात्कार हुआ, वह बालिका हास्पिटल में भर्ती है, यह शर्मनाक घटना बहुत बुरी है। गर्ग फिलिंग स्टेशन बारी उस पर से आज के दिन 11 बजे साढ़े छह लाख रुपये लूटे गये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, गृह मंत्रीजी थोड़ा-सा इस पर जवाब दें क्योंकि यह एक आदिवासी बालिका का सवाल है। मात्र छह साल की अवस्था है ऐसी बालिका के साथ यह जघन्य अपराध हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय, आये दिन पुलिस वाले खरड़ पर पुल है नदी का, वहां पर अवैध वसूली करते रहते हैं। उनके विरोध में मैंने कई बार आवाज उठाई,

(श्री सुखराम)

पर आज तक कोई कार्यवाही उस पर नहीं हुई। मैं तो आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि हमारा जो सरमथुरा मथुरा क्षेत्र है, डांग क्षेत्र है वहां पर आये दिन डकैती और लूटपाट होती रहती है। यहां पर, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो ए डी एम फोर्स बना रखी है ..

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें।

श्री सुखराम (बसेड़ी): उसका कार्यालय धौलपुर है और मुख्य रूप से जो क्राइम का क्षेत्र है वह सरमथुरा का डांग क्षेत्र है। गृह मंत्रीजी भी बैठे हैं, नादलपुर मूल पाइंट है और सरमथुरा डांग क्षेत्र में पड़ता है, आपके माध्यम से मैं वे गुजारिश करूंगा कि ए डी एम का जो मूल कार्यालय है वह...

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री सुखराम (बसेड़ी): नादलपुर में थाना खोला जाए जिससे कम से कम वहां पर होने वाले जो अपराध हैं उन पर अंकुश लगाया जाए।

श्री अध्यक्ष: विराजें, धन्यवाद, विराजें।

श्री सुखराम (बसेड़ी): अध्यक्ष महोदय, उस बालिका के बारे में जवाब दिलवाइये, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय गृह मंत्रीजी, बस खड्डे में गिरी जो...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, बस खड्डे में गिरी उसका तो मंत्रीजी जवाब दे ही रहे हैं, मैं यह कह रहा था कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी माननीय सदस्य ने यहां सदन में दी, जिला एस पी रिपोर्ट दर्ज कराए और कलक्टर के और जिला एस पी के ...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): वह तो सुन लिया मैंने, उस पर बोल लूंगा, आप तो विराजो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप उस पर बोल ही देना।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप तो विराजो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, मैं बैठ रहा हूं।

शासकीय वक्तव्य

सवाईमाधोपुर के बौंली थानान्तर्गत हुई बस दुर्घटना

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह 15 तारीख को थाना लालसोट से सूचना प्राप्त हुई कि थाना बौंली जिला सवाई माधोपुर इलाके में 3 बजकर 20 मिनट पर सुबह प्रात: बस नदी में गिर गयी। जिस पर पुलिस अधीक्षक, सवाईमाधोपुर के नेतृत्व में थानाधिकारी मलाटना डूंगर, बौंली, वृत्ताधिकारी शहर सवाईमाधोपुर व अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। बस आर-जे 14 पी ए 0414, खण्डेलवाल ट्रैवल्स, झालावाड़ की मदर इण्डिया, एस टी सी पब्लिक स्कूल, खानपुर जिला झालावाड़ के छात्र व छात्राओं को झालावाड़ से वृंदावन ट्यूर पर ले जाकर वापस आ रही थी। लालसोट-सवाईमाधोपुर मेगा हाइवे पर मोरेल नदी के पुल पर बस ड्राइवर द्वारा कोई पीछे से टक्कर लगने से अनियंत्रित होकर मोरेल नदी से नीचे सूखी नदी में गिर जाने के कारण बस में सवार कुल सवारियां जो कि बासंठ थीं, इनमें छात्र-छात्राएं, स्कूल का स्टाफ, ड्राइवर, कंडक्टर, हलवाई इत्यादि शामिल थे, घटना में छब्बीस व्यक्तियों की मृत्यु हुई और चौंतीस व्यक्तियों को जनरल अस्पताल सवाईमाधोपुर में भर्ती करवाया गया। जिनमें से 9 घायलों को कोटा रैफर कर दिया गया। सभी छात्र-छात्राएं 19 और 22 वर्ष की उम्र के थे।

मृतकों के नाम आप चाहें तो मैं बता दूं, जाने दीजिए। एक लैक्चरर थीं सुधा श्रीवास्तव जिसकी उम्र 45 वर्ष की थी। कुल मिलाकर 11 तो छात्राएं हैं और 12 छात्र हैं जिनके कि शव प्राप्त हुए हैं। ड्राइवर रामेश्वर गौत्तम था और ललित नाम का कंडक्टर था। अध्यक्ष महोदय, ये सभी शव सुरक्षित निकाले जाकर उनके परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया शुरु कर दी गयी है। चौंतीस व्यक्ति जो घायल हैं उनको जनरल अस्पताल सवाईमाधोपुर में भर्ती करवा दिया गया है, नौ को कोटा रैफर कर दिया गया है। कोटा के बड़े अस्पताल में मौके पर अधिकारी सारे के सारे पहुंच गये हैं, इनक्लूडिंग आई जी भरतपुर, सवाईमाधोपुर कलक्टर। पुलिस अधीक्षक, कलक्टर, चिकित्सा से संबंधित सारे के सारे अधिकारी वहां पर मौके पर हैं।

राज्य सरकार के द्वारा मृतकों के परिजनों को तुरन्त पचास-पचास हजार रुपये और गम्भीर घायलों को पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये व अन्य घायलों को दस-दस हजार रुपये की सहायता उपलब्ध करवा दी गयी है। समस्त घायलों को नि:शुल्क चिकित्सा करवाई जा रही है, मौके पर सारे

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं और मैं यह समझता हूं कि सारा का सारा काम सम्पन्न करने के लिए सब लोग बैठे हुए हैं।

रहा सवाल धौलपुर की बिगड़ती हुई स्थिति का, तो निश्चित तौर पर जो दो-तीन प्रकरण आपने एक साथ यहां पर आज बोले हैं, चिन्ता का विषय है। मैं यह चाहता हूं कि अगर आप मुझे कुछ इसके बारे में पत्र लिखें तो जो रेते के बाबत आपने बताई बात कि कलक्टर खुद वहां पर मौजूद थे और वहां बकायदा ट्रक निकाल कर गिन रहे थे और यह कर रहे थे, यह सारी डिटेल अगर आप लिखेंगे तो मैं इसकी उच्च ....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बोलना ही पर्याप्त है। माननीय सदस्य ने बोल दिया।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): जो कुछ बोला है वह इतना शार्ट में बोला है ...(व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ...(व्यवधान) अवैध खनन से और उसके अन्दर ही छांटा जाता है कि कांग्रेस के कौन से हैं और बी जे पी के कौन से हैं। जो कांग्रेस के हैं वे तो निकाल दिये जाते हैं और बी जे पी वाले पकड़े जाते हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है। ऐसा लगता है कि हम राजस्थान के वासी नहीं हैं। मैं आपसे कोई पार्टी स्तर पर बात नहीं कर रहा हूं, बहुत पीड़ा जनक स्थिति है। मैं तो बीमारी में पड़ा हूं पांच महीने से लेकिन अगर आप जाकर देखेंगे तो आपकी आत्मा रो पड़ेगी, इस धौलपुर की वो बदनीयति है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): वो तो आप ही जाकर देख कर दुःखी जब हो गये तो मुझे काहे को भेज रहे हो वहां ...(व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं कि इस राजस्थान के हजारों लोग ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं आपको यही आश्वस्त करता हूं कि मेहरबानी करके डिटेल में आप मुझे पत्र लिखें, मैं उच्चाधिकारी से इसकी जांच करवा कर जो भी दोषी अधिकारी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करवाऊंगा।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): अभी तो मैंने राजाखेड़ा की बदहाली बतायी है।

श्री सुखराम (बसेड़ी): गृह मंत्री महोदय, उस बालिका के ऊपर तो आपको थोड़ा बताना था कि क्या कार्यवाही की है ?

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं, कलक्टर धौलपुर और एस पी, धौलपुर दोनों को तत्काल रूप से निलम्बित किया जाए या वहां से दूसरी जगह भेजा जाए।

श्री हबीबुर्रहमान (नागौर): जो एक्सीडेंट हो गया था नागौर में उनका, अध्यक्ष महोदय, नागौर का...

श्री अध्यक्ष: गृह मंत्रीजी। गृह मंत्रीजी।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): गृह मंत्री महोदय, हम भी राजस्थान का एक हिस्सा हैं, दूर-दराज से आये हैं, धौलपुर पूरा ओवरहालिंग मांगता है। पूरा ओवरहालिंग मांगता है धौलपुर। अगर आप उस धौलपुर को समझते हो कि यह राजस्थान का हिस्सा है, न्याय मांगते हैं, न्याय। आपसे न्याय मांगते हैं।

श्री हबीबुर्रहमान (नागौर): नागौर का मैंने आपसे जिक्र किया था, नागौर में जो एक्सीडेंट हो गया रात को, उसके ऊपर इनका...

श्री सुखराम (बसेड़ी): अध्यक्ष महोदय, कलक्टर स्वयं इस समय लाइसेंस दे रहा है डेढ़-डेढ़ लाख रुपये ले करके। इससे शर्मनाक क्या घटना हो सकती है। डेढ़-डेढ़ लाख रुपये ले कर...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सन् 52 से तो इस धौलपुर पर आपके परिवार का कब्जा रहा और अब आप हमसे ओवरहालिंग मांग रहे हो।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): हमारा दुर्भाग्य यह है कि मेरा परिवार परेशान कर रहा है। हारने के बाद वे तो लोगों से बदले ले रहे हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): करेंगे-करेंगे। विराजिये आप।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): आपको मालूम है, हर चीज मालूम है लेकिन आपकी जबान बंद है।

श्री अध्यक्ष: विराजें, विराजें। स्टेटमेंट हो गया क्या? स्टेटमेंट समाप्त हो गया ?

श्री हबीबुर्रहमान (नागौर): अध्यक्ष महोदय, नागौर के एक्सीडेंट का नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष: कृपया प्रश्न समाप्त करें।

श्री हबीबुर्रहमान (नागौर): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने नागौर के बारे में कुछ नहीं कहा। उनके लिये घोषणा नहीं की।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): नागौर की जांच कर रहे हैं। आप जानकारी में लाए हैं, निश्चित तौर पर इसमें कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री सुखराम (बसेड़ी): अध्यक्ष महोदय, मैंने...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त करें। आप सारा प्रकरण लिखकर दे दीजिये। कार्यवाही करने के लिये आश्वासन दिया है न आपको। इंक्वायरी करा देंगे। समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन, श्री शंकरलाल अहारी।

समिति का प्रतिवेदन

अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति (क्र. सं. 1 से 4)

श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 2009-2010 के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

(1) अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 2004-2005 के प्रथम प्रतिवेदन (12वीं विधान सभा) में समाविष्ट वन विभाग की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की गयी परिपालना से सम्बन्धित अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 2009-2010 का प्रथम प्रतिवेदन,

(2) अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 2005-2006 के द्वितीय प्रतिवेदन (12वीं विधान सभा) में समाविष्ट जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही पर परिपालना से सम्बन्धित अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 2009-2010 का द्वितीय प्रतिवेदन,

(3) अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 2006-2007 के प्रथम प्रतिवेदन (12वीं विधान सभा) में समाविष्ट सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही पर परिपालनात्मक से सम्बन्धित अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 2009-2010 का तृतीय प्रतिवेदन, एवं

(4) अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 2006-2007 (12वीं विधान सभा) में समाविष्ट जल संसाधन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भू-जल विभाग से

(श्री शंकर लाल अहारी)
सम्बन्धित सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही पर परिपालनात्मक अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 2009-2010 का चतुर्थ प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष: श्री परसादी लालजी मीणा।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2010

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (2009 का अध्यादेश संख्या-7) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री हरजीराम जी बुरड़क।

राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2010

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करता हूं।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे उदय लालजी आंजना साहब, हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जिनके पास...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मन से बोल रहे हैं न?

श्री अध्यक्ष: आप डिस्टर्ब नहीं करें।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): वित्त विभाग का प्रभार भी है..

श्री अध्यक्ष: आप अपनी बात रखें।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): उन्होंने 2010-2011 का बजट इस सदन में प्रस्तुत किया, मैं उस बजट के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिये आपके सम्मुख खड़ा हुआ हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 50 साल हुए इस विधान सभा को अस्तित्व में आये हुए। आये साल बजट आते हैं। वह गरीब आदमी जो गांव की ढाणियों में बैठा हुआ है, हर बार एक नयी उम्मीद के साथ कि इस बजट में सरकार कुछ करेगी, उसके जीवन में कुछ परिवर्तन लाएगी, गांव की दशा बदलेगी, विकास उन तक पहुंचेगा, इस परिकल्पना को संजोये हुए इस बजट को उम्मीद भरी नजर से देखता रहता है।

हम सब लोग बैठे हैं, जब से वाद-विवाद बजट के ऊपर शुरू हुआ, इस सदन के अन्दर हम लोगों ने तो तय कर रखा है कि हम बजट के बारे में पक्ष में अपनी बात कहेंगे ही कहेंगे और उधर से तय कर रखा है कि हम आलोचना ही आलोचना करेंगे। हकीकत यह है कि आज सदन के अन्दर बैठकर हमको इस बात पर विचार करना चाहिये कि राजस्थान की मूलभूत आवश्यकताओं को चिन्हित करें कि इन 48 सालों में सरकार चाहे बी जे पी की रही हो, चाहे

(डा. रघु शर्मा)

कांग्रेस पार्टी की रही हो, राजस्थान की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं, ये हमारा प्रदेश आज प्रगति के पथ पर कौन से पायदान पर खड़ा हुआ है। क्या हमने उन समस्याओं को चिन्हित करते हुए अपने बजट में प्रस्तुत किया है? हमारी आर्थिक स्थिति क्या है? हम इस आर्थिक स्थिति को कहां ले जा रहे हैं? उसमें सुधार की क्या गुंजाइश है? हर बार सरकार चाहे कांग्रेस पाटी की आएगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी की आएगी, एक नया सपना राजस्थान की गरीब जनता को हम दिखाते हैं, लेकिन 5 साल के अन्दर उस सपने की तरफ ले जाते ले जाते सरकार बदल जाती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर जब यह बजट आया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राजस्थान में 4-5 प्रमुख बातें तो राजस्थान की मूलभूत समस्याओं की तरफ मैं समझ पाता हूं मेरी सोच से, कि यह प्रदेश वह प्रदेश है जिस प्रदेश में आये साल अकाल पड़ते हैं। यह प्रदेश वह प्रदेश है जिसमें बिजली का संकट है। यह प्रदेश वह प्रदेश है जहां पर रोजागार की गम्भीर चुनौती हमारे ग्रामीण परिवेश में रहने वाले नौजवानों के सामने है। यह प्रदेश वह है जिसमें आधारभूत संरचना, आधारभूत ढांचे को विकसित करने की एक चुनौती आज भी हमारे सामने खड़ी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि यह जो बजट उन्होंने पेश किया है अभी उसमें और जब पिछली बार कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब भी उन्होंने केन्द्र बिन्दु बनाया कि ये मूलभूत समस्याएं आये साल राजस्थान को फेस करनी पड़ती हैं जिनकी वजह से हमारा औद्योगीकीकरण रुका हुआ है। प्रदेश की प्रगति रुकी हुई है। उसके एक बिन्दु को उन्होंने चुना- ऊर्जा के क्षेत्र में पिछली बार भी जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 1750 मेगावाट की रिकार्ड उत्पादन क्षमता बढ़ायी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने।

पिछले 5 सालों में विद्युत उत्पादन हुआ तो सही, मैं यह नहीं कहूंगा कि नहीं हुआ, लेकिन जिस गति से विद्युत उत्पादन किया गया था, जब वसुन्धराजी सरकार में आयी थीं, मुझे याद है, माननीय अध्यक्ष महोदय उन्होंने कहा था, पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के अन्दर बिजली की संकट था, अखबारों में आया कि वसुन्धराजी ने पेशकश की कि हम आपको बिजली चाहिये तो बिजली दे सकते हैं। पर जब आपने सरकार छोड़ी तो मांग और आपूर्ति का अन्तर इतना बढ़ा दिया गया कि फिर ढाक के तीन पात हो गये।

(डा. रघु शर्मा)

जहां पर हम खड़े थे उस जगह हम आकर रह गये। मांग हमारी निरन्तर बढ़ती गयी लेकिन आपूर्ति के लिये जो इंतजामात करने थे उसमें सरकार फिसड्डी साबित हुई।

मैं मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इस बजट में 52.20 प्रतिशत हिस्सा विद्युत उत्पादन को दिया है और यह एक मूलभूत समस्या राजस्थान की माननी पड़ेगी। कार्य योजना भी साथ की साथ प्रस्तुत की है कि आने वाले वर्ष 2012-2013 तक ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं। अब पिछले एक साल में जो विद्युत उत्पादन हुआ, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कह कर एकतरफा बात नहीं करना चाहता हूं कि हमने रातों रात सारे प्रोजेक्ट

(13.39 बजे)

(मेजर ओ पी यादव, सभापति, पदासीन)

लगा दिये और उनमें विद्युत उत्पादन शुरू हो गया। आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने भी थोड़ा काम किया। पाइप लाईन थी। हमने उसको मूर्त रूप दिया, पूरा कर दिया। हम भी पाइप लाईन में कुछ छोड़ कर गये थे जब आप सरकार में आये। आज जो आने वाले 4-5 सालों की योजनाएं हैं, उन योजनाओं के आधार पर हमको यह लगता है कि 2012-2013 तक राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि पावर के क्षेत्र में सरप्लस स्टेट बन जाएगा।

सभापति महोदय, ऊर्जा का क्षेत्र मुख्य मंत्रीजी ने चुना, सामाजिक क्षेत्र को उन्होंने चुना। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। राजस्थान के ग्रामीण परिवेश को अगर हम देखें तो आज भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। 27 प्रतिशत के करीब पैसे जो इस बजट के अन्दर रखे गये, वे सामाजिक सुरक्षा के मद्देनजर रखे गये हैं। मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है वह आपके सामने है, सदन के सामने है, उन्होंने हमारी विधवा बहनों को केन्द्रित करके इस बजट में एक नयी सौगात देने की कोशिश की है। उन्होंने हमारे वृद्वजन जो दम्पती रहते हैं गांवों के अन्दर उनको सौगात देने की कोशिश की है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को 8 हजार से 10 हजार पेंशन देने की बात कही है। मैं सिर्फ एक बात चाहता हूं कि सरकार दिल पर हाथ रखे और सच्चाई के साथ इस बात को सामने रखे कि वर्तमान में जो नियम बने हुए हैं, हम 400 से बढ़ाकर

(डा. रघु शर्मा)

500 रुपये कर रहे हैं, हम 750 रुपये कर रहे हैं, हम जोड़े को 1500 रुपये दे रहे हैं, यह बात स्वागत योग्य है, लेकिन आज गांव का गरीब आदमी जो वृद्व है, लाचार है और जिसके जवान बेटा है, बेटा ठोकर मारकर बाप को घर से बाहर निकाल देता है, वह दो जून की रोटी के लिए तरसता है, क्या सरकार के नियम इजाजत देते हैं कि एक नौजवान बेटा होते हुए उसको वृद्वावस्था पेंशन का लाभ मिल पाएगा? क्या विसंगतियां कानून में आज नहीं हैं, जिसके कारण लाभ हम आज नहीं दे पा रहे हैं। सभापति महोदय, योजना अच्छी है लेकिन योजना का लाभ वास्तविक धरातल तक जब तक हम नहीं पहुंचा पायेंगे तब तक योजनाओं का कोई अर्थ नहीं है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमने अपना चुनावी घोषणा-पत्र 2008 में राजस्थान की जनता के सामने रखा, उसमें भी हमने प्रदेश की जनता से वादा किया था। मुख्य मंत्रीजी अभी रिप्लाई देंगे बजट भाषण का, चाहता हूं कि आपने इस चुनावी घोषणा पत्र में इन पेंशनों के बारे में नियमों में सरलीकरण की बात कही है। मैं चाहूंगा, मुख्य मंत्रीजी खुलासा करें इन बातों का। ये बेरियर्स जो रखे गये हैं, जिनकी वजह से आज जन-प्रतिनिधियों को मशक्कत करनी पड़ रही है पेंशन दिलाने के लिए, पटवारी उस पर दस्तखत नहीं करता है, सैक्रेटरी उसमें दस्तखत नहीं करता है, तहसीलदार उसको जस्टिफाई नहीं करता है और ऐसे में हम चाहकर भी जिन लोगों के लिए ये योजनाएं बनी हैं, उन तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचा नहीं पाते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी ने जब सामाजिक सरोकार के लिए बहुत बड़ा हिस्सा रखा है तो उनको नियमों के सरलीकरण की घोषणा भी इस सदन में करनी चाहिए। तब जाकर हम समझेंगे कि लोगों को वास्तविक लाभ हम उसका दे पा रहे हैं।

सभापति महोदय, हमारे उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य, अभी नहीं हैं सदन में, बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत उनका अनुभव है और बहुत भावुक भी हैं, वह रो पड़े उस दिन दो रुपये किलो गेहूं हमारी सरकार ने किया बीपीएल परिवार के लिए। एक शानदार कदम उठाया तो गया है लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि राजस्थान में साढ़े 6 करोड़ लोग रहते हैं। साढ़े 6 करोड़ लोग जिस प्रदेश में रहते हों, बीपीएल की संख्या निर्धारित की हुई है केन्द्र सरकार के द्वारा कि इससे ज्यादा बीपीएल की संख्या नहीं होगी, अब अगर कोई गरीब भी है, 23 लाख होंगे, 24 होंगे, 25 होंगे, मैं संख्या पर नहीं जाना चाहता लेकिन किसी भी सूरत में 25 लाख से ज्यादा बीपीएल परिवार

(डा. रघु शर्मा)

राजस्थान के अन्दर नहीं हैं। यह संख्या निर्धारित करके बीपीएल की सूची बनाने का प्रदेश की सरकार को कहा गया। उस बाध्यता के चलते जो सूची बनी है, हम यह नहीं मान सकते कि हमने पूरे राजस्थान के गरीब लोगों को बीपीएल की सीमा के नीचे ले लिया है। इसलिए मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एपीएल को भी इसमें शामिल किया। लेकिन एपीएल भी शामिल कर लो, बीपीएल भी शामिल कर लो, तब भी 50 लाख लोगों से ज्यादा इस दायरे में नहीं आ सकते हैं जो 2 रुपये किलो का गेहूं लेंगे। मेरा तो एक ही प्रश्न है कि साढ़े 6 करोड़ की आबादी जिस प्रदेश की हो, उसमें हम करीब 50 लाख लोगों को दो रुपये किलो गेहूं दे देंगे तो क्या इससे गरीबी मिट जायेगी? वह जो साढ़े 6 करोड़ लोग बैठे हैं उनमें कितने गरीब हैं, क्या हमने सोचा इस बात को? क्या उसके बारे में हमारा ध्यान गया है? मैं, सभापति महोदय, इस सदन के माध्यम से मुख्य मंत्री को आगाह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि गरीबी रेखा के नीचे की जो सूची बनी है, एक साल से हम लोग कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने, आदरणीय तिवाड़ीजी की पार्टी की सरकार थी तो नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए स्कूटर वाला हो, मोटर साइकिल वाला हो, पैसे वाला हो, बीपीएल की सूची में उनको डाल दिया ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: कोई बात नहीं, आपके खिलाफ बोल रहे हैं क्या? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, जब खिलाफत करनी होगी तो पूरी करेंगे ...(व्यवधान) और जब खिलाफत नहीं करनी है तो नहीं कर रहे है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): खिलाफत कर रहे हैं ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मैं राज्य के हित की बात कर रहा हूं और फिर भी आपको तकलीफ है तो इसका कोई इलाज नहीं है। (व्यवधान) बैठ जाएं आप, बैठ जाएं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया शांति बनाये रखें, माननीय सदस्य को बोलने दीजिये। आप बोलिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): बीपीएल की सूची के लिए हमने बारम्बार कहा कि राजस्थान में बीपीएल की गांवों की सूची को रिवाइज करना चाहिए। मैंने

(डा. रघु शर्मा)

पिछली बार सवाल भी उठाया, मंत्रीजी से मेरी बहस भी हुई लेकिन आज भी अफसोस के साथ कहना चाहूंगा कि जो गरीब वांछित हैं जिनको बीपीएल के दायरे में लिया जाना चाहिए, सभापति महोदय, सवाल यह नहीं है कि इनकी जो निर्धारित संख्या है...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): इनको यह सरकार लेना नहीं चाहती है ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप तो मेरी बात सुन लें, माननीय सदस्य, न तो आप तीन में हो न तेरह में हो, आपका तो कहीं नम्बर ही नहीं है, बिना बात उछलते रहते हो। बैठै रहो। बैठे-बैठे माननीय सदस्य?

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): ऐसा व्यक्ति जो ...(व्यवधान) जो सप्लीमेन्ट्री में कप्लीमेन्ट्री होकर आया है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया बीच में व्यवधान न करें। आप बैठिये, आपको इजाजत नहीं दी है बोलने की। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मेरे पास तो आज भी आपका भविष्य सुधारने की ताकत है, कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हो तो बता देना ...(व्यवधान) आप विराजें । (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): जिसका अपना वजूद नहीं हो वह दूसरे का भविष्य क्या सुधारेगा? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): विराजें, विराजें। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): जिसका अपना वजूद नहीं हो वह दूसरे का क्या भविष्य सुधारेगा? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ऐसा है, क्यों अपनी शान खराब करवाना चाहते हो इस सदन में मेरे से?

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): मैं आपसे कम नहीं ...(व्यवधान) आपसे कम नहीं जानता ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): बैठ जाएं नीचे। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): आप बैठ जाएं, आपकी क्या +++ है मेरा भविष्य सुधारने की? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप कौन होते हैं ...(व्यवधान) बैठें, बैठें ...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): बैठ जाएं, क्या हैं आप ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, बैठाएं इनको ...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): आप कौन हैं, बैठ जाएं ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): न तो आपकी कोई विचारधारा है ...(व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): क्या देख लेंगे ...(व्यवधान) माननीय सदस्य से कैसी बदतमीजी से बात कर रहे हैं ...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): 24 घंटे आपकी ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य कृपया विराजें (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): आपकी क्या स्थिति है ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: सभापति महोदय, इनको अपनी हद से बाहर ...(व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया विराजें, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): उप नेता महोदय, इनको तमीज सिखाएं सदन की ...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): आप तहजीब सीखें, संभल कर बोला करें ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप मेरी बात सुनें, बैठ जाएं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया विराजें। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, बैठाएं इनको ...(व्यवधान)

श्री सभापति: डॉ. जसवन्त सिंह यादव, विराजें ...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): आइंदा यह बात कहना मत मुझसे ...(व्यवधान)

श्री सभापति: डा. जसवन्त सिंह यादव विराजें। (व्यवधान) देखिये, माननीय सदस्य, मैं दो बार आपका नाम ले चुका हूं, डा. जसवन्त सिंह यादव ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करूंगा ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मैं तो आपकी अनुमति से बोल रहा हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप कोई व्यक्तिगत बात न करें, वाद-विवाद के मूल मुद्दे पर आएं आप ...(व्यवधान) आप अपना भाषण शुरू करें ...(व्यवधान)...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, मुझे अफसोस है इस बात का, जिस तरह की टिप्पणी वह खड़े होकर कर रहे हैं और मैं जवाब नहीं दूं उन्हें, यह क्या तरीका है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप कृपया विराजें ...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): मैं बोल रहा था ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: कार्यवाही चलने दें, माननीय सदस्य, आप बैठें। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): आपने बोला उसके बाद बोला है ...(व्यवधान) ऐसा बोलते हैं? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): जब आपका नम्बर आए तो आप भी बोलिये ...(व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सभापति महोदय, यह क्या बात हुई ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें। माननीय सदस्य, कृपया विराजें। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ज्यादा बात हो तो सदन के बाहर बात कर लें? (व्यवधान)

श्री सभापति: आपने खड़े होकर बीच में टिप्पणी की थी, आपने शुरूआत की थी ...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): उन्होंने कैसे कहा था ...(व्यवधान)

श्री सभापति: नहीं, आपने शुरू की थी, आप विराजें, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): वह भी तहजीब सीखें, उनको भी तहजीव सिखाएं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें, मैं कह रहा हूं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): मैं तो विराज जाऊंगा लेकिन उनको भी तहजीब सिखाएं।

श्री सभापति: आप विराजें, शुरूआत तो आपने की थी। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): पहले उन्होंने कहा था ... (व्यवधान)

श्री सभापति: नहीं, आप बैठिये ...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): हम तो बोलना बंद करेंगे अब ... (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, हमारी चिंता सिर्फ इस बात की थी कि जो वास्तविक बीपीएल के हकदार हैं वे बीपीएल के दायरे में लिये जाने चाहिए क्योंकि मुख्य मंत्रीजी ने बीपीएल के लिए बहुत सारी घोषणाएं की हैं। मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष का लाभ और उसका दायरा बढ़ा है। हमारी विधवा बहनों को उसके दायरे में लाया गया है। अनाथ बच्चे इससे छूट गये हैं, हमने घोषणा-पत्र में कहा था कि हम अनाथ बच्चों को लेंगे, मैं चाहूंगा कि अनाथ बच्चों को इस दायरे में लिया जाना चाहिए। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है, यह घोषणा उनके सामाजिक सरोकार और प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

इस सदन में झोटवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक दिन बजट पर अपना वक्तव्य दिया था, उसमें जो टिप्पणी की थी कि यह सरकार कर्जा लेकर घी पिलाने का काम कर रही है, अब अगर इस कर्जा संस्कृति पर हम बहस करेंगे तो यह बहुत लम्बी जाएगी। ईमानदारी की बात यह है कि जब 1998 में हमने आपसे सत्ता ली थी तो हमें आपका 23 हजार करोड़ रुपए का कर्जा साथ मिला था और उसके बदले में 30 हजार करोड़ रुपए का कर्जा बढ़ा कर हमने आपको सरकार के साथ दिया। उसके बाद लगभग 80 हजार करोड़ का घाटा हमको मिला और यह घाटा निरन्तर बढ़ता जा रहा है। यह जो घी पिलाने की बात की आपने, मैं मानता हूं इस बात को...

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): मैंने पिछले भाषण में भी कहा था कि न तो मैं कर्जे के खिलाफ हूं और न राजकोषीय घाटे के खिलाफ हूं।

(श्री राज्यपाल सिंह शेखावत)

मेरा कहना केवल इतना है कि राजकोषीय घाटा पैदा हुआ कैसे? अगर राजकोषीय घाटा कैपिटल अकाउण्ट से पैदा होता है तो हमें तकलीफ नहीं है, आप रोज लीजिए। लेकिन अगर राजकोषीय घाटा राजस्व खाते से पैदा होता है और राजस्व खाते के अन्दर भी गैर योजनागत राजस्व घाटे से पैदा होता है तो फिर मैं कहना चाहता हूं कि इससे शर्मनाक कोई हो नहीं सकता, यह पाप है। यह पाप अगर आप करेंगे तो यह पाप करने से निश्चित रूप से कटोरा आपके मुख्य मंत्रीजी के हाथ से राजस्थान की जनता के हाथों में आ जाएगा।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, कर्जा जब आपकी सरकार थी तो आपने भी लिया था, यह सच्चाई है, और जब हम सरकार में थे तो हमने भी कर्जा लिया। आज राजस्थान की वित्तीय स्थिति पर गौर करें तो मैं यही बात कहना चाहता हूं कि हम माननीय सदस्य यहां गाली-गलौच करने के लिए थोड़े ही आते हैं। कुछ माननीय सदस्य जिस तरह से आपा खोते हैं, बदला लेने की बात करते हैं, मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि जब आपका समय आये तो आप भी बोलना।

यह जो बात झोटवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाई, यह बहुत गम्भीर है, इस गम्भीर बात पर चिंतन होना चाहिए कि लगातार यह प्रदेश कर्ज के दबाव में आता जा रहा है। कर्ज भार हमारे प्रदेश पर लगातार बढ़ता जा रहा है, यह हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। आज हम राज्य के विधायक हों या सांसद हों, जब अपने इलाके में जाएंगे तो वहां पर वोटर आपसे क्या बात करेंगे? मेरे यहां सड़क नहीं बनी, नाली नहीं बनी, यह स्ट्रीट लाइट नहीं लगी। हकीकत यही है, माननीय सभापति महोदय, कि इन्हीं बिन्दुओं पर विधायकों और सांसदों को चर्चा करनी चाहिए कि हमारी आर्थिक स्थिति यदि पटरी से उतर रही है तो हम उसको कैसे लाइन पर लेकर आए। 79 हजार करोड़ रुपए का कर्ज जब हमने सरकार सम्भाली एक साल पहले तब हमको विरासत में मिला। अब यह बात अलग है, कटारिया साहब कह रहे थे, कि राज्य की दशा और दिशा, उसका वार्षिक लेखा-जोखा आता है उसमें अलग-अलग मद में आज राजस्थान कौनसी स्थिति में खड़ा है, मेरे पास पिछले पाँच सालों के आंकड़े भी हैं कि 20 राज्य जो पहले हैं पूरे देश के, जो 20 बड़े राज्य हैं उनमें राजस्थान विगत 5 वर्षों में कहां खड़ा है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, कानून-व्यवस्था के क्षेत्र में हो। मैंने पिछले बजट सत्र में भी आपको आंकड़े पेश किये थे इस सदन के अन्दर, लेकिन आपने अपने बजट भाषण में उन

(डा. रघु शर्मा)

आंकड़ों को फिर से बोला है। लेकिन मैं यह मानता हूं और इस बात को हम सबको स्वीकार करना चाहिए कि प्रदेश की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने, उनका निदान करने में पिछले 48 वर्षों से, जब से यह विधान सभा अस्तित्व में आई, उन मूलभूत समस्याओं को हम सब जानते हैं, उन्हें चिह्नित भी किया हुआ है, एक लेमैन भी जानता है कि राजस्थान की प्राब्लम क्या है और उनको दूर करने में, उन पर विजय पाने में मेरे खयाल से कोशिशें हुई हैं, उधर से भी हुई हैं, इधर से भी हुई हैं, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि आज एक भी क्षेत्र ऐसा बना जिसमें हम यह कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में हमने प्रदेश को आत्मनिर्भर बना दिया। यह हर राजस्थानी के लिए चिंता की बात है, हर माननीय सदस्य के लिए चिंता का विषय है। राजस्थान का जो बजट आता है, अब 23 हजार करोड़ रुपए से अधिक का बजट आया है, पिछली बार 18 हजार करोड़ रुपए से अधिक का बजट आया, पर हकीकत क्या है? छठे वेतन आयोग के बाद राजस्थान की आर्थिक स्थिति क्या है? हम कितनी तनख्वाह राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को देते हैं? जो कर्जा हमने ले रखा है उसकी किश्तों की अदायगी में हमको कितना पैसा देना जरूरी होता है? माननीय सभापति महोदय, जो किस्तें हम अदा कर रहे हैं, उसके साथ हम ब्याज कितना दे रहे हैं उसका? आर्थिक स्थिति अगर सच्चाई से देखी जाए तो हम इस बजट से इस प्रदेश का विकास करना चाहते हैं तो यह सम्भव नहीं है। इसके लिए यह मेंडेटरी हो गया हमारे लिए कि कर्ज लें। कर्ज लेना भी बुरी बात नहीं है, कर्ज लिया जाना चाहिए, लेकिन ...(व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, कोई आदमी उद्योग लगाता है तो कर्ज लेता है, लेकिन कर्ज लेने के साथ उसकी कार्य योजना भी रहती है कि मैं यह कर्ज लूंगा तो मेरे उद्योग से इसको वापस कमाऊंगा और इसको चुकता करूंगा- 5 साल में करूंगा, 10 साल में करूंगा, 15 साल में करूंगा, 20 साल में करूंगा। यहां पिछले 15-20 सालों से जो प्रैक्टिस है, ठीक है, सरकार किश्तें चुका रही है कर्ज की, लेकिन हकीकत है कि कर्ज तो बढ़ता ही जा रहा है। यह लाइलाज मर्ज हो गया है प्रदेश के लिए आज यह कर्ज मेरे खयाल से 91-92 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच गया होगा। यह बजट आया तब 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया होगा। मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूं कि कर्ज तो बढ़ेगा, उस कर्ज के बढ़ने के साथ-साथ पिछली बार हमने बहस करने की चुनौती दी कटारिया साहब को कि आप बहस कर लें, हमने 30 हजार करोड़ रुपए का कर्जा लिया 5 साल के अन्दर तो हमने परिसम्पत्तियां कितनी दीं प्रदेश को, अकेले 1750 मेगावाट बिजली राजस्थान

(डा. रघु शर्मा)

को बना कर दी और हर कोई जानता है कि 1 मेगावाट बिजली उत्पादन में उस वक्त 5 करोड़ रुपए लगते थे। अब 1750 से 5 को गुणा कर दो, हमारे 30 हजार करोड़ रुपए के कर्जे का उपयोग साफ-साफ नजर आ जाएगा कि कर्जे हमने लिया तो हमने प्रदेश को दिया भी था साथ के साथ। यह परिस्थिति आज हमारी बनी हुई है, इन परिस्थितियों से निजात पाने के लिए उधर से भी सुझाव आने चाहिए और इधर से भी सोच डवलप होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में आये साल अकाल पड़ता है। पहले भारत सरकार हर राज्य को प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए एक निश्चित अमाउण्ट देती थी चाहे आपके राज्य में प्राकृतिक आपदा आये या नहीं आये। नेशनल कैलेमिटी फण्ड होता था उससे 250 करोड़ रुपए ज्यादा से ज्यादा राजस्थान को पैसा मिला करता था और भीषण अकाल की स्थिति भी उन 250 करोड़ रुपयों से राजस्थान सूखे और अकाल से मुकाबला किया करता था।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें कृपया।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: गलत बात मैं भी नहीं कर रहा हूं, मैं भी सही बात कर रहा हूं। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय तिवाड़ी साहब, इनको मौका क्यों नहीं देते बोलने का, मेरे ऊपर आकर पड़ रहे हैं टूट कर। मैं बोल रहा हूं, आपको क्या तकलीफ है? (व्यवधान)

मैं गलत बोल रहा हूं तो आप सच बोल देना।

श्री सभापति: अब आप लोग अपना टाइम इसी बात में जाया कर रहे हैं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, एक जीवन दायिनी योजना वर्ष 2006 में शुरू हुई देश के कुछ राज्यों में सोनिया गांधीजी, राहुल गांधीजी, प्रधान मंत्री मनमोहनसिंहजी के द्वारा और उसके बाद 1 अप्रैल, 2008 से पूरे देश में लागू हो गई। विश्व का सबसे बड़ा कानून बन गई। 8 हजार करोड़ रुपए प्रदेश को अलग से मिलने लग गये नरेगा के तहत। गांवों से इन महीनों में 12-12, 15-15 हजार आदमी रोजगार के लिए पलायन करते थे, कोई

(डा. रघु शर्मा)

जयपुर, कोई कोटा, कोई बीकानेर, कोई मध्य प्रदेश, कोई दिल्ली पलायन करता था। लेकिन इस पलायन को रोका नरेगा ने। 8 हजार करोड़ रुपए अलग से मिले। यह ऐतिहासिक कदम, इस देश की गरीब जनता के हित में एक फैसला हुआ। राहुल गांधीजी आज इस देश के युवा नेता हैं उनकी खुद की चिंता थी कि दो भारत नहीं बन सकते इस देश के अन्दर, एक अमीरों का भारत और एक गरीबों का भारत। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि शहरों में रहने वाले आदमियों को तो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, लेकिन आज भी हमारे गांवों में जिस विकास की दरकार है...(व्यवधान) मण्डेलियाजी, बाहर ले जाओ न शिक्षा मंत्रीजी को, मैं बात नहीं करूंगा। चलो कोई बात नहीं, मैं समाप्त करता हूं।

श्री सभापति: नहीं, नहीं, आप बोलिए, आप तो बोलिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, जब माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप हमें तो कहते हैं। उनका अच्छा भाषण हो रहा है तो बीच में टोक दिया, यह क्या तरीका हुआ? आप हमें एक मिनट में कह देते हैं, आप उनको प्रताड़ित कीजिए।

(14.00 बजे)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप मेरे से क्यों टिप्पणी कराना चाह रहे हो? (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): मैं भी जानता हूं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): क्यों टिप्पणी कराना चाह रहे हो?

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): मैं भी कर सकता हूं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आपकी मेंटल आई क्यू पूरा सदन जानता है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): मैं कतई चुप नहीं रह सकता, मैं भी जानता हूं ......(व्यवधान) आपसे इंटेलीजेंट, आपकी ज्यादा पढ़ा-लिखा ......(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप कितने विद्वान हैं, आपने वाजपेयीजी के बारे में क्या टिप्पणी की थी, आपने कांग्रेस के नेताओं के बारे में कितने जोर-शोर से नारे लगाये थे...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): हिम्मत है, हिम्मत ...... (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप तो ऐसे सदस्य हो जिसके न कोई विचार हैं, न विचारधारा है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): हिम्मत है कहने की।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अवसरवादिता का उदाहरण अगर कोई राजस्थान की राजनीति में देखो तो आपसे दूसरा मिलेगा नहीं ......(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): जनता के रिजैक्टेड पीस ...... (व्यवधान)

श्री सभापति: अगर आप दोनों व्यक्तिगत आक्षेप एक दूसरे पर लगाते रहेंगे तो मैं समझता हूं, सदन को चलाने में बहुत कठिनाई आएगी ...... (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): किसने एलीगेशन लगाये थे? (व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिए आप। आप बोलना चाह रहे हैं, माननीय सदस्य, तो बोलिए आप। या आपका समाप्त हो गया तो मैं दूसरा नाम बोलूंगा।

श्री ओम बिरला ......(व्यवधान) देखिए, मैं तो उनको निवेदन कर रहा हूं कि आप बोलेंगे क्या, दो बार बोल चुका हूं ......(व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): बोलना चाहते हैं, वह बीच-बीच में खड़े हो जाते हैं ......(व्यवधान)

श्री सभापति: ऐसे तो खड़े हो जाते हैं बीच में ......(व्यवधान) आप बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। बोलिए।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सदस्य को क्यों नाराज कर रहे हो, साहब, बोलने का मौका है, बोलने दें। (व्यवधान) हां, बोलो न, बोलो। बोलें, साहब, हम बोलने से टोकने वाले नहीं हैं ...(व्यवधान) सभापति टोकते हैं, हम नहीं टोकते हैं। सभापतिजी, इजाजत है कि मौका दे रहे हैं उनको?

श्री सभापति: देखिए, मैं, माननीय सदस्य केकड़ी, आपको मौका दे रहा हूं, अगर आप बोलना चाहें तो आप बोलिए। आपका टाइम है पार्टी का, आप बोलिए।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने दूसरे बजट की प्रस्तावना सदन के समक्ष रखी। राजस्थान की जनता के बिना बहुमत के, बहुमत का जुगाड़ कर सरकार बनी और सरकार बनने के बाद पहला बजट माननीय मुख्य मंत्रीजी ने रखा। चुनावों में सपना दिखाया था कि राजस्थान जो पिछड़ा हो गया है, राजस्थान के किसान, मजदूर, गरीब, सब वर्गों को लेकर, पूर्व सरकार ने अपेक्षाएं पूरी नहीं की, हम उन अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। पहले बजट के अन्दर, सभापति माहोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्री ने जो घोषणाएं कीं, उनमें पहला बड़ा काम किया कि साढ़े 12 परसेंट से बढ़ाकर 14 परसेंट कर किया। कुछ योजनाएं भी बनायीं, पर धीमी गति की सुस्त और अनिर्णय करने वाली सरकार ने उन बजटा की घोषणाओं को भी पूरा नहीं किया। माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, जिसके लिए कहती है कांग्रेस कि हम एससी, एसटी, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग के लोगों का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, मैं एक-एक बात बता सकता हूं, माननीय सभापति महोदय, एससी, एसटी के योजनाओं की जो इनके द्वारा समीक्षा की गयी, इन्होंने दे रखा है, इस सारे बजट के अन्दर, एससी, एसटी की एक भी योजना ऐसी नहीं है जिसमें केन्द्र सरकार से आया आया है, उसको शत प्रतिशत भी पूरा किया हो। अच्छा होता कि राजस्थान के मुख्य मंत्री जितने निधि आयोग बना रहे हैं, एक आयोग इस बात का बनाते कि केन्द्र और राज्य के बजट का शत प्रतिशत खर्च होगा तो मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री को धन्यवाद देता लेकिन आज गरीब, अनुसूचित जाति का केन्द्र से पैसा आता है, 41 परसेंट पैसा खर्च नहीं होता। इतना ही नहीं, सभापति महोदय, बहुत बड़ी बात नहीं करना चाहता, एक बीस आटो रिक्शा राजस्थान सरकार को केन्द्र ने दिये लेकिन एक आटो रिक्शा का ऋण सरकार नहीं दे पाई।

इतना ही नहीं, वह गरीब के मकान की बात कर रहे थे, इंदिरा आवास के अन्दर स्थिति देखिए, शहर में मकान की बात कर रहे थे, इंदिरा आवास योजना के अन्दर 41 परसेंट मकानों के पैसे भी गरीबों को नहीं दे पाये। 41 परसेंट में भी वह पैसा है, जिसकी पहली किश्त गयी है, उनकी तीन किश्त भी नहीं पहुंची, न यह सरकार गरीब की योजनाओं को अमल में ला सकती और न उसके मकान को उपलब्ध करवा सकती। माननीय सभापति महोदय, सरकार इसलिए होती है कि वह गरीब का कल्याण कर सके। वह अंधेरे में बैठा व्यक्ति यह सोचता है कि जन प्रतिनिधियों की सरकार है, मुझे नया उजाला देगी, नई रोशनी देगी और उसके अंधकार से नया जीवन रोशन होगा। लेकिन

(श्री ओम बिरला)

सरकार मकान न दे सकी और जो कपड़े तन पर पहनने थे, रेडीमेड कपड़ा, उस पर 4 प्रतिशत टैक्स बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया। उसके तन से कपड़ा उतारने का भी काम किया।

यह सरकार किसान की बात करती है, किसान का एक एक जनप्रतिनिधि जानता है कि डीजल इंजन पर 4 प्रतिशत से 14 प्रतिशत किया। माननीय सभापति महोदय, आप अलवर के नजदीक रहते हैं, हरियाणा पंजाब के अन्दर डीजल की सब्सिडी दी गयी, यहां डीजल और पैट्रोल का पैसा बढ़ाया गया। कौन से किसान की बात करते हो? किसान मांग कर रहे थे, आपकी सरकार ने कहा था कि हम 8 घंटे बिजली देंगे, 24 घंटे किसान को बिजली देंगे। अगर आपके पास बिजली नहीं थी और हमारी सरकार ने अगर बिजली उत्पादन नहीं किया था तो आपने अपने घोषणा पत्र में यह घोषणा क्यों की? आप कह देते कि हमने बिजली का उत्पादन नहीं किया। माननीय सभापति महोदय, मैं इस सभा के अन्दर कहना चाहता हूं, यह सरकार बता दे, 2003 से लेकर कितने पावर प्रोजैक्ट लगाये आपने? हमारी सरकार जो अभी छोड़कर गई है, 2600 मेगावाट के पावर प्रोजैक्ट आन गोइंग चल रहे हैं, जो इस सरकार में पूरे होंगे। माननीय सभापति महोदय, 8 घंटे किसान को बिजली नहीं दी, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा जो गांव में पढ़ता था, राजस्थान के मुख्य मंत्री ने कहा कि हम गांवों में बत्ती जलाएंगे, किसान का बेटा पलायन नहीं करेगा। 2003 में जब आपकी सरकार थी, 5 हजार गांवों में 24 घंटे बिजली मिलती थी और जब मुख्य मंत्री वसुंधरा राजेजी सरकार छोड़कर गयीं 36 हजार गांवों के अन्दर बिजली मिल रही है। आखिर किसान के खेत में बिजली नहीं, उसके गांव में बिजली नहीं।

किस मजदूर की बात करते हैं? आपने कहा था, मजदूर का जनकल्याण करेंगे। आज राजस्थान में ही नहीं पूरे देश के अन्दर कर्मचारियों के छठा वेतन आयोग लग गया, लोगों की मजदूरी बढ़ गई, लेकिन वह मजदूर न्यूनतम मजदूरी के लिए तरस रहा है। दिल्ली के अन्दर 203 रुपये, मध्य प्रदेश में 135, कर्नाटक में 140 रुपये, महाराष्ट्र में 150 रुपये। आपने घोषणा की थी कि न्यूनतम मजदूरी बढ़ाएंगे, 125 रुपये देंगे। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई, अच्छा होता, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाते तो करोड़ों मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी मिलती। 125 रुपये आपने घोषणा की थी, यह आपकी घोषणा है, कोई मैं अपनी घोषणा नहीं पढ़ रहा हूं। आपके मुख्य मंत्री ने कहा था, यह घोषणा

(श्री ओम बिरला)

पत्र हमारा सरकारी पत्र है। मैं आपके प्रतिनिधियों से कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, यह राजस्थान की सरकार का चित्रण बजट के आधार पर करना चाहूं तो 90 हजार करोड़ रुपये का ऋण लेने के बाद 20 करोड़ रुपये प्रति दिन पर कर्ज में डूबे हुए हैं। 20 करोड़ प्रति दिन जो कर्ज आएगा, कहां मीट-आउट होगा, इस बजट में कहीं नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, आज गांव-गांव के अन्दर लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं, लोग गांवों में पानी के लिए तरस रहे हैं। अगर कोई राजस्थान के मुख्य मंत्री जोधपुर के बन जाएं, जोधपुर की बजट घोषणाओं के आधार पर बन जाएं, कोई भीलवाड़ा के अन्दर बन जाएं तो भीलवाड़ा के अन्दर बन जाएं। आज हाड़ौती का किसान का बेटा पानी के लिए तरस रहा है, पीने का पानी नहीं, सिंचाई का पानी नहीं। 1200 करोड़ रुपये की भीलवाड़ा में योजना बन रही है, चम्बल से कोटा पानी ले जा रहे हैं। कोटा में बैठा, किनारे पर बैठा आदमी फ्लोराइड का पानी पी रहा है। उसके अंडर ग्राउंड वाटर सूख गया है, उसको पानी की व्यवस्था नहीं है। अच्छा होता, 1200 करोड़ रुपये की योजना बनती, चम्बल से हाड़ौती के गांवों को पानी मिलता तो हम मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देते। माननीय सभापति महोदय, इस सदन के एक एक वक्तव्य को मैं बताना चाहता हूं कि इस राजस्थान की सरकार ने किसान के साथ, मजदूर के साथ, और सबसे बड़ा अनजस्टिस किया है तो वह बेरोजगार नौजवानों के साथ किया है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। कृपया समाप्त करें आप।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, मुझे पांच मिनट बोलने दें। 15 मिनट बोलने का मुझे माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने कहा था। मजदूर के साथ अन्याय, किसान के साथ अन्याय और राजस्थान के नौजवानों के साथ.....

श्री सभापति: प्रतिपक्ष के नेताजी ने आपको 15 मिनट के लिए कहा था तो फिर आसन का तो आप कहना नहीं मान रहे हैं न। मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपका टाइम खतम हो गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैंने तो आपकी अनुमति से ही कहा था, मैं तो आपके बीच का आदमी हूं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सभापति महोदय, मैं पांच मिनट में अपनी बात खतम करूंगा।

श्री सभापति: देखिये, मेरी बात सुन लीजिये आप। प्लीज बैठिये। आप विराजिये। मैं बता दूं कि समय आपका है, बजट आपका है, वाद-विवाद आपका है, पर जहां तक समय सीमा है उससे मैं बंधा हुआ हूं। आपका समय का बजट है वह घाटे में है क्योंकि आपकी पार्टी ने 3 घंटे 5 मिनट अधिक समय पहले ही ले लिया है। इसलिए कृपया आप वाद-विवाद मुझसे न करें, यह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। आप दो मिनट बोलिये उसके बाद दूसरे का पुकारूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं करेंगे।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): 5 मिनट में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, हमारी तरफ से पहले स्पीकर हैं, बोलने दीजिये। अच्छा बोल रहे हैं। आपकी कृपा होगी तभी, बिना आपकी कृपा के कुछ नहीं है।

श्री सभापति: देखिये, माननीय सदस्य, फिर आपके उप नेता को बोलना है, उनको टाइम चाहिए, आपको टाइम चाहिए, आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को बोलना है। मैं समझता हूं कि सदन समय सीमा से बंधा हुआ है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सभापति महोदय, राजस्थान के नौजवानों को मुख्य मंत्रीजी ने एक सपना दिखाया था कि हम 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे और इस सरकार ने 1998 से 2003 तक 6500 नौजवानों को रोजगार दिया था, और माननीय सभापति महोदय, 14 महीने हो गये, इस सरकार में केवल 6 नौकरियां दी हैं, 10 लाख नौजवान बैठे हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अक्षत योजना शुरू की बेरोजगारों की उस योजना को बंद कर दिया। कामगार को रोजगार नहीं, नौजवान को रोजगार नहीं। आप वृद्धों की बात कर रहे हैं, आपने खुद कहा था कि 65 साल से ज्यादा उम्र वाले वृद्ध को 750 रुपये देंगे। आप किनको दे रहे हैं? 75 साल वाले को। जिसके पेट में खाने को रोटी नहीं, जिसके तन पर कपड़ा नहीं है, जिसकी बीमारी का इलाज नहीं वो 75 साल जीएगा? माननीय मुख्य मंत्रीजी, आप आपके घोषणा पत्र को पढ़ते, आपके घोषणा पत्र में कहा था कि 65 साल की उम्र वाले को हम 750 रुपये पेंशन देंगे लेकिन आपने पेंशन नहीं दी।

माननीय सभापति महोदय, यह सारा बजट केवल जोधपुर पर केन्द्रित रहता है। इस सारे बजट में हाड़ौती क्षेत्र की घोर उपेक्षा की गयी है। आज भी अगर पानी है, माननीय भरत सिंहजी बैठे हैं, राजस्थान में पानी है तो हाड़ौती की धरती पर है लेकिन एक पैसा लिफ्ट कैनाल पर, सीएडी पर नहीं दिया।

(श्री ओम बिरला)

माइनर-मेजर प्रोजैक्टर कि जो हाड़ौती के अन्दर पानी है उसको रोककर किसान खेती कर लें, उसका एक पैसा नहीं दिया। वो बड़ा काम कर रहा था, राष्ट्रीय उत्पादन का काम कर रहा था। सभापति महोदय, सबसे बड़ी घोर उपेक्षा की तो हाड़ौती की धरती से की। 1992 से मेडिकल कालेज अधूरा पड़ा है, राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने कहा 170 बैड का अस्पताल, अच्छा होता, मुख्य मंत्रीजी 50 करोड़ रुपये देते, एक हजार बैड का अस्पताल बनता तो हाड़ौती के क्षेत्र के लोगों को चिकित्सा का लाभ मिलता। लेकिन इस सारे बजट में हाड़ौती की घोर उपेक्षा की गयी है।

बजट के आंकड़ों के आधार पर मैं बताना चाहूं तो हमारे सदस्य बता रहे थे कि हमने अकाल के बारे में चिंता की, हमने वृद्ध के बारे में चिंता की, हमने नौजवानों के बारे में चिंता की, लेकिन सारे बजट के अन्दर केवल टैक्स बढ़ाने का काम किया है। टैक्स में भी वो टैक्स बढ़ाने का काम किया जिसको गवर्नमेंट आफ इण्डिया के तहत कर दिया गया था।

सभापति महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात खतम करता हूं। इनपुट टैक्स के बारे में कहा, माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपको ये अधिकारी बता देते होंगे, इनपुट टैक्स में आपने कहा था कि हम 6 महीने के अन्दर वैरिफिकेशन करा लेंगे। गारण्टी कितनी मांग रहे हो? बैंक गारण्टी मांग रहे हैं तीन साल की 6 महीने में वैरिफिकेशन करा लेंगे, एक महीने में रिफंड कर देंगे। करोड़ों रुपया व्यापारियों का इनपुट टैक्स के रूप में सरकार के पास पड़ा है। सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को कहना चाहता हूं कि 90 प्रतिशत वाणिज्य कर का पैसा पैट्रोल, डीजल, कोयले से होता है, 10 प्रतिशत अन्य होता है। अच्छा होता, मुख्य मंत्रीजी उस गरीब को राहत देते, उसके तन पर कपड़ा देते। आपने टैक्स किस पर बढ़ाया? तेल पर। आपने टैक्स किस पर बढ़ाया? देशी घी खिला नहीं सकते और डालडा पर आपने लगा दिया। वह गाय का जो बिनौला खल था जिस पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछली बार बजट में छूट दी थी, उस पर आपने टैक्स लगा दिया। आपने खाद्य वस्तुओं पर टैक्स लगाकर महंगाई को बढ़ाने का काम किया है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सभापति महोदय, यह बजट दिशाहीन है, यह राजस्थान की जनता के हित का बजट नहीं है, इसमें सब वर्गों के साथ इनजस्टिस किया गया है। मैं मुख्य मंत्रीजी को कहूंगा कि जवाब देते समय

(श्री ओम बिरला)

आप घोषणा पत्र को दुबारा पढ़ें और अगर आप गांधीवादी नेता हैं तो सत्य के आधार पर उस घोषणा पत्र को इस बजट में लागू करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य। श्री कैलाश चन्द त्रिवेदी।

श्री कैलाश चन्द त्रिवेदी (सहाड़ा): सभापति महोदय, 9 मार्च को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वित्त मंत्री के रूप में जो बजट पेश किया, हमारे कुछ भाइयों ने कहा कि इस बजट में तो आत्मा ही नहीं है। मैं उनको निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने इसको आत्मा से पढ़ा ही नहीं है। इस बजट में परमात्मा को हाजिर-नाजिर रखते हुए महात्मा गांधी की नीतियों का अनुसरण पूरा समावेश है। देश और प्रदेश के जो हालात हैं उन पर चिंतन और मनन करते हुए कांग्रेस के देश और प्रदेश के नेताओं ने, हमारे प्रधान मंत्रीजी ने मुख्य मंत्रीजी ने, प्रदेश अध्यक्षजी ने चिंता जाहिर की थी कि हमारा देश, हमारा दो तरह का भारत बन रहा है, दो तरह का राजस्थान बन रहा है, वह दो तरह की जो व्यवस्था है उसमें एकरूपता लाने के लिए इस बजट में काफी समावेश किया गया है, उन नीतियों को इसमें समावेश किया गया है। भिन्नता आ गयी है, कि एक शहरों का प्रदेश और एक गांवों का प्रदेश, शहरों में बिजली 24 घंटे मिलती है, शिक्षा अच्छी मिलती है, चिकित्सा अच्छी मिलती है, सारी सुविधाएं आम आदमी को मिलती हैं लेकिन गांवों में इन व्यवस्थाओं की भयंकर कमी है। इन व्यवस्था में सुधार के लिए गांवों को शहरों की तुलनात्मक दृष्टि से ठीक करने की जो प्रकिया इस बजट में अपनाई गई है, वह सब स्वागत योग्य कदम है।

सबसे बड़ी चीज जो इस बजट की बहस में है, सभापति महोदय, महात्मा गांधी नरेगा योजना के ऊपर मीडिया वाले भाई भी लिख रहे हैं और सदन में भी ऐसा कोई दिन नहीं है इस पर बहस नहीं हो रही है। हिन्दुस्तान की पूरे संसार में रोजगार की अगर सबसे बड़ी योजना है तो उसका नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, इस योजना की हालत के लिए सरकार पर दोषारोपण करना, बार-बार हमारे विरोधी भाई कहते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं इस बात को मानता हूं, मंत्रीजी ने भी माना है। मुझे इस पर आपको एक निवेदन करना है कि भीलवाड़ा जिले में डाक्टर सी. पी. जोशी साहब जो भारत के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं, उन्होंने इस योजना में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए पहला कदम राजस्थान और खुद के संसदीय क्षेत्र में उठाकर एक इ कठोर निर्णय

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

लिया कि मेरे यहां उन व्यक्तियों से, उन सामाजिक संस्थाओं से सामाजिक अंकेक्षण कराया जाए जिन्होंने इसको कानूनी रूप देने के लिए पूरे देश में आंदोलन किया। अरूणा राय जी की पूरे भारत की टीम भीलवाड़ा में आई, अंकेक्षण का काम चालू हुआ। 1 अप्रैल, 2008 से यह योजना लागू हुई, सरकार का उस वक्त यह था कि यह योजना लागू अभी करें कि नहीं करें, आनन-फानन में यह योजना भीलवाड़ा जिले में लागू हुई। भीलवाड़ा जिले में आनन-फानन में लागू होने से काफी कमियां उसमें रहीं। न तो लोगों के जाब-कार्ड बने, न लोगों के पोस्ट आफिस में खाते खुले, न कामों की कोई स्वीकृति सही तरीके से निकल पाई। काम कहां होना चाहिए, काम कहां हो रहा है, इस तरह की कई शिकायतों का पुलिंदा बन गया। और दिसम्बर में चुनाव थे। इसका एक वर्ष का सामाजिक अंकेक्षण हुआ। एक वर्ष के सामाजिक अंकेक्षण में जो कमियां पाई गयीं, जो इस सामाजिक अंकेक्षण के भूत से हमारे साथी डर रहे हैं या पंचायती राज के हमारे लोग डर रहे हैं, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। इसमें जो कमियां पाई गयीं, 608 तो भुगतान विलम्ब से होने की शिकायतें सामाजिक अंकेक्षण में आयीं। तो ठीक है, वह एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, ऐसी शिकायत हो सकती है। दूसरा, कार्य की स्वीकृति के संबंध में जो शिकायतें प्राप्त हुई पूरे जिले की, वह सिर्फ 24 ऐसी शिकायतें प्राप्त हुईं। इसके अलावा कार्मिकों से संबंधित, जो उनकी गलती थी, ऐसी तीन शिकायतें प्राप्त हुईं। इसी तरह से जोब कार्ड और मस्टररोल से संबंधित जो शिकायतें थीं, मस्टररोल की 587 शिकायतें प्राप्त हुईं। आर्थिक व अन्य अनियमितताओं के संबंध में जो शिकायतें प्राप्त हुईं, वे 476 शिकायतें प्राप्त हुईं। अन्य छोटी-मोटी, मेट-मजदूर और मस्टररोल की जो शिकायतें थीं, वे 334 शिकायतें थीं। पूरे सामाजिक अंकेक्षण के अन्दर 2,032 शिकायतें ऐसी प्राप्त हुईं जिसमें प्रशासनिक अनियमितताएं हुईं। पूर्व सरकार के आनन-फानन में इस योजना को लागू करने से और स्टाफ की कमी होने से इस तरह की छोटी-मोटी शिकायतें प्राप्त हुईं जो सरकार की जानकारी में आईं, जो प्रदेश नेतृत्व की जानकारी में आईं। इन शिकायतों को ठीक किया गया। कोई भाई कह रहे थे कि फर्जी जोब कार्ड बने हुए हैं, यह बिलकुल सही बात है। सामाजिक अंकेक्षण ने यह पकड़ा है। एक-एक परिवार के पांच-पांच फर्जी जोब कार्ड बने हुए हैं। कहीं 10-10 फर्जी जाब कार्ड बने हुए हैं। उन सबको निरस्त करने का काम माननीय मंत्री महोदय और मुख्य मंत्रीजी के निर्देश से भीलवाड़ा जिले में हुआ। 1,700 के करीब शिकायतों का निस्तारण भी इन लोगों ने कर

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

दिया है और इसमें काफी प्रगति की है। यानी सरकार की मंशा, भारत सरकार के मंत्री की मंशा, राजस्थान सरकार के मंत्री की मंशा, मुख्य मंत्री की मंशा यही है कि इस योजना का लाभ गांव के व्यक्ति को मिले, सही रूप से मिले और भ्रष्टाचार रहित यह काम हो। इस तरह की भावना को रखते हुए सी.पी. जोशी साहब ने और भीलवाड़ा जिले के सारे जन प्रतिनिधियों ने चाहे पक्ष के थे चाहे विपक्ष के थे, किसी ने इसका विरोध नहीं किया। फिर जो अलवर की बात आज सुबह चल रही थी, मुझे बड़ा दुःख हुआ, आप इससे क्यों डर रहे हो, आपको इसको करवाना चाहिए...

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): क्या विषय ले रहे हो? आपने उसको समझ लिया क्या, त्रिवेदीजी? आपके मंत्रीजी ने गलत जवाब दिया। आप भी इसमें +++ पर चालू हो गये।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): समझ लिया और समझ कर ही यह रिकार्ड पर आया है। (व्यवधान) हां, मैं +++ नहीं कर रहा हूं, सत्यता दे रहा हूं, आंकड़ों के साथ दे रहा हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया विराजिये आप। आप व्यवधान नहीं करिये।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय सदस्य, आपको यह जानकारी नहीं है, फिर आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहें तो मत कराएं। आप इसको गोलमाल करें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): सरकार ने माना कि सामाजिक अंकेक्षण सरकारी एजेंसी से होना चाहिए, एन.जी.ओ. से नहीं होना चाहिए। आप उस विषय पर जा रहे हो कि सरकारी एजेंसी से नहीं होना चाहिए और आप उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): आप अगर चोर नहीं हैं तो सरकार करे या कोई और करे, कोई भी एजेंसी करे, आपको डर किस बात का है?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप कृपया विराजिये।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): आप +++ करने के लिए खड़े हुए हैं क्या?

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): कुछ भी नहीं हुआ है और कोई डरने की जरूरत नहीं है। अरुणा रायजी ने अगर भीलवाड़ा में सामाजिक अंकेक्षण कर लिया तो

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

कोई किसी को खा नहीं गयीं और कोई तूफान खड़ा नहीं किया। खाली एक हौवा खड़ा किया गया और वह हौवा टांय-टांय फिस्स हो गया, कुछ भी नहीं मिला है इसमें। इस तरह की शिकायतों में कोई दम नहीं है। यह प्रशासनिक अनियमितता है, स्टाफ की कमी से हो सकती है। ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि भीलवाड़ा जिले में कोई बड़ा घपला हो गया हो। प्रशासनिक स्टाफ की कमी है, आपके अधिकारी नहीं बने, आपके कर्मचारी नहीं लगे और आनन-फानन में कोई योजना चालू होगी तो उसमें लापरवाही तो होगी और उस लापरवाही में कोई छोटी-मोटी शिकायत हो सकती है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं इसमें एक ही निवेदन कर रहा हूं, इसमें वित्तीय अनियमितता जो पाई गई है, इस वित्त वर्ष में पाई गई है। भाई साहब कह रहे हैं, सम्माननीय त्रिवेदी साहब, कि यह पिछले साल की है।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): नहीं, यह पूरे साल की है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया आप विराजिये। उनको बोलने दें।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, मैं भी उसी जिले से आया हूं।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): शिवजीरामजी, पूरे एक साल की है।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): इसमें वित्तीय, गम्भीर भ्रष्टाचार पाया गया है। भाई साहब, इसमें कम से कम यह तो बताओ कि यह कब का है?

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): पूरे एक साल का है। (व्यवधान) मीणा साहब, आप एक मिनट मेरी बात सुनिये। यह पिछले वित्तीय वर्ष और इस वर्ष, सब का टोटल हुआ है और इसमें टोटल मेरे पास आंकड़े हैं। मेरी बात सुनिये। मुझे इस बात की खुशी है कि सिर्फ एक एफ.आई.आर. दर्ज हुई है, रायला की एफ.आई.आर. है। जिसमें भी क्या हुआ है? नरेगा योजना में नाम लिखने के बाद नाम काटकर फर्जी हाजिरी भरने की एक एफ.आई.आर. दर्ज हुई है। बाकी इस तरह का कोई बड़ा घपला इसमें नहीं हुआ है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया विराजिये। आप बोलने दीजिये उन्हें, माननीय सदस्य।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): आप असत्य कह रहे हैं। मेरे एरिया में गम्भीर अनियमितता हुई है, भ्रष्टाचार की 10 एफ.आई.आर. हुई हैं। इसमें सुबह भी कह रहे थे कि एफ.आर. लगी थी, वहां मेरे यहां भी एफ.आर. लगी है। इसमें मूल्यांकन कम किया। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): यह आपके राज में हुआ है। ऐसा है, एफ.आई.आर. करवाओ, एफ.आर. लगाओ और आराम से भ्रष्टाचार करो, दबाकर भ्रष्टाचार करो। यह लाइसेंस दिया हुआ है तुमको। (व्यवधान)

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): जहाजपुर में आपकी एफ.आई.आर. है, फर्जी जाब कार्ड की है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, कृपया विराजिये। (व्यवधान) देखिये, मैं सचेतक महोदय, आपसे एक बात निवेदन करना चाहूंगा, अगर इस किस्म का डिस्टर्बेंस और टिप्पणी चलती रहेगी तो मैं समझता हूं कि आपका जो समय का कर्जे का बजट आलरेडी है, I wouldn't be able to help you. I think, nobody will be allowed to speak from this side. I am very firm in my decision, I tell you. So please better be careful. Please don't waste your time. You are wasting your time ...(व्यवधान)

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): मैं निवेदन कर रहा हूं, माननीय सदस्य यह कह रहे हैं...

श्री सभापति: आप मुझे बताइये, आप बीच में क्यों व्यवधान कर रहे हैं? आप क्यों बोल रहे हैं? उनका हक है, उनको बोलने दीजिये। जब आप बोलें तो आप बोलिये। अगर उनको जानकारी है तो उनको आप टिप्पणी करेंगे? आप बोलिये।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य जो आप कह रहे हैं कि फर्जी जाब कार्ड के बारे में आपके यहां एफ.आई.आर. दर्ज हुई और उसमें भी एफ.आर. लगी, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए ऐसी बड़ी अनियमितता भीलवाड़ा जिले में नहीं हुई। इस तरह का अंकेक्षण होने के बाद भीलवाड़ा जिले के अन्दर यह महसूस हुआ कि इससे आने वाले समय में सुधार की प्रक्रिया पूरे राजस्थान में चालू हुई। भीलवाड़ा जिले में आपका क्षेत्र हो चाहे मेरा क्षेत्र हो, चाहे किसी भी साथी का क्षेत्र हो, अनियमितताओं पर अंकुश लगाने का काम प्रशासन ने किया। भ्रष्टाचार का प्रतिशत सुबह भी मैंने आपको कहा कि कम हुआ है और कम तभी होगा जब आप और हम सब सहयोग करके इस काम को करेंगे।

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

दूसरा काम ग्रामीण विकास विभाग की योजना है महात्मा गांधी राष्ट्रीय योजना, इसके अन्दर राजीव गांधी सेवा केन्द्र प्रदेश की हर पंचायत में बनेगा- पंचायत समिति में 25 लाख रुपये में भवन बनेगा और पंचायत में 10 लाख रुपये में भवन बनेगा। इन भवनों की 10 लाख की स्वीकृति में से आठ लाख तो भवन के हैं और बाकी और मशीनों के भी हैं। मैं आपसे निवेदन करूं कि शहर में आदमी जाए या तहसील में आदमी घूमे या एस.डी.एम. के पास आदमी घूमे। वहां नहीं घूमकर पंचायत हैडक्वार्टर पर सारा लैण्ड रेवेन्यू रिकार्ड कम्प्यूटराइज होगा, जो तहसील से संबंधित दस्तावेज हैं, सूचना से संबंधित दस्तावेज हैं, काश्तकार वहां पर जाए और वहां पर जो व्यक्ति बैठा है, वह खाते की नकल तुरन्त उसको दे, यह सुविधा उसको है। नरेगा योजना के तहत पेमेंट है, जितनी भी जानकारी है, उसको मशीन के माध्यम से मिल जाए...

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें आप।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): मैंने तो बोलना ही शुरु नहीं किया, साहब, यह तो खाली भूमिका बनाई है।

श्री सभापति: नहीं, समय की भूमिका तो नहीं बन सकती न।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): हमारी पार्टी का वैसे समय है। इस तरह से इस मशीन से रेलवे का रिजर्वेशन, प्लेन का रिजर्वेशन, रोडवेज का रिजर्वेशन कराने की सुविधा पंचायत हैडक्वार्टर के उस व्यक्ति मिल जाये। हमारे देश के नेताओं की भावना थी कि गांव को वह लाभ मिले जिसके लिए शहर दौड़ना पड़ता है। इस नरेगा योजना से जो शहरों की तरफ गांवों का पलायन था, निश्चित तौर पर वह रुका है। तो ऐसी योजना का पक्ष-विपक्ष, सबको स्वागत करना चाहिए।

दो रुपये किलो गेहूं और पेंशन योजना में जो वृद्धि की है, स्वागत योग्य है। गरीबों को, बी.पी.एल. को दो रुपये किलो गेहूं देने की योजना है, वह भी स्वागत योग्य है। वृद्धावस्था, विकलांग पेंशन की राशि बढ़ाई है, वह सही है। आज औसतन आयु बहुत कम हो चुकी है, आज 75 साल के तो कोई लिमिटेड पर्सन ही मिलेंगे, 65 वर्ष तक भी जाने की व्यवस्था हो रही है। मेरा मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि यह उम्र 65 वर्ष रखी जाए।

दूसरा, बी.पी.एल. परिवारों को मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष से इलाज की व्यवस्था है, उसमें सबसे बड़ी चीज यह है कि जितने भी लोंगों, को यह

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

पेंशन का लाभ मिल रहा है, उनको इस योजना में जोड़ कर मुख्य मंत्रीजी ने एक विशाल काम किया है कि उनका इलाज भी सब फ्री सरकार के खर्चे पर होगा। यह एक गरीबों के लिए महती भूमिका वाली योजना है, इस योजना का लाभ आम आदमी को मिलेगा। लेकिन यह जो पेंशन की व्यवस्था है, इस पेंशन के अन्दर आये दिन हम लोग भी महसूस करते हैं, सभापति महोदय, आप भी महसूस करते हैं कि एक बुढ़िया मां आती है, वह कहती है मुझे आप पेंशन दिलाओ, मैं पैंसठ साल की हो गई। लेकिन हम उसको कहते हैं कि पटवारी की रिपोर्ट कराओ, सचिव की रिपोर्ट कराओ। पटवारी, सचिव कहता है कि इसके दो बच्चे हैं। अब दो बच्चे हैं, मुझे यह बात समझ में नहीं आई, चाहे आपकी सरकार रही, चाहे हमारी सरकार रही, एक आदमी जिसके बच्चा-बच्ची पैदा ही नहीं हुआ, राजेन्द्रजी, वह वृद्धावस्था पेंशन पाने का हकदार है, उसने जीवन भर जो कमाया वह उसके पास बचा हुआ पड़ा है, वह अपने बुढ़ापे के लिए उसने रख रखा है, उसके बाद भी उसको हम वृद्धावस्था पेंशन देंगे। और एक व्यक्ति जिसके चार बच्चे या पांच बच्चे या तीन बच्चे पैदा हुए, उन पर उसने सारा खर्चा कर दिया और बुढ़ापे के लिए उसके पास कुछ नहीं बचा है लेकिन अगर बेटों ने धोखा दे दिया तो वह दर-दर की ठोकरें खाता है। तो इस राइडर को हटाने के लिए मैं मुख्य मंत्रीजी से मांग करूंगा। विकलांग बच्चा या बच्ची हो, उस बच्चे और बच्ची से अन्दर, मां-बाप परेशान हो जाते हैं, शादी-ब्याह उनके नहीं होते, उनकी आजीविका के लिए वे बहुत परेशान होते हैं। मुश्किल से कहीं किसी के सम्बन्ध हो तो वह शादी हो सकती है या सेम कैटेगरी के बच्चे-बच्ची हों तो शादी होती है। ऐसे बच्चे-बच्चियों को यह कह कर टाल दिया जाता है कि इनके माता-पिता हैं। माता-पिता तो उसको रख ही रहे हैं लेकिन जो सक्षम माता-पिता होंगे, वे अपने बच्चे को कभी पेंशन नहीं दिलाएंगे, वह शर्म से ही पैसा लेने नहीं जाएंगे।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय सभापति महोदय, अभी थोड़ा-सा और। मेरी आपसे गुजारिश है, ऐसे राइडर को हटा कर इसको भी ठीक करने की आवश्यकता है।

दूसरा मेरा यह निवेदन है कि अभी इनपुट सब्सिडी दी जा रही है, माननीय सभापति महोदय, प्रति हैक्टेयर दो हजार रूपये जो हम दे रहे हैं। दो हजार रुपये का जो सर्कुलर निकला है उस सर्कुलर में लघु और सीमांत कृषक

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

उसको माना है चाहे वह बड़ा व्यापारी हो लेकिन उसकी जमीन कम होनी चाहिए, चाहे वह नौकरी पेशा वाला हो उसके जमीन कम होनी चाहिए। लेकिन अगर काश्तकार है और उसकी जमीन एक हैक्टेयर सिंचित है तो उसे दो हैक्टेयर काउंट किया जा रहा है। यह कोई अलाटमेंट का काम थोड़े ही हो रहा है, यह तो इनपुट सब्सिडी देने का काम हो रहा है। काश्तकार के अकाल पडा इसलिए सब्सीडी दे रहे हैं। लेकिन इर्रिगेटेड लैण्ड को जस्ट डबल करके काउंट कर रहे हैं जिससे काफी काश्तकार छूट रहे हैं, अकाल के समय में इनपुट सब्सिडी में इर्रिगेशन से रिलेटेड जो जमीन है उसको अलाटमेंट के आधार पर नहीं, उस भूमि को धारित रकबा जो है मौके पर, उस धारित रकबे के आधार पर काश्तकारों का चयन किया जाए जिससे सभी काश्तकारों को लाभ मिल सके। जब हम बड़े व्यापारियों को छूट दे सकते हैं, जब हम इनको छूट दे सकते हैं तो इसको भी हमें करना चाहिए।

श्री सभापति: आप कृपया समाप्त करें, मेरा निवेदन है आपसे।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): दूसरा मेरा एक निवेदन है कि अकाल में जो चारा आ रहा है, इसकी सब्सिडी बढ़नी चाहिए। इसमें एक रोक है कि 120 क्विंटल से ज्यादा की गाड़ियों के ऊपर सब्सीडी नहीं दी जाती है जबकि चारा परिवहन के लिए बड़े-बड़े ट्रोले होते हैं, कोई 18 टन का है, कोई 16 टन का है, कोई 10 टन का, जितने की ट्रक कांटे पर तुलती है, वह सारी सब्सिडी रिलीज होनी चाहिए। अकाल राहत मंत्रीजी, इस पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए ।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें अब आप। कृपया, माननीय सदस्य, समाप्त करें आप।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): और परिवहन की भी व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा...

श्री सभापति: समाप्त करें, प्लीज। Please finish it now.

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): सर, मेरा यह निवेदन है कि सरकार ने सड़कों के मामले में 4995 किलोमीटर सड़कें और 8587 करोड़ का बजट रखा है, चिकित्सा में रखा है और जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा में पूर्व सरकार ने 07-08 में घोषणा की थी कि हम 1500 विद्यालय खोलेंगे, एक भी आप नहीं खोल पाये थे उस वक्त। आपने 08-09 में घोषणा की थी कि जितने

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

भी पंचायत हैडक्वार्टर हैं वहां पर उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय बनाएंगे। आपके मंत्रीजी सराफ साहब को मैं कागज देकर आया कि मेरे ये बारह विद्यालय हैं, करिये, वह आप नहीं कर पाये।

श्री सभापति: मेरा निवेदन है अब आपसे, कृपया समाप्त करें। अब समाप्त।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): आपकी घोषणा खाली घोषणा रही और हमने 1900 विद्यालय गत वर्ष में क्रमोन्नत किये हैं।

श्री सभापति: अब आप कृपया समाप्त करें।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): जो विद्यालय इन्होंने, माननीय सभापति महोदय क्रमोन्नत किये, उनमें एक में स्टाफ तक नहीं लगा पाये।

श्री सभापति: अब मैं नाम बोलने जा रहा हूं दूसरा ।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): जाते-जाते भी ये लोग ऐसा उलटा काम करके गये कि इस प्रदेश को गंगाजी घाल कर गये। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपको आखिरी बार निवेदन कर रहा हूं, कृपया समाप्त करें। (व्यवधान) श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापतिजी, माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा पेश राज्य के बजट में राज्य के विकास की कोई दूरगामी परिकल्पना नहीं है। अकाल, सूखा, विद्युत, संरचना निर्माण, रोजगार सृजन की कोई ठोस पहल परिलक्षित नहीं होती है। इस बजट में बेलगाम नौकरशाही, भ्रष्टाचार, सरकारी कार्यों में गुणवत्ता का अभाव, केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान की सतत् उपेक्षा जैसी समस्याओं के समाधान के लिए कोई प्रभावी प्रयास नहीं किये गये हैं। इस सरकार में विकास की इच्छाशक्ति का अभाव लगता है, महंगाई पर कुछ भी कहने का सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता। मैं कुछ मुख्य बिन्दु ही बोलना चाहूंगी क्योंकि यहां पर मंत्री के रूप में बहुत ही कम विराजमान हैं। मैं चाहूंगी कि यहां पर जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर विराजमान हैं, वह मेरे कुछ पाइण्ट्स ध्यान से सुनकर आगे तक पहुंचाएंगे। और बजट के अंदर जब स्पीच माननीय मुख्य मंत्रीजी का हो, उसमें अगर उसको इनक्लूड करेंगे तो यह ठीक होगा क्योंकि बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही सकारात्मक सुझाव मैं देना चाहती हूं।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

खनन पर भूमि कर की बात करें क्योंकि मैं उस क्षेत्र से आती हूं जहां खनन होता है और वही एक मुख्य वहां पर रोजगार का साधन है। राजसमंद विधान सभा क्षेत्र है मेरा, वहां पर अगर हम लोग देखें तो माइनिंग को इन एवरी सैंस मैन्यूफेक्चरिंग यूनिट में माना जाना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है, हम लोग हमारे पड़ोसी राज्यों को अगर देखते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश ये जितने राज्य हैं, उनमें सब में माइनिंग को मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट माना है। इस वजह से वैट के अन्दर उन्हें इनपुट क्रेडिट मिलती है हमारे यहां पर क्योंकि उसे मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट नहीं माना है इसलिए वैट के अन्दर इनपुट क्रेडिट नहीं मिलती जिसकी वजह से हमारे यहां के माइनिंग ओनर्स को बहुत सारी प्राब्लम्म को फेस करना पड़ता है। आर्थिक रूप से उन्हें बहुत सारा टैक्स देकर और उस उद्योग के अन्दर बहुत कम्पीटीशन के साथ में उनका सरवाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मेरा यह सुझाव है कि इसे मैन्यूफेक्चरिंग यूनिट मानते हुए। हमारे माइन ओनर्स के लिए सुविधा की जाएं, इससे अगर इनपुट क्रेडिट मिलेगा तो वह ठीक होगा।

सरकार ने दस हैक्टेयर तक माइनिंग लीज को फ्री किया। अब दस हैक्टेयर तक आप जब माइनिंग लीज फ्री करते हैं तो यह कहना चाहिए, सिर्फ मार्बल ही एक ऐसा उद्योग है जो दस हैक्टेयर के अदंर आता है। मार्बल के माइन ओनर्स होंगे उनका अगर माइनिंग एरिया होगा तो वह होगा ज्यादा से ज्यादा सात से आठ हैक्टेयर। लेकिन अगर हम दूसरे माइनिंग प्रोडक्ट्स को देखें, फार एग्जाम्पल अगर हम डोलोमाइट और सोप स्टोन को देखें तो उसकी जो मिनिमम माइनिंग की लीज होती है वह शुरू होती है सौ हैक्टेयर से और डेढ़ सौ, दो सौ, ढाई सौ, तीन सौ हैक्टेयर तक जाती है। लेकिन उन यूनिट्स के अन्दर जो ब्रोकन-अप एरिया होता है वह ब्रोकन-अप एरिया मात्र तीन से चार हैक्टेयर ही होता है। ऐसी स्थिति के अन्दर जो लैण्ड टैक्स लग रहा है वह लैण्ड टैक्स पूरे उसके ऊपर लगता है। सौ हैक्टेयर या डेढ़ सौ हैक्टेयर या दो सौ हैक्टेयर की लीज है उस पर पूरे पर लैण्ड टैक्स लगता है ब्रोकन-अप एरिया है वह सिर्फ तीन से चार हैक्टेयर है, यानि वे माइनिंग कर पाते हैं सिर्फ उतने पर, लेकिन उनको टैक्स देना पड़ता है डेढ़ सौ, दो सौ हैक्टेयर का, तो मेरा यह सुझाव है कि यह लैण्ड टैक्स जो हम अन्य सारे माइनिंग प्रोडक्ट्स पर करते हैं, उसको फ्री करना चाहिए। सरकार की इससे आय मात्र तीन से चार करोड़ रुपये ही होती है सालाना, इसलिए उससे कोई इतना नहीं आएगा, लेकिन उससे इतना बुरा असर पड़ रहा है कि बहुत सारी यूनिट बंद होने के कगार पर आ

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

गई। उनकी उतनी इनकम नहीं है, उतनी प्रोडक्ट की सेल वैल्यू नहीं है जितना कि उनको लैण्ड टैक्स में देना पड़ता है। ऐसी स्थिति के अंदर राजस्थान के माइन ओनर्स और जो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, उन सब के लिए यह बहुत ही कठिन हो रहा है। ऐसी स्थिति में माननीय मुख्य मंत्रीजी इसके ऊपर कुछ विचार करें और यह लैण्ड टैक्स को वह फ्री करेंगे तो शायद हम यहां पर सरवाइव करवा पायेंगे, हमारे जो उद्योग हैं वे सरवाइव कर पाएंगे, नहीं तो वे बंद होने के कगार पर आ रहे हैं।

इसी तरीके से स्वास्थ्य को अगर हम लोग लेते हैं तो उन्होंने अपने इस बजट स्पीच के अन्दर कहा तो है कि हम लोग इतने बैड्स इनक्रीज करेंगे, ये सारी बातें है, लेकिन मैं यह आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि स्वास्थ्य को अगर हम देखें तो सिर्फ शहरी क्षेत्र तक ही स्वास्थ्य की योजनाओं तक सीमित न रखें, ग्रामीण क्षेत्र तक भी स्वास्थ्य योजनाओं के लाभ मिलने चाहिए। स्वास्थ्य की ऐसी योजना उन तक पहुंचनी चाहिए। जिसका लाभ वहां की गरीब जनता को मिल सके। पूर्ववर्ती हमारी जो सरकार थी, मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थी तब उन्होंने एक बहुत अच्छी योजना शुरू की थी 108 एम्बुलेंस की। 108 एम्बुलेंस जो उन्होंने स्टार्ट करवाई थी, उससे इतना अच्छा था कि आधे घण्टे के अन्दर हमें वह एम्बुलेंस मिल जाती थी टेलीफोन करने पर और वह एम्बुलेंस आती और तुरन्त उपचार भी इसके साथ-साथ उस पेशेंट को मिल जाता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि यह जो 108 एम्बुलेंस है, उसको प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर शुरू करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही अच्छी योजना थी, इस योजना से अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सकता है। इसी तरीके से राजसमंद जिला चिकित्सालय आईसीयू जो है, उस आईसीयू के अंदर फैसेलिटीज का बहुत अभाव है। ऐसा मुझे लगता है कि गहन चिकित्सा इकाई होती है, हर जिला मुख्यालय पर इसकी चिंता करनी चाहिए यह नहीं कि हम सिर्फ एक आईसीयू नाम दे दें, वार्ड के ऊपर यह आईसीयू है। अगर उसके अन्दर फैसिलिटीज नहीं होगी तो उसका कोई असर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ आप इसी बात तक सीमित रहेंगे कि हमने डिवीजनल हैडक्वार्टर पर आईसीयू को बहुत अच्छा कर दिया तो इससे आप पूरे राजस्थान की जनता को जस्टिफाई नहीं कर सकते। इसके लिए जरूरी यह है कि जिला मुख्यालय पर जो हमारे जिला चिकित्सालय हैं, उनकी आईसीयू में आपको पूरे अच्छे तरीके से सारी सुविधाएं विकसित करनी चाहिए।

श्री सभापति: Hon'ble member, please try to sum up.

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): I will sum up but please listen me just for five minutes. मेरे जो सुझाव हैं, मैं कोई इसमें भूमिका नहीं बना रही हूं, मैं टू दी पाइन्ट कह रही हूं। यह टू दी पाइन्ट just for the sake of the government and just for the sake of our public in Rajasthan.

राजसमंद जिला चिकित्सालय में बर्न यूनिट का अभाव है, बर्न यूनिट होनी चाहिए। सी.टी. स्कैन नहीं है, आपने किसी भी घोषणा में ऐसा कहीं नहीं कहा है कि हम इतनी सी.टी. स्केन मशीनें लगाएंगे। सी.टी. स्कैन नहीं है, ट्रोमा यूनिट नहीं है, जबकि वह नेशनल हाई-वे के ऊपर आने वाला जिला हैं और नेशनल हाई-वे के ऊपर आये दिन ऐक्सीडेंट्स होते रहते हैं। वहां पर ट्रोमा यूनिट, सी.टी. स्कैन मशीन नहीं होने से वह जिला चिकित्सालय सिर्फ एक रैफरल हास्पिटल बन गया है कि सब को रैफर कर दिया जाए कि आप उदयपुर जाएं, वहां जाकर इलाज कराइए।

ऊर्जा के लिए मैं कहना चाहूंगी, आपको बहुत शार्ट में कह रही हूं कि बजट के अन्दर पिछले समय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि हम लोग एक योजना लेकर आये हैं बांसवाड़ा में कोयला आधारित विद्युत संयंत्र की जोर-शोर से घोषणा की। लेकिन इस बजट के अन्दर कोई उसके बारे में जानकारी नहीं है। बीच में जब प्राइवेट सैक्टर के अन्दर इन्होंने टेण्डर्स काल किए, एक भी टेण्डर किया नहीं, वे योजनाएं सारी समाप्त हो गयीं। उसके बारे में उन्होंने कोई प्रकाश नहीं डाला, जबकि दूसरी तरफ कहते हैं कि 52 प्रतिशत व्यय करेंगे ऊर्जा के क्षेत्र में।

मैं आज इस बात की ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी कि अगर हम कानून-व्यवस्था को देखते हैं तो मुख्य मंत्री जी ने जयपुर और जोधपुर में पुलिस आयुक्त प्रणाली की घोषणा की। यह मान रहे हैं कि मात्र आयुक्त बना देने से अपराधों पर नियंत्रण हो जाएगा। लेकिन अगर देखें तो अवैध बांग्लादेशियों ने जयपुर और उदयपुर को अड्डा बना दिया है। बजट में पुलिस बल के आधुनीकीकरण, पुलिस में मानवीयता एवं संवेदना प्रशिक्षण, भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए कोई भी योजना नहीं बनाई गयी है, इसलिए इस पर भी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी।

साथ ही जो मंदिर निधि से कार्यालय निर्माण के बारे में जो कहा है इन्होंने, वह भी बहुत आपत्तिजनक है, क्योंकि मंदिर निधि जनता के द्वारा मंदिर में श्रद्धा-स्वरूप भेंट की जाती है। इस निधि का प्रयोग अगर मंदिर में निर्माण के लिए किया जाए, अगर दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए किया जाए

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

या धर्म के शिक्षण या प्रचार के लिए किया जाए तो वह बहुत अच्छा लगता। बजट में डेढ़ करोड़ रुपए के देवस्थान आयुक्त भवन का निर्माण इस निधि के माध्यम से करवाना बहुत आपत्तिजनक है। इससे मंदिर निधि का स्पष्ट दुरुपयोग दिखता है।

अगर हम रेडीमेड गारमेंट की बात करे तो रेडीमेड गारमेंट, तैयार वस्त्र जो हैं वे निर्धन और मध्यम वर्ग के लिए हैं, इसको जब लेते हैं तो इस पर आप देखें, 4 प्रतिशत से इन्होंने 14 प्रतिशत वैट बढ़ा दिया। इतना अव्यावहारिक है यह 14 प्रतिशत वैट बढ़ाना कि देश के अन्य राज्यों के साथ में हम लोग किसी स्थिति में कॉम्पिटीशन नहीं कर सकेंगे। हमारा व्यवसाय यहां राजस्थान में बंद होता जाएगा और अन्य प्रदेशों के अन्दर यह व्यवसाय चला जाएगा। तो इसको फिर से 4 प्रतिशत तक ही करना चाहिए।

वीडियो बसों का अगर हम देखें तो यह स्थिति है कि ट्यूरिस्ट परमिटधारी जो बसें हैं, उनकी कर सीमा 25 हजार रुपए से बढ़ाकर इन्होंने 35 हजार रुपए कर दी। अब आप यह मानें कि राजस्थान में चलने वाली करीब 2500 आल इण्डिया ट्यूरिस्ट बसों के मालिकों का और इन पर एक लाख रोजगार प्राप्त लोगों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। अगर दूसरे राज्य को देखे तो उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा इनमें पंजीकृत वाहनों के ऊपर टैक्स मात्र 12 हजार रुपए है, मात्र 12 हजार रुपए और हम इसको 25 हजार से बढ़ाकर 35 हजार कर रहे हैं। यानी हम लोग अपने आप में कहां जा रहे हैं? हमें सरलीकरण करना चाहिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देनी चाहिए जो निर्धन लोग हैं, जो बसों के अंदर ट्रेवल करते हैं, यह सारा भार उनके ऊपर जाएगा। आप देखे फ्लाइट्स का किराया दिन-पर-दिन कम होता जा रहा है, ट्रेन के अन्दर केन्द्रीय बजट कोई किराये में बढ़ोतरी नहीं हुई। लेकिन हमारे यहां पर बसेज के अंदर ट्रेवल करने वाले जो मध्यम परिवार के लोग हैं उनके ऊपर इतना ज्यादा जो टैक्स बढ़ाया है, उस टैक्स की वजह से टिकट्स महंगे हो जाएंगे और इसका पूरा असर यहां की जनता के ऊपर आयेगा। महंगाई के इस दौर में यह एक और महंगाई इन्होंने बढ़ाने की बात की है।

श्री सभापति: आप प्लीज समाप्त करे।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): बिलकुल मैं समाप्त करती हूं। एक सिर्फ लास्ट पाइन्ट।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

बी.पी.एल के बारे में मुझसे पूर्व सत्ताधारी दल के जो मैम्बर्स हैं उन्होंने बात कही कि बी.पी.एल की लिस्ट जो है उसका री-सर्वे होना चाहिए। मैं उसी बात को आगे बढ़ाती हूं क्योंकि 2002 में जो बी.पी.एल सूची का सर्वे हुआ, उस 2002 बी.पी.एल की सूची में नाम तो आ गया, उनके बी.पी.एल के कार्ड तो मिल गये, लेकिन वह सुविधा जो बी.पी.एल. की मिलनी चाहिए, उस सुविधा से वह वंचित हैं। केवल बी.पी.एल. कार्ड्स इश्यू कर देना ही काफी नहीं है, बल्कि जो 2002 की बी.पी.एल. सूची में आये हुए नाम हैं, उन सबको दूसरी सुविधा मिलनी चाहिए। चाहे मेडिकल फैसेलिटी के संदर्भ में हो, चाहे दूसरी सारी फैसिलिटी के संदर्भ में हो, वह सब उन्हें मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सुरेन्द्रसिंह जाड़ावत।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने 9 मार्च को जो बजट पेश किया उसके पक्ष के अन्दर विचार रखूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप तो निष्पक्ष हो, निष्पक्षता की बात रखना।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): हां, बिलकुल निष्पक्षता से ही रखूंगा। करीब 89 पेज के बजट भाषण हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 301 बिन्दु अलग-अलग माध्यम से उन्होंने राजस्थान की जनता के समक्ष रखे। उसमें से 246 बिन्दु राजस्थान की जनता के लिए ऊर्जा सड़क, चिकित्सा सेवा, सामुदायिक और सामाजिक क्षेत्र के अन्दर, पर्यटन का क्षेत्र का क्षेत्र उनके बारे में थे। अल्पसंख्यकों के क्षेत्र का अन्दर, कला एवं संस्कृति का क्षेत्र इनके बारे में थे। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा जिसको उन्होंने नहीं छुआ हो। सिर्फ 19 बिन्दु ऐसे थे जिनमें व्यापारी जो वर्ग का जिक्र था कर देने वाला एक बहुत बड़ा हमारा तंत्र है उसके व्यापार करने के अन्दर जो परेशानी आ रही थी, उसका उन्होंने सरलीकरण किया। आने वाली रोजमर्रा की जो दिक्कतें थीं, उनको दूर किया और 26 बिन्दुओं पर जो कर लग रहे थे, उसके अन्दर उन्होंने राहत दी है। मात्र 10 बिन्दु ऐसे थे जिसके अन्दर उन्होंने कर लगाया है। और हमारे कई माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि देश की आजादी के बाद यह सबसे बेकार बजट हैं। सभापति महोदय, ऊर्जा का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र हैं कि ऊर्जा पर अभी अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में ऊर्जा का उत्पादन कम

(श्री सुनेन्द्र सिंह जाडावत)

हुआ तो राज्य पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। आज एक घंटा गांव में बिजली जाती है जिसमें किसान का फोन आ जाता है बिजली क्यों चली गयी? तो बिजली की स्थिति आज यह है चाहे उद्योग हो, चाहे शहरी जनसंख्या हों, चाहे ग्रामीण जनसंख्या हो, सारी की सारी बिजली के ऊपर आधारित हैं। इसके लिए हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने 23 हजार 822 करोड़ की योजना का आकार दिया है, जो योजना आयोग ने अनुमोदित की उससे 37 प्रतिशत ज्यादा दिया। उसके अन्दर 52 प्रतिशत तो केवल ऊर्जा के ऊपर ही खर्च करने उन्होंने तय किया। 10 हजार 260 मेगावाट बिजली के उत्पादन का लक्ष्य रखकर हमारे मुख्य मंत्री राजस्थान की जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि जो महती आवश्यकता है उसके अन्दर राजस्थान की सरकार कोई कमी नहीं रखेगी। न सिर्फ कोयला आधारित बल्कि सौर ऊर्जा, बायो मास, पवन ऊर्जा, गैस आधारित ऊर्जा, जिससे भी बिजली का उत्पादन हो सकता है, उन सभी को उन्होंने छुआ है और उसके माध्यम से ऊर्जा उत्पादन का एक लक्ष्य लेकर चले हैं। केवल उत्पादन ही नहीं, उसके साथ-साथ उसका वितरण किस तरह से हो, इसके लिए, सभापति महोदय, 765 केवी के जीएसएस राजस्थान में पहली बार बनेंगे। मेरे अपने क्षेत्र की मैं बताना चाहता हूं आपको कि 33 केवी के 8 जीएसएस अभी हाल ही में मंजूर हुए। 132 केवी के अभी हाल ही में जीएसएस मंजूर हुए। 400 केवी का एक जीएसएस अभी मंजूर हुआ। 132 से 220 केवी जीएसएस क्रमोन्नत करने का भी राजस्थान सरकार ने तय किया। इस तरह से पूरे राजस्थान के अन्दर बिजली का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है ताकि जो बिजली का उत्पादन हो वो किसानों को, व्यापारियों को और उद्योगों को सीधे तरीके से मिले। तो यह एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी फैसला किया है मुख्य मंत्रीजी ने।

उसके बाद सड़क– सड़क एक ऐसा आधारभूत ढांचा है राज्य का कि अगर सड़कें नहीं होंगी तो कोई भी उद्योग लगाने के लिए नहीं आयेगा। जो भी बाहर के पर्यटक आएंगे वो ये देखेंगे कि सड़कों की स्थिति बहुत खराब है, उस राज्य में नहीं चलना चाहिए। हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा की कि 6,646 करोड़ रुपये से पांच हजार किलोमीटर तक की सड़कों का सुदृढ़ीकरण होगा- चाहे राष्ट्रीय राज मार्ग हों, चाहे राज्य मार्ग हों, चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट मार्ग हों। और पांच हजार गांव जो कि ढाई सौ की आबादी के हैं, उनके लिए तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक का एक प्रस्ताव बनाया है और केन्द्र सरकार को भेजा है कि जो ढाई सौ की आबादी के मजरे, ढाणियां रह गयी हैं उन्हें जोड़ा जाए।

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

इसी तरह से, सभापति महोदय, पेयजल हेतु एक जल नीति बनायी है उन्होंने। लगभग 1550 करोड़ रुपये की इस जल नीति के माध्यम से शहरों और गांवों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। 1100 करोड़ रुपये जो राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से मिलते हैं, उसमें से 508 करोड़ रुपये लैप्स हो गये, लेकिन मुख्य मंत्रीजी ने दबाव डाल कर 508 करोड़ रुपये वापस मंजूर करवाये और 1100 करोड़ रुपये हमारी पेयजल योजना को मजबूत करने के लिए केन्द्र सरकार से उन्होंने मंजूरी दिलवा दी है।

सिंचाई योजना – सिंचाई योजना किसी भी सरकार का एक आधारभूत ढांचा होता है। अगर सिंचाई योजना ढंग से नहीं हुई तो, आज जल ही जीवन है जो एक नारा है अगर जल बेकार बह कर चला गया, नहरें अगर टूटी-फूटी हुई हैं तो, सभापति महोदय, आज चुनौती उभर कर सामने आ रही है, अकाल के टाइम पर सबसे बड़ी चुनौती आज पूरे राजस्थान के समक्ष है, सबसे बड़े अकाल के हालात हम फेस कर रहे हैं। इसके लिए जो उन्होंने सिंचाई का एक सुदृढ़ तंत्र तैयार किया है इसके लिए भी वे बधाई के पात्र हैं। हमारे विपक्ष के माननीय नेता महोदय यह कहते रहते हैं कि इसके अन्दर राजस्थान की सरकार ने कुछ नहीं किया। किसानों के लिए कुछ नहीं किया। चौंसठ हजार विद्युत कनेक्शन दे दिये गये, पैंसठ हजार किसानों को। हमने कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। सभापति महोदय, पत्रकारों का किसी ने नहीं छुआ है, इस मुख्य मंत्री ने छुआ है। पत्रकार जो बहुत गम्भीर स्थिति गुजरते हैं, उनको आवास की सुविधा नहीं मिलती है, और सुविधाएं जो वो चाहते हैं वो नहीं मिल पाती हैं। अपनी लेखनी को ढंग से लिख नहीं पाते हैं क्योंकि अभावों के अन्दर हमारे पत्रकार जूझते हैं। उसके ऊपर हमारे मुख्य मंत्रीजी गये हैं। फिर भी कहते हैं कि जादूगर हैं और जादू के आधार पर उन्होंने कोई बजट बना दिया। तो, प्रतिपक्ष के नेता महोदय और सभी माननीय सदस्यगण, जादूगर तो वो हैं, इसीलिए मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूं- 'उनकी नजर में कोई तो जादू है जो जिस पर भी पड़ी नजर उनकी वो उनका होकर रह गया।' इसलिए आप लोग उनकी नजर से बच कर रहना। सामाजिक क्षेत्र के अन्दर...

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मंत्री बनाएं।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): मंत्री-वंत्री तो जिसकी किस्मत में होगा वो बनेगा। चिकित्सा के क्षेत्र में भी सभापति महोदय, पूरे राजस्थान को उन्होंने कवर किया है। 26 बिन्दु चिकित्सा के ऊपर उन्होंने राजस्थान की

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

जनता को दिये हैं कि किस तरह ट्रोमा सेन्टर खोले जाएंगे, किस तरह बर्न यूनिट खोली जाएगी, आईसीयू बनाये जाएंगे, किस तरह से बेड अपग्रेड किये जाएंगे, कहां ए ग्रेड का हास्पिटल खोला जाएगा, जयपुर के हास्पिटल में कैंसर और गैस्ट्रो एंटोलॉजी डिपार्टमेंट को कैसे मजबूत किया जायेगा। जो हमारा शिशु अस्पताल है जे.के. लॉन, उसको किस तरह से अपग्रेड किया जाएगा। कहने का अर्थ है कि उन्होंने अपनी ओर से किसी क्षेत्र को छोड़ा नहीं है, हर क्षेत्र को उन्होंने छुआ है। जयपुर जो हमारी राजधानी है, वहां पर काफी समय से कमिश्नर प्रणाली लागू करने की बात की जा रही है, लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए और इच्छा शक्ति उसी व्यक्ति में हो सकती है जो दृढ़ शक्ति के साथ चलता हो। हमारे राजस्थान के बहुत बड़े दो शहर हैं जयपुर और जोधपुर, उसके बाद जिसका नंबर आएगा, वहां पर भी कमिश्नर प्रणाली मजबूत करके और सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि उन्होंने किसी चीज को रखा नहीं है। हर चीज को उन्होंने छुआ है।

अब प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य कहते हैं कि स्कूलें नहीं खोलीं, होस्पिटल अपग्रेड नहीं किये। पूर्व की सरकार ने भी, सभापति महोदय, जाते-जाते स्कूलों को खोला है। मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र में भी 27 स्कूलें आठवीं से दसवीं में अपग्रेड करके गये हैं। अब उसका जवाब मैं बाद में दूंगा कई जगह उन्होंने मिडिल स्कूल भी जाते-जाते खोली, कई जगह पीएचसी को सीएचसी में भी अपग्रेड जाते-जाते करके गये हैं, कई जगह होस्पिटल भी अपग्रेड जाते-जाते चुनावी वर्ष के अन्दर करके गये तो कहने का अर्थ है कि अभी तो 2013 तक हमारे मुख्यमंत्री जी बजट पेश करेंगे और उनको ध्यान है कि जिस तरह से राजस्थान की जनता ने विधान सभा, लोक सभा, पंचायत राज और नगरपालिकाओं में विश्वास प्रकट किया है उस विश्वास को वो समझते हैं कि इन सब चीजों को पूरा किया जाएगा। हमारी भी चिन्ता है हम लोग भी वादा करके आये हैं कि स्कूलें खुलवाएंगे, पीएचसी को सीएचसी में अपग्रेड करेंगे, सब सेन्टर से हम पीएचसी में अपग्रेड करवाएंगे। तो कहने का अर्थ है कि हमारा सबका भी दर्द है, हम भी मुख्य मंत्रीजी के सामने इस बात को अवश्य रखेंगे लेकिन अभी समय शुरू हुआ है, अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, उसकी आवश्यकता है सबसे बड़ी।

आज सामाजिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसका दर्द वो ही सोच सकता है सभापति महोदय, जिसने उसे उसे देखा हो, जिसने जिया हो। मुख्य मंत्री जी

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

के अन्दर गरीबों के प्रति जो संवेदना है वो संवेदना ऐसे ही पैदा नहीं हुई है। मां के आंचल में जब वो पैदा हुए तो जन्म घूंटी के साथ में उनकी मां ने उनको एक ही चीज सिखायी कि तू गरीबों की सेवा करना। उनकी सादगी उनके जीवन का एक अंग है और यही कारण है कि 1998 में जब वो मुख्य मंत्री बने, जब कुछ करने लायक बने, तब गरीब जो तिल-तिल कर मरते थे अपने पैसे के अभाव में बीपीएल में सबसे गरीब तबका आता है, उस गरीब तबके को पूरे राजस्थान में घूम-घूम कर उन्होंने देखा है। या तो सुखाड़ियाजी और शेखावत साहब हर क्षेत्र में हर कोने की भौगोलिक स्थिति को जानते थे या गहलोत साहब पूरे राजस्थान की हर भौगोलिक स्थिति और हर जाति वर्ग को जानते हैं कि कहां गरीबी है, किस क्षेत्र में क्या दिक्कत है तो इस व्यक्ति ने बीपीएल परिवारों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जो कि पूरे देश के अन्दर पहली बार लागू हुई है। सभापति महोदय, यह किसी भी राज्य में पहले लागू नहीं हुआ। आज यह देख करके दूसरे राज्य भी उसका अनुसरण कर रहे हैं और फिर जब 2008 के अन्दर आये 2009 के अन्दर चित्तौड़गढ़ पधारे तब उनका ध्यान आकर्षित किया तो जो बीपीएल परिवार से निकल गये थे, उनको स्टेट बीपीएल मान कर उनको भी फायदा पहुंचाया।

अकाल के अन्दर सभापति महोदय, राजस्थान में किस तरह का मंजर था। उन तीन वर्षों के अकाल के अन्दर जब केन्द्र के अन्दर विपक्ष की सरकार कोई सहायता नहीं दे रही थी उसके बावजूद जूझ कर किसी भी व्यक्ति को भूख से मरने की बात तो छोड़ दो, भूखा सोने तक तो नहीं दिया उस व्यक्ति ने। एक भी पशु को उन्होंने चारे के अभाव में मरने नहीं दिया। यह है उनकी राजस्थान के प्रति सोच जो वो हमेशा कहते हैं कि मैं राजस्थान का ट्रस्टी हूं। मैं राजस्थान का मुख्य मंत्री न होकर के मैं राजस्थान की जनता का ट्रस्टी हूं और ट्रस्टी बन कर काम किया है और आज भी उसी गति को अंजाम दे रहे हैं। सभापति महोदय, आज दो रुपये किलो बीपीएल को, यह किसी सरकार ने फैसला किया? हमारे मुख्य मंत्री ने फैसला किया। आज उन्होंने पेंशन बढ़ाने की बात की है कि 1500 रुपये 75 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले दोनों दंपतियों को मिलेंगे। वृद्धावस्था वालों को उन्होंने कहा कि एक हजार रुपये 75 वर्ष से कम हैं, उनको मिलेंगे। यह उनकी सदाशयता दिखाता है। इसी तरह से विमंदित, वृद्ध, विकलांग, विधवा, मानसिक, कुष्ठ रोगी, एडस के बच्चे उन सबको उन्होंने योजनाओं से

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

(समय : 15.00 बजे)

जोड़ा है। यह उनकी गरीब के प्रति सोच को दिखाता है। जिस तरह से हमारे माननीय कटारिया साहब में जैन दर्शन दिखता है, जिस तरह से हमारे तिवाड़ी साहब में परशुरामजी का ब्रह्म दर्शन नजर आता है, उसी तरह हमारे माननीय मुख्य मंत्री में गांधीजी का दर्शन नजर आता है। आपके कुछ लोगों में राजाशाही का दर्शन भी नजर आता है। सभापति महोदय, मैं अभी दो दिन पहले जब अपने विधान सभा क्षेत्र में गया तब मैंने गरीबों को बताया कि माननीय मुख्य मंत्री यह और करने जा रहे हैं क्योंकि चित्तौड़ के लिये भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। पेयजल योजना स्वीकृत की है धोसूण्डा बांध से करीब 35 करोड़ की। एक ओवर ब्रिज उन्होंने मंजूर किया है। 50 लाख रुपये हमारे बस्सी क्षेत्र के पर्यटन के लिये उन्होंने दिये हैं। अंडर ब्रिज के लिये भी उन्होंने सिद्धान्त: माना है। मेरा निवेदन है, जब मैंने गरीबों को बताया यह पेंशन, यह दो रुपये किलो गेहूं, तब लोगों की जो मन की भावना निकली वह मैं आपको एक शेर में नजर कर रहा हूं ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, हममें तो परशुरामजी आ गये, गुलाबजी में जैन का आ गया, लेकिन बारहठ साहब बिलकुल जिस प्रकार से राजाओं के दरबार में गुणगान करते थे वैसे ही कर रहे हैं।

श्री सभापति: आपको भी तो राजा माना है उन्होंने।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): मैं सही कह रहा हूं, तिवाड़ी साहब। जो माननीय मुख्य मंत्री ने किये हैं अगर नहीं किये हों तो आप पढ़ लेना और मुझे बता देना कि यह चीज नहीं हुई है।

हजारों बरस नरगिस अपने बेनूरी पर रोती है।

बडी मुश्किल से होता है चमन में दीदावार पैदा ।

श्री सभापति: सुभान अल्लाह।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): गरीब के प्रति जो सोच है वह सोच ऐसे ही पैदा नहीं हो जाती, उसके लिये बहुत लम्बा सफर तय करना पड़ता है, जब जाकर पैदा होती है।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): अब मैं ज्यादा नहीं कहते हुए कुछ सुझाव दूंगा।

श्री सभापति: मेरा निवेदन है कि अब आप समाप्त करें।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): मैं बस सुझाव देकर बंद कर रहा हूं। शिक्षा मंत्रीजी जहां भी मेरी बात सुन रहे हों, स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं उनको शीघ्र से शीघ्र पूरा करने की कार्य योजना को अंजाम देवें। अगर हम यह कहते रहे कि यह सरकार खोल कर चली गई, इसने व्यवस्था नहीं की, तो राजस्थान की जनता ने व्यवस्था करने की जिम्मेदारी हम पर दी है। आरपीएससी अगर नहीं करती है तो जो भी कट शार्ट फ़ार्मूला निकलता हो आगे आने वाली सत्र शुरू हो उसके पहले-पहले यह सारी चीजों की व्यवस्था चाहे वह चिकित्सा क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, उसमें अवश्य होनी चाहिये।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा दूसरा सुझाव सरकार को और माननीय मुख्य मंत्रीजी को है कि बजट में सड़कों का तो उन्होंने दिया लेकिन मिसिंग लिंक और पिछले पांच वर्षो में जो सडकें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयी है उनके सुदृढ़ीकरण के लिये कुछ नहीं रखा है। इसलिए उन सडकों का सुदृढ़ीकरण और मिसिंग लिंक सडकों को अवश्य जोडा जाये। सभापति महोदय, एक विधायक कोटा बहुत कम है। 80 लाख रुपये बहुत पहले थे अब बीएसआर रेट बढ गयी, महंगाई भी बढ गयी अब 80 लाख में कुछ भी नहीं होता है। आज हमको इसको बढाना पडेगा जब जाकर हम विधायक जनता ने जो कडी से कडी जोडी है राज्य सरकार जो बजट दे रही है उनसे तो करेंगे ही करेंगे लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो बजट में कवर नहीं होती; वह हम विधायक कोटे से कवर करेंगे। इसलिए विधायक कोटा अवश्य बढ़ाना चाहिये।

सभापति महोदय, चौथा सुझाव है कि 100 यूनिट के ऊपर जो 10 पैसा कर लगाया गया है, इनकी सरकार ने पैट्रोल और डीजल के ऊपर 50 पैसा लगाया था सड़कों के लिये। गरीबों को तो मुख्य मंत्रीजी ने पूरी तरह बचा दिया, लेकिन जो मध्यम तबक़ा है उसको बचाने के लिये भी उपाय करें । इसमें थोडा बढाया जाए 200-250 यूनिट करें, क्योंकि इससे कोई ज्यादा कमाई होने वाली नहीं है। मैंने विद्युत विभाग के अधिकारियों से पूछा तो कोई ज्यादा कमाई इन 10 पैसों से होने वाली नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया अब आप समाप्त करें।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्त्तौड़गढ़): लास्ट। पशुपालकों के प्रति माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत अच्छा रुझान रहा है। अकाल में भी उन्होंने खूब चारा डिपो खोले, खूब सहायता दी। लेकिन इस बार जो वैट में कवर कर लिया है, इससे पशुपालकों के ऊपर चिंता की लकीरें आई हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इसके ऊपर जरूर थोड़ा ध्यान दें। जिस संवेदनशीलता के वह पुजारी हैं उसको ध्यान में रखते हुए कुछ करें। एक ईमानदार मुख्य मंत्री हैं जिन पर न तो सार्वजनिक जीवन में कभी भ्रष्टाचार लगा है, न लगेगा। न ही मंत्रिमण्डल पर लग सकता है क्योंकि जिसका मुखिया पूरी तरह से ईमानदार हो, जिसकी चौकस निगाहें हैं, उसकी चौकस निगाहों में कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। मंत्री को छोड़ दो, हमारी भी हिम्मत नहीं होगी, न किसी नौकरशाह की हिम्मत होगी। इसलिए आप लोग भ्रष्टाचार का बार-बार आक्षेप लगाकर सदन में जो व्यवधान करते हैं, वह माननीय सदस्य नहीं करें। बृज किशोरजी के बारे में जो टिप्पणी हुई, सभापति महोदय, बस एक मिनट ले रहा हूं, मैं अभी क्षेत्र में था तब वहां के परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि परिवहन मंत्रीजी के ऊपर तो कोई छींटा भी नहीं लग सकता, इतना ईमानदार परिवहन मंत्री राजस्थान सरकार का है। विधान सभा में किस तरह के प्रश्न हमारे विभाग के ऊपर उठ गये हैं, कहने का अर्थ है कि ऐसे विवादों से और ज्यादा ......

श्री सभापति: यह भी आपके वाद-विवाद भाषण का हिस्सा है न? अब आप समाप्त करें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा। कृपया समाप्त करें आप।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्त्तौड़गढ़): एक आखिरी ।

श्री सभापति: शेर ?

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): नहीं शेर नहीं बोल रहा हूं। शेर भी कहोगे तो मैं बोल दूंगा।

चमन तुमसे इबारत है, बहारें आपसे जिंदा हैं।
आपके सामने फूलों से भी मुरझाया नहीं जाता।

सभापति महोदय, यह आपको समर्पित है।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): बस एक अंतिम बोल रहा हूं। महंगाई क्यों बढ़ रही है? जब 1998 से 2004 तक एनडीए की सरकार थी तब

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

कच्चा तेल 36 डालर प्रति बैरल था और अब 2004 में जब यूपीए सरकार आई तब 118 डालर प्रति बैरल कच्चा तेल पहुंचा है। महंगाई बढ़ी है लेकिन हमारी सरकार ने महंगाई उन चीजों पर नहीं बढ़ने दी जिससे महंगाई बहुत बढ़ सकती थी। क्योंकि डीजल एक ऐसी चीज है जो परिवहन .....

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें वरना सभापति पर टिप्पणी हो जाएगी। श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, इधर भी नजरें-इनायत करें। दोनों तरफ से 3-3 माननीय सदस्य बोल चुके हैं इसलिए मध्य से भी आप नाम पुकारें तो बढ़िया रहेगा। पहले कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के 2-2 माननीय सदस्य के बोलने के बाद बीच में से बुलाने की व्यवस्था रही है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं तो आपको हमेशा बुलाता हूं, आप थोड़ा-सा पेशेंस रखें, मैं अपने तरीके से। ज्ञानदेव आहूजा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): सभापति महोदय, बड़ी शेरो-शायरी हमारे माननीय सदस्य जाड़ावत साहब सुना रहे थे, मैं भी शुरूआत शेर से करता हूं। आपके चुनावी असत्य भाषणों और वादों पर जनता ने विश्वास कर सारी जनता ने रो-रो कर आंसुओं से टब भर दिया। और मुख्य मंत्री, मंत्री और आप सहित ऐसे +++ निकले कि उसमें नहा कर चल दिये।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): .... मुख्य मंत्रीजी से खुश होकर हाथ पर ठप्पा लगा-लगा कर पेटियां भर दीं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ऐसा है कि मुझे लंकेश का कष्ट नहीं है क्योंकि आपमें कोई राम नहीं है इसलिए आपके लिये मैं अकेला ही भारी हूं, चिंता मत कीजिए। और सुना रहा हूं, जरा सुनिए। राजस्थान में थारा पग भारी, इसका अर्थ गलत निकल जाएगा पैर भारी।

राजस्थान में पड्या थारा पग फेरा
तो राजस्थान में अकाल ने आकर घेरा ।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

बस करते रहते हो तेरा और मेरा

इसलिए राजस्थान में होता है नहीं सुखद आर्थिक सवेरा।

सभापति महोदय, वर्ष 2010-11 का जो बजट रखा गया है माननीय मुख्य मंत्री द्वारा, मैं आपकी सेवा में निवेदन करना चाहता हूं कि यह पूंजीपतियों का बजट है, यह सरमायेदारों का बजट है, यह पूंजीपतियों और जमाखोरों का बजट है। किस प्रकार से राहत दी है, किनको राहत दी है, आंकड़े पहले हमारे साथी लोग बोल चुके हैं इसलिए मैं उसको नहीं बोलूंगा। 96 हजार का घाटा या 42 हजार का राजस्व घाटा, ये सारे आंकड़े प्रस्तुत हो चुके हैं। मेरा नंबर चूंकि बाद में आया है, मैं दो-तीन दिन था नहीं। सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, पेज नंबर 1 पर लिखा है कि जनता ने हमको विधान सभा में जिताया, जनता ने हमको लोक सभा में जिताया, जनता ने हमको पंचायती राज में जिताया, नगरपालिका में जिताया। मैं कहता हूं, बड़ी +++ से इस बात को कहा गया है, आप पता करें हमारे अलवर जिले के कार्यकारी अध्यक्ष से। सभापति महोदय, आप भी अलवर से हैं, आप पता कीजिए, उनके यहां पंचायत समिति में प्रधान कैसे बना। 5 लाख से लेकर 20 लाख तक पंचायत सदस्य और जिला पार्षद गाजर-मूली की तरह बिके। तब बने कांग्रेस के प्रधान और तब बने जिला पार्षद मिलकर जिला प्रमुख, आपका बहुमत आया है, तो आप इसकी जांच कराकर देख लीजिए, पता लग जाएगा कि आप कैसे जीते नगरपालिका में। (व्यवधान) मैंने आपको नहीं टोका। बैठ जाइये।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): तीन जिला प्रमुख आये, वे सही हैं?

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मैंने आपको नहीं टोका। (व्यवधान) नागौर में कैसे बने, बूंदी में कैसे बने, कोटा में कैसे बने? आपने बनवाया न उनको? (व्यवधान) हां, हां, आपने, बड़ा एहसान है आपका।

मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, कठूमर का मैने एक उदाहरण दिया है। मैंने पहले बजट में कहा था, बजट के समय जैसे ही कापी लेकर माननीय मुख्य मंत्रीजी खड़े हुए मैंने उसी समय कहा था, हे महान पुरुष, हे अकाल पुरुष! हे अकाल पुरुष, हे महान पुरुष आपको प्रणाम, सादर प्रणाम, अब रो रहे हो ओर आंसू बहा रहे हैं, 27 जिले अकाल में हैं, 38 हजार समथिंग गांव और ढाणियां अकाल में हैं। कौन लाया अकाल? कौन लाया दुरभिक्षता?

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

कौन लाया अभाव ? गाजर खाओ, मूली खाओ और कद्दू को पढ़ाओ, यह नारा लगाने से नहीं जाएगा अकाल । अकाल के पीछे सोच चाहिए। उदाहरण दे दिया। अकाल के पीछे सोच क्या चाहिए। हैण्डीक्राफ्ट में सफेदा और अडूसा को फ्री करेंगे, टैक्स नहीं लगाएंगे। आपकी जीरो स्टडी भी नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, सफेदे का पेड़ वह है जो दलदल का पेड़ है और आस्ट्रेलिया में उगाया गया था। एक घण्टे में छह लीटर पानी लेता है, विदेशी बबूल जो पर्यावरण आने नहीं देता। आपने पर्यावरण को खराब कर दिया। यह लगा मैडम +++ इंदिरा गांधी के समय। सफेदे का पेड़ लगा उस समय और अब सफेदे के पेड़ को आप छूट दे रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो भारतीय संस्कृति की । टोल्ड और मोल्ड कहकर, आप इस रूद्राक्ष पर छूट दे रहे हो। रूद्राक्ष पैदा होता है क्या? भारत में पैदा होता है? राजस्थान में पैदा होता है जो छूट दे रहे हो? यहां तो बिक्री के लिए आता है। रूद्राक्ष जैसी चीज की मजाक आप उड़ा रहे हो, आप मजाक उड़ा रहे हो भारतीय संस्कृति की।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं, शराब के लिए बढ़-चढ़कर बोला हूं पहले बजट में। माननीय वसुन्धरा जी के शासन में दुकानें खुल गयीं, वैसे मैं उद्योग के समय शराब पर और बोलूंगा। कैसे सवा दो सौ करोड़ का आपने गबन किया और आपने शराब के मोटे ठेकेदारों को छूट दी है, उस समय बोलूंगा। इस समय इतना ही कहना चाहता हूं, शाम को आठ बजे दुकान बंद हो जाएगी मेरे पास मूवी है, आप चाहे तो सीडी है, रात के 11-11.30 और 12 बजे तक चलती हैं शराब की दुकानें। +++ आप बंद करने की बात करते हो। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, यह एक्सपंज करवाइये, यह क्या तरीका है? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया विराजिये। मैं व्यवस्था दे रहा हूं, कृपया विराजिये। व्यवस्था दे रहा हूं। माननीय सदस्य, आप ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे जो शब्द आपने अभी कहे हैं। अभी तो मैं एक्सपंज करता हूं, दुबारा कहेंगे तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी। (व्यवधान)

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): यह शब्द वापस लिया जाना चाहिये ...(व्यवधान) आप व्यवस्था दीजिए। मुझे दो मिनट दीजिए, मौका दीजिए मुझे बोलने का। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठ जाइये, व्यवधान न करें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): अच्छा, मैं अपने शब्दों को मूलत: आपके पास से लेकर वापस लेता हूं। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, बड़ी-बड़ी घोषणा हुई पिछले वर्ष उसमें से 19 प्रतिशत भी नहीं कर पाये। हमारे कई माननीय सदस्य बोल चुके हैं । आप यह बताइये खेती और उद्योग में से घोषणा पूरी नहीं हुई, अब उद्योग मंत्री और मुख्य मंत्री यह कह रहे हैं कि नई उद्योग नीति बनेगी। कमाल हो गया, डेढ़ साल पूरा हो गया, अब उद्योग नीति बनाएंगे, तब तक चलते-चलते चले जाओगे कोई रोकने वाला नहीं आपको मिलेगा। हम दुबारा बहुमत में आकर उस तरफ बैठेंगे और आप इस तरफ आकर बैठेंगे।

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): आप आओगे नहीं। आओगे तो ये हार जाएंगे। जब-जब आपका राज, आप वहीं रह जाते हो। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात बहुत अलग तरीके से कहना चाहता। भ्रष्टाचार की बात हम भी बहुत करते हैं और अधिकारियों पर भी आरोप लगाते हैं, मैं बहुत खुली बात कहना चाहता हूं। मेरी चुनौती, पक्ष और विपक्ष दोनों विधायक अगर हिम्मत करें तो अपनी आय से अधिक सम्पत्ति की जांच करवाये। मैं तैयार हूं, मैं सबसे पहले तैयार हूं। आप +++ मेरे साथी और मित्रों में किसी एक पर नहीं कह रहा हूं, मैं तैयार हूं। मेरा अलवर में भी किराये का मकान है और जयपुर में भी किराये का मकान है मैं तैयार हूं, एसीडी से जांच करवायें। मेरी भी करवाइये, आप सबकी करवाइये। आप लिखकर दीजिए सभापति महोदय अध्यक्ष महोदय को। आप जांच करवाइये, खुली किताब है। (व्यवधान) एसीडी से जांच करवाइये, आईबी से जांच करवाइये, सीबीआई से करवाइये। जनता को बेवकूफ बनाते हो। किसानों के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाते हो। इधर आरोप लगाये, उधर आरोप लगाये। मैच फिक्सिंग की तरह से सदन मत चलाइये, अपनी जांच कराइये। यह मैच फिक्सिंग का खेल नहीं चलेगा, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जांच कराइये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मैं तो बोला ही नहीं साहब 15 दिन से।

श्री सभापति: नहीं, आप समाप्त कीजिए। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपको निवेदन है मेरी भी जांच कराइये, सब की जांच कराइये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक तो आप मेरा निवेदन सुन लीजिए, आप सदन में वाद-विवाद में हिस्सा ले रहे हैं न कि भाषण दे रहे हैं अपने क्षेत्र में। आपके शब्दों के इस्तेमाल के ऊपर थोड़ा-सा काबू रखें आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ऐसा है, कड़वी बात आपको नहीं लगनी चाहिए।

श्री सभापति: आपने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अभी भी किया है, आप उस पर थोड़ा काबू रखिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ऐसा है, आप जितना कहेंगे मैं तो स्वीकार करूंगास लेकिन यह कोई शब्द गलत नहीं बोले। (व्यवधान)

श्री सभापति: अलवर जिले का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्यों नहीं मिला गुर्जरों को आरक्षण, बताइये आप? क्यों नहीं मिला, क्या है आपकी इच्छाशक्ति? दुबारा करंट आंदोलन चलने वाला है। डाक्टर जितेन्द्र सिंहजी को सौंप दिया कि कर्नल बैंसला से बात करें। आपके मन में खोट है इसलिए आप पर चोट है, अब नहीं मिलेगा आपको वोट है, मैं आपको बता रहा हूं। गुर्जरों को एसटी में लीजिए, हम लोग तैयार हैं। गुर्जरों की विशेष ओबीसी तैयार की थी माननीय वसुन्धराजी ने क्यों नहीं भेजी सूची में? आप क्यों होने दे रहे हैं आंदोलन? तब तो बड़े-बड़े आरोप लगाये थे, बड़ी-बड़ी बातें कही थीं। अब जांच के लिए मैंने कहा तो सभापति महोदय ही नाराज हो गये। मत कराइये जांच, लेकिन मैं चाहता हूं ईमानदारी से। मेरी जनता को सदन के माध्यम से धन्यवाद दे रहा हूं, भाषण नहीं है, जातिवाद से ऊपर उठकर, मेरी जाति का एक भी वोट वहां नहीं है। आपकी हिम्मत है अपनी जाति के बिना चुनाव लड़ सको, आप सब अपने जातिवाद में गिरफ्त होकर चुनाव लड़ते हो ओर पैसा बर्बाद करते हो। जनता कहती है मेरा पैसा बर्बाद, आपको पता है, जनता करती है मेरे लिए खर्च और जातिवाद से ऊपर उठकर चुनाव लड़ता हूं, इसलिए मैंने जांच के लिए कहा, आपको बुरा लगा क्षमा चाहूंगा। आप यह बताइये, गुर्जरों को आरक्षण क्यों नहीं दिया? मैं समर्थन करता हूं कि गुर्जरों को एसटी में लिया जाना चाहिए, लिया जाना चाहिए। और नहीं तो विशेष ओबीसी की फिलहाल वहां से शुरूआत करते। आपको डेढ साल हो गया वैसे तो अभी तक एमएलए कोटा ही नहीं आया। पूरा चालीस लाख अब गया। सभापति महोदय, आपको तो पूरा पता है। वह चालीस लाख पहले साल उपयोग नहीं हुआ यह भी नहीं हुआ,

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

किस मद की बात करते हो आप, किस व्यय बजट की बात करते हो? एमएलए कोटा नहीं गया, आपका भी नहीं गया, मेरा भी नहीं गया, आप किस बजट के क्रियान्वयन की बात करते हो? मैं कहना चाहता हूं सत्तारूढ़ पार्टी से, सरकार से। सभापति महोदय, मैं आपको और निवेदन करना चाहता हूं, पानी के लिए कहा है, पानी का सारा डिपेंड सड़क का सारा डिपेंड यह सड़कों के बारे में जो कहा...

श्री सभापति: माननीय सदस्य कृपया समाप्त करें, इससे पहले कि घंटी बजे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): घंटी एक-दो बार बजा लीजिए लेकिन मुझे बोलने दें।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें, बस दो मिनट।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): सड़कें बना दीं और सड़कों को कागजों में रोशन कर दिया। सड़कें बनी नहीं वैट घोषित कर दिया।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): माननीय सदस्य, आप गुर्जर-मीणाओं को फिर लड़ाने की बात कर रहे हो। उनका हक लेने की बात करो आप। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मीणाओं का कोई नुकसान नहीं हो।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): आप क्यों बात कर रहे हो?

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मीणाओं का कोई नुकसान नहीं है। (व्यवधान)

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): हमारी सरकार में एक-डेढ़ साल हो गये, न तो गुर्जर लड़ रहे हैं और न मीणा लड़ रहे हैं आप क्यों फालतू बात कर रहे हो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): गुर्जर से ऊजड़ भली, ऊजडं से बनी उजाड़। कितने पिछड़े हैं, मैं इसलिए समर्थन कर रहा हूं उनका। (व्यवधान)

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सही स्थिति कर दी गुर्जर-मीणाओं की ...(व्यवधान) आप इस बारे में मत बोलिए, आपने तो गुर्जरों को मरवा दिया, ऐसे कह-कहकर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मैं आपका आरक्षण नहीं कटवा रहा हूं, मैं उनको सुविधा देने की बात कर रहा हूं। पाजिटिव बात बोल रहा हूं नेगेटिव नहीं बोला। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, यह पेड़ों का कहा, हरित

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

क्रांति कहकर कितने पेड़ लगे, कितने नहीं लगे, 100 प्रतिशत पेड़ सूख गये। उजड गया जंगल पूरा रातों-रात पेड़ कट रहे हैं ओर उन पेड़ों की कोई रक्षा करने वाला नहीं है। पहले से देशी पेड़ हैं और आप कह रहे हैं हरित क्रांति।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): कौनसी हरित क्रांति? तुच्छ राजनीति की बात करते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मौलिक विचार आ रहे हैं अभी तो।

श्री सभापति: देखिये, मुझे आपकी सिफारिश नहीं चाहिए, सचेतक महोदय।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं, जहां तक रोजगार व श्रम की बात है, डोमेस्टिक महालाओं की रक्षा करेंगे। अब उसके अलावा बाकी श्रमिकों के लिये क्या किया है? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं आपकी तरफ मुखातिब होकर निवेदन कर रहा हूं कि कृपया समाप्त करें, एक मिनट के अन्दर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): लाखों श्रमिक, बाल श्रमिक...

श्री सभापति: आपकी बात मैंने बहुत पेशस से सुनी है, सिर्फ एक मिनट दे रहा हूं आपको।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): एक मिनट में तो 60 सैकिण्ड होते हैं, साहब। माननीय सभापति महोदय, लाखों बाल श्रमिक काम कर रहे हैं, बाल अधिनियम के तहत उल्लंघन हो रहा है लेकिन आपकी सरकार कुछ नहीं कर रही है। न मिनिमम वेज है। वैसे श्रम के दिन बोलूंगा, लेकिन आपने गरीबों का निवाला छीना है। आप कोई कानूनी दृष्टि से श्रमिकों की रक्षा करते नहीं हैं। आप किसानों के, मजदूरों के सबके विरोधी होकर चल रहे हैं। यह बजट जिसमें खाना-पूर्ति के अलावा कुछ नहीं है, आप खुश हो रहे हैं। तालियां बजा रहे हैं, टेबल पीट रहे हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, खाद्य विभाग के भी घोटाले हैं। लेकिन सभापति महोदय का अनुशासन मानकर मैं बैठूंगा। आपको बताऊंगा मैं कि आपने किस प्रकार से टेण्डर के नाम पर पांच करोड़ रुपया इकट्ठा किया है, आटा पिसाई के नाम पर। उसके बारे में भी आगे

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

बोलूंगा डिमाण्ड पर। आप इस तरह की बात कर रहे हैं, कौनसी ईमानदारी की बात कर रहे हैं। चारों तरफ भ्रष्टाचार है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट मेरे क्षेत्र के लिये बोल दूं, साहब, एक मिनट में।

श्री सभापति: बिलकुल नहीं। श्री ओम जोशी। मैंने आपसे तीन बार निवेदन किया, अब आप बैठ जाइये। श्री ओम जोशी।

श्री ओम जोशी (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार का वर्ष 2010-2011 का बजट परम श्रद्धेय श्रीयुत् अशोकजी गहलोत, माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। मैं इस बजट इसमें निहित श्रेष्ठ सच्चाइयों के सम्बन्ध में आपकी आज्ञा से अपनी बात कह रहा हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने अनुभव, भारतीय सोच से, और बरसों गरीब के जो हालात उनके द्वारा देखे गये हैं, उन सब हालात को मद्देनजर रखते हुए गरीब को गणेश मानकर, नर में नारायण चिह्नित करते हुए प्रत्येक वर्ग में, चाहे वह बी.पी.एल. के लोग हैं, चाहे वह मध्यम परिवार के लोग हैं, सभी को; स्त्री हो, पुरुष हो, विकलांग हो, अपंग हो, सभी को एक दायरे में लेते हुए राजस्थान में सुव्यवस्थित सुशासन के माध्यम से कुछ देने के लिये इस बजट को रखा है। माननीय सभापति महोदय, विपक्ष के द्वारा इस बजट के सन्दर्भ में कई प्रकार की आलोचना की दृष्टि से ही आलोचना की गयी। जो वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्होंने आंकड़ों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया, और यह बात बताने की कोशिश की कि बजट में प्रस्तुत जो सभी बातें हैं, वे असत्य हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, हकीकत यह है कि जो धरातल पर तकलीफ है, उसको उजागर करने के लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सोच रखी। उस बड़ी सोच को कैसे जनता के समक्ष छोटा बनाने की कोशिश की जाए, उसके लिये आंकड़ों का मायाजाल रचा गया। किसी भी क्षेत्र को हम ले लें, उसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पीड़ा को समझने की सदैव कोशिश की है। वर्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी योजना जो घोषित की गयी है, वह अपने आप में किसानों के लिये एक उपलब्धि होगी। मौसम बीमा योजना को पूरे राजस्थान में लागू करने से अकाल पीड़ित लोगों को समय पर बीमे का लाभ मिलेगा। पिछले सत्रों के दौरान मौसम बीमा पर आधारित कुछ कमियों के बारे में ध्यान आकर्षित किया गया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि

(श्री ओम जोशी)

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मौसम का प्रभाव और उसका आकलन सही तरीके से हो इसके लिये इसरों के माध्यम से तीन सौ मौसम केन्द्र, स्थापित करने का इस बजट में प्रावधान रखा है। वह किसानों के हित में साबित होगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी सदैव इस बात के हामी रहे हैं कि जो बात उनके मुंह से सदन के समक्ष और जनता के बीच में निकले, उस बात को पूरा किया जाए। पिछले बजट का अगर हम आकलन करें तो, मैं पूरे राजस्थान की बात तो नहीं करता, लेकिन मैं मेरे क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जो भी बातें माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जनता के सामने रखीं, उनको पूरा करने की कोशिश की गई। हमारा पिछड़ा इलाका है, पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र अकाल का इलाका है, उस क्षेत्र में सिंचाई की परियोजनाएं हैं, वहां ट्यूबवैल्स के माध्यम से खेती का कुछ विस्तार हुआ है। 2003 तक मुख्य मंत्रीजी पहले काल में विराजते थे तो एक घोषणा की थी कि फलौदी को पूर्ण कृषि मण्डी घोषित किया जाएगा और उन्होंने उसके आदेश भी जारी किये। मुझे दुःख है, प्रतिपक्ष के उप नेता विराजे हैं, उनको जानकारी देते हुए कि 5 वर्ष तक वह बात लटकी रही। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी का कि जब भी उन्होंने शासन सम्भाला तो अपनी उस बात को, जो बात उन्होंने 5-6 साल पहले कही थी, कार्य में परिणत करते हुए फलौदी को मुख्य कृषि मण्डी घोषित किया। ऐसी ही घोषणा..

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): फलौदी को जिला।

श्री ओम जोशी (फलौदी): मैं इस बारे में भी आऊंगा। अभी बात करूंगा आपसे और आपको मैं शामिल रखूंगा उस जिले में। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिला स्तर की सुविधाएं, चूंकि बाबूसिंहजी ने यह बात उठा दी है तो मैं पहले ही बात को कह देता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने जिला स्तर की सुविधाएं देने की बात उस समय की, उसकी भी पालना हुई और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर का पदाधिकारी वहां पर नियुक्त हो चुका है पद स्वीकृत होने के बाद। निरन्तर हमारा क्षेत्र अग्रसर हो रहा है कि जिले जैसी सुविधाएं वहां पर किस तरीके से प्राप्त हों।

इस बजट में ऊर्जा के क्षेत्र में जो बहुत बड़ी उपलब्धि हमें मिली है वह आपके समक्ष, आपके माध्यम से सदन को बताना हमारे लिये प्रसन्नता का विषय है, बताना आवश्यक है। ऊर्जा के क्षेत्र में 52 प्रतिशत बजट दिया गया है, उसमें सौर ऊर्जा को जो आधार बनाया गया है। गैर परम्परागत सौर

(श्री ओम जोशी)

ऊर्जा हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है। सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिये भूमि की बहुलता की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप सुनते हैं हमेशा, गर्मियों के दिनों में हमारा रेगिस्तानी इलाका 50 डिग्री सेल्शियस की गर्मी से जूझता है। सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, इस लक्ष्य से हमारे अकाल के क्षेत्र में जूझते हुए ग्रामीणों के चेहरों पर रौनक आ गयी है, क्योंकि हजारों हैक्टेयर भूमि पर ऐसी कई परियोजनाएं आने वाले समय में बाप पंचायत समिति क्षेत्र और लगते हुए जैसलमेर जिले में स्थापित होने की पूर्ण सम्भावनाएं हो गयी हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी का इस घोषणा के लिये कि ऊर्जा के उत्पादन में सौर ऊर्जा को उपयोग में लेने की बात सोची है, बहुत-बहुत साधुवाद देना चाहता हूं।

अल्पसंख्यक समुदाय के जो युवक आगे आकर कुछ तकनीकी ज्ञान, सीखना चाहते हैं, पांच आई.टी.आई. केन्द्र स्थापित करने की घोषणा हुई है, हमारे क्षेत्र में काफी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं। इस योजना का हमें पूर्ण लाभ होगा और मैं यह भी आशा करता हूं कि बाप क्षेत्र जो कि पंचायत समिति मुख्यालय है, वहां ऐसा आई.टी.आई. केन्द्र स्थापित होगा।

माननीय सभापति महोदय, बजट के आंकड़ों के माध्यम से यह बताने की कोशिश की गई, हमारे विद्वान माननीय सदस्य, चाहे वह झोटवाड़ा से पधारते हैं, चाहे तारानगर से पधारते हैं, उन्होंने हमेशा यह कोशिश की कि जो बजट में आंकड़े दिये गये हैं, वे असत्य साबित हों।

लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हाकिम तो बदलता है, हुक्म नहीं बदलता। उस हुक्म की पालना करनी पड़ती है। पिछली सरकार ने जिस तरीके से वित्तीय अनियमितताएं कीं, जिस तरीके से बजट के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए केवल वोट प्राप्ति के लिए घोषणाएं की थीं, जो उनके द्वारा आर्थिक पाप किये गये थे, वे आज हमारे लिए पीड़ादायक बने हैं। मैं आपके माध्यम से एक छोटा-सा उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं, माननीय नेता प्रतिपक्ष का ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री पधारीं, पांच तालाबों की झील बनाने का एक निर्देश जारी किया। आनन-फानन में 2007-2008 में उस झील के निर्माण के लिए साढ़े तीन करोड़ की योजना बनी। वित्तीय स्वीकृति जारी हो गयी, तकनीकी स्वीकृति

(श्री ओम जोशी)

जारी हो गयी। सब कुछ जारी हो गया। कार्य-आदेश जारी हो गया और आधा-अधूरा काम हो गया। जब मैंने इस बात की जानकारी चाही कि यह काम अभी बंद क्यों है तो, यह जानकारी पूर्ण रूप से आपके अवलोकनार्थ मैं प्रस्तुत कर सकता हूं, इसमें बताया गया कि तत्कालीन सरकार द्वारा यह जो सब योजना बनायी गयी उसके वित्त पोषण की कैसे व्यवस्था हो, यह सुनिश्चित ही नहीं किया गया, तो यह कितनी बड़ी अव्यवस्था हो सकती है, इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसी अव्यवस्थाओं को धारित करने वाले माननीय सदस्य इस सरकार पर जो आरोप कर रहे हैं, वे उचित नहीं हैं।

मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जो स्थिति इन्होंने पैदा की है उसमें सुधार आप ही करेंगे, इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी से आशा करता हूं कि उस झील का निर्माण बजट की व्यवस्था करके सुनिश्चित कराएंगे।

एक खास बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय की मांग हमारी बहुत पुरानी थी। वर्षों पहले की थी। तत्कालीन मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी शेखावत ने उसकी घोषणा भी की थी लेकिन कॉलेज नहीं बना था। जब पिछली सरकार हमारी आयी तो फलौदी में राजकीय महाविद्यालय बनाने की घोषणा की गयी, लेकिन मुझे इस बात को व्यक्त करते हुए दु:ख होता है कि पिछले पांच वर्ष तक उस राजकीय महाविद्यालय का न तो भवन बनाने के कोई प्रयास किये गये और न ही उसमें एक भी सीट बढ़ायी गयी। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी का, शिक्षा मंत्रीजी का, उच्च शिक्षा मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस सत्र में उस महाविद्यालय का न केवल भवन पूर्ण होने जा रहा है बल्कि इसी सत्र में करीब 200 से अधिक सीटें जो छात्र पढ़ने से वंचित रहते थे, वे सीटें स्वीकृत की गयीं। मैं इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

श्री सभापति: कृपया थोड़ा संक्षेप में करें।

श्री ओम जोशी (फलौदी): मैं एक बिन्दु पर बात करते हुए मेरी बात पूरी कर दूंगा।

मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारा क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है और मेरे जो दूरस्थ गांव हैं विधान सभा क्षेत्र के- नूरे की बुर्ज, भड़ला और बारू, वे जिला मुख्यालय से करीब 250 किलोमीटर दूर पड़ते हैं। उस क्षेत्र के व्यक्ति को

(श्री ओम जोशी)

जिले के कामों के लिए जाने में काफी व्यवधान होता है। इसके लिए निरन्तर मांग हमारे क्षेत्र से उठी और उस मांग के लिए निरन्तर प्रयास किये गये। पूर्ववर्ती सरकार में आश्वासन भी हुए। जब हमारी सरकार थी, सरकार का यह संकल्प था, ऐसी सोच थी कि फलौदी का विकास त्वरित गति से हो। इसके लिए तत्कालीन सरकार के समय हमारे वहां के पूर्व विधायक रहे हैं और स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं- बाल कृष्णजी थानवी, वह आमरण अनशन पर बैठे तो बी.डी. कल्ला साहब पधारे थे और यह आश्वस्त किया था कि जिले की जो प्रक्रिया है उस पर सरकार गौर करेगी। चूंकि उस समय परिसीमन आयोग की पाबंदी थी इसलिए उसमें कार्यवाही नहीं हो सकी। पिछली सरकार के समय जब तिवाड़ीजी की सरकार थी तो माननीय मुख्य मंत्रीजी जिन्हें इधर की ओर से महारानी नाम से सम्बोधित किया जाता है, फलौदी पधारी थीं। उनका जोर-शोर से स्वागत हुआ, उनका अभिनंदन हुआ। उस समय भी माननीय बाल कृष्णजी थानवी मरण-शय्या पर थे और यह घोषित कर चुके थे कि मैं फलौदी को सीमांत जिला बनाने के लिए आमरण अनशन करूंगा। तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्रीजी महारानीजी के हाथ-पांव फूल गये। आयोजन तय हो चुका था किन्तु किस तरह से यह टाला जाए। वे आयीं। बहुत ही सोफेस्टिकेटेड तरीके से उन स्वतंत्रता सेनानी के प्रति पूर्ण सम्मान व्यक्त करने की कोशिश करते हुए उनकी शय्या के पास बैठीं कुर्सी लगाकर और यह विधिवत् रूप से घोषणा की कि जब भी राजस्थान में जिला बनेगा तो फलौदी पहला जिला बनेगा। लेकिन परिणाम आपके सामने है। जो भी उन्होंने कथनी रखी उसको करने में कभी परिणत नहीं किया। इस विषय पर मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जब मुख्य कृषि मंडी घोषित हो रही है और बन चुकी है, उसका गठन हो चुका है, अभी एडिशनल एस.पी. की पोस्ट हो चुकी है और हम जानते हैं, पूरा इलाका जानता है कि फलौदी को अगर एक सीमांत जिला बनाया जाता है तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का, जो पिछड़ा क्षेत्र है, त्वरित गति से विकास सम्भव है, तो मैं आशा करता हूं कि हमारे माननीय जवाबदेह, संवेदनशील और खास तौर से फलौदी क्षेत्र के प्रति स्नेह रखने वाले मुख्य मंत्रीजी इस विषय में आने वाले समय में निश्चित रूप से एक आशावादी और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखते हुए फलौदी को सीमांत जिला कैसे बने, इस ओर आगे अपनी कार्यवाही कराएंगे। अभी इस बात की भी मुझे जानकारी है कि जनगणना के कार्य की वजह से नये राजस्व गांव, तहसील और जिला बनने में दिक्कत तो है लेकिन

(श्री ओम जोशी)

मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर इस प्रक्रिया को जो एक लम्बी प्रक्रिया होती है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। अब समाप्त करें।

श्री ओम जोशी (फलौदी): इस प्रक्रिया को अगर अभी से प्रारम्भ रखकर कार्य रूप में परिणत करने का प्रयास किया जाए तो मेरा अनुरोध है। माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी का व्यक्तित्व अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उन्होंने हमेशा गांधीवादी सोच रखा है, उसके लिए वे हमेशा समर्पित रहे हैं जनता के लिए। उन्होंने वर्षों का अपना जीवनकाल जनता को समर्पित करते हुए सेवाएं दी हैं। उनका जो व्यक्तित्व है वह एक समुद्र की भांति है। उस समुद्र में तूफान होता है, महात्मा गांधी ने कहा है समुद्र में तूफान होता है लेकिन समुद्र हमेशा शांत रहता है। शांत रहते हुए जो समुद्र के भाव हैं, सबको लेकर चलना, उस भाव को लेकर वे चलते हैं।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत इस बजट पर बहुत सारे बिन्दु हैं, किन्तु आपकी समय सीमा है। मैंने बोलने के लिए पर्ची के माध्यम से भी प्रयास किया, 295 जब लगाये तो वे पढ़े हुए मान लिये गये, इसलिए इस सत्र में बोलने का मौका नहीं मिला।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री ओम जोशी (फलौदी): आज आपने मुझे मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। यह शानदार बजट, गरीब के भले का बजट, आम आदमी के हित का बजट, राजस्थान को विकास की ओर ले जाने वाला बजट, नवीन राजस्थान स्थापित करने वाला बजट है, इस बजट में जो नई अवधारणाएं, नवाचार स्थापित किये गये हैं, उनका पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं और माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

श्री सभापति: श्री अमराराम। दो मिनट बोलेंगे आप। दो मिनट आप। (व्यवधान) वह आप फैसला कर लें अगर ऐसी सोचते आप तो, मुझको कोई एतराज नहीं है। आप दो मिनट बोलेंगे।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, बजट मैं समझता हूं सरकार का दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है। हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने वित्त मंत्री की हैसियत से इस सरकार का जो दूसरा बजट रखा है, तय रूप से वह किसान, मजदूर, विद्यार्थी, नौजवान और गांव विरोधी बजट है। जिस

(श्री अमराराम)

सरकार के मुखिया को, वित्त मंत्री को यह पता नहीं हो और जिन चीजों पर सेण्टर टैक्स लगा सकता है वह टैक्स भी इस हाउस में अगर वित्त मंत्री लगा दें तो उस बजट में कितनी सत्यता होगी, क्या उसका हश्र होगा? मैं समझता हूं कि उनकी घोषणा से राजस्थान की आम जनता को गेहूं पर दो रुपये किलो का जब तक वापस नहीं ली गयी, जब तक दो रुपये प्रति किलो के हिसाब से अधिक चुकाना पड़ा। हमारे संसदीय कार्य मंत्रीजी कह रहे थे, स्पष्टीकरण दे रहे थे कि इससे जनता को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस सदन की परम्पराओं को वे भी नहीं रखें। मैं समझता हूं कि माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में आज भयंकर अकाल और महंगाई से किसान पीड़ित है। 27 जिलों में अकाल है 100 परसेंट जिस किसान की फसल नष्ट हो गयी, राजस्थान की सरकार ने इस अकाल से मुकाबला करने के लिए केन्द्र की सरकार को 12 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का, ज्ञापन दिया है। अब सात महीने बीतने के बाद सरकार ने आदेश किये हैं 786 करोड़ रुपया आदान केन्द्र सरकार का राजस्थान सरकार के खजाने में पड़ा है। सर्वे किया जा रहा है कि राजस्थान के केवल लघु और सीमान्त काश्तकारों को दो हजार रुपये प्रति हैक्टेयर के हिसाब से आदान-अनुदान दिया जाएगा। मैं सरकार से जानना चाहता हूं वह किसानों की बात करती है, क्या राजस्थान का केवल लघु और सीमान्त काश्तकार ही अकाल की पीड़ा झेल रहा है? राजस्थान का वह किसान जिसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जो लघु और सीमान्त काश्तकार से बड़ी होल्डिंग वाला है मैं नहीं समझता कि उसको पूरी पर दिया जाए। राजस्थान की यह परम्परा रही है कि किसी भी प्राकृतिक आपदा में सी.आर.एफ. से जब भी मदद दी गयी है, राजस्थान के लघु और सीमान्त काश्तकारों को दो हैक्टेयर तक मदद दी गयी है आदान अनुदान राजस्थान के बड़े किसान को दो हैक्टेयर तक जितना मुआवजा बनता है, उतना देने का काम किया है। लेकिन यह सरकार केवल लघु और सीमान्त काश्तकार को देगी, वह भी आठ महीने बाद।

सभापति महोदय, दूसरा जो फसल बीमा है, आप यह उत्तर देखें, मैं समझता हूं, राजस्थान के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, राजस्थान की सरकार ने अगस्त में राजस्थान के पटवारी और रेवेन्यू अधिकारियों को लेकर राजस्थान की खरीफ की फसल 2009 के लिये पूरे राजस्थान की गिरदावरी करने के बाद राजस्थान में अभावग्रस्त घोषित कर दिया। फसल बीमा के लिये मेरे प्रश्न के उत्तर में सरकार की तरफ से कृषि

(श्री अमराराम)

मंत्रीजी ने उत्तर दिया है कि खरीफ फसल 2009 के अन्तर्गत कृषि बीमा योजना में राजस्व मण्डल द्वारा फसल कटाई प्रयोग के परिणाम एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी को 2010 में समय पर उपलब्ध करा दिये गये हैं। किसान की 100 प्रतिशत फसल नष्ट हो गयी, हमारे राजस्व विभाग ने 2010 जनवरी में क्राप कटिंग के परिणाम फसल बीमा के लिए 6 महीने बाद भेज दिये, वह समय पर है। कृषि फसल बीमा कम्पनी अभी आकलन करके राजस्थान की सरकार और देश की सरकार भी हिस्से के लिये लिखेगी उसके बाद उस फसल बीमा का मुआवजा जब दूसरी 2010 की खरीफ की फसल आएयेगी तब उसको देने की बात करेगी, यह संवेदनशील सरकार है! मैं समझता हूं, राजस्थान के किसान के साथ आज अन्याय हो रहा है। अभी फसल आई नहीं, जो प्याज 15 -20 रुपये किलो बिक रहा था, आज जब किसान का प्याज आया है, वह सीकर की मंडी में दो-ढाई रुपये किलो बिक रहा है। आज सरसों आई नहीं है, जो सरसों 2600 रुपये क्विंटल बिक रही थी, आज उसको 1800 रुपये में कोई लेने वाला नहीं है। आज किसान की जो हालत है, मैं उसको ही कह रहा हूं। इस राजस्थान की नहीं, देश के यू.पी.ए. सरकार ने अमर्त्य सेन की एक कमेटी बनाई कि इस देश की आम आदमी की आमदनी कितनी है। सभापति महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इस देश की 77 प्रतिशत आबादी जो गांवों में रहती है, उसकी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आय है 12 रुपये, देश की ग्रामीण जनता की 77 प्रतिशत आबादी, छह दशक की आजादी के बाद उसकी इनकम है 12 रुपये प्रति दिन। शहर में रहने वाले आम आदमी की आबादी 70 प्रतिशत है, उसकी है मात्र 18 रुपये प्रति दिन। आर.टी.डी.सी. बीकानेर हाउस, सरकार के नियन्त्रण में चलने वाले रेस्टोरेन्ट में एक कप चाय की कीमत है 62 रुपये और राजस्थान की ग्रामीण वे 77 प्रतिशत आबादी है, उसकी रोजाना की इनकम 12 रुपये है, यह हालत है।

सभापति महोदय, दूसरा काम उस गरीब के लिये कर सकते थे, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने तो एक राय से और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने भी बहुत तेजी के साथ उस दो रुपये किलो की मुख्य मंत्रीजी की घोषणा की बड़ी वाहवाही की है। देश की सरकार ने हर बीपीएल परिवार के लिये 35 किलो अनाज देने की घोषणा की है, आज तक लागू है। वे 4 रुपये 60 पैसे के हिसाब से 35 किलो अनाज देते हैं तो उसकी कीमत होती है 161 रुपये और जो सरकार ने घोषणा की है, अभी दे रहे हैं 35 की जगह 25। ।25 किलो 35

(श्री अमराराम)

में से देंगे दो रुपये किलो और 10 किलो लेना पड़ेगा बाजार से, अगर 25 किलो अनाज दो रुपये किलो देंगे तो 50 रुपये में 20-25 किलो आएगा। 10 किलो तो बाजार से लेना पड़ेगा 15 रुपये किलो के हिसाब से उसका देना पड़ेगा 150 रुपये। कुल मिलाकर 35 किलो अनाज ..(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें। आपका टाइम है नहीं, आपने पहले ही ज्यादा टाइम ले लिया है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): समाप्त ही कर रहा हूं। टाइम मेरा तो है, सभापति महोदय।

श्री सभापति: नहीं है, पार्टी का टाइम नहीं है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ): पार्टी का टाइम है, वही तो बोल रहा हूं। सभापति महोदय, जो घोषणा की है 25 किलो गेहूं दो रुपये के हिसाब से 50 और 10 किलो बाजार से खरीदना पड़ेगा, 35 किलो की पूर्ति करने के लिये शुद्ध रूप से उस बीपीएल परिवार को 49 रुपये अधिक देने पड़ेंगे इस घोषणा के बाद, तो क्या उसके लिये बढ़िया काम है? मैं समझता हूं, यह सबसे बड़ा धोखा उस गरीब के साथ किया जा रहा है। सभापति महोदय, यही नहीं किया जा रहा है न्यूनतम मजदूरी जो महंगाई सूचकांक के साथ जुड़ी हुई है और उसके हिसाब से ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें अब आप।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): एक ही मिनट में समाप्त कर रहा हूं, सभापति महोदय। मैं इर्रेलेवेंट नहीं कहूंगा। मैं वही बात कहूंगा जो इस राजस्थान की ...

श्री सभापति: एक मिनट का मतलब एक ही मिनट रखिये आप। चलिये, बोलिये आप।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, राजस्थान की 50 प्रतिशत से ज्यादा आबादी और उसमें विशेष रूप से गरीब और उसमें भी 90 प्रतिशत महिलाएं, जो दैनिक मजदूरी करके अपना परिवार चलाते हैं, आज इस मंहगाई सूचकांक के अनुसार उसकी मजदूरी 203 रुपये होती है। न्यूनतम मजदूरी का इनके घोषणा पत्र में था, इसके बाद लोगों को आशा थी कि गांव का गरीब, जो नरेगा में काम करता है, जो फैक्टरी में काम करता है,

(श्री अमराराम)

राजस्थान की 50 प्रतिशत आबादी मजदूरी के रूप में काम करती है उसकी न्यूनतम मजदूरी ...(व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। आपकी एक मिनट समाप्त हो गयी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, न्यूनतम मजदूरी 100 रुपये पड़ौसी राज्यों में है, केन्द्र सरकार की भी 235 रुपये न्यूनतम मजदूरी है, उस न्यूनतम मजदूरी को नहीं बढ़ाकर इस देश और प्रदेश के पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का काम किया है और गरीब की जेब काटने का काम किया है। 100 रुपये किया गया जब चीनी 15 रुपये किलो थी, अब चीनी 45 रुपये किलो है। जो चाय 100 रुपये थी, अब 200 रुपये हो गयी।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। अब आप कृपया समाप्त करें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, आज जिस तरह से आम आदमी को लूटने का काम किया है, जहां तक पानी का सवाल है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया आप समाप्त करें, माननीय सदस्य ।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मैं एक ही मिनट में कर देता हूं।

श्री सभापति: आपकी एक मिनट हो गयी। श्री टीकाराम जूली।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): यहां आप देखिये, सभापति महोदय, राजस्थान की 20 प्रतिशत आबादी शहरों में बसती है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें आप। अब आपका अंकित नहीं हो रहा है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है। श्री टीकाराम जूली। माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। कृपया समाप्त करें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सदन के वक्त के साथ न्याय करें। कृपया समाप्त करें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बोलिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे यशस्वी और विकास पुरुष मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत साहब को जिन्होंने आम जन को ध्यान में रखकर आम जन के लिए ही बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने आम आदमी, किसान, व्यापारी वर्ग सब लोगों का ध्यान रखा है। मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एशियन डवलपमेंट बैंक से वित्त पोषित योजना जो पन्द्रह शहरों के लिए लागू की है, उसमें पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए अलवर जिला भी शामिल किया है, मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा।

साथ ही साथ मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुख्य मंत्री बी पी एल जीवन रक्षा कोष में जो वृद्धावस्था, विकलांग और विधवा पेंशन प्राप्त करते हैं, उनको भी शामिल किया है। निश्चित तौर पर गरीब व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, अलवर जिले की कलेक्ट्री बहुत पुरानी कलेक्ट्रेट है, ऐसी जगह पर है, जहां आम जन जाता है तो उसको किराये का भुगतान ज्यादा करना पड़ता है और अलवर जिले के पूरे ट्रैफिक को चीरकर जाना पड़ता है, ऐसी सौगात माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने हमें दी है कि मेन रोड पर नयी कलेक्ट्रेट बनेगी जिससे आम आदमी को वहां पर पहुंचने में बहुत ही आसानी रहेगी।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि सी एम साहब ने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ गरीबों के प्रति अपने दिल में दर्द रखते हुए बी पी एल परिवारों को दो रुपये किलो का गेहूं देने की घोषणा कर दिखाई है, अपने आप में अभूतपूर्व प्रयास उन्होंने किया है। खास तौर से बी पी एल के जो परिवार हैं उनको बांटने की दिक्कत आती है क्योंकि समय पर अनाज उपलब्ध नहीं हो पाता है, उससे उनको अनाज उपलब्ध होगा। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यहां मार्बल और मार्बल से बनी हुई चीजों पर वह चाहे चिप्स हो,

(श्री टीकाराम जूली)

चाहे पाउडर हो और चाहे करेजी हो, 14 परसेंट का वैट था उसको घटाकर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पांच परसेंट किया है जिससे व्यापारी ही नहीं आम वर्ग के मध्यम वर्ग के परिवार हैं, वे मकान इसका यूज करते हैं, वे भी इस बात के लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछले वर्ष किसानों के लिए 64 हजार बिजली के कनेक्शन जारी किये जिससे उनकी जो पैडेंसी थी, वह खतम हुई। अब 65 हजार कनेक्शन किसानों को देंगे जिससे किसान जिन्होंने पैसे भर रखे हैं, फाइल भर रखी हैं, उनको हाथों हाथ कनेक्शन मिलेंगे।

मैं खास तौर से कहना चाहूंगा चिकित्सा के क्षेत्र में। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हमारे राजगढ़ में बैड बढ़ाये हैं। अलवर का जो राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय है, उसमें सी एम साहब ने आई सी यू और बर्न यूनिट की स्थापना की घोषणा की है इस बजट में, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही साथ कहना चाहूंगा कि वृद्धावस्था, विकलांग और विधवा पेंशन बढ़ायी है, एक बुजुर्ग व्यक्ति को या विकलांग असहाय व्यक्ति को इससे बहुत भारी फायदा होगा। इसमें पेंशन प्राप्त करने के लिए आम व्यक्तियों को दिक्कत आती है, कभी पटवारी चक्कर कटवाता है और कभी सैक्रेटरी चक्कर कटवाता है, मैं खास तौर से चाहूंगा कि सुविधाजनक इसका फार्म बने। जहां बात यह आती है कि परिवार में कोई आश्रित है या नहीं है, मैं कहना चाहूंगा कि आज के इस युग में जहां अच्छी तनख्वाह किसी का बेटा प्राप्त कर रहा हो और खेती-बाड़ी भी अच्छी हो, लेकिन उसके बाद बुजुर्गों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि इसमें पेंशन का दायरा बढ़ाकर यह नहीं रखें कि उसके परिवार में कमाऊ लड़के हैं या नहीं हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए इसमें पेंशन प्रावधान किया जाए। तो मैं बुजुर्गों के लिए इससे बहुत फायदा पहुंचेगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अल्पसंख्यकों को ध्यान में रखते हुए 2500 अतिरिक्त शिक्षा सहयोगी उपलब्ध कराने की घोषणा की है। एक हजार शिक्षा सहयोगी और बढ़ाये जाएंगे। मदरसों को क्रमोन्नत करने के साथ उनमें पुस्तकालय, कम्प्यूटर, फर्नीचर, दरी और अन्य संसाधन बढ़ाकर पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा का स्तर सुधारने का जो प्रयास किया है वह वाकई काबिले तारीफ हैं। इसके

(श्री टीकाराम जूली)
साथ-साथ अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं के लिए जयपुर में छात्रावास और जहां पर अल्पसंख्यक बहुतायत में हैं, वहां पर पांच आई टी आई खोलने की जो घोषणा की है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। कहना चाहूंगा कि अलवर जिले में अल्पसंख्यक समुदाय की बहुत आबादी है, जनसंख्या ज्यादा है, वहां पर एक आई टी आई अगर आप देते हैं तो बहुत-बहुत धन्यवाद है। खास तौर से अलवर जिले में एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय देने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

मेरे से पूर्व पक्ष-विपक्ष के माननीय सदस्यों ने यहां चर्चा की हरित राजस्थान की। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हरित राजस्थान योजना जो है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने शुरू की है वह उनकी अकेले की स्कीम नहीं है, हम लोगों को सोचना चाहिए कि यह एक ऐसी स्कीम है जिसमें हम सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी हो। अगर आज हम पेड़ लगाते हैं तो अपनी आने वाली पीढ़ी के बारे में हम सोच रहे हैं। आज जिस प्रकार का एन्वायर्नमेंट हो रहा है, सर्दी पर कोई काबू नहीं, गर्मी पर कोई काबू नहीं, उसी तरह, सभापति महोदय, मेरे समय पर भी काबू नहीं है, कृपया आप अलवर का होने के नाते मुझे छूट देवें। मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह का पर्यावरण आज असंतुलित हो रहा है, उसमें हम सब की जिम्मेदारी बनती है। हम भी पेड़ लगाने में सहयोग करें। खास तौर से पेड़ों की अवैध कटाई को रोकें और नुकसान नहीं हो, यह देखें। उसमें हम सहयोग करें, उनको कटने से बचाएं।

सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में आपने एक हजार अतिरिक्त कक्षा कक्ष, दो सौ कस्बूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में से 74 को क्रमोन्नत करने का जो इस बजट में एलान किया है उससे निश्चित तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। मैं कहना चाहूंगा कि एस सी, एस टी, ओ बी सी और अल्पसंख्यक परिवार की दसवीं, आठवीं और बारहवीं कक्षा में जो बच्चियां प्रथम आएंगी उनको इन्दिरा गांधी प्रियदर्शिनी पुरस्कार और दसवीं कक्षा के राजकीय विद्यालयों में मैरिट में आने वाली छात्राओं को विदेश में.....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया आप सहयोग करें समय के साथ।

श्री टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण): ...जाकर शिक्षा प्राप्त करने का जो सपना था, वह निश्चित तौर पर गरीब का सपना पूरा होगा। जो बच्चे दीये की रोशनी में पढ़ रहे हैं, आज उनको सरकार विदेश में ग्रेजुएशन करने के लिए

(श्री टीकाराम जूली)

भेजती है तो निश्चित रूप से उन बच्चों की ओर से आदरणीय गहलोत साहब को धन्यवाद।

मैं खास तौर से पत्रकार बन्धुओं की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आदरणीय गहलोत साहब ने पत्रकारों की आवासीय समस्याओं को देखते हुए जयपुर के समान अन्य नगरपालिका क्षेत्रों में भी उनको भूखण्ड और मकान पर प्राथमिकता देने का निर्णय किया है।

इसके अलावा खास तौर से अलवर जिले में पीने के पानी की समस्या गहराती जा रही है, वह बहुत बड़ी समस्या है। वैसे तो यह समस्या पूरे राजस्थान की है। अलवर के लिए कहना चाहूंगा कि इस समस्या का समाधान तभी होगा जब कोई बड़ी स्कीम बने। चाहे चम्बल का पानी आए या यमुना का पानी आये। जिससे अलवर जिले के लोगों के लिए पीने के पानी की समस्या से निजात मिल सके। हैण्डपम्प और बोरिंग हो रहे हैं, वे समस्या पर काबू पाने वाले नहीं हैं। जब जमीन में ही पानी नहीं है तो हैण्डपम्प और बोरिंग पानी कहां से लाएंगे?

साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अलवर जिला एन सी आर में है लेकिन एन सी आर का हक अलवर जिले को नहीं मिल पाता है। टैक्स और अन्य चीजें एन सी आर के हिसाब से यहां पर देते हैं लेकिन एन सी आर का जो फायदा होना चाहिए, वह अलवर को नहीं मिल पा रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि नरेगा योजना में जो मानीटरिंग हो रही है, उसमें थोड़ी सी कमी है। जिस प्रकार का भ्रष्टाचार बीजेपी के कार्यकाल में हुआ, एक आदत डल गयी लोगों की भ्रष्टाचार करने की, आदरणीय गहलोत साहब ने और हमारे पंचायती राज मंत्री श्री भरत सिंह जी ने जो प्रयास किये हैं, निश्चित तौर पर उनका असर दिखने लगा है। उन्होंने जो सख्ती इस पर बरती है....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण): ...इसमें कन्ट्रोल हुआ है। मैं कहना चाहूंगा कि इस पर और सख्ती की जाए जिससे केन्द्र सरकार की जो योजना है महानरेगा, इसका आम जनता को लाभ मिले। और शुद्ध के लिए युद्ध को आगे बढ़ाया जाए। सभापति महोदय, पुन: मैं आपको धन्यवाद देऊंगा कि आपने मुझे मेरी पूरी बात कहने का हक दिया। जय हिन्द।

(समय : 16.00 बजे)

श्री सभापति: श्री सूरजभान धानका। आप केवल मात्र दो मिनट बोलें कृपया, टाइम नहीं है। बोलिये।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): पांच मिनट तो अलाउड है, दो मिनट ही क्यों दे रहे हैं? पहली बार हैं। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2010-2011 का जो हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट भाषण प्रस्तुत किया है इसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कोई ऐसा पहलू नहीं छोड़ा जो अनछुआ रह गया, फिर भी इसमें विश्लेषणात्मक समीक्षा के साथ अपने सुझाव भी रखूंगा।

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले, हमारा भारत कृषि प्रधान देश है और अर्थ चक्र कृषि पर आधारित है तो मैं यह कहूंगा कि किसान को जितनी ज्यादा सुविधा दी जाएगी, जितने संसाधन उपलब्ध करवाये जाएंगे, निश्चित रूप से हमारा भारत, राजस्थान विकास की गति पर अग्रसर होगा। किसानों के लिए समय पर खाद मिले, बिजली मिले, पानी पर्याप्त रूप से उपलब्ध हो तो आय बढ़ेगी और आय बढ़ेगी तो हमारा राजस्थान निश्चित रूप से खुशहाल बनेगा। कहते हैं कि हरी खेती ज्ञाबण देना मुक पडे तब कयास, किसान का धन ऐसा है जो खुले में रहता है, उसको प्राकृतिक आपदा, रोग, यहां तक कि जब खलिहान में आ जाता है तो अग्नि तक का भय रहता है कि यह जब तक अन्दर नहीं जाए, जब तक सही-सलामत घर के अन्दर नहीं पहुंचे तब तक खतरा ही खतरा है। रात को सर्दी में मरता है, दिन में धूप सेंकता है और जबकि हमारा अधिकारी/कर्मचारी अच्छी-अच्छी जगह ए.सी. में बैठ कर काम करते हैं। किसान को वो सुविधाएं मुहैया नहीं करायी जा रही हैं। तो किसान और कृषि के ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी।

माननीय सभापति महोदय, पशुधन किसानों का सहायक है। अभी जो हास्पिटल क्रमोन्नत किये हैं, चिकित्सा औषधालय ...

श्री सभापति: अब कृपया समाप्त करें। अब आप सहयोग करें। अब कृपया समाप्त करें, आपका टाइम नहीं है अब।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): नहीं, साहब, थोड़ा तो टाइम दो।

श्री सभापति: एक मिनट और बोलिये आप।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): लोगबाग बोल रहे हैं और मेरा नम्बर आने पर ...(व्यवधान) हमारा तो टाइम भी है, साहब।

श्री सभापति: देखिये, सदन के उप नेता साहब को बोलना है, उसके बाद माननीय मुख्य मंत्रीजी भी पधार गये हैं, बोलना है, अब आप जल्दी समाप्त करें।

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली): सभापति महोदय, हमारे टाइम को पता नहीं कौन ले गया, दो घंटे बचे थे, 15 मिनट काम आयी थी हमारी ओनली। (व्यवधान)

श्री सभापति: बोलिये आप। कृपया बोलिये आप, एक मिनट और बोलिये।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): चिकित्सालय में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 750 बैड बढ़ाये हैं, वास्तव में यह स्वागत योग्य कदम है। मैं भी माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि मेरे राजगढ़ क्षेत्र में इन्होंने बैड बढ़ा कर उपकृत किया है।

माननीय सभापति महोदय, ऊर्जा में निश्चित रूप से बढ़ोतरी हुई है। सौर ऊर्जा आसानी से उपलब्ध होती है, मात्र उपकरण से हम प्राकृतिक संसाधन ले सकते हैं, तो इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं।

माननीय सभापति महोदय, नरेगा बहुत अच्छा कदम है, जो हमारे मजदूर, किसान बाहर पलायन करते थे, उनको घर बैठे रोजगार मिल रहा है। भ्रष्टाचार की तो बू हर चीज में आ रही है लेकिन इसमें मानिटरिंग की थोड़ी आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, बी.पी.एल. को दो रुपये किलो के भाव से गेहूं देकर निश्चित रूप से गरीबों को मदद दी है। जो आदमी अपना इलाज नहीं करा सकते थे, कण-कण कर के मौत की तरफ बढ़ते थे, मैंने अपने क्षेत्र से भी काफी सिफारिश की है, मुख्य मंत्री सहायता कोष से काफी मदद मिली है और उनका जीवन बचा है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। कृपया।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): चलो, अगर यही बात है तो मैं ...

श्री सभापति: धन्यवाद। सहयोग के लिए बहुत धन्यवाद।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट घोषणा की है उसमें थोड़ा-सा एक इम्प्लीमेंट चाहूंगा, एक पक्ष अछूता छोड़ दिया। माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि जब हमारे देश में

(श्री सूरजभान धानका)

विदेशी सैलानी आते हैं, जो हर जगह, हर चौराहे पर कटोरा लेकर भिखमंगे खड़े रहते हैं, निश्चित रूप से हमारे देश की, हमारे राजस्थान की छवि खराब होती है। मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से आग्रह है कि जो वास्तव में भिखारी हैं, जो अक्षम हैं उनके लिए कोई ऐसी योजना बनाएं ताकि वो सम्मान की जिंदगी जी सकें। जो काम करने वाले हैं, जो सही-सलामत हैं, उन्होंने अपना धंधा बना लिया तो उनके लिए कोई योजना, जैसे कालीन बुनना, कोई ऐसी योजना खोलें ताकि वो भी सम्मान की जिंदगी जी सकें और हमारे राजस्थान का भी सर गर्व से ऊंचा उठा रहे। धन्यवाद।

श्री सभापति: राजगढ़ में तो सभी राजा रहते हैं। बैठिये, बैठिये।

मेरा उप नेता महोदय से और सचेतक महोदय से यह निवेदन है कि समय की गरिमा को देखते हुए अब यह देख लीजिए आप, आप अगर इनको सब को बुलवाना चाहते हैं तो आपके पास में बोलने का समय कम रहेगा, जिसके लिए हम सब सुनना चाहते हैं आपको। इसलिए अगर आप चाहें तो अभिषेक मटोरिया साहब को दो-पांच मिनट दे दी जाएं, उसके बाद में पांच मिनट आप लें और फिर घनश्यामजी बोलें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, अगर ...

श्री सभापति: आप अगर अपनी व्यवस्था जो है ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मैं नहीं बोलूंगा पर माननीय नये सदस्यों को बुला दें आप।

श्री सभापति: ठीक है। अभिषेक मटोरिया।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): माननीय सभापति महोदय, 9 मार्च, 2010 को मुख्य मंत्री महोदय ने जो बजट सदन के समक्ष रखा, मेरा ऐसा मानना है और ऐसी अवधारणा है कि वो बजट जनता को राहत कम और करों के बोझ तले ज्यादा दबाएगा। उदाहरण और आंकड़ों के साथ यह मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, एक विवाद का विषय हमारे बीच में आया था कि राज्य सरकार ने आम उपभोग की वस्तुओं पर वैट की दर 4 परसेंट से बढ़ा कर 5 परसेंट कर दी। इस पर बहुत बड़ा हंगामा हुआ, सदन का स्थगन हुआ। बहुत सारे इसमें नियम और कानून भी लाये गये। मैं उसकी गहराई में

(श्री अभिषेक मटोरिया)

नहीं जाना चाहूंगा, समय का अभाव है, पर एक अहम बिन्दु मैं चाहूंगा कि आदरणीय सदन के नेता जब इस बात पर स्पष्टीकरण दें तो वो इस बात पर भी गौर फर्माएं। माननीय सभापति महोदय, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 और धारा 15 के तहत राज्य और अन्तरराज्जीय वस्तु अधिनियम में जितने माल एक-दूसरे राज्य से लाये जाते हैं, क्या उनके अधिकारों के तहत राज्य सरकार को यह अधिकार था कि वो सी.एस.टी. के नियमों का उल्लंघन कर वैट की दरों को बढ़ाएं? अगर किसी कारणवश ये बढ़ा भी दिये गये तो कौन-कौनसी वस्तु थी जिन पर बढ़ा दिये गये और किन पर नहीं बढ़ाये गये? अगर घटा दिये गये तो कौनसी वस्तु थी जिस पर घटा दिये या ये सभी केवल वापस घटा दिये? इस बात का स्पष्टीकरण माननीय सदन के नेता दें।

माननीय सभापति महोदय, यह तर्क देना कि दो घंटे के लम्बे अन्तराल के बाद सदन के नेता से चूक हो गयी, मैं इसका खण्डन करता हूं। दो घंटे भाषण देना अपने आप में एक उपलब्धि है, बहुत बड़ी बात है। हम सदन में अगर आधा घंटे भी बोल लें, बड़ी साफ-सी बात है, बहुत सारी गलतियां, बहुत सारे गलत आंकड़े अनचाहे तरीके से हम से निकल जाते हैं, दो घंटे तो बहुत लम्बा टाइम है। मैं इसका स्वागत करता हूं। परन्तु गृह मंत्रीजी द्वारा यह कहना कि तनाव में उन्होंने ऐसा कहा, यह सरासर +++ है। अगर तनाव में यह कहा जाता तो यह बात तब सच साबित होती, तब हम मानते, कि हमारे सदन के नेता बिना पढ़े यह भाषण बोलते। माननीय सभापति महोदय, यह भाषण किस-किस प्रोसेस से छन कर आता है, कितने फाइनेंशल एक्सपर्ट एक-एक शब्द को इस बजट में लिखते हैं, फिर पूरे देश में, प्रदेश में यह बजट जाता है। उसमें साफ लिखा है- 'सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की एम्पावर्ड कमेटी द्वारा', एक्पावर्ड कमेटी एक स्पेशल कमेटी होती है। 'वैट अन्तर्गत लोअर टैक्स रेट 5 प्रतिशत', लोअर टैक्स रेट हमारी 4 परसेंट है हायर टैक्स स्लैब 20 प्रतिशत है, इसके अन्तर्गत इनको 4 प्रतिशत से बढ़ा कर 5 प्रतिशत किया जाता है। अर्थात् यह इसमें दर्शाया गया था, यह इसमें लिखा गया था, यह किसी प्रकार के दबाव में, किसी प्रकार के तनाव में नहीं किया गया। राज्य सरकार की यह मंशा थी और राज्यों के वैट के हिसाब से जनता की जेब से पैसे निकलने का माध्यम बनाया। क्योंकि सीधे तौर पर तो जनता हल्ला करेगी सदन में, विपक्ष भी हल्ला करेगा। और राज्यों का हवाला

(श्री अभिषेक मटोरिया)

देकर चार से पाँच प्रतिशत बढ़ाकर एक अनुमान के मुताबिक 632 करोड़ का बोझ जनता पर डाल दिया जाए, तो यह किसी तनाव में या किसी दवाब में नहीं था। इस बात का स्पष्टीकरण दें। अगर यह बजट में लिखा नहीं होता तो हम शायद इस बात को मान लेते।

सभापति महोदय, 13वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य के जो केन्द्रीय कर हैं उनमें अब 30.5 प्रतिशत के बजाए 32 प्रतिशत हिस्सा दिया जाएगा अर्थात् 1.5 प्रतिशत हिस्सा ज्यादा। यह दिखने में 1.5 प्रतिशत है लेकिन इसको आप करोड़ों में निकालोगे तो बहुत ऊपर राशि पहुंच जाएगी। इसी प्रकार राज्य का राजस्व 12.01 बढ़ गया। मेरा मानना है कि इन अतिरिक्त करों का राज्य सरकार अगर जनता को राहत देने के लिए उपयोग करती तो ज्यादा बेहतर होता।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): माननीय सभापति महोदय, बजट से यह भी आशा की जा रही थी कि पैट्रोल, डीजल की कीमतों में जो वृद्धि हुई है, राज्य सरकार उस पर लगाम लगाने हेतु वैट कम करेगी। अगर भारत सरकार इस बाजार क्षेत्र में सुधार का कार्यक्रम जारी रखती है तो ताजा और नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आने वाले समय में तेल बिक्री करने वाली कम्पनियां तेल की कीमतें निर्धारित और नियंत्रित करने के लिए स्वतंत्र होंगी, अर्थात् कीमतें और बढ़ेंगी। तो इस पर भी मुख्य मंत्रीजी अपना स्पष्टीकरण दें।

एक बहुत बड़ी चूक कहना चाहूंगा, इस बजट के माध्यम से क्योंकि समय कम है, आंकड़े बहुत ज्यादा हैं और बोलना भी काफी है इसलिए मैं एक बात आपके बीच में रखना चाहूंगा। बजट में एक घोषणा हुई पंचायती राज अधिनियम के तहत जिसमें कहा गया कि राज्य के लगभग सत्तर हजार विद्यालयों में खाना बनाने के लिए एक हजार रुपये प्रति माह के मानदेय पर लगभग एक लाख चालीस हजार व्यक्तियों का सहयोग लिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, पर इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपके सामने एक सबूत प्रस्तुत करना चाहूंगा जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है- F. No. 11-2009, MDM, Government of India, Ministry of Human Resources Development, Department of School Education and Literacy, MDM Division. वहां बैठे अधिकारी शायद इस लैटर को पहचानते हैं। To, the Principal Secretary/Secretary of Nodal department, National Programme of Mid Day Meal in schools (NPMDMS) of all the States.

(श्री अभिषेक मटोरिया)

अर्थात् सभी राज्य उसके तहत, इसके क्लाज नम्बर छह में यह स्पष्ट लिखा गया है, ''A separate provision for payment of honorarium to cook-cum-helpers @ Rs. 1000 per month has already been made." अर्थात यह घोषणा पत्र केन्द्र सरकार ने ''The expenditure towards the honorarium of cook-cum-helpers shall be scheduled between the centre and the NER States." एनी अदर स्टेट अर्थात् नार्थ ईस्टर्न रीजन स्टेट, हम एनी अदर स्टेट की कैटेगरी में आते हैं। इसमें स्पष्ट लिखा गया है 90-10 के रेशो से आप इसको बांटेंगे। और यह कब लागू हुआ, सभापति महोदय? ''This should be implemented with immediate effect on 1.12.2009." 1.12.09 को केन्द्र ने यह घोषणा की थी। राज्य सरकार इसको तुरन्त प्रभाव से लागू करे, परन्तु जनता की वाहवाही और ताली लूटने के लिए इसको बजट तक लटकाया गया।

श्री सभापति: आपको सदन में अनुवाद करने की जरूरत नहीं है most of us get English very well. अब आप समाप्त करें। थैंकयू वैरी मच।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): नहीं, सभापति महोदय, मैं तो यह बात बता रहा हूं।

श्री सभापति: समाप्त करें अब आप।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): सभापति महोदय, इसी तरह माननीय सदस्य ने जो वन्य जीवों पर....

श्री सभापति: आसन पैरों पर है, कृपया समाप्त करें। आप पहली दफा बोले हैं, अच्छा बोल रहे हैं, आगे भी बहुत मौका मिलेगा आपको। अब आप सदन की गरिमा और...(व्यवधान)

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): दो मिनट तो दीजिए।

श्री सभापति: चलिए, दो मिनट और बोलिए आप।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज अलाउद्दीन आजाद साहब माननीय सदस्य ने भी वन और वन्य जीवन के संरक्षण पर बहुत बड़ी-बड़ी बातें कहीं पाइंट आफ इन्फार्मेशन और पाइंट आफ आर्डर के माध्यम से, पर वह बात इतनी गम्भीरता पूर्वक नहीं ली गयी। इसी में आज के तथ्य यह स्पष्ट करते हैं- 2006, युवराज नामक बाघ लापता होने से शिकारियों के हत्थे

(श्री अभिषेक मटोरिया)

चढ़ा; 2007- खण्डार रेंज की गिलाई सागर में बाघिन दो शावकों की मौत का कारण बनी; 2008 गुढा वाली बाघिन का शव मिला; 2009- कुण्डेरा रेंज में सात वर्षीय बैड़दा वाली बाघिन की बीमारी से मौत हुई और अब 2010 में दो बाघ शावकों की पुन: मृत्यु हो गयी। सभापति महोदय, हमारे वार्षिक प्रतिवेदन इस आंकड़े की ओर स्पष्ट जाहिर करते हैं कि हमारे राज्य की दो मुख्य परियोजनाएं- बाघ परियोजना रणथम्भौर और बाघ परियोजना सरिस्का में 2008-2009 में राशि का प्रावधान हुआ 679.50 लाख का और इसके विरुद्ध कम हुआ 630.69 लाख, यानि 48.81 लाख रुपये की राशि व्यय नहीं हुई। बाघ परियोजना सरिस्का में 2008-09 में 836.35 लाख का प्रावधान था, इसके विरूद्ध 574.70 व्यय हुआ अर्थात् 2 करोड़ 61 लाख का व्यय नहीं हो पाया। सभापति महोदय, यह बात साफ जाहिर करती है कि किस प्रकार सरकार ने बजट घोषणा करने के बाद उन पर अमल नहीं किया।

इसी के तहत मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, हरित राजस्थान के एक सवाल के जवाब में सरकार ने यह माना कि 2 करोड़ 59 लाख 17 हजार 100 पौधारोपण मय बीजारोपण किया। जिस पर एक अरब चार करोड़ सत्ताइस लाख तेइस हजार रुपये खर्च हुए। अर्थात एक पौधे पर एवरेज 38 से 40 रुपये का खर्चा हुआ। सरकार मानती है, इनका सरवाइवल रेट 23.36 है जो कि वास्तविकता में पानी के अभाव में मात्र 35 से 40 प्रतिशत है।

श्री सभापति: विराजें। मेरा निवेदन है, माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य, मेरा सब से नम्र निवेदन है ....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पांच मिनट में खतम कर देंगे।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप यहां पर बोलने का मौका नहीं देंगे तो क्या बाहर जाकर बोलेंगे? नहीं तो फिर क्या मतलब है? यह कोई बात है, फिर काहे को तैयारी करें?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पांच मिनट के लिए बुलवा लो, साहब।

श्री सभापति: श्री हनुमान बेनीवाल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप पांच मिनट का आपका वादा रखेंगे घड़ी के हिसाब से।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, सदन के अन्दर प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट 2010-11 पेश किया, तीन दिन से उसे बजट पर पक्ष, विपक्ष के कई माननीय सदस्यों की राय आयी, उसको पूरे प्रदेश की जनता ने देखा। पक्ष के विपक्ष के सदस्यों ने मुख्य मंत्रीजी को किसानों के लिए, प्रदेश के नौजवानों के लिए, प्रदेश के कर्मचारियों के लिए और आम आदमी के लिए बजट के अन्दर और प्रावधान रखने की बात कही है। राजस्थान के नौजवान के लिए पिछले बजट के अन्दर 82 हजार नौकरियां देने की बात कही थी, अब 31 मार्च को मात्र 15 दिन बाकी हैं, क्या 15 दिन के अन्दर प्रदेश के मुखिया 82 हजार नौजवानों को राजस्थान के अन्दर रोजगार दे देंगे? यह कभी सम्भव नहीं है। मैं इस बजट को नौजवान विरोधी, गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी, गांव और ढाणी का विकास विरोधी बजट करार देता हूं।

अभी पिछले इण्डिया टुडे के अन्दर पढ़ा, इसी सदन के अन्दर पहले सत्ता पक्ष के विधायकों ने कई आरोप लगाये थे एट पी एम, नो सी एम लेकिन कांग्रेस सत्ताधारी दल कांग्रेस के कई विधायकों ने इण्डिया टुडे के अन्दर यह बोला है कि ए एम हो या पी एम, नो सी एम। मतलब 15-15 दिन तक मुख्य मंत्रीजी सदस्यों को मिलने का टाइम नहीं देते। यह मैं नहीं कह रहा, इण्डिया टुडे कह रही है, जिसके अन्दर यह छपा है। यह पूरी इण्डिया टूडे के अन्दर छपा है ...(व्यवधान) यह मैं नहीं कह रहा इण्डिया टूडे के अन्दर...(व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): यह क्या तरीका है आपका? आरोप नहीं लगाओगे इस तरह से। (व्यवधान)

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): बजट पर बोलो, बजट पर ... (व्यवधान)...

अनेक माननीय सदस्यः बजट पर बोलो, बजट पर बोलो। (व्यवधान)... बजट पर बोलो। (व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): माननीय सभापति महोदय, यह कौनसा तरीका है? (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, इस तरह के अनर्गल आरोप लगाने का क्या तरीका है यह? (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): आपकी नेता तो मंत्रियों तक को नहीं मिलती थीं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया शांति बनाएं।

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): माननीय सभापति महोदय, आप माननीय सदस्य को कहिए कि ऐसे अनर्गल आरोप नहीं लगाएं ये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): पिछले घोषणा पत्र के अन्दर दो प्रमुख घोषणाएं बजट के अन्दर कही गयीं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया शांति बनाए रखें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, कृपया शांति बनाएं, विराजिए आप सब लोग ...(व्यवधान)... कृपया विराजिये, बोलिए आप। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): राजस्थान के अन्दर पूर्ति नहीं की गयी। सभापति महोदय, छप्पन तहसील मुख्यालयों को एस डी एम मुख्यालय बनाने की बात की गयी, प्रत्येक पंचायत स्तर पर ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपना वाद-विवाद जारी रखिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): प्रत्येक पंचायत स्तर पर...(व्यवधान) दसवीं की स्कूलें खुलीं और न ही छप्पन वे तहसीलें जिनको इसी सदन में पिछले बजट के अन्दर एस डी एम मुख्यालय करने की बात की गयी थी। एक भी तहसील मुख्यालय एस डी एम मुख्यालय के अन्दर तब्दील नहीं हुआ, इससे शर्मनाक बात हो नहीं सकती। आपके मंत्रियों के ये हालात हैं कि पिछले तीन दिन के अन्दर दो-दो मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। आज ही का एक वाकया बताता हूं, जब मैं यहां गैलेरी के अन्दर घूम रहा था तो आपके शिक्षा मंत्री जी के एक एम एल ए बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले से जीतकर आये हैं, उन्होंने उनके पैर छुए। पैर छूकर अपना काम करने के लिये वह गिड़गिड़ा रहे थे लेकिन शिक्षा मंत्रीजी उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। अगर पैर छूने हैं तो अपने माता-पिता के पैर छुओ जिन्होंने आपको पैदा करके आज इस मंजिल तक पहुंचाया। शिक्षा मंत्री के पैर छूने से कुछ नहीं होगा, एम एल ए साहब।(व्यवधान) मंत्रियों की सम्पत्ति की घोषणा की बात करते हैं...(व्यवधान)

श्री नगराज (धरियावद): अगर कोई आपसे बड़ा हो तो उसके पैर छूने में कोई गुनाह थोड़े ही है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अभी तक किसी मंत्री की सम्पत्ति की घोषणा नहीं हुई। आज अगर मंत्रियों की सम्पत्ति की घोषणा की बात करें तो इस दीर्घा में बैठे हुए मोटे मगरमच्छ, ये आई ए एस अधिकारी जो पूरे राजस्थान को खा गये, राजस्थान को खोखला कर दिया, इन आई ए एस अधिकारियों की सम्पत्ति की घोषणा भी होनी चाहिये...(व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। कृपया समाप्त करें। (व्यवधान) आसन पैरों पर है। आसन पैरों पर है, कृपया समाप्त करें। देखिये, मैं आपसे कह रहा हूं, आसन पैरों पर है, कृपया समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट, सभापति महोदय। आप मेरे पर कृपा बनाये रखें। कइयों को आपने आधा-आधा घण्टे का टाइम दिया है।

श्री सभापति: आप आसन की तरफ देखें और आसन...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट का समय। (व्यवधान) सभापति महोदय, एक मिनट का समय।

श्री सभापति: श्री हनुमान बेनीवाल, मैं एक दफा बोल रहा हूं आपका नाम। श्री हनुमान बेनीवाल, दो बार बोल चुका हूं आपका नाम। श्री हनुमान बेनीवाल, तीसरी बार बोलूं इससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप बैठ जाएं। कृपया बैठिये आप। कृपया आप अपने आसन पर विराजिये। अब बैठिये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): एक मिनट में कनक्लूड कर रहे हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट, साहब।

श्री सभापति: नहीं। श्री घनश्याम तिवाड़ीजी, उप नेता।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट, साहब। एक मिनट।

श्री सभापति: नहीं, अब नहीं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट, साहब।

श्री सभापति: मैंने आपसे कहा, अब आप विराजिये। आपका टाइम खतम हो गया..

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): तो मेरे तो तीन मिनट ही नहीं हुए..

श्री सभापति: आपने सहयोग नहीं किया आसन के साथ। आसन का कहना मानें। आप कृपया...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट में मैं एक बात कहना चाहूंगा..

श्री सभापति: अनुशासन के मुताबिक आप बैठें। श्री घनश्याम तिवाड़ी जी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कनक्लूड कर रहे हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सिर्फ एक बात है, सभापति महोदय।

श्री सभापति: उप नेता, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप बोलें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट।

श्री सभापति: मैंने व्यवस्था दे दी। मैंने व्यवस्था दे दी है। आप कृपया विराजिये, आपका टाइम खतम हो गया...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): बेरोजगारों के हितों के लिये..

श्री सभापति: मैंने व्यवस्था दे दी है। मैंने आपसे कहा, कृपया विराजिये। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): बेरोजगारों के हितों के लिये जो बेरोजगारी भत्ता..

श्री सभापति: अब यह अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति: श्री घनश्याम तिवाड़ी।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): ×××

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये आप। (व्यवधान) कृपया विराजिये अब आप। आप बैठिये। श्री घनश्यामजी तिवाड़ी, मैं आपसे बोल रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं।

(श्री सभापति)

श्री घनश्याम तिवाड़ीजी। श्री घनश्याम तिवाड़ी, आसन आपसे निवेदन कर रहा है। उप नेता महोदय, आसन आपसे निवेदन कर रहा है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): देखिये, अनुशासन बनाये रखें। माननीय सदस्य, मैं फिर आपसे कह रहा हूं एक बात। देखिये, अनुशासन बनाये रखें। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप कृपया व्यवधान न करें। कृपया व्यवधान नहीं करें। कृपया शांति बनाये रखें। उप नेता महोदय बोल रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप सुन लो। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सदन में 9 मार्च को अपना बजट अभिभाषण रखा। इसमें कुछ घोषणाएं कीं। हमारी ओर से हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान गुलाबजी कटारिया ने उसको प्रारम्भ किया और उन्होंने उसके बारे में सही स्थिति सदन के सामने रखी। आसन को मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत समय दिया, रात को 1 बजकर 5 मिनट तक बैठकर हमने इसको सुना। सभापति शायद और कोई दूसरा माननीय सदस्य हो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि जितने माननीय सदस्य बोलें हैं पक्ष के, प्रतिपक्ष के, मैंने शुरू से लेकर आखिर तक सबको पूरी तन्मयता के साथ सुना है। मैं आज कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार की बहस हुई है अपने-अपने विचार रखे हैं, सारे विचार मुख्य मंत्री तक पहुंच गये होंगे, उन विचारों के ऊपर हम गौर करें तो हम बजट को सही दृष्टिकोण दे सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट भाषण की शुरूआत की, वह मुझे थोड़ी अटपटी-सी लगी थी। पहले मैंने धन्यवाद दिया था आपको जब अभिभाषण पर आपने कहा था कि हम विधान सभा जीते, लोक सभा जीते, नगरपालिका जीते, नगर निगम जीते। मैंने आपको बहुत-बहुत बधाई दी, मैंने कहा आपने चौका लगाया। आप मास्टर आदमी हो, आप जीत गये, आपको बधाई। हम आपको सहयोग करेंगे। लेकिन फिर आपने रिपीट किया है यहां से फिर हम जीत गये हैं, फिर हम जीत गये हैं। आप जीत गये, साहब। आप जीत गये इसीलिये तो आप वहां पर बैठे हो और हम यहां पर बैठे हैं। इसमें गिनाने की कोई बात नहीं है। इसमें अगर अहम् होता है न, सभापति महोदय, तो अहम् ठीक नहीं है। माननीय मुख्य मंत्रीजी, हम भी कभी हुआ करते थे आज इधर बैठे हैं..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कई बार देखा है सब लोगों ने। सब लोगों ने देखा। पंचायती राज में भी देखा, उसमें भी देखा है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं-

'बलि विक्रम वेणु दधीच गये, जिनके पारथ ने महाभारत ठानी।

बलि गयो बल रूप गयो, जिनके कखरी दरकंध दबान्यो,

धरा को प्रमाण यही तुलसी जो फरा जो झरा जो बरा सो भुताहिं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी, यह धरा का प्रमाण है बड़े से बड़ा आदमी, हम भी 120 के रूप में जीतकर आये थे जो आपके सामने बैठे हैं। पहले आप 153 लेकर बैठे थे, फिर आप बैठ गये थे। इसलिये जीत में हमको अहम् किसी बात का नहीं होना चाहिये। मुझे लगता है कि इस अहम् का प्रतिपादन हुआ है इस सदन के अन्दर।

सभापति महोदय, मैंने इस सदन में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उठाया था। उसकी माननीय अध्यक्ष महोदय को व्यवस्था देनी है। मैंने उठाया था कि यह सदन सर्वोपरि है फाइनेंशल मामलों में और अगर, माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपने उसको गम्भीरता से लिया होता तो आप सदन में आकार कहते कि यह सदन सर्वोपरि है।

कल मैंने कहा था कि श्रीमान भैरोंसिंहजी शेखावत इस सदन के प्रोडक्ट थे। आप भी तो हैं। आप दिल्ली में रहे, आप यहां रहे। आपका एक सौभाग्य है वह हमारा नहीं है। आपके बारे में सब कांग्रेस के लोग कहते हैं कि जब अशोकजी गहलोत साहब यहां रहते हैं तो सब पर भारी रहते हैं और यहां नहीं रहते तो दिल्ली में जाकर प्रभारी हो जाते हैं। तो यह आपकी विशेषता है। आप यहां भारी और दिल्ली में प्रभारी, लेकिन हमको तो यहीं रहना है। इसलिये मैं आपसे कह रहा हूं कि यह विधान सभा जो है, यह विधान सभा सर्वोच्च सदन है हमारा..

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): आपका तो पूरा नहीं हुआ..

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कोशिश की थी, नहीं हुआ पूरा। महेन्द्र, नहीं हुआ पूरा। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आपको सदन में आकर कहना चाहिये। माननीय मुख्य मंत्रीजी, आप बता दें, आप एम पी रहे हैं, एम एल ए भी रहे हैं, दो बार मंत्री रह गये गये हैं, केन्द्रीय मंत्री भी रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष, महा मंत्री, प्रभारी रहे हैं, विधान सभा के बाहर आपने क्यों घोषणा की ? पहला पाइंट, जिन चीजों पर आप टैक्स नहीं लगा सकते थे वह टैक्स

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

क्यों लगा ? किसी की त्रुटि से लगा होगा, क्यों लगा वह टैक्स ? लग गया, आप सदन में आकर खड़े होकर कहते, यह हमारी गलती हो गयी, हम विद्ड्रा करते हैं। मैं शांती धारीवाल जी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने कहा कि नहीं, स्ट्रैस के कारण से आपने कह दिया। लेकिन स्ट्रैस के कारण से तो जब कहते कि जब लिखा हुआ नहीं था...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप बात को घुमाने में माहिर हो। मैंने कभी नहीं कहा कि मुख्य मंत्रीजी स्ट्रैस में थे। आप बिलकुल गलत कहते हो। आप चाहें तो प्रोसीडिंग उठाकर देख सकते हैं कि मैंने क्या कहा। मैंने यह कहा, कि जब व्यक्ति भाषण देता है और वह भी इतना लम्बा भाषण देता है तो वह क्या हर व्यक्ति स्ट्रैस में आ जाता है। यह कहा है मैंने।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ठीक है। ठीक है। मान ली मैंने। मान लिया कि मैं बात को घुमाता हूं। सभापति महोदय, मैं मान रहा हूं कि मैं बात को घुमाता हूं, लेकिन शांती धारीवालजी बात को गोलमाल करने में मास्टर हैं। वह गोलमाल कर देते हैं। कर दिया आपने। जो कहा था वह भी कह दिया और जो बात कहनी थी वह भी कह दिया। खैर, मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता, वह बात हुई।

तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, दोनों गलतियां हुई हैं। गलती हुई लगाने की और फिर दूसरी गलती हुई, सदन के सामने इस सदन के अधिकारों का वो कराके सदन का अपमान इसमें हुआ और सदन की सैंक्टिटी कम हुई है। आपको खड़ा होना चाहिये था और कहना चाहिये था, हमारी गलती हुई है। सभापति महोदय, मैं मांग करता हूं कि वे दोनों फाइलें सदन के पटल पर रखी जाएं- पहली जिसमें यह आदेश दिया गया कि इन पर 4 परसेण्ट से बढ़ाकर 5 परसेण्ट टैक्स किया जाता है 14 वस्तुओं पर। दूसरी फाइल वह है जिसमें फिर से आपने उसको हटाया।

इस सदन में कई बार ऐसी बातें हुई हैं। सदन सर्वोपरि है। माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, गंगानगर में बहुत बड़ा आन्दोलन चला था। स्व. मोहन लालजी सुखाड़िया मुख्य मंत्री थे, उन्होंने घोषणा की थी कि मैं कभी भी नहीं झुकूंगा इन बाघों के आगे। लेकिन फिर एक बार जब आन्दोलन का निर्णय होने लगा तो सम्माननीय स्व. श्री मोहन लालजी सुखाड़िया झुक गये। प्रतिपक्ष के उस समय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

थे, उन्होंने खड़े होकर कहा सुखाड़िया जी, आप तो कह रहे थे, मैं झुकुंगा नहीं। आप तो झुक गये। सुखाड़ियाजी के वे शब्द भारतीय प्रजातंत्र के इतिहास में अमर रहेंगे, उन्होंने कहा कि मैं झुका ही नहीं, मैं राजस्थान के इस सदन के सामने और जनता के सामने अगर घुटने भी टेक दूं तो मुझे प्रसन्नता का एहसास होगा, और मैं इसके सामने आत्मसमर्पण करता हूं। आपका भी बड़प्पन साबित होता अगर आप कह देते, तो न तो हम प्रिविलेज लाते न और कोई बात करते। हम प्रिविलेज इसलिए नहीं लाये कि आपके खिलाफ कुछ करना था, हम प्रिविलेज इसलिए लेकर आये कि सदन की मर्यादाओं की रक्षा होनी चाहिए। आपके जैसा संजीदा आदमी उन मर्यादाओं की रक्षा न करे, यह हमें आपसे अपेक्षा नहीं थी।

सभापति महोदय, मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूं, मुख्य मंत्री महोदय ने एक बात कही बजट रखते समय कि हमारा बजट तो है ही, लेकिन हमारे बजट को प्रेरणा मिलेगी भारत सरकार के बजट से। आपने दूसरे पैरे में ही केन्द्रीय मंत्री माननीय श्री प्रणव मुखर्जी के भाषण का उल्लेख करते हुए कहा कि 9 प्रतिशत की दर होगी। वह होगी से शुरू करके भारत सरकार से हमको जो मिलने वाला है, उसका आपने विस्तृत विवरण किया है कि भारत सरकार का जो बजट है उससे बहुत लाभ मिलेगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी, मिले, हम आपके साथ हैं लेकिन अभी तक मिला कुछ भी नहीं है। हमको आशा थी कि आपको केन्द्र से मिलेगा, जुड़ गयी कड़ी, आपका असर है वहां पर दिल्ली में, लेकिन क्या मिला? आपने अकाल के लिए जो भेजा था 12060 करोड़ का, एक पैसा ले लिया आपने? आपने राज्य को भी विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कर ली थी, ले लिया आपने? केन्द्रीय करों का अंश 359 करोड़ रुपये आपको पिछली बार से कम प्राप्त हुए, यह मैं आपको कहना चाहता हूं। मुख्य मंत्रीजी, दो प्रकार की दिल्ली में बात चलती है- एक है भाई और एक है अनुयायी। जो भाई होता है वह तो बराबर का हिस्सा बंटा लेता है

(समय : 16.31 बजे)

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

और जो अनुयायी होता है उसको जितना देते हैं उतना लेकर आ जाता है। हम तो भाई थे हमने तो बंटा लिया और आप अनुयायी हो। आप नहीं ला सके। अब मैं आपको कहता हूं कि आप अनुयायी नहीं हो। आप वहां अनुयायी होंगे

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

लेकिन राजस्थान के 6 करोड़ लोगों को माननीय मुख्य मंत्री आप रिप्रजेन्ट करते हैं, इसलिए आप में वह ताकत आनी चाहिए कि आप राजस्थान के हक को वहां से प्राप्त कर सकें। उसमें आपने जो कहा, वह प्राप्त नहीं कर सके।

अध्यक्ष महोदय, लेकिन एक चीज प्राप्त की, महंगाई आपने प्राप्त की, वह आप लेकर आ गये। यहां चर्चा हो रही थी महंगाई पर, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार का महंगाई पर ज्यादा नियंत्रण नहीं है, हम राज्य सरकार को उसके लिए ज्यादा दोष भी नहीं दे सकते। राज्य सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ठीक कर ले, स्टाक की सीमा को चैक कर ले, थोड़ा बहुत काम करे, वह राज्य सरकार कर ले। यह महंगाई सारी जो बढ़ी है, वह केन्द्र सरकार की नीतियों के कारण से बढ़ी है। हम तो केन्द्र पर भी आरोप नहीं लगाते, लेकिन पहले कांग्रेस के सदस्य नहीं मानते थे कि महंगाई बढ़ी है। तिवारीजी जो उनके प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि महंगाई का कोई असर नहीं है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा श्रीमती सोनिया गांधीजी को कि उन्होंने कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलायी और उन्होंने मीटिंग बुलाकर कहा कि महंगाई बढ़ रही है उस पर तुरन्त कंट्रोल करें। तब सारे कांग्रेस वाले कहने लगे कि महंगाई बढ़ी है। पहले कह रहे थे कि नहीं बढ़ रही। उसके बाद में आरोप लगाया पचौरीजी ने शरद पंवार साहब पर कि शरद पंवार साहब इस महंगाई के लिए जिम्मेदार हैं। शरद पंवार साहब ने पलटकर वार किया कि मैं नहीं हूं मनमोहन सिंह जी भी जिम्मेदार हैं, फिर मनमोहन सिंह जी ने मीटिंग बुलाकर कहा कि राज्य भी जिम्मेदार हैं। अब राज्य भी जिम्मेदार हैं तो राज्य उसमें कहां तक हैं? आप क्या करेंगे? उसके बाद मुख्य मंत्रियों की मीटिंग बुलायी और मुख्य मंत्रियों की एक कमेटी बनायी। उस कमेटी में आप भी हैं। आपने महंगाई के बारे में वहां क्या कहा, वह आप हमको अवगत कराएं तो हम सौभाग्यशाली होंगे। राज्य का पक्ष आपने किस प्रकार रखा। यह महंगाई क्या डिमांड बढ़ने से बढ़ी? सब जानते हैं, महंगाई क्यों बढ़ गयी। चार बड़े कारण गिनाये गये महंगाई के पार्लियामेंट की बहस में। पहला कारण है चीनी 12 रुपये 36 पैसे किलो में एक्सपोर्ट होती रही और 36 रुपये किलो में आयात होती रही। उस चीनी घोटाले के लिए कौन जिम्मेदार है? यहां गेहूं का घोटाला हुआ और चावल का घोटाला हुआ। हमारे यहां परम्परा थी पहले कि जो आदमी जिस बिजनश से संबंधित होता था, उसका वह पद ग्रहण नहीं करता था। मैं धन्यवाद दूंगा चिदम्बरमजी को, कपड़ा मंत्रालय मिला एक बार उनको, उन्होंने मना कर दिया कि मेरा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पारिवारिक काम है कपड़े का बहुत बड़ा, मैं मंत्रालय नहीं संभालूंगा। हमारे यहां परम्परा भी है कि लोक सभा और राज्य सभा में जब सभापतियों की तालिका पर किसी को बैठाते हैं तो हम उन लोगों को नहीं बैठाते जो उद्योगपति था इन संस्थाओं से जुड़े हुए होते हैं। शरद पवारजी को सब जानते हैं शुगर किंग, पार्लियामेंट में कहा गया उनको, उससे जुड़े हुए हैं। आज चीनी के कारण से कितना बड़ा देश में मामला हो रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, आज गेहूं का कितना बड़ा घपला हुआ है कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सिर्फ लोगों को लूटा जा रहा है। इसके बाद में प्राइस हाइक की भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल की, उसके बाद कितनी कीमतें बढ़ गयी, जब हमारे समय में एक बार पैट्रोल और डीजल के भाव बढ़े थे तो आपके लोग यहां बैठे थे, आपने चुनाव घोषणा-पत्र में भी कहा है कि पैट्रोल और डीजल के वैट को कम करेंगे। इनके ऊपर जो टैक्स लग रहा है, उसको कम करेंगे। लेकिन यह आपने कम नहीं किया। महंगाई नहीं रोकी, महंगाई को कम करने में आपने सहायता नहीं की, इससे महंगाई बढ़ रही है। महंगाई का बहुत बड़ा घोटाला है, सितम्बर के बाद से लेकर के 20 प्रतिशत महंगाई बढ़ी है। आज खाद्य तेलों के और सब के भाव कितने बढ़ गये हैं? माननीय मुख्य मंत्रीजी, आज हिन्दुस्तान के और राजस्थान के 80 प्रतिशत लोग अपनी कमाई का 90 प्रतिशत पैसा इन पर खर्च करते हैं। अब तो लोग कह रहे हैं कि वीरेन्द्र सहवाग की और सचिन तेंदुलकर की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यूपीए की सरकार ने चीनी में अर्द्ध शतक बना लिया है, 50 को पार कर लिया है। और दाल में शतक बना लिया है, उसको पार कर लिया है। अब आप पता नहीं दो पारी खेलोगे कि तीन पारी खेलोगे, पर इतनी ज्यादा पारी खेलना ठीक नहीं है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए आप इस बजट में कुछ कदम उठाते तो हमको पता लगता। लेकिन इस बजट में भी आपने कोई कदम नहीं उठाया। भारत सरकार का बजट भी महंगाई बढ़ाने वाला है और राज्य सरकार का बजट भी महंगाई बढ़ाने वाला है। इन दोनों बजटों में आपने महंगाई से कमर तोड़ी है राजस्थान की जनता की।

अध्यक्ष महोदय, मैं इन बजट प्रस्तावों पर आने से पहले एक विषय की ओर माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा, वह इसलिए कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ध्यानाकर्षित किया था। आज भी सुबह-सुबह माननीय शांती कुमार धारीवालजी ने इसका जवाब दिया है। अध्यक्ष महोदय,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

एक कानून इस विधान सभा ने पारित किया और उसमें माननीय सी.पी. जोशी जी और अन्य सभी के भाषण मेरे पास हैं। आप चाहें तो मैं पढ़ सकता हूं लेकिन मैं इतना समय सदन का लेना नहीं चाहता। हम सबने मिलकर वह पास किया था। आपने शुरूआत की थी 14 प्रतिशत, हम सबने उस भाषण को पढ़ा। इस राजस्थान में आरक्षण के कारण जो आंदोलन हुआ, जो स्थिति बनी, वह आपको पता है, सारे सदन को पता है, हम सबने उसको देखा है। वह कानून पारित हुआ, उस कानून को रोका क्यों गया? 12 महीने तक उस कानून पर दस्तखत नहीं हुए, 12 महीने तक हम बार-बार मांग करते रहे। गवर्नर साहब जब आये तो हमने खड़े होकर मांग की कि आपने इसको क्यों रोका? फिर 12 महीने बाद उसको एज इट पास किया और कौनसी परिस्थितियों में वह लगा है। लेकिन जवाब में कहना चाहूंगा कि राजनीतिक इच्छाशक्ति से इन बातों का निर्णय होता है, न्यायालय निर्णय नहीं करते हैं। एक भी ऐसा कानून नहीं है आरक्षण का जिसको न्यायालय ने नहीं रोका हो। आपको पता है कि सबसे पहला संविधान संशोधन 1952 में कम्युनल अवार्ड कहकर सुप्रीम कोर्ट ने एससी, एसटी के आरक्षण को रद्द कर दिया था तो भारत के संविधान में संशोधन आया था जिसके अन्तर्गत आरक्षण को मान्यता दी गयी थी। वह भी ऐसे नहीं आया था। जब डिप्रैस्ड क्लास के नाम से अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान को विभक्त करने की कोशिश की तो महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरन अनशन किया। उनके अनशन से प्रभावित होकर 20 दिन बाद बाबा साहेब अम्बेडकर वहां पर गये और पूना में उनका पैक्ट हुआ, वह पूना पैक्ट ऐतिहासिक पैक्ट है। वह इस बात की गवाही है कि भारत में आरक्षण की वहां से शुरूआत हुई। उसके बाद आजादी के बाद में उसको संविधान में स्थान दिया गया। 1952 में उसको कम्युनल अवार्ड के नाम से स्ट्रक डाउन किया गया और उसके बाद में हमारी संसद ने उसको दुबारा पास करके ठीक किया। उसके बाद 1977 में प्रमोशन पर रोक लगी, वाजपेयीजी के समय पर प्रमोशन पर आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगायी। उसके बाद वाजपेयीजी लोक सभा में संविधान संशोधन लेकर आये। सभी पार्टियों ने उसका समर्थन किया और वह भी पारित हुआ। फिर ओबीसी का आया, वह बड़ा आंदोलन चला। मंडल आयोग आया, काका कालेलकर कमेटी बनी, उन्होंने मना कर दिया, वह लम्बी बहस में मैं नहीं जाना चाहता। वह काम कर दिया। उसके बाद में ओबीसी के कानून को भी संसद के द्वारा पास कराना पड़ा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उच्च शिक्षा में रिजर्वेशन को रद्द किया। उसको भी हम लेकर आये। उसको भी हमने ठीक किया। कौनसा कानून है जो बनाया पार्लियामेंट ने और कोर्ट ने रिजैक्ट नहीं किया? और कौनसा कानून है जो कोर्ट ने रिजेक्ट किया और राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ हमने उसको दूर नहीं किया? माननीय मुख्य मंत्रीजी, अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति जागृत कीजिए और राजस्थान में जो शांति स्थापित हुई है सभी लोगों को आप दीजिए आरक्षण। किस बात से आप नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे आप? 2001 की जनगणना में साफ-साफ आया है कि जो अनारक्षित वर्ग है उसकी आर्थिक स्थिति आरक्षित वर्ग से भी कमजोर हो गयी है। यह आया है, इसलिए आज सामाजिक न्याय, प्राकृतिक न्याय के आधार पर कुछ काम कीजिए ताकि राजस्थान पुन: आंदोलन की आग में नहीं जाए। हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं, उस कानून में कोई गलती नहीं है। मैंने यहां भाषण दिया था और मैं आज दावे के साथ कहता हूं कि आप मुझे वकील बना लीजिए सुप्रीम कोर्ट में, बिना पैसे का आपका वकील बन जाऊंगा।

प्रिएम्बल आफ द कांस्टीट्यूशन वह निकला है, जस्टिस सोशली एण्ड इकोनोमिकली, और प्रिएम्बल के बारे में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, प्रिएम्बल इज द साल आफ द कास्टीट्यूशन, संविधान की आत्मा है प्रिएम्बल। और आत्मा में आर्थिक और सामाजिक रूप से न्याय करने के लिए कहा है तो हम किसी को कैसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद हैं नीति-निर्देशक तत्व, डाइरेक्टिव प्रिंसीपल्स आफ द कास्टीट्यूशन- आर्टिकल 45(2) में साफ-साफ लिखा हुआ है कि राज्य आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, न्यायिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए कानून बनाए, उनकी रक्षा करे, उनको बराबर लेकर आये। इसलिए मैं मांग कर रहा हूं, मुख्य मंत्रीजी, कि राजस्थान की विधान सभा ने जो सर्वसम्मति से कानून बनाया था, उस कानून को लागू करने के लिए आप कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जाना है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएं उसको ही लागू कराएं, हम आपके साथ खड़े हैं। इसमें गलती भी हुई है, गलती हुई है वह मैं बताना जरूरी समझता हूं, गलती हुई है इसमें। नाइन्थ शिड्यूल में हमने पास कर दिया, पास करने के बाद 12 महीनों तक खेमराजजी, डिप्टी सैक्रेटरी के 4 कागज चले गये कि इसको नाइन्थ शिड्यूल में डाला जाए। अगर खेमराजजी और रामराजजी की ही भारत सरकार मान लेती तो फिर माननीय अशोकजी गहलोत की और शांति धारीवालजी की आवश्यकता ही क्या थी?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपकी मांग क्या थी?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हमारी मांग तो यही थी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): कागज भेजे थे, 4 ही नहीं 7 कागज भेजे हैं 7, लेकिन एक बार भी लोक सभा में भारतीय जनता पार्टी ने इस इश्यू को सपोर्ट करने की जहमत नहीं उठाई, एक बार भी। ...(व्यवधान) एक बार भी भारतीय जनता पार्टी के किसी सदस्य ने यह नहीं कहा कि राजस्थान की सरकार ने जो नाइन्थ शिड्यूल में शामिल होने के लिए कागज लिखा है, उस पर विचार किया जाए, एक बार भी नहीं किया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): एक बार भी कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव नहीं रखा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ठीक है, अब आप जब रखेंगे लोक सभा में तब हम आपकी पूरी मदद करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, नाइन्थ शिड्यूल में इसको डाला जाए। यह कहना कि इन्दिरा साहनी का जो जजमेंट है वह 50 प्रतिशत सीमा तय करता है, कौन कहता है? कांस्टीट्यूशन के किस भाग में लिखा है कि 50 प्रतिशत की सीमा है? 68 प्रतिशत कर दिया उसके बाद तमिलनाडु ने, 52 प्रतिशत कर दिया उसके बाद महाराष्ट्र ने, 78 प्रतिशत कर दिया झारखण्ड ने, सबने अपने यहां शांति स्थापित करने की कोशिश कर ली। राजस्थान में 68 हो तो कौनसी प्रलय हो गयी? इसको नाइन्थ शिड्यूल में डाला जाए और सुप्रीम कोर्ट में जाया जाए और उसकी पैरवी की जाए। सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएं तो इस कानून को दुबारा राजस्थान की विधान सभा में लेकर आएं, नए सिरे से इस कानून को पास करके आरक्षण को लागू करें और राजस्थान को अशांति से बचाएं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं बजट पर कुछ प्रमुख बातें माननीय मुख्य मंत्रीजी के ध्यान में लाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: अब तक काहे पर थे?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अब तक तो जिस पर समझो उसी पर था। माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैंने दो-तीन बार आपसे निवेदन किया, मेरी पढ़ने की आदत जरूर है लेकिन मैं पढ़ता कोई नुक्ताचीनी करने के लिए नहीं हूं। मैं कुछ बातें ध्यान दिलाने के लिए पढ़ता हूं, मैंने पिछली बार भी ध्यान दिलाया था- अभिभाषण पर भी ध्यान दिलाया था, बजट पर भी ध्यान दिलाया

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

था, यह हो क्या रहा है? या तो हम जिम्मेदार नहीं हैं या जो लोग हमारे पास लिखकर लाते हैं वे जिम्मेदार नहीं हैं। कहीं न कहीं जिम्मेदारी आपको फिक्स करनी पड़ेगी। हम जब यहां पर खड़े होकर बोलते हैं और आपकी आलोचना करते हैं तो हमें कोई सुख का एहसास नहीं होता है। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम यह काम करें, इसलिए हम इस काम को पूरा करते हैं। अब मैं आपको ध्यान दिलाता हूं, 2010 के पैरा 85 में वही बात कही है जो बजट 2009 के पैरा 88 में कही गयी है। शब्द तक का भी अन्तर नहीं है। मैं पूरा चार्ट बनाकर लाया हूं, आपके सामने पेश करूंगा। यह क्या मजाक बनाते हैं आपके अधिकारी लोग? आगे चलिए, बजट 2010 का पैरा 25, राजस्थान फीडर की मरम्मत के लिए वही बात लिखी है जो अभिभाषण के पैरा 22 में है, एज इट इज लिखी है। वह की वह बात लिखी है, कोई चेंज नहीं है। इसी प्रकार से आप आगे चलिए, बजट 2010 के पैरा 35 में चालू वित्त वर्ष में 10 प्रतिशत परियोजनाओं का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा जिसमें रामगंजमंडी-पंचपहाड़, झालावाड़-झालरापाटन, आदि-आदि और यह बात बजट 2009 के पैरा 45 पर लिखी है। इसी साल पूरी कर ली जाएगी। क्या गजब है, क्या गजब है? कौन पढ़ रहा है इसको? केबिनेट कमेटी पढ़ रही है या आपके अधिकारी पढ़ रहे हैं? आपकी पूरी कैबिनेट बैठी होती है उसमें सेक्रेटरी आकर बोलता है, तब क्या बोलता है वह? क्या करता है? आपने एक बार भी एक्शन नहीं लिया? कौन अधिकारी है, उनको इस प्रकार से सदन को गुमराह करने का, जो बात आपने एक बार कह दी उसको दूसरी बार लेकर आ जाते हो। आप देखिए, पैरा 22 पढ़िए बजट-2009 का और बजट 2010 का पैरा 25, जल संसाधन का, जिसमें भारत सरकार को 478 करोड़ रुपए की योजना तैयार कर भिजवाने का कहा है। यही के यही शब्द लिखे हैं दोनों में, एक साल पहले भी आपने कहा 478 का और आज भी कहा है, एक साल के बाद आप क्यों रिपीट कर रहे हो? रिपीट करो तो कोई इसको देखने वाला नहीं है? बजट 2010 के पैरा 17 में, आगामी वर्ष 300 मेगावाट क्षमता के अतिरिक्त पवन ऊर्जा परियोजनाएं क्रियान्वित करना प्रस्तावित है और पैरा 29, बजट-2009 में चालू वर्ष में ही 300 मेगावाट क्षमता क्रियान्वित कर देंगे। व्हाट नोनसैंस? किसको मूर्ख बनाया जा रहा है, एम एल एज को? क्यों किसी ने नहीं देखा इसको? क्यों देखा इसको? इसका इस सदन को जवाब चाहिए। मुख्य मंत्रीजी, यह इस प्रकार से नहीं चलेगा। बजट 2010 के पैरा 14, 15 में और वही पैरा 22 में बजट 2009

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

में, 2010 के पैरा 10 में 1521 किलोमीटर सड़क परियोजनाओं को प्रारम्भ करेंगे और 2009 में बी ओ टी के आधार पर पैरा 29, अभिभाषण में बी ओ टी के आधार पर 11 राष्ट्रीय राज मार्ग प्रारम्भ किये जाएंगे। वह की वह बात, एज इट इज, यह क्यों? किसलिए किया जा रहा है? मुझे इसकी बात समझ में नहीं आई। मैंने तीन बार कहा, तीन बार इस सदन के पटल पर रखा, तीन बार आपने रिपीट किया, क्या उसके बारे में सरकार ने एक्शन लिया? किस पर लिया? अगर आप, मुख्य मंत्रीजी, बता देंगे तो मैं आपका बहुत-बहुत आभार ज्ञापित करूंगा।

माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपने कहा था कि आप बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाईं आपने किसानों के लिए, उसके लिए आपको धन्यवाद। लेकिन आपने दो बार बढ़ाई। पिछली बार आपने पानी के नाम से उपभोक्ता पर 10 पैसे प्रति यूनिट बिजली बढाई, मैं जानना चाहता हूं कि कितना रुपया मिला आपको, 777 इसमें। पिछली बार से इसमें 54 प्रतिशत कम। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इधर देखो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इधर ही देख लेता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने 10 पैसे स्थानीय निकायों के नाम से इस बार, 20 पैसे दो साल में बढ़ाये, लेकिन कितने रुपए आये, यह आपने नहीं बताया। मैं बताऊंगा आपको, यह छुपा कर राजस्थान की विधान सभा से अगर आप पैसा ले जाना चाहते हो तो यह सम्भव नहीं है। आपको यहां पर बताना पड़ेगा, राजस्थान की विधान सभा को इसका पूरा अधिकार है, सारे एम एल एज को बिना बताए आप नहीं ले जा सकते।

मैं आपसे दूसरी बात और निवेदन करना चाहता हूं कि आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं, बहुत अच्छा, और मुझे अच्छा लगता है मजाक करने वाला आदमी। इस बजट में भी मजाक किया है। आप देखें, आपने कहा है, पैरा 255, 256, 257, 258, 265, 266, 267, 268, 272, कुल 9 पैरे हैं, वे मजाक हैं।

श्री अध्यक्ष: आप सीरियस कर रहे हो या मजाक से बात कर रहे हो?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं बहुत ही सीरियस कह रहा हूं कि 301 पैराओं में अगर 9 पैरे मजाक नहीं करेंगे तो फिर उसमें शुष्कता आ जाएगी इसलिए मजाक किया गया है। मजाक भी किस की, क्या-क्या छोड़ा?

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पानी के टैंकर पर टैक्स माफ। एक पैसा नहीं आया आज तक, पानी के टैंकर जाते हैं। ट्रैक्टर ट्रोली पर टैक्स माफ है। आपका कोई भी अधिकारी मुझे बता दे कि इतना पैसा आया और इतना पैसा आपने छोड़ा, इसलिए क्यों मजाक किया गया? मेहंदी के कोन पर टैक्स माफ । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेहंदी का कोन आता है जिसमें मेहंदी डालकर जलेबी की तरह हाथों पर मेहंदी माण्डती हैं महिलाएं, उस पर टैक्स माफ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपको क्या मालूम?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मेरी बहन नहीं मंडाती और मेरी मां नहीं मंडाती? सब मंडाती हैं। क्या इसमें कुछ कोण नहीं? क्या मजाक बनाया महिलाओं के साथ में, मेहंदी के कोण पर टैक्स माफ। कोई जलेबी बनाने वाली अगर उस पर कर दें तो फिर 2-4 रुपये आ जाते। उसका टैक्स माफ किया। फिर बी-हाइवे, बी-कालोनी और बी-बाथ्स, मैंने देखा, यह क्या चीज है, अंग्रेजी तो मेरी जितनी ही मुख्य मंत्रीजी जानते हैं, हमारा बराबर का-सा खेल है अंग्रेजी का तो। मैंने कहा, यह क्या चीज है। मैंने देखी डिक्शनरी तो मुझे पता लगा, यह तो मधुमक्खियों वाला काम है, जो मधुमक्खियां पालने का और मधुमक्खियों का छत्ता करने का, शहद वाला यह काम है। इस पर आज तक कभी टैक्स लगा क्या? तो किसी ने कभी टैक्स आया ही नहीं, कौन-सी दुकान है जिससे यह टैक्स वसूल कर रहे हो, कहां से टैक्स आ रहा है? फिर आपने मेरे ऊपर कृपा की।

श्री अध्यक्ष: रूद्राक्ष की।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपने कहा, हे, पंडित जी, आपके रूद्राक्ष पर माफ करते हैं। मैं पहनता भी हूं, रूद्राक्ष आपने पार कर दिया, अब मैं आपको देने वाला हूं। तो मैंने कहा भाई, जो जजमान जिसका ...

श्री अध्यक्ष: नहीं, आपके पास अब तक एक ही रूद्राक्ष था, माला खरीदोगे तो टैक्स नहीं लगेगा, पूरी माला खरीद लो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, पूरी माला ही है, महाराज। और मैंने कहा, जजमान जो भी दे, वह हमको तो लेना पड़ता है, हमारे तो जजमान जो भी देंगे हम ले लेंगे। तो मैंने कहा, हमने ले तो ली, पर उसका आशीर्वाद भी वैसा ही मिलेगा। मैंने पता किया, भाई, रूद्राक्ष कहां टैक्स, क्या टैक्स लगता है? आज तक रूद्राक्ष से, यह रूद्राक्ष का पेड़ होता है और उसका यह

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

फल है रूद्राक्ष का, यह मेरे खेत में भी लगा हुआ है तो इसमें आज तक कोई टैक्स नहीं आया, किसी दुकान से दिया नहीं, वसूल नहीं किया और आपने रूद्राक्ष पर टैक्स माफी टेक दिया। तो कहा गंगाजी ने कि भाई ''जजमान का वचन प्रमाण और गंगाजी की मेंढ़की और गउ, गउ कर कर जान'' तो हमने तो कह दिया कि हे जजमान, ब्राह्मण बचन प्रमाण, गंगाजी की माटी नै ही चंदन कर कर जान तो आपको उसका फल ऐसा ही मिलेगा। रूद्राक्ष को माफ करने का असर नहीं पड़ेगा, क्या माफ करके आया?

उसी प्रकार से, बैटरी चालित कारें, ये जो 9 पैरा लिखे हैं, मैं इसमें मजाक नहीं कर रहा हूं, आपको एक्शन लेना चाहिए। जनता को आप कह रहे हैं कि हम आपको टैक्स लगा रहे हैं इसलिए हम टैक्स माफ करने के भी कुछ पैरा लिख रहे हैं। यह गलत बात है। अब सब लोग समझ गये हैं, इंटरनैट है और सब निकाल कर देखते हैं, कितना टैक्स सरकार को मिला, कितना नहीं मिला। यह सरकार का टैक्स और फिर सरकार इस प्रकार का करे तो अच्छा नहीं लगता।

एक गलती और है, उसको भी सुधार लें। आप देखिए, पैरा नम्बर 243, छोटे व्यापारी गत वर्ष 20 हजार से कम आय वाले, 3 माह के स्थान पर वार्षिक रिटर्न भरना होगा। एक ही रिटर्न भरते हैं, बढ़िया काम है। उसमें लिखा है 20 हजार से कम आय वाले, अब पिछले साल 20 हजार थी, इस बार अगर 5 करोड़ हो गयी तो एक ही भरूं? और पिछले साल मेरी 5 करोड़ थी, अब 20 हजार हो गयी तो क्या मैं कम करूं? उसको ठीक कराइए। इसकी भाषा गलत है। यह बात ठीक है, अच्छी है लेकिन इसकी भाषा गलत है। लेकिन मैंने देखा नहीं इसलिए मैं कहना चाहता हूं। एक बात मैं आपसे, माननीय मुख्य मंत्रीजी, कहना चाहूंगा कि ....

श्री अध्यक्ष: एक मिनट।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय माननीय मुख्य मंत्रीजी के उत्तर समाप्त होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: सदन की इजाजत हो तो समय बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

मुख्य मंत्री जी के भाषण तक समय बढ़ाया गया।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं, मुख्य मंत्रीजी, दो-तीन प्रमुख बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। हमने कुछ क्षेत्रों में बहुत कटौती कर दी, वह कटौती ठीक नहीं है। चिकित्सा में 18 प्रतिशत कम, पिछले साल से दुरू मियां साहब, 18 परसेंट कम खर्च करेंगे। शिक्षा में हम पिछले साल से 29 परसेंट कम खर्च करेंगे, पेयजल में मदेरणा साहब पिछले साल से 54.65 परसेंट कम करेंगे, सिंचाई पर 2.56 परसेंट कम खर्च करेंगे, पशुपालन पर 20 परसेंट कम करेंगे। उद्योग व खनिज पर पारीक साहब, गंगा बह गई, उद्योग और खनिज दोनों दोनों साथ-साथ ही बैठे हो, 73 परसेंट राशि पिछले साल से कम खर्च होगी। बह गई गंगा ......(व्यवधान) हां, कर लेस्यूं ......(व्यवधान) लग रहे हो अभी काम में आप तो।

श्री अध्यक्ष: आपकी समझ के बाहर है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, मेरी समझ के बाहर है। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम अगर चिकित्सा पर खर्च नहीं कर रहे हैं, हम शिक्षा पर खर्च नहीं कर रहे हैं, हम पेयजल पर खर्च नहीं कर रहे हैं, हम सिंचाई पर खर्च नहीं कर रहे हैं, पशुपालन पर खर्च नहीं कर रहे हैं, उद्योग और खनिज पर खर्च नहीं कर रहे हैं तो किस चीज पर खर्च कर रहे हैं? क्या यह 18 हजार करोड़ रुपये की योजना और 23 हजार करोड़ की योजना किसके लिए है? मुझे कहा, मैं सुनता रहा। जब शिक्षा आयेगी तब बताऊंगा। मुझे कहा गया, आपने स्कूल खोल दी, मास्टर नहीं लगाये। आज शांति धारीवाल जी ने जवाब दिया है कि 5 वर्ष में 88 हजार थर्ड ग्रेड के टीचर लगाये गये हैं। शांति धारीवालजी ने जवाब दिया है कि पिछली बार मुख्य मंत्री अशोक गहलोत के 5 वर्ष में सिर्फ 6 हजार लोग लगाये गये हैं और अब आप शिक्षा में 36 परसेंट की कटौती कर रहे हो। कहां ले जा रहे हो राजस्थान को, शिक्षा में जो सबसे पिछड़ा हुआ है? कौन से गरीबों को चिकित्सा दे रहे हो आप इतना कम खर्च करके? किसके लिए होता है बजट? बहुत भोले हैं हमारे माननीय कार्यकर्ता कि बजट विमंदित के लिए है, विधवा के लिए है। यह गरीब के लिए सवाल है। इन सरकारी स्कूलों में मेरे बच्चे जाएंगे पढ़ने के लिए? (व्यवधान) आपके विषय पर ही आ रहा हूं। भरत सिंहजी के जाएंगे, मियांजी एमादुद्दीनजी के जाएंगे? नहीं जाएंगे। उन गांव वाले गरीब लोगों के जिनमें आप कटौती कर रहे हो, राज के छुरी कर रहे हो उसमें। क्या उनमें। टीचर नहीं? मुझे पता है, एक लाख टीचर्स की कमी है, नहीं भर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पाये पूरे में। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी शिक्षा में भर्ती आरपीएससी के माध्यम से हमने की, पूरी ईमानदारी से उतनी भर्ती आज तक कभी नहीं हुई। पर फिर भी कमी है। आपने इसमें कटौती कर दी, आपने इसमें कटौती कर दी।

आपने इसमें कटौती कर दी। आपने फिर एक और, मुख्य मंत्री चले गये हैं तो बेनीवालजी बता देंगे, अधिकारी बैठे हुए हैं, एक और चकमा दिया है। चकमा शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मैं। बिजली में 52 परसेंट योजना राशि खर्च करेंगे, करो। क्या कर रहे हो उसमें ? मंत्री महोदय बैठे हैं हमारे, हैं तो हमारे और चले गये झुंझुनूं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारे ही हैं, झुंझुनूं भी हमारा ही है। मुख्य मंत्रीजी आ गये, वह देखेंगे इस बात को। 52 परसेंट खर्च करने को एक बहुत बड़ी योजना बताई है, प्रसारण तंत्र पर 2550 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं बिजली पर, स्वागत है, धन्यवाद है। 765 केवीए के दो जीएसएस बन रहे हैं, एक फागी में और उधर बूंदी में 2765 करोड़ रुपये कर रहे हैं। वह भी ठीक है। सारे बजट को मैंने पढ़ लिया, शेष 7 हजार करोड़ रुपये खर्च करेंगे। यह कहीं भी उल्लेख नहीं है। मुझे बता दें आप, बिजली की यहां 52 हजार करोड़ रुपये की योजना है, 7 हजार करोड़ रुपये का उल्लेख नहीं है कि किस पर खर्च करेंगे तो क्या डिस्क्रिशन फंड पर रख लिया, क्या विवेकाधीन कोटा रख लिया? क्या हो गया उसमें? 7 हजार करोड़ का बिजली का कोई प्रावधान नहीं है। मैं एक और बात कहना चाहूंगा जिसका मुझे आज ही जवाब चाहिए। आज जवाब नहीं मिला तो सदन को भी दुःख होगा और मुझे भी दुःख होगा। इस बार जैसे आपकी बातें पूरी नहीं हुईं, अगली बार भी पूरी नहीं होंगी। पहली बार तो इस बार की योजना पास नहीं हुई। आपकी 23 हजार करोड़ की पास हो जाएगी, आपका प्रभाव है। मुझे पता है, मोंटेकसिंह जी अहलूवालिया के पास गहलोत साहब जाएंगे तो उनका काम हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। पर यह आपने हमको बताया 23,882 की और, महाराज, आपने हमको इसी बजट में 301 जो पैराग्राफ बनाये हैं, उनमें जो लिखा है, वह मैंने एक-एक को पढ़ा और फिर उनको जोड़ा। सार्वजनिक निर्माण विभाग, ग्रामीण सड़कें, ऊर्जा, जल संसाधन से लेकर सारे जोड़े, एक-एक का, इसका होता है 40 हजार करोड़ रुपये। यह मैं नहीं बता रहा हूं, यह आपकी बजट की किताब मेरे पास है, आपने लिखा है, वह मैं आपको बता दूंगा। ग्रामीण सड़कें 3354, ऊर्जा 12434, जल संसाधन 777, मुझे कंठस्थ है सब, मैं बता दूंगा आपको, यह 40 हजार करोड़ रुपये होती है। यह धोखा देने की कोशिश कैसे की? 23 हजार

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

करोड़ की आप करा लाओगे, हमने मान ली, आपकी ताकत है, ये 40 हजार करोड़ के कागज मैं सदन के पटल पर रखूंगा। आप मुझे जवाब दीजिए इस बात का, आप इन एमएलएएज को गुमराज कर रहे हैं या राजस्थान की जनता को कर रहे है? या अधिकारी आपको गुमराह कर रहे हैं? यह 40 हजार करोड़ कहां से आयेगा, पिछली बार की योजना की तरह, मैं फिर दावे से कह रहा हूं, आपकी 18 हजार की योजना पूरी नहीं होगी, आप गलत आंकड़े दे रहे हो। और 23 हजार करोड़ की योजना में ये काम नहीं होंगे। ये गलत आंकड़े दे रहे हो। 7 हजार जो हिडन आपने कर रखा है, वह इसीलिए कर रखा है, आपने पढ़ा होता तो कोई गिनता कैबिनेट में आदमी। कैबिनेट में बोल देते हैं, आप सुन लेते हो। लेकिन हां, आपने कैबिनेट का तो हिसाब ही बदल दिया न? मुख्य मंत्रीजी, कैबिनेट में आपने 3 कैबिनेट कर दी और किसी में तो कर नहीं सका राजस्थान में और हिन्दुस्तान में, मुझे पता नहीं, आपने बना दीं, यह भी विलक्षण बात है। कौन से बिजनस रूल्स में है? यह तो आप चीफ सैक्रेटरी साहब बता देंगे, बहुत पढ़े लिखे और होशियार आदमी हैं। आपने 3 कैबिनेट बनाईं।

(समय : 17.00 बजे)

एक कैबिनेट के संयोजक तो मंत्रीगण हैं इसलिए मिनी कैबिनेट। जो कैबिनेट के काम का विभाजन किया है न उसमें कुछ का संयोजक तो आपने मंत्रियों को बना दिया तो मिनी कैबिनेट हो गयी और 4 के मुख्य मंत्री स्वयं संयोजक हैं। एक कैबिनेट वो कैबिनेट जिसके मुख्य मंत्री संयोजक हैं, एक वह कैबिनेट जिसके मंत्रीगण संयोजक हैं। अब मैंने आज तक सुना था कि मंत्री मण्डलीय उप समिति बनती है, कोई समिति बनती है, वो काम करती है तो वो रिपोर्ट मंत्री मण्डल में पेश कर देती है। लेकिन, मुख्य मंत्रीजी, आपकी एक आदत पड़ी हुई है कि आप कैबिनेट के बाहर काम करना चाहते हैं। पिछली बार भी आपने बीडी बना दी, वो हमारे राज में भी चल रही थी। फिर वो बीडी गयी तो इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट है या दूसरा, वो ले आये। और वो भी काम नहीं चला तो आपने तीन बना दीं- मिनी कैबिनेट, सुपर कैबिनेट और ठप्पा कैबिनेट। मिनी कैबिनेट जिसके मंत्री संयोजक हैं, सुपर कैबिनेट जिसके आप संयोजक हैं और ठप्पा कैबिनेट जो पूरी कैबिनेट है। अब मुख्य मंत्री जिसके संयोजक हैं उस सुपर कैबिनेट का अगर उस कैबिनेट में आएगा तो हमारे बृजकिशोरजी क्या उसमें एतराज करेंगे? ठप्पा लगाएंगे तो यह ठप्पा कैबिनेट आपकी हो गयी है। एक में ही फैसला नहीं होता, महाराज, इस ठप्पा कैबिनेट

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

से जो 40 हजार की आई है, वह ठप्पा कैबिनेट में गयी और ठप्प। ठप्पा लगा और वो 23 हजार करोड़ की योजना 40 हजार करोड़ की हो गयी।

कुछ घोषणाएं पूरी नहीं कीं, उनको मैं नहीं लूंगा। अध्यक्ष महोदय, आप चाहेंगे तो मैं उस पर रख दूंगा। मुख्य मंत्रीजी, अब मैं एक बार टैक्स पर आना चाहता हूं, मुझे दु:ख है कि आपने पूरे सदन से इस बात को छिपाया है। कितना टैक्स लगाया है आपने? 555 करोड़ का। सबसे पहले तो मैं आपको एक पैरा पढ़कर सुनाना चाहता हूं। हम सब मूर्ख नहीं हैं, पढ़े-लिखे लोग हैं और राज्य की जनता भी मूर्ख नहीं है, आपने राज्य की जनता को और सदन को गुमराह करने का प्रयत्न किया है। मुख्य मंत्रीजी, मैं बहुत जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं। मुख्य मंत्रीजी, आप पढ़ेंगे तो मुझे लगा कि आपको भी गुमराह किया गया है। पढ़िये इसका पैरा नम्बर 292 – ''कतिपय वस्तुओं यथा कोलतार, बिटुमिन, लाइमस्टोन, जनरेटर एवं इन्वर्टर्स, आटोमोबाइल बाडी, पी.बी. एक्स., इलैक्ट्रोड्स, ब्राण्डेड रेडीमेड गारमेंट्स, मल्टी फंक्शनल डिवाइसेज, यू-फोम, कुछ कैमिकल्स एवं हाई वोल्टेज केबल्स को वैट अधिनियम की अनुसूची-IV से हटाया जाना प्रस्तावित है।'' मतलब क्या हुआ? कोई समझेगा कि चलो अनुसूची से हटा दिया, टैक्स माफ। उधर में 4 से 5 कर दिया, यह, महाराज, आपने इन सारी चीजों पर 4 प्रतिशत को हटाकर 14 प्रतिशत टैक्स लगा दिया है, 14 प्रतिशत। यह छिपाना चाहते हो? आप यहां लिखते कि इन वस्तुओं को अनुसूची 4 से हटाकर 4 प्रतिशत के बजाय 14 प्रतिशत टैक्स कर रहे हैं। किस बात को छिपाना चाहते हो? और हमसे छिपाकर जाओगे भी कहां? आप नहीं छिपा सकते। आज तीन दिन से राजस्थान के सारे रेडीमेड के बाजार बंद हैं, कितना पैसा उन पर बढ़ गया? एक गरीब आदमी आजकल दर्जी के पास नहीं जाता है, गरीब आदमी रेडीमेट कपड़ा लेकर अपना काम निकाल लेता है। उस पर आपने 4 से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया। आपका फार्मूला क्या है वैट में? यह मुझे समझ में नहीं आया। पिछली बार आपने 12 से 14 कर दिया, इस बार 4 से 5 कर दिया फिर 4 से हटाकर सीधा 14 पर ले गये। जब सारे हिन्दुस्तान भर में अगली साल जीएसटी लागू होने वाला है तो फिर आप इस समय यह नाटक क्यों कर रहे हैं? क्यों लूट रहे हैं राजस्थान की जनता को? इन वस्तुओं का आपने जो 550 करोड़ लिखा है यह भी धोखा है, अध्यक्ष महोदय। 550 नहीं, 3 हजार करोड़ रुपये का टैक्स अशोकजी गहलोत की इस सरकार ने लगाया है, 3 हजार करोड़ का। मैं गिनता हूं, गिन लो एक-एक करके। सेल्स टैक्स से 100 करोड़ रुपया आता है 4 प्रतिशत है तब, 5 प्रतिशत है तो कितना

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

आएगा? 12 का भाग दे दो, तीन हजार करोड़ हो गया। तो एक कोई अफसर कह देगा कि, साहब वो तिवाड़ीजी को जानकारी नहीं है, इसमें पैट्रोल और डीजल का बढ़ा हुआ पैसा भी शामिल है, उसको कम कर दो 2 हजार करोड़ रुपया। फिर क्या होगा? एक हजार करोड़। फिर आपने बिजली पर टैक्स लगा दिया 10 पैसा, यह कितने लोगों पर लगा? 8607868 बिजली उपभोक्ता हैं उसमें 9 लाख 34 हजार एग्रीकल्चर वाले हैं, उनको निकाल दो। बिजली में एग्रीकल्चर से इनकम होती है गांवों से वो सिर्फ 9 प्रतिशत है। 91 प्रतिशत उपभोक्ताओं पर आपने टैक्स लगाया है, 76 लाख लोगों पर आपने यह टैक्स लगाया। 5 करोड़ पशुपालकों पर आपने टैक्स लगाया है। अकाल के टाइम पर राज में छुरी करी है आपने। गायें भूखी मर रही हैं, चारा नहीं है। 8 रुपये, 7 रुपये किलो चारा बिक रहा है और आपके अफसरों ने आपको क्या लिखा है- काटन सीड आयल केक एवं सब्बल को कर मुक्ति से हटाकर 5 प्रतिशत कर योग्य किया जाना प्रस्तावित है। क्या है यह खल और काकड़ा? इनमें तेल निकल रहा है? अफसरों का तेल निकलता होगा जो आपको बता रहे हैं। इसमें तेल नहीं है, इसमें ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए था क्योंकि इसमें घी निकलता है। हां, मैं निकालता हूं। मेरे पास 4 भैंस हैं उनको खल और काकड़ा देता हूं जब दूध बढ़ता है। दूध बढ़ता है तो दूध निकालता हूं, दूध निकलता हूं तो दूध के जावण देकर के जमाता हूं और उसका दही जमता है। दही को बिलाता हूं तो उसमें घी निकलता है, तो उस पर घी का टैक्स लगाओ न, तेल का क्यों लगाया है? 5 करोड़ का टैक्स खल और काकड़ा पर आपने लगा दिया। आपने यह टैक्स के बारे में धोखा दिया है। मैं यह चाहता हूं, राजस्थान की जनता यह जानना चाहती है, मुख्य मंत्रीजी आपने 35 करोड़ रुपये का टैक्स लगाया है, 150 करोड़ का आपका बिजली का है, 60 करोड़ का बिनौला से है। यह जो आपने टैक्स लगाया है, 12 पर 14 किया है, आपके 35 करोड़ रुपया ट्रांसपोर्ट से आने वाला है। मैंने सारा कैलकुलेशन किया है, इस प्रकार से राजस्थान की जनता पर आपने 3 हजार करोड़ का टैक्स लगाया है जो आज तक किसी ने नहीं लगाया है। अध्यक्ष महोदय, दो काम किये हैं।

श्री अध्यक्ष: कितने कागज और हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप कहो तो मैं कागज छोड़ दूं, मुझे तो आपके इशारे की जरूरत है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

फिर एक बात मैं और कहना चाहता हूं। सारे लोगों की पेंशन कितनी होगी मंद बुद्धि वालों की, विधवाओं की? आपने बहुत बढ़िया काम किया है, स्वागत योग्य काम है, मैं समर्थन करता हूं इसका और उसको बढ़ाना भी चाहिए था और देना भी चाहिए, लेकिन इतनी छूट पहले तो आपने शराब वालों को दे दी और नई छूट अभी विधान सभा चलते-चलते 21 जनवरी को और एक दे दी खान माफियाओं को। आपने यहां से आर्डर निकाला है, 100 करोड़ रुपये की छूट आपने खान वालों को दे दी है। जिन खान वालों के बकाया हैं, जिनका ब्याज है, उनको एकमुश्त माफी की योजना शुरू करके 100 करोड़ रुपये की आपने खान वालों को छूट दे दी। शराब की छूट, खान की छूट, कहां विधवा को, कहां मंदबुद्धि को समर्पित है? मैं चाहता हूं कि वह सूची सदन के पटल पर रखी जाए कि कौन-कौन से राजनेताओं के इसके अन्दर हैं जिनको छूट मिलेगी उसका पता राजस्थान की जनता को लगना चाहिए। क्यों छूट की शुरूआत की खान की? मुख्य मंत्रीजी, कई बातों का या तो आपको पता ही नहीं होता – स्ट्रैस, इसलिए यह खान की छूट और यह शराब की छूट, इन दो की छूट जोड़ लें।

एक और मजेदार बात बताता हूं जो मैंने आज तक टैक्स के बारे में नहीं सुनी है, पहली बार सुनी है। नान टैक्स रेवेन्यू इस बार से अगली बार 151 करोड़ रुपये कम दिखाये गये हैं। आज तक नहीं हुआ राजस्थान में। यह कागज मेरे पास है, नान टैक्स रेवेन्यू में कमी किस बात की? यह टैक्स डायरेक्ट तो है नहीं, यह खान पर टैक्स है, यह इन पर टैक्स है। कौन से खान वालों को छूट देना चाहते हो? किससे किया सौदा? 151 करोड़ रुपये नान टैक्स रेवेन्यू के कम क्यों होंगे, इसका जवाब चाहिए राजस्थान की जनता को, मुख्य मंत्रीजी। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि एक तो आप टैक्स के लीकेज को रोकिये। मुख्य मंत्रीजी, टैक्स में लीकेज बहुत हो रहा है। मैं उदाहरण देकर कहना चाहता हूं कि राजस्व की आय हमारी निरन्तर गिर रही है। राजस्व की आय क्यों गिर रही है? 18 प्रतिशत से घटकर 8 प्रतिशत आ गयी। राजस्व की आय कम होना, नान टैक्स रेवेन्यू कम होना, कैपिटल व्यय कम होना, शिक्षा, चिकित्सा में खर्च कम होना, ये सारी जो एक-एक करके बातें हैं, राजस्व प्राप्ति आपकी 20 प्रतिशत से घटकर 11 प्रतिशत आ गयी-20.28 प्रतिशत से कम होकर 11.17 प्रतिशत हो गयी, यह राजस्थान की स्थिति है। कहां जा रहा है यह पैसा? लोग खरीद नहीं रहे हैं, लोग खा नहीं रहे हैं, लोग पी नहीं रहे हैं, ट्रक चल नहीं रहे हैं, बाजार जा नहीं रहे हैं? और क्या

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कर रहे हैं? राजस्व व्यय 41.44 प्रतिशत बढ़ गया। कुछ हद तक छठा वेतन आयोग भी इसके लिए जिम्मेदार है लेकिन 41.44 प्रतिशत में वैट 15 महीनों में आपने बढ़ा दिया। आप देखिये, आपका राजकोषीय घाटा 9,000 करोड़ से ऊपर आ गया और राजस्व घाटा 4,000 करोड़ हो गया और आपके सिर पर यह भी तुर्रा लगेगा कि आप राजस्थान को एक लाख करोड़ रुपये का कर्जदार बना देंगे 4-5 महीनों में, लखपति बना देंगे। आपके यहां तो खाटूश्यामजी के लगता आया है, अब अशोकजी गहलोत साहब के लगेगा। उसको लखदातार कहते हैं या लखदातार आप हो, 20 करोड़ रुपये रोज का हम ब्याज का चुकाएंगे। 17 प्रतिशत राजस्व की कमाई हम उसमें लगाएंगे टैक्स की। राजस्व का 17 प्रतिशत टैक्स के ब्याज में और राजस्थान का जो हर जो पैदा होने वाला बच्चा है, 14,588 रुपये का कर्जदार होगा। हम उसके पिता के समान हैं, मुख्य मंत्री सबके पिता ही होते हैं। जो नये बच्चे पैदा होंगे, आप उनके पिता समान हैं, इसके लिए लिखा हुआ है शास्त्रों में, "पिता शत्रु ऋणं कृत्वा:" जो पिता ऋण करता है वह अपने बेटे के शत्रु के समान है। अब मैं तो आपको नहीं कहता पर आप हो गये हो। 14,588 रुपये का कर्जा आपने उसके सिर पर रखा हुआ है और केन्द्रीय करों में आपका हिस्सा कम हो रहा है। इतनी आपकी चलती है पर केन्द्रीय करों में हिस्सा कम क्यों हो रहा है? कहां चलती है आपकी, यह मैंने आपको बताया है। गैर कर राजस्व में 5,127 करोड़ 2009-10 में है और 2010-11 में 4,976 करोड़ रुपये यानी 151 करोड़ रुपये कम, माइन्स -मिनरल्स का जो नोन-टैक्स रेवेन्यू है, उसमें आपने कम आंकी है। मैं आपको बताना चाहता हूं राजकोषीय घाटा कैसे कम करेंगे आप, पता नहीं है। विकास व्यय में 29 प्रतिशत की कमी हो गयी है, सामाजिक सेवाओं में 40 करोड़ की कमी है, आर्थिक सेवाओं में 24 प्रतिशत की कमी है, ऋण आपका दुगना हो ही गया है। सारी बातों को मिलाकर, अध्यक्ष महोदय, यहां तक पहुंच गये हैं। मैं, मुख्य मंत्रीजी, अब अपने समापन पर आपसे कहना चाहूंगा कि राज्य की जनता कुछ प्रश्नों पर जवाब चाहती है आपसे। पहला, आपने कुल कितना करोड़ का टैक्स राजस्थान की जनता पर लगाया है? अकाल के समय में खल-बिलौना के ऊपर जो आपने टैक्स लगाया है, किसानों के हित में क्या आप वापस लेना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? सारे राजस्थान के लोग या आपकी पार्टी के सारे लोगों ने जिन्होंने भाषण दिया है, कहा है कि हम इसके पक्ष में नहीं हैं, सदन पूरा इस बात के पक्ष में नहीं है कि अकाल पीड़ित किसान के साथ इस बार टैक्स लगे। यह चार प्रतिशत से बढ़ाकर जो आपने 14 प्रतिशत

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

किया है रेडिमेड गारमेंट्स का और इनका, इसको आप कम करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? यह बिजली पर जजिया कर आपने लगाया है भेदभाव करके, इस जजिया कर को करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं? टैक्स में आपने जो लूट मचाई है राजस्थान की जनता पर इतना बड़ा टैक्स, उस टैक्स को लगने नहीं देंगे। सबसे बड़ी बात जब खाद्य मंत्रालय पर बहस होगी तब कहूंगा। गुलाबजी भाई साहब बड़े भावुक होकर बोले कि बी.पी.एल. का आपने काम कर दिया। क्या कर दिया आपने बी.पी.एल. का काम? मुख्य मंत्रीजी, अपनी लाबी ही कमजोर है। कर्नाटक, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश ये सारे राज्य भारत सरकार को चाहे एन.डी.ए. हो चाहे यू.पी.ए. हो, उसको समर्थन देते हैं और समर्थन के बदले में तीन रुपये किलो चावल बी.पी.एल. और ए.पी.एल. को भारत सरकार के खर्चे पर बांट रहे हैं। मध्य प्रदेश में योजना है, छत्तीसगढ़ में योजना है, गुजरात में योजना है, आप केवल बी.पी.एल. को दो रुपये किलो गेहूं दे रहे हैं। वह भी बहुत सीधी बात है, आपको 4.70 रुपये में भारत सरकार से गेहूं मिल रहा है बी.पी.एल. के लिए। 35 किलो से घटाकर आप कर रहे हैं 25 किलो, उसको देंगे दो रुपये किलो में और 35 किलो देंगे ए.पी.एल. को, आपका घाटा नहीं फायदा है। मैं मांग करता हूं कि राजस्थान सरकार उसी प्रकार से खाद्य सुरक्षा योजना लाकर जो तमिलनाडु में है, जो आन्ध्र प्रदेश में है, जो गुजरात में है, जो महाराष्ट्र में है, जो छत्तीसगढ़ में है, जो मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में बी.पी.एल. को दो रुपये में और ए.पी.एल. को तीन रुपये किलो में गेहूं दे। आपने सिविल सप्लाई कारपोरेशन बनाया है, उसका स्वागत है। उसके साथ आप यह काम करिये और आप यह धोखा मत दीजिये कि खाद्य सुरक्षा कानून भारत सरकार ने पेश कर दिया। उसका जो आपको मिलेगा, इसलिए मैं उस बी.पी.एल. की बात करूं, वह भी गलत है। कुल मिलाकर आपसे मैं इन बातों का जवाब चाहूंगा। आप यह मत समझिये, मुख्य मंत्रीजी, बहुमत के बल पर आप यहां पर यह राजस्थान की जनता पर टैक्स लगा रहे हैं, इनको माफ करके आप लोग ले जाएंगे। हम यहां पर बोलेंगे, बाहर भी बोलेंगे। राजस्थान की जनता को लुटने नहीं देंगे, सरकार का ठेका नहीं है लूटने का। हम विरोध करेंगे इस लूटने का, हम हर कीमत पर विरोध करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप इन मुद्दों पर यहां विधान सभा में जवाब दें। अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको।

श्री अध्यक्ष: माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, 100 लोगों के आसपास हमारे माननीय सदस्य हैं, उन्होंने विचार प्रकट किये, 85 ने किये और 21 घंटे 55 मिनट तक बहस चली। 85 सदस्य हैं, पक्ष-विपक्ष के तमाम लोगों ने बजट में अपने विचार प्रकट किये और मैं समझता हूं कि कई लोगों ने, अधिकांश लोगों ने बजट के प्रस्तावों का समर्थन किया। कुछ लोगों ने सुझाव दिये, कुछ लोगों ने उसकी कमियों को बताया। माननीय उप नेता प्रतिपक्ष या नेता प्रतिपक्ष, क्या कहूं, अभी तक समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि यह पहली बार होगा मेरे खयाल से, कि नेता प्रतिपक्ष कौन है, अभी तक मालूम नहीं है। अगर मान लीजिये, इन्हीं को रखना होता तो आप कम से कम नेता प्रतिपक्ष बना देते तो कम से कम आप लोगों की भी शोभा बढ़ती। पता नहीं, आप लोगों ने क्या सोचकर फैसला नहीं किया और पूरा सदन इस सैशन का... (व्यवधान) पर सबसे बड़ी मुझे इस बात को लेकर निराशा हुई...(व्यवधान) मुझे माननीय उप नेता महोदय के भाषण से बहुत निराशा हुई। मैंने सोचा कि बजट की नीतियों पर, उसकी क्या दिशा हो, उसमें क्या कमी है, उसमें बोलेंगे। पर आपने अपने लच्छेदार भाषण में इसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक कोई अभिभाषण में आ गयी, उस पैरा को मैंने रिपीट कर दिया, पिछले बजट में किया था, सब बोल दिया उसकी भावना क्या थी, अब क्या है, वह देखे बगैर। केन्द्र की योजनाएं आती हैं तो सी.एस.एस. की अलग स्कीम होती हैं, बैंकों में अलग पैसा जाता है, डिवोल्यूशन अलग होता है केन्द्रीय करों का, यह तमाम जानकारी आपके जेहन में है क्योंकि आप बहुत ही पुराने सदस्य हैं। उसके बावजूद भी आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जब कि पूरा सदन तारीफ कर रहा है बजट के प्रस्तावों की। एक और सदन है, जो सदन के बाहर है, जो आम जनता का सदन है, गांव-गांव में बजट प्रस्तावों को लेकर प्रतिक्रिया सुनने को मिली होगी, आपको भी मिली होगी, एक से बढ़कर एक फैसले हुए, पहली बार फैसले हुए, फिर भी हमारे कुछ साथियों ने कहा कि यह बजट दिशाहीन है, मुझे समझ में नहीं आता। तो एक तरफ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि दोनों पक्षों ने जमकर बोला, बहुत अच्छे सुझाव दिये। और सबसे बड़ी मुबारकबाद हमारे इन नौजवान साथियों को चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, उन्होंने अच्छी तैयारी के साथ में, अभी मैं अभिषेक मटोरिया को सुन रहा था, एक से बढ़कर एक, हमारे नौजवान साथियों ने बजट पर बोला। जो भी बोले, मैं समझता हूं यह सबने अपनी तैयारी के साथ में अपनी बात रखी, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। यह भी कहना चाहूंगा कि स्तर बहुत अच्छा था। कुछ आलोचना होती है बजट के अन्दर, कोई नई बात

(श्री अशोक गहलोत)

नहीं है, होनी भी चाहिए। हम इसीलिए बैठे हुए हैं, कम से कम आलोचना में कुछ कमियां सामने आ गयीं तो सुधारने का प्रयास करेंगे, परन्तु अच्छा स्तर रहा, अच्छे सुझाव आये। सरकार कोई ईगो नहीं रखेगी, जैसा आपने कहा, ईगो होना भी नहीं चाहिए। यह तो शिकायत हमारी थी आपसे और आप बात करते हैं भाई-अनुयायी की, भाई-भाभी की बात तो छोड़ दीजिये, वह टाइम गया आपका। केन्द्र सरकार चाहे यू.पी.ए. की है, पहले एन.डी.ए. थी, हम सत्ता में थे, जब जाकर हम अपनी बात करते थे। हम अपनी बात कहते या हम अपना हक मांगते और एक कायदा भी हुआ लोकतंत्र के अन्दर, आप निश्चित रहें कि राजस्थान के हित की रक्षा करने में सरकार कोई कमी नहीं रखेगी। जो हमारे अपने हक होंगे, जो हमारे यहां की समस्या है, जो चुनौतियां हैं उन पर आप निश्चित रहें, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि केन्द्र सरकार आगे आकर सहयोग करेगी। अभी भी कोई कमी नहीं रखी। मैं समझता हूं कि जो प्रस्ताव हमने दिये, पीने के पानी की समस्या को लेकर कुछ पिछली गवर्नमेंट जो आपकी थी, उस वक्त कुछ पैरवी में कमी रख दी तो वे नार्म्स बदल गये थे, अभी हमारे माननीय पंचायत राज मंत्री, भारत सरकार ने पुन: प्रयास करके, 508 करोड़ रुपये कट गये थे, वापिस हमें दिला दिये हैं, यह मैं आपकी जानकारी में कहना चाहता हूं। यह भी कहना चाहूंगा, इसी कारण से जो आपको लग रहा है कि पानी के मद के अन्दर कटौती हुई, वह कटौती नहीं हुई है। जो कटौती हुई थी वह ठीक हो गयी है। कटौती हुई थी इसलिए मैंने नाबार्ड से लोन लिया। नाबार्ड से लोन लेने के कारण से जो बजट एस्टीमेट था, फिर रिवाइज एस्टीमेट में जो फीगर आया है और इस बार जो हमने रखा, उसमें जो फर्क लग रहा है आपको, मैं अभी इसमें आपको बताऊंगा, उस कारण से लग रहा है हमें, वर्ना हमने कोई कटौती पीने के पानी के अन्दर नहीं की है, यह मैं कहना चाहता हूं आपको।

पर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस बजट के अन्दर पहली बार जो आपने अभी दक्षिण के राज्यों का उदाहरण दिया, अच्छा है कि आपको पूरी जानकारी है कि दक्षिण के राज्यों में किस प्रकार चावल को लेकर, गेहूं को लेकर योजना चल रही है। आज नहीं चलती, वर्षों से चल रही है वहां पर। परन्तु आप कम्पेयर तमिलनाडु से कर रहे हैं, आंध्र से कर रहे हैं, कर्नाटक से कर रहे हैं। आप कम्पेयर, हिमाचल भी है, गुजरात भी है, मध्य प्रदेश भी है, पंजाब भी है, हरियाणा भी है, वहां से भी कर सकते हैं। हमने प्रयास किया पहली बार राजस्थान के अन्दर, आप भी कर सकते थे। अध्यक्ष महोदय, मैं

(श्री अशोक गहलोत)

कहना चाहूंगा कि आपने भी पांच साल तक शासन किया, दो रुपये किलो गेहूं देने का फैसला आप कर सकते थे, आपने तो नहीं किया। हमने प्रयास किया है। उदयपुर से आने वाले हमारे माननीय साथी, वह तो उस दिन भावुक हो गये थे बोलते हुए, बजट के प्रस्ताव को लेकर एक माननीय इतने वरिष्ठ साथी हमारे भावुक हो गये, और यह भावुकता पूरे प्रदेश के अन्दर है, सब लोगों ने इसको एप्रीशिएट किया। इस सरकार ने इस महंगाई के वक्त में, महंगाई को स्वीकार सब करते हैं, महंगाई को लेकर राष्ट्रीय बहस चल रही है, महंगाई को लेकर पार्लियामेंट के अन्दर एडजोर्न भी हुए हाउस कई बार और महंगाई को लेकर वहां बहस भी हुई है। महंगाई को लेकर मुख्य मंत्री स्तर के सम्मलेन भी हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर ने बुलाये हैं। महंगाई को लेकर प्राइम मिनिस्टर के कमेंट्स भी आते हैं, कृषि मंत्री के कमेंट्स आते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर के कमेंट्स आये हैं। आप जानते हैं, आपके कमेंट्स आते हैं, हमारे कमेंट्स आते हैं। महंगाई डेढ़ साल बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। महंगाई को रोकने का, इनफ्लेशन नहीं बढ़े, यह पूरा प्रयास केन्द्र सरकार कर रही है। क्या-क्या कदम उठाये हैं, यह आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लम्बा वक्त हो गया है। क्या यह कदम उठाये जा रहे हैं, कई बार महंगाई कंट्रोल में आती भी है, भाव फिर बढ़ते भी हैं, तो मैं भी उन बातों को रिपीट नहीं करना चाहूंगा जो मैंने अभी थोड़े दिन पहले कहा, कि क्या-क्या कदम हमने उठाये हैं, मैं समय सदन का बर्बाद नहीं करना चाहूंगा। पर यह मैं कहना चाहूंगा कि बड़े फैसले हमने किये हैं, वह भी मैं समझता हूं कि महंगाई को देख कर भी हमारे कई फैसले हुए हैं। आज दो रुपये का जो फैसला है गेहूं का, उसका सब ने वैलकम किया, मैंने आपको कहा। आपने खुद एप्रीशिएट किया अभी, फूड और सिविल सप्लाई कार्पोरेशन बनाने का, यह बड़ा फैसला है। यह बड़ा फैसला है, मैं समझता हूं कई राज्यों ने किया भी है। हम चाहते हैं इसके माध्यम से समय पर चाहे गेहूं है, चाहे केरोसिन है, चाहे अन्य सामग्री है वह कैसे पीडीएस के माध्यम से पहुंचे गांव तक, गरीब तक, यह हमारा प्रयास रहेगा, इसलिए फैसला हुआ है।

ऊर्जा के क्षेत्र को लेकर आपने कई आलोचनाएं कीं, मैं समझता हूं आप तो बिजली मंत्री रहे हुए हैं, यह तो आप मानेंगे, ऐसा फैसला कभी नहीं हुआ आज तक।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उसमें एक और मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, 529 करोड़ रुपये, शायद किसी ने नहीं सुना होगा, केवल कम्प्यूटर पर, सारे राजस्थान में पांच करोड़ रुपया आप शिक्षा में कम्प्यूटर पर खर्च रहे हैं। 529 करोड़ रुपये बिजली में कम्प्यूटर पर, कहां से आया यह, 529 है, पता कर लीजिये।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का दुःख रहेगा कि आप जैसे नेता प्रतिपक्ष या उप नेता हैं, लम्बे समय तक राजनीति कर रहे हैं। इक्कीसवीं सेंचुरी का जमाना आ गया है, पावर सैक्टर की कम्पनियों में आज हम लोग पचास हजार करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं, 12120 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए पचास हजार करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। हमने ट्वेल्थ प्लान की तैयारी अभी कर रखी है। मेरे खयाल से हिन्दुस्तान के किसी राज्य ने नहीं की होगी, छह प्लांट अभी लगा रहे हैं पब्लिक सैक्टर में, छह प्लांट उस वक्त लगाएंगे। तो कहां की बात कर रहे हैं आप? 529 करोड़ किसे कहते हैं, कम्प्यूटर्स नहीं होते हैं पूरा सिस्टम होता है, पूरी जो नैटवर्किंग बनी है, जीएसएस की बनी है। आप शब्दों पर जा रहे हैं, कि आप उसकी जांच करवा लें। मैं खुद जांच करवा लूंगा उसकी। मैं खुद चाहूंगा एक नया पैसा पब्लिक का जो मैं कई बार कह चुका हूं, हम सब, माननीय अध्यक्ष महोदय, हाउस में बैठे हुए लोग हैं, मैंने कई बार रिपीट किया है, हम लोग सब ट्रस्टी हैं, जनता के मुनीम, गुमाश्ते हैं, एक-एक नये पैसे का हिसाब रखना हमारा कर्तव्य बनता है। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, इसमें किसी भी तरह की फिजूलखर्ची नहीं की जाएगी। पर जो सिस्टम है आज, आज 765 केवीए का जीएसएस बन रहा है, पहली बार बन रहा है आजादी के बाद में। कोई जमाना था। हीरापुरा में एक जीएसएस था 400 केवीए का, एक था। 1998 में हम लोग सत्ता में आये थे तो छह बने राजस्थान के अन्दर। आप लोगों ने कुछ बनाये होंगे। 765 केवीए के जीएसएस पहली बार बन रहे हैं फागी में और अंता के अन्दर। उसके अलावा भी 132 केवीए के, 132 केवीए का तो पूरा जाल बिछ रहा है। रिफार्म्स करने के बाद में, देखा होगा आपने, किस प्रकार से ट्रांस्मिशन सिस्टम में सुधार हुआ। उसको आपने आगे बढ़ाया, उसका इम्पैक्ट रहा होगा। अगर हम रिफार्म्स नहीं करते, बड़ा फैसला था वह भी, रिफार्म हमारे वक्त में हुए, कम्पनियां बन गयीं। जनरेशन, पूरी कंट्री के अंदर हम नम्बर वन रहे, पहले भी आपको बताया। आते ही 12120 मेगावाट तो मैं कह रहा हूं पब्लिक सैक्टर के अंदर, प्राइवेट सैक्टर की बात तो मैं अलग करूंगा कभी। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी प्रायोरिटी हमने जो

(श्री अशोक गहलोत)

दी है 52 प्रतिशत को लेकर, सोच-समझ कर दी है। फिर भी विपक्ष के साथी जो कमियां बताएंगे या अपनी भावना बताई है, मैं आपको कहना चाहूंगा, सरकार कोई अहम नहीं लायेगी, जो सुझाव पक्ष-विपक्ष ने दिये हैं उनको उसमें सुधार करेगी। मैं खुद मानिटरिंग करूंगा इसकी, क्योंकि हमारे से कुछ कमियां रही हैं। पिछली बार हमने जुलाई में बजट पेश किया पूरा। नीतियां मैंने पिछली बार भी आपको कहा कि कोई एकदम बनती नहीं हैं, नीतियां बनने में साल लगता है, छह महीने लगते हैं, दो साल लगते हैं। जल नीति तो हमने शुरू की थी बनानी, हम नहीं बना पाये, सरकार चली गयी, आप पांच साल तक नहीं बना पाये, पूरे पांच साल निकाल दिये आपने। अब जाकर हमने बनाई है। तो कुछ पालिसी का मतलब ही यह है कि सोच-समझ कर, विचार-विमर्श करके, विशेषज्ञों की राय लेकर फिर बनाई जाए जिससे कि कम से कम नीति कहलाए, आप पूछ सकें, पब्लिक पूछ सके कि भई, नीति का क्या हुआ, नीति में प्रोवीजन है उसमें आपने कहां डीविएशन किया है, कहां कमी रखी है, कहां खामी रखी है, नीति इसीलिए बनती है। तो कम से कम नीतियां बनाई हैं हम लोगों ने, प्रयास किये। कुछ जुलाई के अन्दर बजट पेश हुआ, बहुत कम वक्त मिला था हम लोगों को। मैंने पहले भी निवेदन किया है आपको, दिसम्बर के अन्दर हमने प्रयास किये, फिर रिव्यू किया तो मालूम पडा कि हम 48 प्रतिशत ही खर्च कर पाये अभी क्योंकि जुलाई 29 को तो बजट पास हुआ, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर मिला हम लोगों को। फिर हमने थोड़ा मानिटरिंग की, सी.एस. के माध्यम से हमने सब डिपार्टमेंट को वार्न भी किया। आपने खुद देखा है उसका असर पड़ा। जो फीगर आप बता रहे थे कि बारह हजार करोड़ ही खर्च हुए हैं, माननीय सदस्य कटारियाजी ने बताया, कुछ लोगों ने और भी कहा। मैं आपको कहना चाहूंगा, अभी मैं आपको आंकड़े दूंगा, यह कोई नई बात नहीं है। जनवरी आते-आते आपकी गवर्नमेंट के वक्त में क्या स्थिति थी, वह भी आपके सामने आएगी। कहना बड़ा आसान है कि अठारह हजार करोड़ का बजट था, बारह हजार करोड़ ही खर्च किये। हाउस के सदस्य देखते हैं कि वास्तव में बहुत बड़ी कम रह गई दिखती है। ऐसी बात नहीं है। जनवरी तक जनरली चाहे आपकी गवर्नमेंट रही हो, चाहे हमारी गवर्नमेंट रही हो, इस प्रकार के खर्चे ही होते हैं। उसके बाद में आप खुद देखेंगे जो अभी हमने वापस कहा है, जो आर.ई. के अंदर बताया आपको, कि हम पूरा बजट करीब-करीब पूरा कर रहे हैं, खाली 73 करोड़ रूपये कम रहेंगे बजट के अन्दर। यह तो उस वक्त बतायेगा अप्रैल के अंदर कि वास्तव में कितना खर्च होता है, उस वक्त

(श्री अशोक गहलोत)

तक कितना एक्सपेंडीचर होता है। सड़कों का कांकरीट एक्शन प्लान बना इतना बड़ा जिसमें 4995 किलोमीटर सड़क के निर्माण का बड़ा काम हाथ में लिया गया है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना एक नई वैज्ञानिक पद्धति को अपनाकर हमने फैसला किया, पूरे प्रदेश के अन्दर मैं समझता हूं कि इसका इम्पैक्ट रहेगा। क्योंकि किसान को जो योजना पहले चलती थी, हमारे वक्त में ही शुरू हुई थी, आपने देखा कि किस प्रकार उस योजना में पूरा पैसा मिल नहीं पा रहा था किसानों को, शिकायत रही थी। तो जो-जो फ़ैसले हमने किये, बी.पी.एल मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष अगर इसके अन्दर हमने वृद्धजनों को, विधवाओं को, विकलांगों को जोड़ा उसका सब जगह वैलकम हुआ। हमने सब की पेंशन बढ़ाई पहली बार, सालों बाद बढ़ी हैं, 160 करोड़ रुपए खर्च होंगे उसके अन्दर। मास्टर प्लान गांवों की हमने बात की। इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट और डोमेस्टिक वर्क्स सिक्योरिटी जिसको हम घरेलू नौकर कहते हैं, पहली बार राजस्थान के अन्दर एक्ट बनाया जा रहा है कि कम से कम घरेलू नौकर कहलाता है, डोमेस्टिक सर्वेन्ट है, उसको भी सुरक्षा मिले। यह कानून लेकर आ रहे हैं हम लोग। शहरीकरण आयोग बनाया हम लोगों ने, यूनानी का नया निदेशालय बनाने की बात कही। जयपुर और जोधपुर में पुलिस कमिश्नरी की बात की गयी है, जो पहले कई बार चल चुकी है। लोक सेवकों से संबंधित शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु आयोग बनाने की बात की गयी है, यह फैसला इम्पेक्ट डालेगा। किसी लोक सेवक की शिकायत होगी, पहले अपने विभाग में जाए, अपील के रूप में यहां आयेगा तो एक नया आयोग बनेगा इसका। यह बड़ा फैसला है। महिला अथोरिटी बनाई गयी हैं इतने मेलों में जो घटना हुई उसको लेकर।

ये तमाम जो फ़ैसले हुए हैं, स्पेशल कैटेगरी का जो आपने अभी बताया, सुप्रीम कोर्ट तक जाने का आपने सहयोग देने की बात कही है एज ए वकील के रूप में इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। उम्मीद करता हूं कि बिना फीस भी और बिना कहे हुए पब्लिक इंटरेस्ट में आप इस काम को करेंगे। यह कहना चाहूंगा इस मौक़े पर क्योंकि यह इश्यू बड़ा इश्यू है, इसको लेकर कलंक लग चुका है राजस्थान पर। सरकार चाहे किसी की भी हो पर 70 गुर्जर मारे गये थे, 90 किसान मारे गये थे उन दिनों के अन्दर, राजस्थान की जनता भूल नहीं सकती, देश भूल नहीं सकता। प्रयास किया आपने, एक्ट लेकर आये पिछली बार। मैंने कहा आपको, साथ में 40 प्रतिशत और मिल गया।

(श्री अशोक गहलोत)

एक साल लगाया गवर्नर साहब ने, बाद में उन्होंने साइन किये तो हाई कोर्ट में स्टे हो गया। तो यह समस्या ऐसी है जो कि आपकी और हमारी व्यक्तिगत समस्या नहीं है। यह समस्या ऐसी हैं जिसमें कैसे खून-खराबा नहीं हो, कैसे शांति, सद्‌भाव बना रहे, कैसे गुर्जर हों, मीणा हों वापस पुरानी परिपाटी में आएं, कैसे जातियों का संघर्ष आपस में नहीं हो, यह काम तो आपको हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि इसके अन्दर जो भी आप सुझाव देंगे हाई कोर्ट के अन्दर, सुप्रीम कोर्ट के अन्दर, किसी वकील को करना है, मैंने ओपन आफर की थी, सरकार वहीं काम करेगी जो सबकी राय होगी। हम चाहेंगे कि जिस भावना से आपने एक्ट पास कराया वह भावना पूरी हो। राजस्थान के अन्दर। इसके लिए भी हमने पैकेज देने का प्रयास किया। इसका बड़ा वैलकम हुआ है। सभी लोगों ने इसका वैलकम किया है। पोस्ट मैट्रिक उनके लिए स्कालरशिप की बात की है, उसका लोगों ने वैलकम किया है। ये तमाम बातें जो हैं अपनी जगह हैं।

मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि कोई भी राज्य की इकानोमिक स्थिति जीएसडीपी और साथ में आपकी पर-कैपिटा इनकम क्या है? उस पर निर्भर करती हैं और जो आंकड़े हमने दिये हैं, अभी आर्थिक समीक्षा के अन्दर आपने पढ़े होंगे, पढ़ने की हैबिट है आपकी तो, उसके अंदर भी जो सूचक है उसके आधार पर जीडीपी जो राजस्थान की है, 2 लाख 19 हजार 769 करोड़ रुपए के बराबर आंकलन किया गया है। यह आप मानेंगे, ये आंकड़े हैं। 2008-09 के अन्दर 2 लाख 1 हजार 675 करोड़ रुपए की तुलना में 8.97 प्रतिशत ज्यादा दर्शाता है यह एक साल का कार्यकाल, जबकि उस वक्त चुनाव भी आये, कोड आफ कंडक्ट लागू हुआ बार-बार, ये फीगर तो आंकड़े हैं जो आपके वक्त के हों, चाहे हमारे वक्त के हों समीक्षा के, ये हैं। जो मैं पढ़कर बता रहा हूं आपको। इसी ढंग से 2008-09 और 2009-10 के जो दो वर्ष हैं उसके अन्दर पर-कैपिटा इनकम में भी 6.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ये आंकड़े भी आर्थिक समीक्षा के हैं जो आपके वक्त में वही थी, हमारे वक्त में भी वही है। तरीका होता है, यह तब की स्थिति है जब हालात बड़े गम्भीर हुए। साथ में अकाल, सूखा आ गया, 27 ज़िलों के अन्दर 33 हजार गांव सूखाग्रस्त घोषित कर दिये गये और जून से सितम्बर की जो बरसात की स्थिति रही 33 प्रतिशत बरसात कम हुई है, तब भी ये आंकड़े आये हैं। इसका मतलब है, सालभर के अन्दर आपने जो कल्पना कर ली कि 18 हजार करोड़ की जो

(श्री अशोक गहलोत)

योजना है वह ठप हो जाएगी, 12 हजार करोड़ पर खतम हो जाएगी और कटारियाजी ने कहा कि 15 हजार से आगे नहीं बढ़ोगे, वक्त बताएगा कि किस प्रकार से जो घोषणाएं हमने की हैं चाहे वह इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात हो, ऊर्जा की हो, पेयजल की हो, सिंचाई की सुविधा बढ़ाने की बात हो, ग्रामीण विकास और सामाजिक सुरक्षा की बात हो, जो हमने बजट में प्रोविजन करवाया है उसके आधार पर यह काम होगा। लास्ट में यह कहना चाहूंगा कि आर्थिक समीक्षा के बतौर हम कृषि के अन्दर इसलिए पिछड़े हैं, बरसात नहीं होने से इस क्षेत्र में हम लोग पीछे रहे हैं। बाकी आप देखेंगे कि हम लोगों ने पर-कैपिटा इनकम में भी बढ़ोतरी की, जिसका मैंने अभी जिक्र किया है।

अब मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने देखा होगा, कई बार हमने इस हाउस में बात की है, कास्ट आफ डिलीवरी हमारी बहुत ज्यादा हैं, सर्विस पहुंचती नहीं है गांवों तक, राजस्थान के जो हालात हैं इसको लेकर पानी में, बिजली में, पेंशन के अन्दर भी, कोई भी सर्विस हो, गांव तक पहुंचानी हो तो कैसे पहुंचे जिससे कि ट्रांसपेरेंसी भी रहे और गरीब तक पहुंच सके, गांव तक पहुंच सके, विकास हो सके। इसलिए राजीव गांधी के एक जमाने के अन्दर बात उठी थी कि एक रुपया रवाना होता है, 15 नए पैसे पहुंचते हैं। हमने, आपने देखा होगा, 5 करोड़ रुपए का एक अलग फण्ड बनाया है। हम चाहेंगे कि आईटी को लेकर नवाचार करें। आईटी को लेकर 3 प्रतिशत रखा था हम लोगों ने प्रोविजन पिछले बजट के अन्दर, उसको रिपीट नहीं किया इस बार हमने। आप कहते हो इसको रिपीट कर दिया आपने, इस बार रिपीट नहीं किया है, पर एक पोलिसी बना दी कि पूरी गवर्नमेंट के हर विभाग 3 प्रतिशत तक आईटी में खर्च कर सकते हैं। आईटी के माने तो आप भी समझते हैं, सब समझते हैं हम लोग। आईटी को पहले लोग समझते नहीं थे, राजीव गांधी ने जब कहा कि 21वीं सदी में जाएंगे तो लोगों ने कहा क्या जाएंगे। जा ही नहीं रहे हैं, नई बात क्या कह रहे हैं और नई बात तब मालूम पड़ी जब टेलीफोन के अंदर इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज आये, एसटीडी बूथ लगे गलियों के अन्दर, फिर मोबाइल फोन आये, फिर कम्प्यूटर आये, इन्टरनेट आये, ई-मेल हुआ। आज पूरी दुनिया की खबर घर बैठे-बैठे एक बच्चा जो नौजवान है, वह देख लेता है। मेडिकल हो, चाहे किसी भी सेक्टर का हो। तो आज इसको लेकर राजस्थान के अन्दर भी नेटवर्क कैसे बने? भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने छूट दी है हम लोगों को, आज हम लोग 248 पंचायत समितियों के अन्दर 9164 ग्राम पंचायतों में राजीव गांधी सेवा केन्द्र बना रहे हैं और उनको आईटी से

(श्री अशोक गहलोत)

जोड़ने का तय कर लिया है। पहले भी मैंने कहा आपको उस दिन, हम चाहेंगे कि सारी सर्विसेज की गांव वालों को भी सुविधा मिले जो शहरों के लोगों को मिलती है, इस प्रकार का हमारा प्रयास है। मैं समझता हूं कि उसमें सबका सहयोग मिलेगा।

हमने जन अभाव अभियोग निराकरण आयोग बनाने की बात की है, जिसका अभी मैंने आपको जिक्र किया। भुगतान जो पेमेंट होता है, वह कैश की बजाय बैंक और पोस्ट आफिस से हो, पूरे प्रदेश के अन्दर हर जगह भुगतान का नवाचार करने का प्रयास कर रहे हैं। स्थानान्तरण नीति की मैंने बात कही है, स्थानान्तरण नीति पर कई बार डिस्कशन हुआ है और उसके कारण से भी मैं समझता हूं, गुड गवर्नेंस कठिनाई आती हैं। यह नीति बनेगी तो उसका लाभ मिलेग राजस्थान के अंदर यह मेरा मानना है। ये हमने प्रयास किये हैं, इस प्रकार प्रयास सरकार का है कि किस प्रकार आप सबके सहयोग से गुड गवर्नेंस हो। अब मैं कहूं बार-बार कि संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेही प्रशासन देंगे तो खाली मेरे अकेले के कहने से नहीं हो सकता। मैंने कई बार कहा है, वह सबके सहयोग से सम्भव हो सकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि जो हम लोगों ने प्रयास किये हैं, वे मैंने आपके सामने रखे। अभी हमारे उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कम्पेयर किया अपने भाषण के अन्दर कि आपके वक्त में क्या हुआ और हमारे वक्त में क्या हुआ था। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि दोनों को हम कम्पेयर कर नहीं सकते। दोनों समय क्योंकि फाइनेंशल स्थिति पूरी कंट्री की बिलकुल डिफरेंट थी। एनडीए की गवर्नमेंट की बिलकुल डिफरेंट थी। मैंने पहले भी कहा कि एनडीए की गवर्नमेंट खुद भी संकट में थी, उसकी रेवेन्यू रिसीट बहुत कम थी तो डिवोल्यूशन कम किया। पूरे देश के अन्दर हर राज्य सरकार संकट के अन्दर थी उस वक्त में। यूपीए गवर्नमेंट आते ही सिनेरियो बदल गया वो आपके सामने है जिस प्रकार से आपने कहा कि आपने दिल्ली को लिख दिया कि प्रेरणा लेंगे हम लोग केन्द्र सरकार के बजट से और प्रणव मुखर्जी से प्रेरणा लेंगे। आप बहुत समझदार हैं, बहुत ही बुद्धिजीवी हैं, पण्डित हैं। आप जानते हो कि पण्डितजी का दिमाग बहुत फर्टाइल होता है। आपसे हम तो कुछ बातें सीखना चाहते हैं। किस प्रकार से सीखें, यह तजवीज लड़ा रहे हैं जिससे कि हाउस भी ठीक चले और शांति भी रहे। यह तो बड़ी कृपा की आपने, हमारे तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य बैठै हुए हैं, कृपा की आप लोगों ने कि मुझे कम से कम आपने दूसरी बार, तीसरी बार बोलने का मौका दिया है, मैं आपका आभारी हूं। पिछले बजट

(श्री अशोक गहलोत)

में तो आप लोगों ने जिस प्रकार से तमाशा किया, अब मुख्य मंत्री को बजट बहस में रिप्लाई न करने दें, फाइनेंस बिल पर नहीं बोलने दें, एप्रोप्रियेशन बिल पर नहीं बोलने दें, ऐसा कभी हुआ है आज तक हिन्दुस्तान में? कुछ भी हो जाए, नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं तब और चीफ मिनिस्टर, सदन के नेता बोलते हैं तब कम से कम, क्या जनता उम्मीद करती है हम लोगों से कि क्या बोलेंगे वो, क्या कहेंगे, किसकी क्या कमजोरियों होंगी, क्या कमियां बताएंगे। आपने वो मौका भी नहीं दिया हम लोगों को। आज मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे पहले बुलाया, अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, पिछली बार वो भी मुझे नहीं मिला मौका।

अब मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो मंदी का दौर था एनडीए के वक्त में, जिसको कम्पेयर कर रहे हैं हमारे कटारिया साहब, टैक्स ग्रोथ की कमी थी और ब्याज दरें बहुत ज्यादा थीं। सभी राज्य रेवेन्यू डैफिसिट में थे उस वक्त, जो मैंने कहा आपको कि ओवरड्राफ्ट में आते थे। सबका हाल खराब था। फिस्कल डैफिसिट बहुत ज्यादा था, हर राज्य का था। ये आंकड़े बताते हैं, मैं नयी बात नहीं कर रहा हूं। सबसे बड़ी बात है, कटारिया साहब, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा क्योंकि आपने काफी मेहनत करके आंकड़े, एकत्रित किये थे, कि इलैवंथ फाइनेंस कमीशन, वैसे तो मुझे सौभाग्य मिला इलेवंथ फाइनेंस कमीशन के ए.एन. खुसरो साहब थे, 1999 में आये थे यहां पर, उनकी रिकमंडेशन के पहले हमने उनको पैरवी की थी। मेरे वक्त में हुआ था इलैवंथ फाइनेंस कमीशन भी। ट्वैल्थ फाइनेंस कमीशन में श्री रंगराजनजी आये थे, वो हमारे वक्त में 2003 में ही आये थे। बाद में सरकार बदल गयी, वो पांच साल आपका पीरियड रहा था। उनकी रिकमंडेशन अलग थी। अभी जो हाल ही में आये थे विजय केलकर साहब, तब भी हमारे वक्त में आये थे वो अलग बात थी, पर मैं कहना चाहूंगा, आप तो बिलकुल समझ जाएंगे मेरे खयाल से, कि केन्द्रीय करों में राज्य को वेतन आयोग के जो प्रोजैक्शन होते हैं, राज्यों के उन प्रोजैक्शन से आपको जानकर दुःख होगा, हमारे वक्त में एक-एक साल का बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा, कुल मिला कर बता रहा हूं चार साल का 2000 से लगा कर 2004 तक के जिनमें तीन महीने आपके आये थे, उसमें प्रोजेक्शन तो था 15,122 करोड़ रुपये का और हमें मिले 12,384 करोड़ रुपये सिर्फ। मतलब प्रोजैक्शन जो होते हैं, यह तो आप समझ सकते हैं कि फाइनेंस कमीशन के जो प्रोजैक्शन होते हैं उसके आधार पर सरकारें अपना बजट बनाती

(श्री अशोक गहलोत)

हैं। 2738 करोड़ रुपये कम मिले हम लोगों को। केन्द्र से जो डिवोल्यूशन होता है सेन्ट्रल टैक्सेज का उसके अन्दर 2738 करोड़ रुपये कम मिले हम लोगों को क्योंकि केन्द्र सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिये थे कि हमारी खुद की स्थिति खराब है, हम आपको इससे ज्यादा नहीं दे पायेंगे। यह स्थिति थी। अब आप आइये जो नैक्स्ट कमीशन की रिकमंडेशन थी ट्वेल्थ फाइनेंस कमीशन की। आपका शासन आ गया, आप बहुत सौभाग्यशाली रहे। वित्तीय प्रबंधन बहुत शानदार हमारा है, वो कोई आपका वित्तीय प्रबंधन शानदार नहीं था, वो शानदार यह था कि ट्वैल्थ फाइनेंस कमीशन की रिकमंडेशन जो थी उसके आधार पर आपको आश्चर्य होगा, और बहुत अच्छा लगेगा आपको कि प्रोजैक्शन था 25,481 करोड़ रुपये का 2005-2009 तक चार साल का और आपको मिले 29,587 करोड़ रुपये केन्द्र से डिवोल्यूशन में। और बाकी सीएसएस में छोड़ दीजिये और मद में छोड़ दीजिये पैसा। आजकल तो नरेगा भी आ गया, सब में आ गया, परन्तु खाली डिवोल्यूशन जो था उसी पर बात कर रहा हूं, जो केन्द्रीय करों का हिस्सा राज्यों को मिलता है सिर्फ एक मद बता रहा हूं, वो 29,587 था। इसका मतलब है कि प्रोजेक्शन से भी 4,099 मतलब करीब-करीब 4100 करोड़ रुपये अधिक मिला। इस प्रकार मिला कर हमारे से कम्पेयर आप करें तो आपको 17,203 करोड़ रुपये ज्यादा मिले। सरकार यूपीए की थी, कोई भेदभाव नहीं किया उसने और आपको 17,203 करोड़ रुपये ज्यादा मिले।

एक तो यह बात हुई। दूसरा, आप बहुत विद्वान हैं, यह भी कहना चाहूंगा मैं आपको कि रेवेन्यू डेफिसिट से तमाम राज्य रेवेन्यू सरप्लस में आ गये उस वक्त में। जब आप सरप्लस में आये थे न, खाली आप ही नहीं आये थे, पूरे देश के राज्य जो रेवेन्यू डेफिसिट में थे वो रेवेन्यु सरप्लस में आ गये क्योंकि केन्द्र ने डिवोल्यूशन अच्छा दिया, अच्छी नीतियां बनाईं, अच्छी ग्रोथ रेट हुई। एक काम और किया क्योंकि संकट में चल रहे थे राज्य, इसलिए केन्द्र सरकार ने ट्वेल्थ फाइनेंस कमीशन की रिकमंडेशन दी, कमीशन ने खुद दिया सोच कर कि ...

पानी पी लूं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हां।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): धन्यवाद। पूछना जरूरी है। ये चीफ व्हिप हैं ही, आपके चीफ व्हिप भी हैं इनको पूछ लेते हैं।

(श्री अशोक गहलोत)

एक और अच्छा काम किया ट्वैल्थ फाइनेंस कमीशन ने कहा कि राज्यों की हालत बहुत खराब है, देश के अन्दर इसलिए जरूरी है कि कोई रास्ता निकाला जाए। हालांकि एनडीए गवर्नमेंट के वक्त में डैट स्वैप आया था, हमारे वक्त में शुरू हो गया था, उस वक्त वो अलग मद था, वो अलग आएंगे। कम ब्याज लगे अधिक ब्याज वाला ट्रांसफर करके, वो डैट स्वैप स्कीम कहलाती है हमारे वक्त में जब हम थे, यहां सत्ता में एनडीए गवर्नमेंट थी तब उन्होंने शुरूआत की थी, इसका फायदा बाद में आपको बहुत ज्यादा मिला। परन्तु उसके लिए ट्वैल्थ फाइनेंस कमीशन ने क्या किया उन्होंने एक स्कीम निकाली कि जितने भी कर्जे हैं राज्यों के, क्योंकि हमारे वक्त के कर्जे 10 प्रतिशत पर, 9 प्रतिशत पर, 8 प्रतिशत पर, आपके वक्त पर भी 9 प्रतिशत पर, 7 प्रतिशत पर, 6 प्रतिशत पर हो गये होंगे। पहले भैरोंसिंह शेखावत साहब के वक्त से ही देखें, उसके पहले देखें हम लोग जब से कर्जे शुरू हुए जिसको आप कह रहे थे कि अब आप लखपति बन रहे हो उस पर मैं आऊंगा अभी। लखपति हम ही नहीं बन रहे हैं लखपति हर राज्य बन रहा है अब तो, पर मैं यह कहना चाहूंगा कि कंसोलिडेशन करों का होकर साढ़े सात प्रतिशत इंट्रैस्ट रेट रख दी कि 7.5 प्रतिशत पर कर्जा का ब्याज होगा, उसके कारण 7,11 करोड़ रुपये का अलग लाभ मिल गया उस साल के अन्दर। तो आप कल्पना करें, आयोग के प्रोजक्शन से आपको 4,099 करोड़ रुपये मिले, हमें मिले उससे आपको 17,203 करोड़ रुपये ज्यादा मिले, 7,11 करोड़ आपको एक्स्ट्रा मिल जाएं। इंट्रैस्ट का यह जो फायदा मिला आपको ब्याज दर कम करने से, वो चलता रहा पांच साल तक, चार साल तक लगातार। यह सरप्लस जो आपने बताया, माननीय विधायक महोदय उदयपुर से आने वाले, आपने कहा कि हमारे वक्त में हम सरप्लस में आ गये थे मैं कहना चाहूंगा कि आप सरप्लस में 2006-07 में आये 638 करोड़ रुपये से क्योंकि, मैंने आपको अभी बताया, निवेदन किया कि ट्वैल्थ फाइनेंस कमीशन का जो पैसा है उसके प्रोजैक्शन से आपको 881 करोड़ रुपये अधिक मिले अगर वो नहीं मिलता तो आप 250 करोड़ रुपये माइनस में होते, रेवेन्यू डैफिसिट होता। 2007-08 के अन्दर 1653 करोड़ रुपये आपके सरप्लस रहे ये टीएफसी से 1,790 रुपये ज्यादा मिले प्रोजैक्शन से, वो नहीं मिलते तो 137...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्यों नहीं मिलते?

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): हमें नहीं मिले इसलिए नहीं मिलते। हमें नहीं मिलते न ...(व्यवधान) आपको मैं यही निवेदन करना चाह रहा हूं कि ऐसे नहीं मिलते कि हमें नहीं मिले। हमारे वक्त में जो प्रोजैक्शन था उससे हमें कम मिले क्योंकि स्थिति खराब थी एनडीए गवर्नमेंट की, यही मैं कहना चाहता हूं आपको। मैं कम्पेयर कर रहा हूं खाली। मैं तो खाली फैक्चुअल पोजिशन बता रहा हूं आपको कि उस वक्त में स्थिति खराब थी देश की, एनडीए गवर्नमेंट के वक्त पर डिवोल्यूशन 2007 में 38 प्रतिशत कम हुआ और यूपीए गवर्नमेंट में आपको डिवोल्यूशन अधिक मिला। अगर कम्पेयर करें तो 17,208 करोड़ रुपये 4,099 करोड़ रुपये आपको ज्यादा मिले। मैं यह कहना चाहूंगा, और कुछ नहीं कहना चाहता। नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है। भगवान करे, और अधिक मिलता तो अच्छा रहता। बात सिर्फ इतनी-सी है, आपने कहा कि हमारे वक्त हम लोग रेवेन्यू सरप्लस में आ गये थे। मैं कह रहा हूं कोई वित्तीय प्रबंधन की वजह से आप नहीं आये जो कि आपकी तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदया बार-बार बोलती थीं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): हमारी कोई अच्छी बात भी आपको अच्छी नहीं लगती।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अच्छी लग रही है। आपको मैं बता रहा हूं जो आपने हाउस में ब्रीफ किया, मेरा फर्ज बनता है कि मैं बताऊं। वास्तव में आपको ग़लतफ़हमी थी, पैसा केन्द्र से आपको मिल गया इस कारण से आप सरप्लस में आये थे, यह मैं कहना चाहता हूं, बाकी कुछ नहीं कहना चाहता। यह मैंने आपको बता दिया, डैट स्वैप का भी आपको लाभ मिला इसलिए मैं रिपीट नहीं करना चाहता उसको।

विश्व मंदी की बात हम कर रहे हैं, विश्व मंदी का असर पूरे देश में हुआ। मैंने कहा कि यूपीए गवर्नमेंट की पालिसी से सबसे कम असर हमारे मुल्क पर पड़ा जो फैक्ट है। हम बार-बार बात करते हैं, हम भी बात करते हैं आप भी बात करते हो, भैरोंसिंहजी साहब मुख्य मंत्री थे तब हम भी कहते थे कि कर्जे बढ़ रहे हैं, 24 हजार करोड़ के कर्ज हो गये। हम आये तो बढ़ते-बढ़ते वे 56 के हो गये। आप जब उधर गये हो तो 84 के छोड़ कर गये हो। यह तो फैक्ट है। इस पर आप चाहेंगे तो कभी अलग से बहस कर लें, कम से कम आपका और हमारा सबका भ्रम दूर हो जाएगा। 24170 करोड के कर्जे भैरोंसिंहजी साहब के वक्त में छोड कर गये थे 1998-99 में, हम छोड कर गये

(श्री अशोक गहलोत)

2003-04 में 53630 करोड के, आप छोड कर गये हो 84023 करोड के। ...(व्यवधान) मैं उसी पर आ रहा हूं, अभी आप यह तो सोचो बोलने से पहले कि जब 84 हजार के छोड़ कर गये थे तो 6885 करोड के कर्जे लिये आपने और अभी हमें छूट भी मिली हुई थी, हम भी चाहते तो ले सकते थे पर हमने फिस्कल डैफिसिट कम रखना मंजूर किया। हम कर्जे ले सकते थे क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने छूट दी है 4 परसेंट की उसका हमने उपयोग नहीं किया जानबूझकर। साढ़े पांच करोड़ के हमने कर्जे कम लिये और 6185 करोड के कर्जे हमने लिये हैं वे बढ कर हो गये हैं 90208 करोड़ के। अब जो हमने बजट पेश किया उसमें 98669 करोड़ पहुंच जाएंगे, यह प्रोजैक्शन मैं आपको बता रहा हूं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, कर्जे पर आप अलग से बहस कर लें हाउस के बाहर, हाउस में जहां भी आप चाहो। कम से कम सब लोगों का-आप लोगों का भी, हमारे लोगों का और पब्लिक का भ्रम मिट जाए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, क्या नीति देश की है, कर्जे लेना जरूरी है या नहीं है। जो विपक्ष में बैठता है, सत्ता पक्ष को कहेगा कि कर्जे बढ़ा दिये, हम भी कहते थे आपको। हम तो उस वक्त कहते थे जब सत्ता में नहीं थे, पहली बार आये तब भी कहते थे, इसलिए यह भ्रम भी दूर होना चाहिये कि पब्लिक इंटरेस्ट में कर्ज लेना बहुत जरूरी है। ...(व्यवधान) करना चाहिये, उससे क्या होगा, कम से कम सब लोगों की आंखें खुलेंगी कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, आप तो सपोर्ट करेंगे मुझे। ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): .... किसने क्या कर्जा लिया, नहीं लिया, क्या आपकी रेवेन्यू रिसीट है, आप 42 हजार करोड रुपये केवल रेवेन्यू से प्राप्त कर रहे हो और आपका कर्जा एक लाख करोड पहुंच रहा है, यह दिवालिया की श्रेणी में जा रहा है। 200 परसेंट से ज्यादा होते हैं तो जाता है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आपका भी है यह, सबका है यह। जो फैक्चुअल पोजीशन है उस फैक्चुअलिटी में तो जाना पड़ेगा आप हों चाहे कोई भी हो। जो आपकी फैक्चुअल पोजीशन है, जो फीगर है वह तो सबके लिये है। (व्यवधान) कटारिया साहब, यह जो आपको मैंने निवेदन किया है कि यह एक दुर्भाग्य रहा, आपका जो पीरियड था 2008-09 का उसके 6 महीने बाद के और हमारे 6 महीने शुरू के, उसमें मंदी का दौर आ गया उसका असर

(श्री अशोक गहलोत)

भी पड़ा है। केन्द्रीय करों में जो राज्य का हिस्सा है वह कम होता चला गया, हमें भी कम मिले। 2007-08 में आपके वक्त में जो 26.1 परसेंट मिलता था केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा, वह 2008-09 में जो आपका शासन था जो बाद में चला गया, उसमें 6 से सीधे 5.5 पर आ गया और अभी जो साल चल रहा है उसमें 2.9 पर आ गया। केन्द्रीय करों में हिस्सा 26 से घटकर 2.9 पर आ गया, आप यह तो मानो कि इन सबके बावजूद भी हमने जो भी सम्भव था, वह करने का प्रयास किया। जो 18561 के फीगर दिये हैं आपको, 18635 का हमने रिवाइज बजट पेश किया, 17322 का हम प्लानिंग कमीशन से एप्रूव करा कर लाये थे। हमने प्रयास किया कि राज्य के हित को देखते हुए इसको थोडा बढ़ाया जाए, 18635 का हमने मोडिफाइड बजट पेश किया। उसको आप सबने मंजूर किया हाउस में। पर आपने तो 12 हजार का फीगर पकड़ लिया, ऐसा माहौल बनाया हाउस में, उसमें पूरा तो साल निकाल दिया, कि 12 हजार करोड़ खर्च नहीं किये और खाली फीगर देकर आप लोगों को भरमा रहे हैं। पिछला बजट 8.18 परसेंट था यह जो 14925 करोड़ का बजट पेश किया था, पहले आपने 14 हजार का बजट पेश किया था फिर रिवाइज बजट 14925 का हुआ था । हमारे वक्त में 14923 का हुआ था मतलब वह बढ़ा था। (व्यवधान) वही तो मैं आपको कह रहा हूं। 14 हजार तो आपका था, रिवाइज एस्टीमेंट आपका 14925 का था, वह पूरा तो हमने किया बाद में। जब हमारी गवर्नमेंट चली गयी थी 2003 में ...(व्यवधान) कहां कम किया है, कम नहीं किया है, यही मैं आपको कहना चाहता हूं। 14925 के बजाय 14923 करोड़, 2 करोड़ की बात करो तो आपकी मर्जी है, वहां आकर रुका है। अब आपका जो नया प्रोजैक्शन दिया है 2010-11 का, आप इस बात को तो एप्रिशिएट करो, आप 14 हजार पर ही 6 फीट ऊपर कूद रहे थे कि आजादी के बाद पहली बार आया है। आप तो यह कह रहे थे कि आजादी के बाद पहली बार हम 14 हजार करोड़ का प्लान लेकर आये हैं, 14 हजार से तो हम आ गये 18635 पर। अब हमने कहा, 23822 करोड़ का लाये हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): उस समय तो 14 हजार सबसे बड़ा था जैसे आज 18 हजार बड़ा है, इतना तो कोई कामन सैंस वाला भी समझता है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपने जो संदेह व्यक्त किया है, आप निश्चित रहो, कटारिया साहब, हम आपको

(श्री अशोक गहलोत)

निराश नहीं करेंगे क्योंकि आपके दिल में भी भावना यही है कि राजस्थान का विकास हो। आपकी भावना की हम कद्र करते हैं, आपको निराश नहीं करेंगे, जो हमने कहा है वह पूरा करके दिखायेंगे आपको।

अब मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा आपने कह दिया, जुलाई में 35 परसेंट नहीं कर पाएंगे और 15 हजार पर अटक जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप निश्चित रहो, ये जनवरी तक के फीगर हैं, ये फीगर कोई नई बात नहीं है। 12133 करोड़ के जो आंकड़े थे जो किताब में छपे, आपने भी देखे और कई माननीय सदस्यों ने उसको कोट भी किया था उस वक्त में, मैं समझता हूं आपकी गवर्नमेंट आई थी उसके बाद 2004-05 का जो पहला बजट था उसमें आप खाली 58 पर आकर रुक गये थे। आपने उस दिन ऐसा माहौल बनाया हाउस में 12 हजार, 12 हजार, मैं कहना चाहूंगा आपने 7087 करोड़ की योजना बनाई और जनवरी तक आप खर्च कर पाये थे 4085 करोड़, मतलब 58 परसेंट। हमने 65 परसेंट किया जनवरी में तब भी वे आंकड़े आपने बताये हम लोगों को। 2005-06 के अन्दर 67 प्रतिशत, 2007-08 के अन्दर

(समय : 18.00 बजे)

61 प्रतिशत पर रहे थे आप। जनवरी तक यही स्ट्रेंथ रही एक बार छोड़कर, 2008-09 में 77 प्रतिशत पर जनवरी पर आये थे आप लोग। चुनाव आ रहा था, थोड़ा जल्दी काम किया होगा इसलिए आये होंगे, वर्ना आप तो 58,67,61 पर रहे हो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इसमें ज्यादा चिंता करने की बात नहीं थी, जो कटौती होनी थी जिसको लेकर आपने बहुत ही क्वेश्चन में भी, हालांकि मेरी शिकायत थी अध्यक्ष महोदय, कि अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं विपक्ष से भी। राव राजेन्द्र सिंहजी जो मेरे खयाल से शायद नहीं हैं यहां पर, शाहपुरा के विधायक, उन्होंने भी, भवानी सिंह राजावत ने भी जो क्वेश्चन किये हैं चाहे फाइनेंस पर किये हो, चाहे नरेगा पर किये, आज भी नरेगा पर क्वेश्चन था। मैं चाहूंगा कि कम से कम ऐसे क्वेश्चन जो पूरे हाउस को उद्वेलित करते हों, वे क्वेश्चन उसी ढंग से वन टू वन एक्शन होने चाहिये जिससे उसका सरकार को भी फायदा मिले, जहां कमी है उसको हम दूर कर सकें। पर माहौल ऐसा बनता है, विशेष रूप से आपकी तरफ से तो दो-चार लोग ऐसे खड़े होते है आप लोग क्योंकि अभी आपके नेता कोई बना नहीं है, पता नहीं कौन बनेगा, उस होड़ के अन्दर आप लोग इतने खड़े होते हैं, वह क्वेश्चन अध्यक्ष महोदय आगे कर देते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): हमें चिंता है कि आपको चिंता है?

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): वह आदेश कर देते हैं। क्वेश्चन को पीट देते हो।

श्री अध्यक्ष: वह अगर जल्दी बन जाए तो परफारमेंस दिखाने वाला कम्पीटीशन भी कम हो जाए।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): यही मैं आपको कह रहा हूं। तो मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि इतने अच्छे क्वेश्चन आते हैं, कृपा करके क्वेश्चन उस ढंग से होना चाहिये। आपने उस दिन कहा कि 3044 कटौती कर दी, आप तो बहुत समझदार है, विद्वान आदमी हैं, कैसे कटौती कर दी? कोई गवर्नमेंट चाहेगी डैमोक्रसी के अन्दर कटौती करना तो फिर पब्लिक को क्या जवाब देगी? कटौती 3044 के आपने क्वेश्चन का आंसर देखा और कह दिया आपने, हम कहते रहे आप मंत्री की बात सुन नहीं रहे थे। (व्यवधान) हमने आपकी बात पूरी बात सुनी, आप सुनिये कृपया करके। अगर आप कहेंगे, उप नेता महोदय, तो मैं आपको यह फीगर दे दूंगा, 3044 की जो कटौती की, यह नवम्बर के अन्दर जब डिसकस होता है, रिव्यू होता है हर विभाग का, उस वक्त कटौती की थी। उसके बाद में साथ-साथ में जब बीएफसी बैठती है, जिन-जिन डिपार्टमेंट ने खर्च किये थे उनमें बढ़ोतरी हो जाती है। 3044 की कटौती हुई और 2970 करोड़ रुपये की वापस बढ़ोतरी हुई विभिन्न विभागों के अंदर। यह जो ऋण लेना पड़ता है, जो विभाग खर्च नहीं कर पाता, दूसरे राउण्ड में देना पड़ता है, तो वापस बढ़ोतरी हो गई, इसलिए 74 करोड़ के फीगर दिये जा रहे हैं। यह 74 करोड़ का ही हमारे डैफिसिट रहेगा, इसलिए दिये जा रहे हैं। अगर आप कहो तो हर विभागों के पढ़कर सुनाऊं, तो आपकी मर्जी वर्ना मैं आपको अलग से भेज दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लीजिए, कटारिया साहब को बता दीजिए आप। एक्चुअल में हमारे 74 करोड़ की कटौती रहेगी, एलोकेशन किये थे, एलोकेशन करके वापस बढ़ाई गयी थी सबके अन्दर। आपने जो सवाल उठाये कि कुछ कटौती कर दी है प्रावधान के अन्दर, ऐसी कोई कटौती नहीं हुई है, योजना प्रावधान में कमी नहीं आई है। हर विभाग की कोशिश की गई है क्योंकि कई हैडस होते हैं- बैंक में सीधा पैसा जाता है, आजकल केन्द्र से अलग-अलग हैड है बजट हैड अलग है, सीएजी का अलग हैड है इसलिए आपको लगता है। वर्ना मैं आपको कहना चाहूंगा शिक्षा के अंदर 23.88 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं में 37.11 की

(श्री अशोक गहलोत)

बढ़ोतरी हुई है। ये फीगर हैं, इस पर डिस्प्युट मैटर नहीं है न? कोई दिक्कत नहीं थी, इसमें देख लेना, मैं आपको बता रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): गुप्ताजी के दस्तखत से किताब मिली है उस किताब को और आपने जो किताब दी है, आपका बजट है और पिछला बजट है उसको देखने से शिक्षा में 29 प्रतिशत की, चिकित्सा सेवा में 18 प्रतिशत की, उद्योग और खनिज में 73 प्रतिशत की कटौती हुई है पिछले से कम खर्च हो रहा है इस बार। मैं गलत सदन को कहूंगा क्या?

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मान लीजिए, कोई गलत फीगर आपको देंगे, अगर आपको गलत फीगर आयेगा तो प्रिविलेज मोशन ला सकते हो आप मेरे खिलाफ ला सकते हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पहले का ही जवाब नहीं दे रहे हो, प्रिविलेज मोशन...

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री):कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहना चाहूंगा, आपको जो आंकड़े हैं वे बता दीजिए। चिकित्सा स्वास्थ्य में 37.11, पशुपालन में 8.72, सिंचाई में 5.01, कृषि में 36.50, ऊर्जा में62.45 यह हमारी बढ़ोतरी हुई है। अब आगे आइये आप ग्रामीण विकास के अन्दर मायनस लगता है 24.36 वह हमारी कटोती नहीं है क्योंकि पैसा सीधा आता है स्कीमों के अंदर, सीएसएस के अंदर यह जो मेडिकल कम्पोनेंट है उसका हमने प्रोवीजन किया खाली पिछला खर्च को देखते हुए, अगर केन्द्र सरकार से ज्यादा पैसा मिलेगा तो इसमें और बढ़ोतरी हो जाएगी यह मैं आपको कहना चाहूंगा। आपने कहा पेयजल के लिए, पेयजल के लिए 18.65 प्रतिशत की कटौती लगती है अपने को। वह कटौती भी नहीं होगी क्योंकि अभी मैंने आपको निवेदन किया था पिछली सरकार के वक्त में पैरवी नहीं हुई कि क्या हुआ राजस्थान के बारे में? कि फार्मूला बदल गया पूरे देश के लिए, उसका हमें नुकसान हुआ और 508 करोड़ रुपए हमारे काट लिये गये थे। फिर माननीय केन्द्रीय मंत्री हैं ग्रामीण विकास और पंचायती राज उन्होंने वापस जब कैबिनेट में फैसला करवाया, उसके कारण से 508 करोड़ रुपए जो काटे थे, वापस मिल गये हैं। इन द मीनटाइम क्या हुआ? जब कट चुके थे तो जल को लेकर परेशानी हमारे सामने थी, उस समय अफोर्ड नहीं कर सकते थे, हम लोग पैसे का जुगाड़ नहीं कर पाये। हमने नाबार्ड से लोन लिया 294 करोड़ का, लेकर

(श्री अशोक गहलोत)

किसी ढंग से योजना पूरी करना चाहते थे। जब लोन ले लिया और पैसा वापस मिल गया है इसलिए ऐसा महसूस होता है, वर्ना कोई इसमें कटौती नहीं आयेगी। पानी के लिए मैं यह भी कहना चाहूंगा पूरे सदन के सामने, पानी को लेकर कोई कटौती करना पड़े, करेंगे। पानी की मद के अन्दर, कंटिंजेंसी प्लान हो चाहे हमारी योजना हो, हम उसको पूरा करेंगे। चाहे वह देवास की हो, चाहे दूसरी योजना हो, आप निश्चित रहो, इसमें कमी नहीं आने देंगे। जो आपकी चिंता है उसको मैं समझ सकता हूं, पानी की चिंता हरेक व्यक्ति को होनी चाहिए।

माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि रेवेन्यू डैफिसिट बढ़ा है। मैं कहना चाहूंगा कि यह जो भी बढ़ा है, आप ठीक कह रहे हैं। 2008-09 के अंदर 827 था। हमारे बजट एस्टीमेट 2009-10 में हमने 1409 करोड़ रखा था और 2009-10 रिवाइज एस्टीमेट के अन्दर 3993 हो गया, यह आपकी चिंता बिलकुल माकूल है। अब क्यूं बढ़ा यह मैं आपको बताऊं पहले। अब हमने रखा है अगला बजट जो हमने पेश किया है उसमें कहा है 1098 हो जाएगा वापस। यह हमने विश्वास प्रकट किया अनुमान के आधार पर 2895 करोड़ रुपए का हम अनुमान कर रहे हैं। यह हम कम करेंगे वापस, ठीक है इसमें निवेदन करना चाहूंगा कि 2009-10 में घाटा बढ़ने के कुछ कारण हैं, मैं समझता हूं, आप उससे कन्विस हो जाएंगे। मेरा फर्ज बनता है कि मैं पूरे हाउस को कन्विस करुं। विशेषकर उन लोगों को जिन्होंने इस पाइन्ट को उठाया। आर्थिक मंदी के कारण केन्द्रीय करों में पहले मैंने आपको बताया कि राज्य के हिस्से की राशि में जो कमी आई वह 360 करोड़ की आयी है, नम्बर एक। दूसरा, जो हम उम्मीद करते हैं रायल्टी की बाड़मेर के तेल निकलने के बाद में उसके अन्दर 321 करोड़ की कमी आई है। वह 431 करोड़ का हमने एस्टीमेट किया था, 110 करोड़ आये और 321 करोड़ की कमी आयी नम्बर दो, तीसरा, स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन अभी जो सब मदों में कमी आई है जो मंदी के दौर में हम 24 प्रतिशत से, चार प्रतिशत पर आ गये थे, टैक्स रेवेन्यू के अन्दर, सरकार बनते ही तो हमने काफी कोशिश की, स्टाम्प रजिस्ट्रेशन में हमने स्कीम निकाली, रेट भी कम की, तब भी 200 करोड़ की कमी आई उसके अन्दर और यह भी एक कमी का कारण रहा। एक्साइज के अन्दर भी आप कह रहे थे पूरा पैसा मिल गया। एक्साइज में भी 100 करोड़ की कमी आई हैं। सिक्स पे कमीशन लागू हुआ उसके कारण भी 455 करोड़ की कमी आई है।

(श्री अशोक गहलोत)

जो पेंशन थी रिटायर्ड लोगों की पेंशन के मद के अन्दर रिटायर्ड पेंशनर पहले साल पेंशन ले नहीं पाये थे पेंशन, अतिरिक्त भार पड़ गया और 455 करोड़ इसके अन्दर एक्स्ट्रा देने पड़े वह कमी आई है। पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय निकायों में विशेष फाइनेंस कमीशन एफ एस सी की रिकमण्डेशन थी वह एरियर हमने चुकाया है, यह सोचते हुए कि हम जानते हैं, कैसी है स्थिति स्थानीय निकायों की और पंचायती राज संस्थाओं की। पंचायती राज की एफ एस सी की जो रिकमण्डेशन थी, वह पूरा करने के लिए 315 करोड़ रुपए देने पड़े एक्स्ट्रा, उसके कारण कमी आई हैं। यू.जी.सी. के जो वेतनमान लागू हो गये हायर एजुकेशन में, 178 करोड़ की वह कमी आई। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्य का हिस्सा बढ़ गया सौ करोड़ रुपया, वह कमी आई। नाबार्ड का मैंने अभी आपको जिक्र किया कि 294 करोड़ का हमने लोन लिया था, वह कमी आई। विद्युत वितरण कम्पनियों को सरकार ने अनुदान दिया है 120 करोड़ रुपये का, वह एक लम्बा बहस का विषय बन जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से हर गवर्नमेंट के वक्त में कर्जे बढ़ते जाते हैं उनके, तो ए.जी. ने भी कहा था कि आप आगे बढ़कर अगर मदद नहीं करेंगे तो हम कम्पनियों को ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं। तो सरकार को 120 करोड़ रुपये देने पड़े। वृद्धावस्था, विकलांग पेंशन के लिये अतिरिक्त प्रावधान किया गया 60 करोड़ रुपये का, एस.सी., एस.टी. के छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु 102 करोड़ रुपये अलग रखे गये। इस प्रकार से 1058 करोड़ का चालू वर्ष में, यह जो आपको बताया मैंने कि ये जो तमाम हालात थे, उनका हमने इस बार ध्यान रखा है। हम उम्मीद करते हैं कि अगले बजट के अन्दर जो अभी रेवेन्यू डैफिसिट की स्थिति बनी है जो कि वास्तव में हम लोगों की चिन्ता का विषय रहा है, तब भी हमने कहा कि नहीं, हम अगली बार 1058 तक इसको लेकर आएंगे। ये मद मैंने बताये, इस कारण से यह बढ़ोतरी हुई है, यह मैं कहना चाहूंगा आपको।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ये टैक्स लगा दिये, इसके बारे में तो बताओ।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): यह भी मैं बताना चाहूंगा। यह तो देखो, पहले की बात जब आपने उठाई है तो मैं समझता हूं कि हमें करनी चाहिए, 10-15 मिनट हमें ज्यादा लगेंगे।

जैसे आप लोग रेवेन्यू डैफिसिट से उस वक्त में प्लस में आ गये थे, उस तरह से मैंने कहा कि अधिकांश राज्य प्लस में आ गये थे रेवेन्यू डैफिसिट

(श्री अशोक गहलोत)

से। जैसे ही छठा वेतन आयोग लागू हुआ, वापस कई राज्य डैफिसिट में आ गये। उसमें राजस्थान भी हो गया, वह भी एक कारण रहा। और यह भी मैं कहना चाहूंगा, कई राज्य तो ऐसे हैं जहां छठा वेतन आयोग लागू अब किया जा रहा है। जो भी स्थिति है, स्थिति कोई अन्य राज्यों की भी ज्यादा अच्छी नहीं है, यह आपकी जानकारी में होना चाहिए। परन्तु इस बार भी चूंकि सरकार आपकी चली गयी, हमारी सरकार आ गयी तो रेवेन्यू डैफिसिट का भार पुरा हमारे ऊपर आना था। वह आपके वक्त में भी आया है। पिछली बार शेखावत साहब गये थे, तब भी हमारे पर पांचवां वेतन आयोग आया था। वह पांचवां वेतन आयोग था, यह छठा है। तो दोनों का भार हमारे वक्त में आना लिखा था। हम झेल रहे हैं और मजबूत कंधों से झेल रहे हैं। आप सबका सहयोग चाहिए उसके अन्दर। ऋण-भार का मैं छोड़ देता हूं। मैं आपको कह चुका हूं, आप कभी भी चाहेंगे तो हम चाहेंगे कि उस पर डिसकशन कर लें। एक बात मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि इन सब बातों के बावजूद भी जब अपन लोग बात कर रहे हैं कि ये कैसे ऋण-भार बढ़ रहे हैं, उसका क्या करें तो फाइनेंस कमीशन ने जिस प्रकार से रिकमण्डेशन किये हैं उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इन सब ऋणों को लेने के बावजूद भी जो ग्रोथ रेट है ऋण लेने की, उनके हिसाब से यह स्थिति बनती है कि आप अगर 40.82 प्रतिशत जो अनुमानित है, इस पर रहते हैं तो उनके हिसाब से यह मैनेजेबल है। फिर भी ये बढ़ रहे हैं, चाहे किसी भी सरकार में बढ़े हों, वह मेरे पास पूरे आंकड़े हैं। तो यह मैनेजेबल है, सस्टेनेबल है। यह जो ग्रोथ रेट बता रही है ऋण लेने की, उसके बारे में कहा गया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह मैनेजेबल नहीं है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): यह भारत सरकार और वित्त आयोग के लेखे की जो पूरे देश के अन्दर एक कांस्टीट्यूशनल आथोरिटी है, वह जब आपको कह रही है तो फिर मानना पड़ेगा आपको। उन्होंने खुद कहा है, 40.4 प्रतिशत का डैट-जी.एस.डी.पी. रेशो है वह सस्टेनेबल माना है। उन्होंने माना है कि वृद्धि दर जो यह है वह विदिन लिमिट है। उनके बावजूद भी उनका कहना है कि यह विदिन लिमिट है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): विदिन लिमिट तो बढ़ने से आया है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): एक पाइण्ट जो माननीय कटारिया साहब ने कहा था, राजस्व प्राप्तियों से दुगनी राशि तक एफ.आर.बी.एम. एक्ट के अन्दर ऋण ले सकने का उल्लेख करते हुए कहा कि हमने सीमा से अधिक

(श्री अशोक गहलोत)

ऋण लिया है। यह आपने कहा, यह सही नहीं है। हम बिलकुल इस प्रावधान की पालना सुनिश्चित होकर कर रहे हैं। एफ.आर.बी.एम. एक्ट के मायने क्या हैं, हम समझते हैं। एफ.आर.बी.एम. एक्ट में कंसोलिडेटेड जो फण्ड है, उसकी रिसीट के सन्दर्भ में सीमा है न कि रेवेन्यू रिसीट के सन्दर्भ में। यह मैं आपको खाली क्लीयर करना चाहता हूं। आप देख लेना बाद में।

एक परिसम्पत्तियों के बारे में आपने कहा था कि परिसम्पत्ति हैं आपके वक्त में ज्यादा बनीं, हमारे वक्त में नहीं बनीं और हमने लोन लिया खाली खर्च करने के लिये। वह तो आरोप हमारा रहा है कि आपकी गवर्नमेंट 5 साल तक फिजूलखर्ची करती गयी, करती गई। अगर कोई लोन लिया है, मान लीजिए आप अगर रेवेन्यू डैफिसिट में नहीं हैं, रेवेन्यू सरप्लस में आप हैं, मान लो, तो आपको आराम है। लोन लिया भी है आपने, मान लो, लिया भी है कई बार आपने, पता नहीं क्यों लिया। 2007-08 के अन्दर जब आप रेवेन्यू सरप्लस में थे तब भी आपने लोन लिया था, पता नहीं क्यों लिया था। फिर भी बढ़ा। पर रेवेन्यू डैफिसिट में अगर आप हैं, और लोन ले रहे हैं तो पहले आपको डैफिसिट खतम करना पड़ेगा, उसके बाद में आप असैट बना सकते हैं। हमने जो प्रयास किया उसके कारण से यह तो आप मानेंगे कि आपके वक्त में 2004-05 के अन्दर नैट बोरोइंग जो थी, और कैपिटल आउट-ले को मानें हम लोग, तो रेशो 51 आता है असैट क्रियेट करने का। और अभी 2009-10 के अन्दर आ रही है जो हमारी, उसमें 89 आया है। तो यह कहना आपका गलत है कि हमारे वक्त में जो कर्जे लिये गये, उनमें परिसम्पत्तियां नहीं बनीं, आपके वक्त में परिसम्पत्तियां बनीं। आपके वक्त में 2 बार, 2006-07 के अन्दर और 2007-08 के अन्दर रेवेन्यू सरप्लस था, असैट क्रियेशन आपके वक्त में 101 और 109 प्रतिशत रहा, दो साल आपके वक्त में। वर्ना आपके वक्त में 51 रहा है, 2005-06 के अन्दर 68 रहा है, 2008-09 के अन्दर 86 रहा है। दो साल क्योंकि आप रेवेन्यू सरप्लस में थे, तब आपके असैट 101 और 109 प्रतिशत है, यह बात है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अब पानी पी लीजिये, साहब।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अब मैं पानी पी लूं?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): हां, हां।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): डैमोक्रेसी में अच्छा लगता है अगर विपक्ष को भी विश्वास में लेकर चलो तो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): समय आने पर हम ही पानी पिलाएंगे।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आराम से, बड़ी कृपा है आपकी तो। आपकी तो ट्रेनिंग अच्छे से अच्छे लोगों के साथ हुई है, इसलिये बड़ी कृपा है आपकी तो।

अब अध्यक्ष महोदय, बजट पर, कुछ तो मैं चाहूंगा कि कुछ रिलीफ देने की बात, माननीय सदस्यों ने जो भावना व्यक्त की है उसके आधार पर मैं कुछ बातें बोलूं यहां पर, और फिर माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने जो कहा है कि बजट में कहां चूक हुई या नहीं हुई, या मुझे बोलना चाहिए था, उस पर मैं आता हूं। बजट भाषण में बी.पी.एल. परिवारों को दो रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं देने की योजना लागू की गयी है, अब मैं यह प्रस्तावित करता हूं कि इसके अन्दर हम लोग स्टेट बी.पी.एल. के परिवारों को भी शामिल करेंगे, एक तो यह बात है। दूसरा, जिन सरकारी उपक्रमों में अनेक कारण से अनुकम्पात्मक नौकरियां हैं, कटारिया साहब, आपने तो कहा, खाली 102 ही नौकरियां हमने दी हैं, वे फिगर तो आपके पास में आ गये होंगे, कितनी नौकरियां मिली हैं अभी तक।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैंने जो फिगर 102 का दिया, वह आपके ही डिपार्टमेंट ने, एलिमेण्ट्री एजुकेशन ने जो मेरे प्रश्न के जवाब में दिया, वही फिगर मैंने कोट किया है। मैंने अपनी तरफ से कोई कोट नहीं किया।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): बी.पी.एल. की 2009 की सूची और 35 किलो।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो कम्पनसेटरी सर्विस की बात है, अनुकम्पात्मक नौकरी की बात है, यह तो हम बहुत बदनाम हुए थे पिछली गवर्नमेंट के वक्त में भी कि हम नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। और आपने बड़ी कृपा की। आपने आते ही 80 हजार नौकरियां दे दीं। तिवाड़ीजी साहब बैठे हुए हैं, 80 हजार में से 60 हजार तो टीचर थे आपके। बड़ी कृपा आपने। हमारे वक्त में हमने प्रपोज किये थे, हाई कोर्ट से स्टे हो गया, हम दे नहीं पाये थे और उस वक्त दे नहीं पाये थे, आप जो है 'सर्व शिक्षा अभियान', भारत सरकार की स्कीम थी, पैसा आपकी जेब से जा नहीं रहा था, पैसा दिल्ली से आया, आपने नौकरी दे दी। बड़ी कृपा की आपने। और वाहवाही ले ली आपने। हम बदनाम हुए थे पर एक बात मैं कहना चाहूंगा

(श्री अशोक गहलोत)

आपको, माननीय अध्यक्ष महोदय, उस वक्त भी हम लोगों ने इस मद के अन्दर कोई कंजूसी नहीं की थी, बल्कि जो पुराने केसेज थे, दस साल के, 12 साल के, 15 साल के पुराने केसेज थे, उनको निकाला और, मुझे एक्चुअल फिगर याद नहीं पर एक हजार से अधिक नौकरियां हमने उस वक्त दी थीं। अब भी हमने बड़ी संख्या में, दो-ढाई हजार, आज 2400 नौकरियां होंगी मेरे खयाल से, हमने इस मद में दी हैं। आप 102 के फिगर बता रहे थे, बाकी आठ-दस हजार जो फिगर आ चुके हैं प्रश्न के आन्सर में, उनको मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं। अब हमने जो फैसला किया, कुछ दिक्कत आ रही है कि जो सरकारी उपक्रम हैं, जो वित्तीय या अन्य रूप से यदि क्राइसिस में है, वे नहीं दे पा रहे हैं नौकरियां उनके लिए हमने रास्ता निकाला है। ब्यूरो आफ पब्लिक एण्टरप्राइजेज (बी.पी.ई.) के माध्यम से अन्य उपक्रमों की जो प्राब्लम आ रही है उसको हल करते हुए हम दूसरे उपक्रमों में नौकरी लगाएंगे, यह हम आपको प्रस्तावित कर रहे हैं।

एक गलतफहमी हो गयी थी महाराष्ट्र पैटर्न की, महाराष्ट्र पैटर्न का नाम बदल कर 'जनजाति कल्याण निधि' रख दिया गया। तो मैं यह भ्रांति दूर करना चाहूंगा कि यह जो स्कीम महाराष्ट्र पैटर्न की है, यह हूबहू स्कीम रहेगी। खाली इसका नाम बदला गया है और वह रखा है 'जनजाति कल्याण निधि', जिससे कि लोग वहां समझ सकें, इसके अलावा इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, एक बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगा।

एक यह जो अकाल-सूखा पड़ा हुआ है, उसके अन्दर लगातार मांग आ रही है कि चारा जो है, उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत कम है, 2002 के अन्दर यह लागू हुई थी, उसके बाद में कभी आगे इसको नहीं बढ़ाया गया इसलिए हमने इसको दुगना करने का, मतलब 100 परसेंट बढ़ाने का निश्चय किया है।

एक जो माननीय सदस्यों की भावना थी उसको देखते हुए गांवों के अलावा जो नगरपालिका क्षेत्र हैं, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिकाएं हैं उसके अन्दर पहले भी हम लोगों ने काम अलाउ किये थे, इस बार फिर 1 अप्रैल से हम लोग इन क्षेत्रों के अन्दर भी सूखाग्रस्त गांवों के श्रमिकों की तरह काम देंगे।

एक, बारां, कोटा, झालावाड़, बूंदी, निरन्तर गिरते हुए जल स्तर को रोकने के लिए और जो ओवर-फ्लो चलता है वहां पर पानी का, उसको देखते

(श्री अशोक गहलोत)

हुए प्रायोगिक तौर पर नरेगा के अन्तर्गत एनिकट निर्माण प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है, वहां के लोगों की मांग थी उसको देखते हुए।

एक पहले बजट में मैंने प्रस्तावित किया था, दस हजार महिला स्वयं सहायता समूह, उन लोगों को बैंकों का जो ऋण मिलेगा उसमें 50 परसेंट ब्याज अनुदान के लिए मैंने कहा था, बढ़ाकर हमने तय किया है कि 30 हजार जो महिला स्वयं सहायता समूह हैं, सबको ही यह सब्सिडी दी जाएगी, यह मैं घोषणा करना चाहता हूं।

एक, भीखाभाई सागवाड़ा कैनाल के निर्माण कार्यों पर 30 करोड़ रुपये हम लोग खर्च करेंगे, उसको मैं प्रस्तावित कर रहा हूं।

एक, नेशनल रूरल हैल्थ मिशन के माध्यम से संविदा पर कार्यरत जो मेडिकल आफिसर्स हैं आयुष के, उनका मानदेय अभी 8000 रुपये है, उसको बढ़ाकर 16800 रुपये प्रति माह करना और जो कांट्रेक्ट पर कार्यरत कनिष्ट आयुष नर्स हैं, कम्पाउण्डर हैं, उनका मानदेय 4500 रुपये से बढ़ाकर 7000 रुपये करना। एक आज 108-एम्बुलेंस का काफी माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारे क्षेत्र में नहीं है, पर यह तो आपको पहले मालूम ही है कि एम्बुलेंस इस साल के अन्त तक 314 हो जाएंगी, अगले वर्ष के लिए 150 एम्बुलेंस और आ रही हैं तो मैं यह घोषणा करता हूं कि सब क्षेत्रों के अन्दर एक पंचायत समिति में कम से कम एक एम्बुलेंस तो होगी ही होगी, यह मैं घोषणा करता हूं।

शिक्षा विभाग में कार्यरत अप्रशिक्षित विधवा और विवाह विच्छेद प्रशिक्षु अध्यापिकाएं हैं उनका स्थिर मानदेय 2750 रुपये है, उसको बढ़ाकर 3500 रुपये प्रति माह करने की घोषणा करता हूं।

जिला प्रमुखों के जो यात्राओं के दिवस 120 दिन हैं उसको बढ़ा कर, अभी जिला प्रमुख आये थे हमारी कांफ्रेंस में तब भी मांग उठी थी, और जब से ये चुनाव हुए तब से बार-बार मांग आती जा रही है, वह 120 दिन से बढ़ा कर 240 दिन प्रति वर्ष करने का फैसला किया है और प्रधानों के लिए 60 दिन से बढ़ा कर 120 दिन किया जा रहा है।

11 नयी पंचायत समितियों के भवन बन रहे हैं, उनके लिए साढ़े पांच करोड़ रुपये प्रस्तावित करना है।

सीटी स्कैन की बात आयी थी जो कि बहुत जरूरी है। डाक्टर साहब बैठे हैं हमारे डीग से आने वाले माननीय सदस्य, उन्होंने कहा कि हमने घोषणा

(श्री अशोक गहलोत)

कर दी आई.सी.यू. की जो कि आलरेडी है। आपने ठीक कहा बिलकुल हमने चैक किया उसमें। पर मुझे बताया गया, आई.सी.यू. बन गये होंगे, भवन बन गये, कहीं पर लेकिन भवन बन गये तो उपकरण नहीं हैं, कहीं उपकरण है तो डाक्टर नहीं है, यह समस्या रहती है तो उसके हिसाब से लिख दिया गया कि इसको यह हम लोग इस बार जो कमी है, वह पूरी करेंगे। आपका उसमें पाइंट बिलकुल वाजिब था, उसको देखते हुए हम चाहेंगे कि जो घोषणा की वह पूरी हो। सबसे दुर्भाग्य की बात तो यह है कि टीचर्स गांव में नहीं, डाक्टर नहीं, नर्स नहीं, आप, हम लोग सदन में आये हैं, तब से ही ये शिकायतें बार-बार आती रहती हैं। इसीलिए हमने इस बार नई स्कूलों की घोषणा नहीं की है। इस साल हम चाहते हैं कि है सुनिश्चित करें कि गांवों के अन्दर डाक्टर, नर्स, टीचर्स यह सभी लोग किसी भी तरह से जाएं पर जाएं, वहां पर रहें, यह हमारा प्रयास है। सीटी स्कैन के अलावा हमने तो कहा था कि जो भी कमियां हैं, प्राइवेट जो यह आउट सोर्सिंग का, जो हमने कहा है, एस.एम.एस. का जो प्रयोग है, वह प्रयोग काफी कामयाब रहा है। हम चाहते हैं कि वह प्रयोग पूरे राजस्थान के अन्दर हो और हर डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल के अन्दर हो, जिससे कि कम से कम अच्छी सर्विस मिल सके। रेट फिक्स गवर्नमेंट करती है, प्राइवेट के हाथ में नहीं रहता है और बी.पी.एल. के लिए, गरीबों के लिए तो फ्री करते हैं वहां पर। यह स्कीम हम लोग करना चाहते हैं सब जगहों पर। उसके बावजूद हम चाहेंगे, मान लीजिए कहीं पर प्राइवेट सैक्टर नहीं आयेगा और मांग सब जगह से आयी है सीटी स्कैन के लिए, जहां जरूरत होगी तो यह मैं प्रस्तावित करता हूं कि वहां पर सरकार खुद लगाएगी।

एक, जन भागीदारी विकास योजना के अन्तर्गत 25 करोड़ रुपये प्रस्तावित कर रहे हैं, गांवों के अन्दर। शहर के अन्दर जो पहले वाली स्कीम भी चल रही थी वह सक्सैस नहीं हो पायी थी। अब हमने किया है कि 90 परसेंट गवर्नमेंट देगी और 10 परसेंट स्थानीय लोग देंगे, उसके लिए हम योजना लागू कर रहे हैं। पर विशेष रूप से जो श्मशान और कब्रिस्तान हैं, श्मशान आप देखते हैं, गांव-गांव के अन्दर उनकी स्थिति क्या है। आप भी जाते हैं गांवों में, कई बार हम लोग भी देखते हैं, बहुत नाजुक स्थिति है। तो हमने कहा कि गांवों के अन्दर भी, शहर के अन्दर भी इसको प्रायोरिटी देंगे और 90 परसेंट भागीदारी में गवर्नमेंट देगी और 10 परसेंट जन सहयोग से लेकर इस काम को पूरा किया जाएगा।

(श्री अशोक गहलोत)

एक हमने प्रयास किये हैं क्योंकि महाविद्यालय की मांग बहुत ज्यादा आती है। जब हम लोग पहले सत्ता में थे तब भी आ रही थी। हमने करीब चार पांच मुश्किल से महिला महाविद्यालय खोले होंगे। आपके वक्त में मैंने देखा है कि कोई कालेज नहीं खुला उस वक्त में भी। इक्के-दुक्के खोले होंगे तो मुझे पता नहीं। अब भी मांग आ रही है, हर क्षेत्र से आती रहती है। हमने असैसमेंट करवाया, 27 तहसीलों में कालेज नहीं है। फिर हमने कहा इसमें एक और प्रयोग करते हैं। इसमें जो शैक्षणिक संस्थाएं, अनुभव रखेंगी, अगर आगे आएगी तो सरकार उनको प्रति कालेज, दो करोड़ रुपये, इसमें महाविद्यालय के भवन और भूमि के लिए एक करोड़ 80 लाख रुपये, और 20 लाख रुपये पुस्तकालय के लिए, दो करोड़ रुपये प्रति कॉलेज हम देंगे। जो संस्थाएं आगे आना चाहेंगी तो सरकार खुद देगी और प्रयास करेगी कि कॉलेज खुल सके। तो हम इसमें एक प्रस्तावित कर रहे हैं। उसके बाद में उसमें जो रैकरिंग खर्चे हैं, वे खुद को करने पड़ेंगे संस्था को। वह कैसे कर पाते हैं, वह देखने वाली बात है। क्योंकि अभी प्राइवेट कालेज कई जगह तो तीन-तीन, चार-चार खुल चुके हैं, कई तहसीलों के अन्दर, कई जगह एक भी नहीं है, तो उन तहसीलों को हम लोग पहले लेना चाहते हैं।

एक समस्या जो आप भी फेस करते होंगे, आप लोग जाते भी हैं कई बार, बाहर जो धरने प्रदर्शन देते हैं, हम से आकर मिलते हैं डैलीगेशन, प्रबोधक की है, जो शिक्षा कर्मी, मदरसा पैरा टीचर्स, राजीव गांधी पैरा टीचर्स, विद्यार्थी मित्र, लोक जुम्बिश कार्मिक, ये जितने भी लोग हैं, इनकी समस्या समय के साथ-साथ में कई तरह की बढ़ती जा रही है। आपने भी कोशिश की, आपने वैकेंसी निकाली। यहां हजारों लोग आ गये एप्लाई करने के लिए आपने लिया किसी को नहीं। जो गवर्नमेंट में काम कर रहे थे, उन्हीं को ले पाये आप लोग उसमें जो क्वालिफाइड नहीं कर पाये, उनको आपने नहीं लिया। अब वे क्वालिफाइड कर गये तो वे अलग से मांग कर रहे हैं। ये जितनी मांगें हैं, हम चाहते हैं उनका निपटारा सही समय पर हो तो जन हित में ठीक रहेगा। उसके लिये मैंने कहा, एक कैबिनेट की सब-कमेटी बनाकर अगले तीन महीनों में इसका असेसमेंट करके जितनी समस्याएं हैं, इसके अलावा और भी कई समस्याएं हो सकती हैं, हम चाहते हैं, सब समस्याओं का निपटारा करें जिससे ये जो नौजवान हैं, युवा हैं, इनकी समस्याओं का कोई रास्ता निकल सके, यह हम लोग प्रयास करना चाहते हैं।

(श्री अशोक गहलोत)

अब आपका पाइंट है, प्रतिपक्ष का आभारी हूं, आपने कहा, आपकी जो सोच है, उसमें आपको खुद को हाउस के अन्दर आना चाहिये। मुझे हाउस में आने में कभी भी एतराज नहीं। मुझे तो खुशी होती, क्योंकि आपने प्रिविलेज मोशन रखा था और अध्यक्ष महोदय का डायरेक्शन होता तो मैं उसी वक्त आने के लिये तैयार था। अध्यक्ष महोदय को कन्वे भी किया कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद चाहता हूं कि हाउस की गरिमा रहे। आज हम हैं, कल कोई आएगा, परसों कोई आएगा। यह तो सदन चलता रहेगा। चलते रहना चाहिये। हर पीढ़ी के नेताओं की, प्रतिनिधियों की ड्यूटी है कि वे हाउस की गरिमा को अक्षुण्ण रखें। यह हमारी सब की पहली जिम्मेवारी बनती है। काफी लम्बे समय तक आपमें से कई लोग हाउस में रहे हैं। मैं 1980 से पार्लियामेंट गया हूं, तब से मैं पांच बार एम.पी. बना हूं या यहां पर रहा हूं तो मैं भी पार्लियामेंट प्रोसीजर, प्रैक्टिस क्या है, थोड़ा समझता हूं। हाउस में बैठकर ही बात हो सकती है, हाउस के बाहर बैठते हैं तब इनफार्मल बात होती है। दो ही रास्ते हो सकते हैं। यह जो गलतफहमी हुई, गलतफहमी होनी ही नहीं चाहिये थी। मेरे हिसाब से मैं गलत हूं तो आप मुझे करैक्ट करें। यह जो हमने टैक्स प्रस्तावित किये थे, यह सी एस टी 1956 की बनी हुई है, एक्ट आपको मालूम है, और उसके अन्तर्गत 1956 में एक्ट बना और 1958 में 2 प्रतिशत टैक्स लगाये थे उन गुड्स पर, जिनका जिक्र किया गया, जो कंट्रोवर्सी में आये। 1958 के अन्दर दो प्रतिशत लगा था, फिर तीन प्रतिशत हो गया। 1966 के अन्दर तीन प्रतिशत हो गया था और फिर यह चार प्रतिशत हो गया 1975 के अन्दर। 35 साल हो गये इस बात को, 1975 से, 35 साल से यह चार प्रतिशत पर ही है। देश के अन्दर इसको कोई राज्य सरकार बदल नहीं सकती। चार प्रतिशत टैक्स दो था, तीन था फिर चार प्रतिशत आया। अब भारत सरकार ही उसको बदल सकती है, बाकी कोई राज्य सरकार नहीं बदल सकती। अब बात रही, जब हमने बजट पेश कर दिया तो यह बात दिमाग में आई कि चूंकि संयोग से वैट लागू हुआ पूरे देश के अन्दर तो दो स्लेब रखी गयीं 4 प्रतिशत और 14 प्रतिशत। 4 प्रतिशत वाली स्लैब वह संयोग ऐसा रहा कि सी एस टी वाला 1956 का एक्ट था, उसके अन्दर 4 प्रतिशत वाले आइटम हो गये, ये भी 4 प्रतिशत हो गये। तो यह सोचकर जब डिक्लेयर हो गया और बजट बन गया तो मैंने हाउस के अन्दर रख दिया। सैकिण्ड-डे हम लोगों ने उसको क्लैरिफाई करने के लिये कि 4 प्रतिशत से कोई दुकानदार एक प्रतिशत भी, पाइंट वन

(श्री अशोक गहलोत)

प्रतिशत भी ज्यादा नहीं ले सकता, क्योंकि उसको मालूम है कि सी एस टी के अन्तर्गत ही ये गवर्न होते हैं। जब से उसने दुकान लगाई, 35-40 साल पहले लगाई होगी, उसको मालूम है, यह उसी से गवर्न होता है। तब भी आप जानते हैं कोई नया व्यापारी है या कोई संशय के कारण से कोई संदेह के अन्दर या कुछ गलत सोच के अन्दर जान-बूझकर भी वह टैक्स वसूल नहीं कर ले, इसलिये हमने उसको क्लैरिफाई किया। जो प्रस्ताव हमने किये थे उससे अगर एक प्रतिशत या पाइंट एक प्रतिशत टैक्स अधिक करते या कम करते तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि पहले मैं आकर हाउस में आपके सामने रखता। ऐसी स्थिति कई बार आती है। मान लीजिये, जिस दिन बजट पेश किया और अगले दिन से सात दिन की छुट्टी हो जाती है, तीन दिन की छुट्टी हो जाती है और मैं क्लैरिफाई टाइम पर नहीं करता तो आप कल्पना कर सकते हैं, अगर गलतफहमी रहे, उसके कारण व्यापारी ज्यादा प्रतिशत वसूलने लग जाएं, यह आप भी नहीं चाहेंगे, हम भी नहीं चाहेंगे। इसलिये खाली क्लैरिफिकेशन देने के लिये हमने उसको नोटिफाई प्रेस नोट जारी कर किया कि इसमें कोई टैक्स जो शिड्यूल फोर में है, यह जो टैक्स लग गया है, इसको आप इससे लिंक नहीं रखें। यह सी एस टी से ही गवर्न होगा, इसको हम नहीं छेड़ रहे। सिर्फ इतनी सी बात थी।

अब, क्योंकि आपके दिमाग में या आप नेता बैठे हैं, आपके वरिष्ठ नेता, नेता क्या मुख्य सचेतक, तो इन्होंने सवाल खड़ा कर दिया, जो खड़ा करना ही था, आपने भी किया, कटारिया साहब ने भी किया, मैं आपको यह कहना चाहूंगा, जो मैंने एक आइटम बनाया, पहले मैं उसको पढ़कर सुना दूं जिससे कि कम से कम क्लीयर हो जाए डिक्लेयर गुड्स जिसको कहते हैं। डिक्लेयर गुड्स के सम्बन्ध में सदन की कार्यवाही में, क्योंकि मुख्य मंत्री स्टेज में आ गये, न तो मंशा थी मंत्री की, न इन्होंने कहा, जो इन्होंने खुद खण्डन कर दिया। बात वहीं खतम हो जाती है, मुख्य मंत्री का अख़बार में लिखा हुआ भाषण था। वह अभिषेक मटोरिया ठीक कह रहा था, लिखा हुआ भाषण था। लिखा हुआ भाषण पढ़ना है उसको तो। पर जिस प्रकार हाउस के अन्दर एपिसोड हुआ, आपने भी राजनीति करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। नेता प्रतिपक्ष महोदय, आपको इश्यू बनाकर पब्लिक को मैसेज देना था। बहुत भारी चूक हो गयी दिखती है, आपने उसको उस रूप में पेश कर दिया। चूक वाली बात तब होती, मैं हाउस के बाहर पाइंट वन प्रतिशत टैक्स भी आपको बगैर

(श्री अशोक गहलोत)

पूछे कम-ज्यादा करता तो चूक होती। मैं भी समझता हूं कि हाउस के अन्दर ही कहना चाहिये, फैसला भी हाउस के अन्दर होना चाहिये। ऐसी बात थी नहीं, खाली क्लैरिफिकेशन की बात थी वह। इसलिये हाउस के बाहर खाली रूटीन के अन्दर मैंने भेज दिया कि कम से कम गलतफहमी से कोई नुकसान नहीं हो जाए।

अब मैं खाली आपको एक पेज पढ़कर सुना दूं, डिक्लेयर गुड्स जिसको कहते हैं, जिसके सम्बन्ध में सदन की कार्यवाही में, 11 मार्च को काफी गतिरोध रहा, जो दुर्भाग्य था। माननीय सदस्यों को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा, राज्य सरकार कभी भी ऐसी कोई कार्यवाही या फैसला नहीं करेगी जिससे इस महान सदन एवं गरिमापूर्ण सदन के विशेषाधिकार का हनन हो। यहां मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, डिक्लेयर गुड्स केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 में वर्णित है। इस एक्ट की धारा 15 में डिक्लेयर गुड्स पर दिनांक 1.10.1958 से 2 प्रतिशत, दिनांक 1 जुलाई, 1966 से 3 प्रतिशत और दिनांक 1 जुलाई, 1975 से 4 प्रतिशत से अधिक राज्य बिक्री दर न किये जाने का प्रावधान है। इस प्रकार पिछले 35 वर्षों से डिक्लेयर गुड्स पर राज्य कर की दर 4 प्रतिशत से अधिक करने का अधिकार किसी भी राज्य को नहीं है। राज्य में वैट एक्ट 2003 के शिड्यूल 4 में सभी प्रविष्टियों पर 4 प्रतिशत कर दर थी। यह मात्र संयोग था कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के तहत डिक्लेयर गुड्स पर 0.75 से अधिकतम कर दर 4 प्रतिशत थी। इस बजट में जब शिड्यूल चार में वर्णित सभी आइटम पर कर दर 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत की गयी, तब ही डिक्लेयर गुड्स पर केन्द्रीय बिक्री कर एक्ट, 1956 के कारण वैट की दर 4 प्रतिशत से अधिक बढ़ ही नहीं सकती थी, जो 1975 से ही फिक्स व्यवस्था थी। तथापि व्यापारी वर्ग में उक्त वस्तुओं में कर दर के सम्बन्ध में कोई संशय की स्थिति नहीं रहे और न ही कोई आमजन से अनावश्यक अनधिकृत रूप से गलत टैक्स वसूल कर पाए, यह अलग से स्पष्ट करना आवश्यक था जिसके कारण दिनांक 10.3.2010 को सिर्फ स्पष्टीकरण निकाला गया था। यह मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, इसमें न तो मेरी भावना न सरकार की भावना कोई रही कि किसी भी रूप में इस महान सदन का कोई अपमान हो। यह कभी कल्पना भी नहीं हो सकती, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हमारे जो टैक्सेज रहेंगे ये टैक्सेज जो राजस्थान में लगे हैं और इसकी कैलकुलेशन की गयी है, वह गलत है। आप एक बार वे टैक्सेज जो राजस्थान की जनता से वसूल करेंगे, उसका अधिकार आप प्राप्त करेंगे तो वैट से कितना टैक्स आएगा, बिजली से कितना टैक्स आएगा, शिड्यूल चार से उठाकर जिनको 14 प्रतिशत में डाल दिया है, वह कितना टैक्स आएगा। 555 का जो आपने क्लैरिफिकेशन किया है, वह गलत है। मैंने आपको बताया है, 12 हजार करोड़ का सेल्स टैक्स है, वह 4 प्रतिशत है। 1 प्रतिशत और बढ़ाते ही इनका तीन हजार करोड़ होता है। मान लीजिये, डीजल और पैट्रोल का कम कर देते हैं तो दो हजार करोड़ होता है। हम राज्य की जनता से तीन-साढ़े तीन हजार करोड़ का टैक्स लेना चाहें और 555 करोड़ कागजों में लिखें, जब तक इसका स्पष्टीकरण नहीं हो, कृपा करके इसका स्पष्टीकरण दें।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो आप खुद देख रहे हैं कि हर राज्य के अन्दर कर बढ़ रहे हैं, कोई नयी बात नहीं है, चार परसेंट, पांच परसेंट। एम्पावर्ड कमेटी थी केन्द्र सरकार की, कई राज्यों के प्रतिनिधि उसके मैम्बर हैं- मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, सब लोग। अभी कल परसों हिमाचल का बजट आया है, उसके अन्दर भी पांच परसेंट किया गया है। कोई नयी बात हमने नहीं की है, सब राज्यों में यह टैक्स बढ़ा है। आपने जो कुछ आइटम्स के नाम दिये थे, उनमें चोरी-छिपे बढ़ाने की कोई बात नहीं है। उन आइटम्स के बारे में सरकार ने कांशस डिसीजन लिया बढ़ाने का। अभी तो फाइनेंस बिल आएगा, एप्रोप्रिएशन बिल आएगा। फाइनेंस बिल पर डिस्कशन हो नहीं रहा है। फाइनेंस बिल आएगा, आपकी जो भावना होगी, उस टाइम देख लेंगे, सरकार क्या फैसला कर सकती है। उस बात में मैं आज नहीं जाना चाहता, आपकी भावना मैं समझ रहा हूं। हमारे पास कई रिप्रजेंटेशन आये हैं, कई लोग मिलने भी आये हैं। कई माननीय सदस्यों ने, हमारे पक्ष के लोगों ने भी कहा है और पब्लिक के रिप्रजेंटेशन आ रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको उसके अन्दर रखें क्योंकि हमने कल्याणकारी घोषणाएं की हैं, कई फैसले किये हैं तो हमें संसाधन चाहिए। टैक्स लगाना मजबूरी होती है। कोई गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि अनावश्यक टैक्स लगें। हमने यह घोषणा की कि हम पांच साल तक बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, उसके बावजूद गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की गयी कि हमने बढ़ा दी हैं। हमने कहीं नहीं बढ़ायी हैं। हमने किसानों की बात की थी, हम आज भी कायम हैं। शहरों की जो दुर्दशा

(श्री अशोक गहलोत)

हो रही है, हम भी गवाह हैं, आप भी गवाह हैं। नगरपालिकाओं की स्थिति क्या है, नगर निगमों की स्थिति क्या है, कोई सोच नहीं सकता। वहां पर हमने खाली सौ यूनिट का, मतलब दो सौ यूनिट हो गयी पर बिल, बिल दो महीने का आता है, उसके बाद हमने लगाया टैक्स, जिससे कि कम से कम वह पैसा अलग से रख सकें। सफाई के लिए रख सकें, दूसरे कामों के लिए रख सकें। इसलिये मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि हमने जो प्रस्ताव रखे हैं, आप लोग खुद सोचें, वास्तव में सरकार की अपनी मजबूरी है। इस कारण से रखे, उस कारण से नहीं रखे, आपको इस रूप में लेना चाहिए।

इनके अलावा लम्बे-चौड़े आंकडे, मैं यही कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों ने जो रखा है....

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कल पूर्व विधायकों का सम्मेलन हुआ था जिसमें आप भी पधारे थे, शेखावत साहब भी पधारे थे, कमलाजी थीं, पहाड़िया साहब भी थे, नवल किशोरजी भी थे, उन्होंने अपनी कुछ मांगें आपके समक्ष रखी थीं और आपने फर्माया था। पेंशन वृद्धि का मामला जो लम्बित चल रहा है, उसके ऊपर आपका ध्यान उन्होंने आकर्षित किया था और आपने आश्वासन भी दिया था।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने एक्स एम एल एज के बारे में और प्रजेंट एम एल एज के बारे में भी कुछ प्रस्ताव मेरे सामने रखे थे। हमने सदन के अन्दर कुछ घोषणा भी की थी। हो-हल्ले के अन्दर उस वक्त वह किसी को सुनायी दी नहीं होगी या अख़बार में आया भी होगा परन्तु हम लोग बिल को पेश नहीं कर पाये थे। कल जो मीटिंग हुई थी एक्स एम एल एज के महासंघ की, तब मैंने कहा था। अभी तो मैंने कहा कि फाइनेंस बिल आने वाला है, एप्रोप्रिएशन बिल आने वाला है, तब तक अपन बात कर लेंगे कि किसके लिए क्या कर सकते हैं। वह अलग मुद्दा है। आज के अवसर पर मैं इसको टच नहीं करना चाहता पर मैं खुद चाहूंगा कि हमारे विधायक पक्ष और विपक्ष के जो भी हैं, उन सब की भावना के अनुरूप हम फैसला करेंगे। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, उसमें एक अपमान हुआ है वह मैं आपको बताना चाहता हूं। एक मिनट के लिए आप विराजें, मुझे

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

समय दे दें। आप भी महान हैं, आप बड़े आदमी हैं, मुख्य मंत्री हैं, हम आपका सम्मान करते हैं लेकिन सदन के सारे विधायकों का भी सम्मान है। सदन में हमारे नियम हैं, हम अपने इन्ट्रेस्ट के लिए नहीं बोलते हैं, हमारे इन्ट्रेस्ट के लिए प्रश्न नहीं पूछते। हम वकीलों के लिए बोल सकते हैं, हम पत्रकारों के लिए बोल सकते हैं, हम किसानों के लिए बोलते हैं लेकिन आपका एक स्टेटमेंट पिछली बार का, कि राजस्थान विधान सभा के सदस्यों के इतने वेतन भत्ते हमने बढ़ा दिये, वह अखबारों में गया और हमारी सब की आलोचना छपी। उससे हम सब इन्सल्टेड अपने आपको फील कर रहे हैं। हम कभी भी नहीं चाहते कि हम इस प्रकार की बात करें। लेकिन कल भूतपूर्व विधायकों को अपन ने देखा, ऐसे लोगों को देखा जो कि बहुत बड़े बड़े विभागों के मंत्री रहे हैं और आज उनके लिए दवा-पानी की व्यवस्था नहीं है। हमने उनको देखा, उनके बारे भी हम नहीं बोलना चाहते। लेकिन हम जब सिद्धान्त लागू करें तो हम सब पर करें। जैसे एक बार कोई मुख्य मंत्री बन गया, कमलाजी उप मुख्य मंत्री बनीं, मुख्य मंत्री नहीं बनीं। मुख्य मंत्री बनने के बाद हम जिन्दगी भर हमारे लिए मकान आबंटित कर लें, करा लें, एज वैल एज प्रीवीपर्स और विधायकों की कोई बात कर लें तो वह गलत बात हो जाए, यह बात बिलकुल ठीक नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार पर ठीक प्रकार से फैसला हो।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय मुख्य मंत्रीजी, मजदूरों का न्यूनतम वेतन भी बढ़ना चाहिए। छठा वेतन कर्मचारियों का लगा दिया और मजदूरों की चिन्ता नहीं करें, यह गम्भीर विषय है। मजदूरी बढ़नी चाहिए। मुख्य मंत्री महोदय, गरीब मजदूर भूखे मर रहे हैं। राजस्थान के अलावा सारे राज्यों- मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार सब जगह न्यूनतम मजदूरी बढ़ी हुई है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने जो भावना प्रकट की है और चित्तौड़ से आने वाले हमारे माननीय सदस्य ने यह मामला उठाया है, पहले भी मैंने मेरी भावना बतायी थी। आप ठीक कह रहे हैं कि इसमें विधायक या एम पी खुद खड़ा होकर कहे, यह भावना व्यक्त करे कि हमारे वेतन-भत्ते बढें या सैलेरी बढ़े, मैं तो यही कहना चाहूंगा, सिस्टम ऐसा बनना चाहिए कि आटोमैटिकली हमारा, पार्लियामेंट है, हमारी असैम्बलीज हैं, उनके मैम्बर खुद बैठकर कानून बनाते हैं, वे खुद के लिए क्या बात करें, सिस्टम ऐसा बनना चाहिए कि आटोमेटिकली कोई सिस्टम के आधार पर खुद बढ़ोतरी हो। ऐसा कोई सिस्टम बन जाए तो.....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आर्टिकल आफ कांस्टीटयूशन के अन्तर्गत हमको उसके लिए बिल लाना ही पड़ेगा। वह सिस्टम नहीं बनेगा। वह तो संविधान में संशोधन हो, तब बनेगा। सिस्टम नहीं बन सकता।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): मैं इससे इसको लिंक नहीं कर रहा हूं, तिवाड़ी साहब। वह तो बिल आएगा। आप सबसे पूछकर आएगा। दोनों पक्षों से पूछकर आएगा। हम लोग जल्दी लाएंगे। आप निश्चिन्त रहें। फाइनेंस बिल आएगा, उस वक्त आएगा, कभी भी आ जाएगा, यह मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। वह अलग मामला है। वह तो मैं आगे के लिए कह रहा हूं। कोई ऐसा सिस्टम बने, पार्लियामेंट में बने ताकि कम से कम आराम से, ब्यूरोक्रेटस जो हैं, उनकी जिस प्रकार से तनख्वाह बढ़ती है, पे कमीशन लागू हो जाता है अपने आप। तो पे कम से कम मानदेय के रूप में बढ़े, वह माननीय विधायकों और माननीय सांसदों का आटोमेटिकली बढ़े, ऐसा फार्मूला बनना चाहिए, मेरी व्यक्तिगत भावना यह है।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): हम तो अल्ला की गाय हैं। जैसा चाहें वैसा रख लें आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, टोकना तो नहीं चाहता परन्तु यह तो बता दो कि आपने जो टैक्स दो हजार करोड़ के बढ़ाये हैं, उनमें से कितने वापस ले रहे हैं? आपने खल और काटन शीड पर टैक्स बढ़ा दिया, पूरे राजस्थान के लोग चिन्तित हैं, रेडीमेड पर बढ़ा दिया। बताएं तो सही आप, इसके पीछे एजेंडा क्या है आपका?

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अभी तो बहुत टाइम है। अभी तो बहुत डिस्कशन करना है हाउस के अन्दर। अभी तो फाइनेंस बिल आएगा। आप क्यों चिन्ता करते हैं? अभी तो आपको बोलने के कई और मौके मिलेंगे, ऐसी क्या बात है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एप्रोप्रिएशन बिल तक जो आपके पास लोगों से मांग पत्र आये हैं, जो हड़ताल हुई है, आपके लोग भी कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं, किसानों का मामला है, ये सारे मामले हैं।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): यह तो मैं पहले आपको क्या कहूं, मैं बात करूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, आप कैसे भी तो करेंगे।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अभी तो आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने अपने खुद के क्षेत्रों के बारे में समस्याएं बतायी हैं, उनको मैं खुद दिखवाऊंगा और यथासम्भव प्रयास करूंगा कि उनकी भावना के अनुरूप हम लोग फैसले करें। अधिक से अधिक उनके क्षेत्र के विकास के काम हों, विकास के कामों में कोई कमी नहीं रखेंगे। मैं यह विश्वास दिलाता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 16 मार्च, 2010 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.49 बजे सोमवार दिनांक 16 मार्च, 2010 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके

तारांकित प्रश्नोत्तर

पाली जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितता की जांच

136. श्रीमती संजना आगरी (सोजत) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला पाली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से ए.पी.एल. परिवारों को वितरित किये जाने वाले गेहूं कोभारतीय खाद्य निगम को फर्जी काश्तकार के नाम से बेचे जाने का प्रकरण सरकार की जानकारी में आया है? यदि हां, तो सरकार द्वारा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र सोजत में उक्त प्रकार के हुए प्रकरणों की जांच सी.बी.आई. द्वारा भी की गयी है? यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

(3) विधान सभा क्षेत्र सोजत में ए.पी.एल. व बी.पी.एल. परिवारों को खाद्य सामग्री महीने में कब-कब वितरित की जाती है? उक्त परिवारों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। जिला पाली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से ए.पी.एल. परिवारों को वितरित किये जाने वाले गेहूं को भारतीय खाद्य निगम को फर्जी काश्तकार के नाम से बेचे जाने का प्रकरण सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र सोजत में सी.बी.आई. से प्राप्त सूचना अनुसार इस सम्बन्ध में कोई अनुसंधान विचाराधीन नहीं है। सूचना शून्य बताई गई है।

(3) विधान सभा क्षेत्र सोजत में ए.पी.एल. व बी.पी.एल. परिवारों को खाद्य सामग्री प्रत्येक माह की 5 तारीख से स्टाक में बैलेंस रहने तक वितरित की जाती है। परिवारों की संख्या निम्नानुसार है :-

ए.पी.एल.-63450

बी.पी.एल.-7192

राज्य में सोप स्टोन व डोलामाइट खनन हेतु भूमि कर

137. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

(1) क्या यह सही है कि राज्य में सोप स्टोन व डोलामाइट खनन इकाइयों से भूमि कर लिया जाता है? यदि हां, तो किस दर से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त खनन पर भूमि कर की अधिकता एवं पड़ौसी राज्यों की प्रतिस्पर्धा के कारण कई इकाइयां बन्द हो चुकी हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार डोलामाइट एवं सोप स्टोन खनन पर भूमि कर कम करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 12(84)वित्त/कर/09-35 दिनांक 08.07.2009 के द्वारा भूमि कर के लिए संदेय दर को दिनांक 01.04.2009 से घटाकर निम्न तालिका अनुसार उनके सामने उल्लेखित दरें निर्धारित की गयी हैं :-

क्र. सं.	भूमि का वर्ग	कर की दर
1.	शीशा, जस्ता, तांबा, राक फास्फेट, सीमेंट और एस.एम.एस. ग्रेड चूना पत्थर, जिप्सम और बलुआ पत्थर युक्त भूमियों से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा धारित 10 हैक्टर या अधिक, किन्तु 50 हैक्टर से कम माप वाली भूमि।	0.40 रुपये प्रति वर्गमीटर या भूमि के बाजार मूल्य का 5 प्रतिशत, जो भी कम हो।
2.	शीशा, जस्ता, तांबा, राक फास्फेट, सीमेंट और एस.एम.एस. ग्रेड चूना पत्थर, जिप्सम और बलुआ पत्थर युक्त भूमियों से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा धारित 50 हैक्टर या अधिक, किन्तु 100 हैक्टर से कम माप वाली भूमि।	0.50 रुपये प्रति वर्गमीटर या भूमि के बाजार मूल्य का 5 प्रतिशत, जो भी कम हो।
3.	शीशा, जस्ता, तांबा, राक फास्फेट, सीमेंट और एस.एम.एस. ग्रेड चूना पत्थर, जिप्सम और बलुआ पत्थर युक्त भूमियों से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा धारित 100 हैक्टर या अधिक, किन्तु 500 हैक्टर से कम माप वाली भूमि।	0.65 रुपये प्रति वर्गमीटर या भूमि के बाजार मूल्य का 5 प्रतिशत, जो भी कम हो।
4.	शीशा, जस्ता, तांबा, राक फास्फेट, सीमेंट और एस.एम.एस. ग्रेड चूना पत्थर, जिप्सम और बलुआ पत्थर युक्त भूमियों से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा धारित 500 हैक्टर या अधिक माप वाली भूमि।	0.75 रुपये प्रति वर्गमीटर या भूमि के बाजार मूल्य का 5 प्रतिशत, जो भी कम हो।

(वित्त मंत्री)

(2) जी नहीं। भूमि कर के कारण किसी भी खनन पट्टे में खनन कार्य बन्द नहीं हुआ है।

(3) ऐसा कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश में भवनरहित पशु चिकित्सालय

138. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पशु चिकित्सा हेतु राज्य में क्या-क्या सुविधा दिनांक 31 जनवरी, 2010 तक उपलब्ध है? उक्त में से गत पांच वर्षों में कहां-कहां नई सुविधा उपलब्ध कराई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में वर्तमान में कितने पशु चिकित्सालय सरकारी भवनों में संचालित हैं एवं कितने किराये के भवन में संचालित हैं?

(3) गत पांच वर्षों में राज्य में पशुओं को होने वाली बीमारी खुरपका एवं मुंहपका रोगों के निदान हेतु कितनी राशि व्यय की गई? उक्त रोगों से कुल कितने पशुओं की मौत हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि पश्चिमी राजस्थान में भेड़ व बकरी पालन ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय है? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में सरकार द्वारा इसके विकास हेतु क्या-क्या योजना बनाई गई?

उत्तर

(1) पशु चिकित्सा हेतु राज्य में दिनांक 31 जनवरी, 2010 तक निम्नांकित सुविधाऐं उपलब्ध हैं।

1. बहूद्देशीय पशु चिकित्सालय-14
2. प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय-174
3. पशु चिकित्सालय-1545
4. पशु चिकित्सा उपकेन्द्र-1862

गत पांच वर्षों में उपलब्ध करवाई गई नई सुविधाओं का विवरण निम्नानुसार है :-

(पशुपालन मंत्री)

वर्ष	नई पशु चिकित्सा संस्था का विवरण	क्रमोन्नत की गई संस्था का विवरण
2004-05	—	—
2005-06	13 पशु चिकित्सालयों का सृजन 135 उपकेन्द्रों का सृजन	1 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत 1 पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत
2006-07	24 उपकेन्द्रों का सृजन	—
2007-08	2 पशु चिकित्सालयों का सृजन 8 उपकेन्द्रों का सृजन	140 पशु औषधालयों को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत
2008-09	33 उपकेन्द्रों का सृजन	1 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत 145 पशु औषधालयों को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत

(2) राज्य में वर्तमान में 1129 पशु चिकित्सालय राजकीय भवनों में तथा 46 पशु चिकित्सालय किराये के भवन में संचालित हैं।

(3) गत पांच वर्षों में खुरपका मुंहपका रोग के निदान हेतु राशि रु. 3,39,700/- व्यय की गई। उक्त रोग से गत पांच वर्ष में 261 पशुओं की मौत हुई।

(4) जी हां। गत पांच वर्षों में भेड़ व बकरी के विकास हेतु निम्नांकित योजनाऐं बनाई।

भेड़ एवं भेड़पालक बीमा योजनाएं

भेड़ एवं बकरी प्रजनन नीति

बकरी पालन योजना

सिरोही नस्ल बकरा वितरण योजना (अनुसूचित जाति विशेष के लिए)

(पशुपालन मंत्री)

जमुनापारी नस्ल-बकरा पालन एवं वितरण योजना

बीकानेर जिले में मगरा एवं चोकला नस्ल की भेड़ों की विकास योजना

भेड़ों में प्रचलित रोग भेड़ माता के रोग नियंत्रण हेतु टिश्यू कल्चर वेक्सीन का निर्माण प्रक्रियाधीन।

अलवर जिले के लम्बित कृषि कनेक्शन

139. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला अलवर में दिसम्बर, 2009 तक कुल कितने कृषि विद्युत् कनेक्शन देना लम्बित हैं? पंचायत समितिवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार लम्बित कृषि कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार किसानों को आठ घंटे बिजली देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला अलवर में माह दिसम्बर, 2009 तक कुल 24933 कृषि आवेदन लम्बित हैं। जिनका पंचायत समितिवार विवरण निम्न प्रकार है :-

पंचायत समिति	लम्बित कृषि आवेदनों की संख्या
उमरैन	1335
रामगढ़	2623
लक्ष्मणगढ़	2694
राजगढ़	364
रैणी	846
तिजारा	1909
किशनगढ़बास	812
कोटकासिम	3174

(ऊर्जा मंत्री)

पंचायत समिति	लम्बित कृषि आवेदनों की संख्या
बहरोड़	323
नीमराना	588
थानागाजी	1153
बानसूर	3192
मुण्डावर	3094
कठूमर	2826
कुल	**24933**

(2) उक्त लम्बित आवेदनों में से 9170 आवेदकों को मांगपत्र जारी किये जा चुके हैं। चालू वर्ष में फरवरी-मार्च, 10 तक लगभग 1400 कनेक्शन दे दिये जाएंगे, शेष 7770 कनेक्शन मांग राशि जमा होने पर वर्ष 2010-11 में जारी होंगे। शेष बचे 15763 आवेदकों के मांग पत्र राज्य में विद्युत की उपलब्धता की स्थिति का आंकलन कर नीति निर्धारित कर जारी कर दिये जावेंगे।

(3) जी हां। विद्युत की उपलब्धता एवं निस्तारण व विद्युत वितरण तंत्र के सुदृढ़ीकरण के पश्चात् किसानों को 8 घंटे बिजली देने का प्रयास किया जायेगा परन्तु वर्तमान में किसानों को 7 घंटे रात में व 6.30 घंटे दिन में विद्युत की आपूर्ति की जा रही है।

प्रदेश के कारागृहों की क्षमता

140. श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) : क्या कारागार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कुल कितने कारागार हैं और उनकी क्षमता कितने कैदियों को रखने की है?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान में कैदियों की संख्या बहुत ज्यादा है और जेल की क्षमता उस अनुपात में कम है? यदि हां, तो उचित क्षमता के अनुसार ही कैदियों को जेलों में रखा जावे इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

(1) वर्तमान में राज्य में 95 कारागृह एवं 13 बंदी खुले शिविर स्थापित हैं, जिनकी बंदी क्षमता 17627 बंदियों को रखे जाने की है।

(2) दिनांक 31.01.2010 को राज्य के सभी कारागृहों की समग्र क्षमता से कम बंदी निरूद्ध थे, लेकिन कुछ कारागृहों में बंदी क्षमता से अधिक संख्या में निरूद्ध थे।

जेलों में जनआधिक्य की समस्या के निवारण हेतु जेल आधुनिकीकरण योजना 2002-07 में 10 नवीन कारागृह भवन निर्मित करवाये जाने के अन्तर्गत 9 नये भवन निर्मित करवाये जा चुके हैं एवं जिला कारागृह करौली के नये भवन का निर्माण कार्य चल रहा है तथा वर्तमान भवनों में विस्तार के अन्तर्गत 18 अतिरिक्त बंदी बैरक निर्मित करायी गई हैं। राज्य योजना के अन्तर्गत जिला कारागृह झालावाड़ के नये भवन का निर्माण कराया जा रहा है एवं उप कारागृह बयाना के वर्तमान भवन में 2 अतिरिक्त बंदी बैरक निर्मित करायी गई हैं।

वर्तमान में जिन कारागृहों में क्षमता से अधिक बंदी निरूद्ध है, वहां से उन कारागृहों में जहां क्षमता से कम बंदी निरूद्ध हैं, कुछ बंदियों का अस्थाई तौर पर स्थानान्तरण कर जनआधिक्य का अस्थाई तौर पर निराकरण किया जाता है।

केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में संचालित अकाल राहत कार्य

141. डा. रघु शर्मा (केकड़ी) : क्या सहायता एवं अकाल राहत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिला अजमेर को अभावग्रस्त घोषित किया गया है? यदि हां, तो अभावग्रस्त क्षेत्रों में क्या-क्या कार्य कब से शुरू किये गये हैं? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में अकाल राहत के तहत कार्य कब से शुरू किये गये तथा किन-किन कार्यों में कितने-कितने श्रमिकों को कार्य पर लगाया गया एवं इन्हें कितनी राशि का भुगतान प्रति दिन के हिसाब से किया गया? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में अकाल राहत के तहत कौन-कौन से कार्य प्रस्तावित हैं तथा इनमें कितने-कितने श्रमिकों को रोजगार दिया जाना प्रस्तावित है? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अजमेर जिले के समस्त ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। जिन श्रमिकों के नरेगा योजना अन्तर्गत 100 दिवस पूर्ण हो गये हैं, उन्हें अकाल राहत के तहत 10 दिन का रोजगार राहत कार्यो पर प्रति माह रोटेशन से दिया जा रहा है। माह अक्टूबर, 2009 से अकाल राहत के कार्य प्रारम्भ किये गये हैं। जिले में प्रारम्भ किये गये राहत कार्यों की विधान सभा क्षेत्रवार सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

(2) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के अन्तर्गत पंचायत समिति अरांई क्षेत्र में अकाल राहत कार्य 01-10-2009 से तथा पंचायत समिति केकड़ी में 01-11-2009 से शुरू किये गये हैं। विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में शुरू किये गये राहत कार्य, उन पर लगाये गये श्रमिकों की संख्या एवं उन्हें प्रति दिन दी जाने वाली औसत मजदूरी का ग्रामवार (पंचायत समितिवार) विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-2)

(3) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में वर्तमान में अकाल राहत के तहत प्रस्तावित कार्यो एवं उन पर रोजगार हेतु प्रस्तावित श्रमिकों की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-3)

(सूची व विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

छापुडा खुर्द ग्राम पंचायत (विराटनगर) में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत दर्ज प्रकरणों की जांच

142. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र विराटनगर की ग्राम पंचायत छापुडा खुर्द में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर कलक्टर जयपुर के निर्देश पर पुलिस में मुकदमा दर्ज किया गया है? यदि हां, तो उक्त पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

(2) उक्त योजना में जोब कार्ड बनाने के लिए किस-किस को अधिकृत किया गया है? नरेगा में जोब कार्ड में फर्जीवाड़े के लिए कौन-कौन जिम्मेदार है?

(3) क्या यह सही है कि जोब कार्ड, कार्य पर लगाने तथा भुगतान उठाने में सरपंच, सचिव एवं पोस्ट मास्टर की संयुक्त भूमिका है? यदि हां, तो जोब कार्ड का फर्जीवाड़ा, नकली हाजिरी भरकर फर्जी नाम से भुगतान उठाने की शिकायत में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते समय सरपंच ग्राम पंचायत छापुडा खुर्द को छोड़ दिये जाने का क्या कारण है?

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

(4) क्या सरकार उक्त सरपंच पर समान रूप से कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि ग्राम पंचायत छापुडा खुर्द में अनियमितता की शिकायत पर कलक्टर जयपुर के निर्देश पर पुलिस में मुकदमा दर्ज हुआ है तथा पुलिस जांच चल रही है।

(2) ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से जोब कार्ड जारी किये जाते हैं। जोब कार्ड के फर्जीवाड़े के लिए आवेदनकर्ता, सरपंच एवं ग्राम सेवक जिम्मेदार होते हैं। लेकिन फर्जीवाड़ा तीनों में से किसने किया है इसकी जिम्मेदारी जांच के आधार पर तय की जाती है।

(3) जी नहीं। जोब कार्ड पर लगाने तथा भुगतान उठाने में सरपंच, सचिव एवं पोस्ट मास्टर की संयुक्त भूमिका नहीं है। कार्य पर श्रमिक के नियोजन के लिए श्रमिक प्रपत्र-6 में आवेदन करता है उस आवेदन के आधार पर प्रपत्र-8 में ग्राम सेवक द्वारा कार्य आबंटित किया जाता है। श्रमिकों का भुगतान टास्क के आधार पर पोस्ट आफिस भिजवाया जाता है। भुगतान पोस्ट मास्टर द्वारा सम्बन्धित को किया जाता है। छापुडा खुर्द की शिकायत की जांच तहसीलदार शाहपुरा द्वारा की गई थी। जांच में सरपंच को दोषी नहीं माना गया है। अतः इसके खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज नहीं करवायी गयी।

(4) तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर थाने में दोषियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज है। जांच में यदि सरपंच को भी दोषी पाया जाता है तो थाना स्तर पर उसका नाम भी जोड़ा जा सकता है।

प्रदेश के संभागीय स्तर पर आटा वितरण हेतु गेहूं पिसाई का ठेका

143. डा. (श्रीमती) परमनवदीप सिंह (संगरिया) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा संभागीय मुख्यालयों पर ए.पी.एल. परिवारों को आटा वितरित करने की कार्य-योजना बनाई गई थी? यदि हां, तो कार्य योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनान्तर्गत किन-किन फर्मों को गेहूं पिसाई का ठेका दिया गया है? फर्मों के साथ किये गये एम.ओ.यू. की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) गत छह माह में ए.पी.एल. का कितना गेहूं इन फर्मों को कब-कब उपलब्ध

(डा. (श्रीमती) परमनवदीप सिंह)

करवाया गया? जिलेवार, माहवार उपलब्ध करवाये गये गेहूं की मात्रा का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त योजनान्तर्गत फर्मों को अब तक कितनी राशि का भुगतान किया गया? फर्मवार किये गये भुगतान के बिलों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त योजनान्तर्गत अब तक कितना आटा ए.पी.एल. परिवारों को वितरित कर लाभान्वित किया गया? संभागवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य के संभागीय मुख्यालय की नगरीय सीमा में (डेयरी बूथ/उपभोक्ता भण्डार/उचित मूल्य दुकान) से ए.पी.एल. श्रेणी के उपभोक्ताओं को गेहूं के स्थान पर आटा दिये जाने की योजना दिनांक 04.10.2009 से प्रारम्भ की गई है। इस योजना हेतु विभाग द्वारा खुली निविदा के माध्यम से रोलर फ्लोर मिलों का चयन कर उनको थोक विक्रेता का प्राधिकार पत्र नियमानुसार जारी किया गया है। चयनित रोलर फ्लोर मिलों द्वारा संभाग मुख्यालयों की नगरीय सीमा में आटा वितरण डेयरी बूथ/उपभोक्ता भण्डार/उचित मूल्य की दुकान द्वारा किया जा रहा है, इस योजना में ए.पी.एल. श्रेणी के राशनकार्डधारी उपभोक्ताओं को 10 किलोग्राम के पैकेट में 9 रु. प्रति किलो की दर पर गेहूं आटा दिया जा रहा है। गेहूं को पीसकर आटा बनाने की पूरी प्रक्रिया यथा एफ.सी.आई. गोदाम से मिल तक परिवहन पिसाई, पैकिंग मय प्रिन्टिग बैग, दुकानों तक पुन: पहुंचाने का परिवहन खर्चा, अन्तर टैक्स तथा खुदरा विक्रेता का कमीशन आदि सम्मिलित करने पर 10 कि.ग्रा. के पैकेट के लिये 215 रु. प्रति क्विंटल तथा 5 कि.ग्रा. के पैकेट के लिये 237 रु. प्रति क्विंटल की लागत अनुमोदित है।

(2) राज्य में निम्नांकित फर्मों को गेहूं पिसाई का ठेका निविदा के माध्यम से चयन के आधार पर दिया गया है :-

1. बल्दुआ फूड एण्ड प्रोसेसर्स लि., ब्यावर।
2. लक्ष्मी रोलर फ्लोर मिल्स प्रा. लि., अजमेर।
3. सरावगी रोलर फ्लोर प्रा. लि., गंगानगर।
4. रघुनाथ एडीवल प्रा. लि., बीकानेर।
5. श्रीमन नारायण फ्लोर मिल, गंगानगर।
6. हनुमान रोलर फ्लोर मिल, अलवर।
7. सी.एम. फूड प्रा. लि., उदयपुर।
8. शक्ति एन्टरप्राइज प्रा. लि., जोधपुर।

(राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति)

9. एना प्रोटीन्स प्रा. लि., पाली।
10. जयपुर रोलर फ्लोर मिल प्रा. लि., झोटवाड़ा, जयपुर।
11. बी.एल. इण्डस्ट्रीज वीकेआई एरिया, जयपुर।
12. पंसारी रोलर फ्लोर मिल्स प्रा. लि., जयपुर।
13. नवनीत रोलर फ्लोर मिल्स प्रा. लि., कानोता, जयपुर।
14. एस.एस.डी. फूड एण्ड पेपर्स प्रा. लि., जयपुर।
15. श्री बालाजी फूडस, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर।
16. जैन फूड प्रोडक्टस, मालवीय नगर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर।
17. मै. कोटा दाल मिल, कोटा।

मिलों के साथ किये गए एम.ओ.यू. की प्रतियां संलग्न हैं

(3) गत छह माह में इन फर्मों को उपलब्ध कराये गये ए.पी.एल. गेहूं की जिलेवार, माहवार सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। इस योजनान्तर्गत किसी भी सम्बन्धित फर्म/मिल को कोई भी राशि का भुगतान अलग से नहीं किया जाता है। वस्तुत: योजनान्तर्गत निर्धारित की गई बिक्री दर में सम्बन्धित मिल के समस्त खर्चों को सम्मिलित कर 9 रुपये प्रति किग्रा. की दर पर आपूर्ति करने के आदेश दिये गये हैं, जिसमें गेहूं का मूल्य, वैट, भारतीय खाद्य निगम से परिवहन, पिसाई, पैकिंग मय प्रिन्टिंग बैग, उचित मूल्य दुकान तक आपूर्ति परिवहन खर्च, अन्तर टैक्स दर एवं छीजत के साथ खुदरा विक्रेता की कमीशन दर सम्मिलित है।

(5) उक्त योजनान्तर्गत अब तक आटा वितरण के माध्यम से लाभान्वित करवाये गये ए.पी.एल. परिवारों का संभाग मुख्यालयवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	**नाम जिला**	**वितरित मात्रा (मै. टन में)**	**लाभान्वित परिवारों की संख्या**
1.	जोधपुर	11270	356300
2.	अजमेर	4940	104000
3.	बीकानेर	5557.50	100800
4.	भरतपुर	1772	34303
5.	उदयपुर	3236.3	94200

(राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति)

क्र. सं.	नाम जिला	वितरित मात्रा (मै. टन में)	लाभान्वित परिवारों की संख्या
6.	जयपुर	20109.92	345100
7.	कोटा	6792.28	93300
	योग	**53678**	**1128003**

(सूचना विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

प्रश्न संख्या-144

(स्थगित)

प्रदेश में कृषि क्षेत्र में रोजगार वृद्धि हेतु कार्य-योजना

145. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध करवाने वाला क्षेत्र कृषि आज विकास की दौड़ में अन्तिम स्थान पर है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं व राज्य की विकास दर और कृषि क्षेत्र में उसकी भागीदारी का गत दस वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विशेष कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि राज्य में सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध करवाने वाला क्षेत्र आज विकास की दौड में अन्तिम स्थान पर है। राज्य की विकास दर और कृषि क्षेत्र में उसकी भागीदारी का गत दस वर्षों का विश्लेषण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है, जिससे स्वत: ही स्पष्ट हो जाता है कि वर्षा की स्थिति एवं प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान पिछले 10 वर्षों में 21.99 से बढाकर 32.10 तक रहा है।

(2) सरकार कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक सोच रखते हुए वर्तमान में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को राज्य में यथावत जारी रखेगी। राज्य के काश्तकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए आगामी खरीफ 2010

(कृषि मंत्री)

से सम्पूर्ण राज्य में मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है। नहरी क्षेत्र में विशेषकर टेल क्षेत्र में जल संग्रहण कर उसे आवश्यकतानुसार उपयोग में लेने की दृष्टि से डिग्गियों के निर्माण को बढ़ावा देने हेतु राज्य योजना अन्तर्गत प्रावधान किया गया है। कृषि क्षेत्र में कृषकों की आय बढ़ाने के लिये राज्य सरकार द्वारा कृषि व्यवसाय व उद्योग नीति को लागू किया है।

परिशिष्ट-1

सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि एवं वर्ष 1999-2000 के स्थिर मूल्यों पर कृषि मय पशुधन क्षेत्र का योगदान

वर्ष	गत वर्ष से सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि	सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि (मय पशुधन क्षेत्र का योगदान)
1999-2000		28.14
2000-01	-2.01	26.76
2001-02	10.87	30.76
2002-03	-9.90	21.99
2003-04	28.67	32.10
2004-05	-1.85	27.92
2005-06	7.86	25.56
2006-07	12.73	25.03
2007-08 P	9.10	24.25
2008-09 Q	6.57	23.71

P-Provisional
Q-Quick

प्रदेश का पानी बचाओ विशेष योजनान्तर्गत लम्बित विद्युत कनेक्शन

146. श्री सन्तोष कुमार सहारण (सादुलशहर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री महोदय द्वारा पानी बचाओ अभियान की सफलता के लिए डिग्गी व बूंद-बूंद सिंचाई योजना के अन्तर्गत विद्युत कनेक्शन प्राथमिकता से देने की घोषणा की गई है? यदि हां, तो इसकी क्रियान्विति हेतु क्या-क्या शर्तें की गई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त घोषणा के उपरान्त अब तक कितने किसानों ने इस योजना में आवेदन प्रस्तुत किये तथा कितने आवेदनकर्ता किसानों को कनेक्शन जारी कर दिये गये? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विद्युत कनेक्शन के लिए औसतन प्रति किसान कितनी राशि जमा कराई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त योजनान्तर्गत विद्युत कनेक्शन लेने वाले किसानों की संख्या अपेक्षाकृत कम रही है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में पानी के संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फव्वारा एवं बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति के लिए किसानों को उच्च प्राथमिकता से विद्युत कनेक्शन देने का प्रावधान किया गया है। डिग्गियों का निर्माण करने पर तुरन्त प्राथमिकता के आधार पर कृषि कनेक्शन चाहने वालों को कनेक्शन देने का प्रावधान है।

इस योजना में दि. 31.03.2010 तक पंजीकृत उन आवेदकों को कनेक्शन उच्च प्राथमिकता से दिये जाने का प्रावधान है जो लिखित रूप से बूंद-बूंद/फव्वारा पद्धति में कनेक्शन लेने हेतु योजना में परिवर्तन के लिए 1000/- रु. की राशि जमा करवाकर आवेदन करेंगे। इस पद्धति के अन्तर्गत लाइन व ट्रांसफार्मर की लागत नीति के अनुसार आवेदक द्वारा वहन की जायगी। आदेश की प्रति परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) राज्य में डिग्गी व फव्वारा एवं बूंद-बूंद सिंचाई योजना में अब तक क्रमश 69, 324 कुल 393 आवेदन प्राप्त हुए है उनमें से अब तक 2 आवेदकों को फव्वारा एवं बूंद-बूंद सिंचाई योजना में विद्युत कनेक्शन जारी हुए हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(ऊर्जा मंत्री)

जयपुर डिस्काम-अब तक 54 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 51 के तकमीना बनाने की कार्यवाही की जा रही है तथा 3 के मांग पत्र जारी कर दिये हैं। मांग पत्र राशि अभी तक जमा नहीं हुई है।

अजमेर डिस्काम-अब तक 82 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 6 के मांग पत्र जमा हुए हैं, शेष आवेदनों के कनेक्शन की प्रक्रिया जारी है।

जोधपुर डिस्काम-अब तक 69 आवेदन डिग्गियों के व 188 आवेदन फव्वारा एवं बूंद-बूंद के कुल 257 आवेदन प्राप्त हुए। 2 प्रार्थीयों को बूंद-बूंद सिंचाई योजना में कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं।

(3) अब तक इस योजना के लिए जयपुर डिस्काम में औसतन लगभग 90,000/- रु. मांग पत्र की राशि जारी हुई। अजमेर डिस्काम में 137000/- रु. प्रति कनेक्शन औसतन तथा जोधपुर डिस्काम में डिग्गियों एवं फव्वारा बूंद-बूंद योजना में 120000/- रु. प्रति कनेक्शन औसतन जमा हुए हैं।

(4) इस योजना में दि. 31.03.2010 तक पूर्व पंजीकृत आवेदकों से ही योजना परिवर्तन कर कनेक्शन चाहने वालों से आवेदन लिए गए हैं। यह योजना एक स्वैच्छिक योजना है अत: कनेक्शनों की संख्या किसानों की इच्छा पर निर्भर है। साथ ही यह योजना अभी हाल ही में प्रारम्भ हुई है अत: शनै: शनै: योजना के प्रचार-प्रसार होने पर कनेक्शनों की संख्या में वृद्धि प्रभावित है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में अकाल राहत कार्यों हेतु प्राप्त केन्द्रीय सहायता

147. श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या सहायता एवं अकाल राहत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा राज्य के कितने जिलों को अकालग्रस्त घोषित किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त घोषित अकालग्रस्त जिलों में राहत कार्य प्रारम्भ करने के लिए सहायता हेतु राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को ज्ञापन प्रस्तुत किये जाने पर केन्द्रीय टीम ने राज्य का दौरा किया है? यदि हां, तो केन्द्र द्वारा राज्य को कितनी सहायता प्रदान की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 1999 से 2003 तक अकाल राहत कार्यों के लिए केन्द्र द्वारा कितनी राशि एवं अनाज दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा राज्य के 27 जिलों को अकालग्रस्त घोषित किया गया है। सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

(2) जी हां। केन्द्र द्वारा राज्य सरकार को उक्त ज्ञापन के आधार पर 1034.84 करोड़ रु. की विशेष सहायता राशि स्वीकृत की गयी है।

(3) वर्ष 1999 से 2003 तक केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि एवं अनाज का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-2)

परिशिष्ट-1

अभाव सम्वत् 2066 में राज्य के अभावग्रस्त जिलों की सूची

क्र. सं.	नाम जिला
1.	अजमेर
2.	अलवर
3.	बांसवाड़ा
4.	बाड़मेर
5.	भीलवाड़ा
6.	बीकानेर
7.	चित्तौड़गढ़
8.	चूरू
9.	दौसा
10.	डूंगरपुर
11.	गंगानगर
12.	हनुमानगढ़
13.	जयपुर
14.	जैसलमेर
15.	जालौर

क्र. सं.	नाम जिला
16.	झुंझुनूं
17.	जोधपुर
18.	नागौर
19.	पाली
20.	प्रतापगढ़
21.	राजसमंद
22.	सवाईमाधोपुर
23.	सीकर
24.	सिरोही
25.	टोंक
26.	उदयपुर
27.	प्रतापगढ़

परिशिष्ट-2

वित्तीय वर्ष 1999-2000 से 2003-04 तक केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि (करोड़ रु. में) एवं प्राप्त गेहूं (लाख मै. टन) का वर्षवार विवरण

वित्तीय वर्ष	सीआरएफ के अन्तर्गत प्राप्त राशि	एनसीसीएफ के अन्तर्गत प्राप्त राशि	प्राप्त गेहूं
1999-2000	155.25	21.98	—
2000-2001	196.00	187.93	4.18
2001-2002	122.96	78.97	4.50
2002-2003	216.09	174.74	18.98
2003-2004	134.79	772.08	13.068
योग	**825.09**	**1235.70**	**40.73**

सम व जैसलमेर पंचायत समिति में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में स्वीकृत कार्य

148. श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2008-09 व 2009-10 में पंचायत समिति सम, जिला जैसलमेर में

(श्री छोटूसिंह भाटी)

नरेगा, बीआरजीएफ, एसएफसी तथा टीएफसी योजनान्तर्गत कुल कितने कार्य स्वीकृत किये गये? प्रत्येक कार्य पर व्यय राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनाओं में पंचायत समिति सम व जैसलमेर में वर्ष 2008-09 व 2009-10 में किस ग्राम पंचायत में सबसे अधिक राशि व्यय हुई व किस ग्राम पंचायत में सबसे कम राशि व्यय हुई? उक्त दोनों पंचायत समितियों में कितने श्रमिकों द्वारा रोजगार हेतु आवेदन किया गया था और कितने श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला जैसलमेर की पंचायत समिति सम में वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में नरेगा, बीआरजीएफ, एसएफसी एवं टीएफसी के स्वीकृत कार्यों एवं प्रत्येक कार्य पर व्यय की गई राशि का विवरण कार्यवार, वर्षवार 2008-09 का योजनावार परिशिष्ट "अ" एवं वर्षवार 2009-10 का योजनावार परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) जिला जैसलमेर की पंचायत समिति सम एवं जैसलमेर में वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में उक्त योजनाओं में सबसे अधिक राशि एवं सबसे कम राशि व्यय करने वाली ग्राम पंचायतों का विवरण निम्न प्रकार है :-

पंचायत समिति	**योजना**	**वर्ष**	**सबसे अधिक व्यय वाली पंचायत**		**सबसे कम व्यय वाली पंचायत**	
			पंचायत का नाम	**राशि (लाखों में)**	**पंचायत का नाम**	**राशि (लाखों में)**
सम	नरेगा	2008-09	सियाम्बर	121.89	रायमला	10.44
		2009-10	सियाम्बर	140.88	अडबाला	1.68
जैसलमेर	नरेगा	2008-09	नाचना	128.57	मदासरा	12.89
		2009-10	नाचना	107.12	ताडाना	4.94
सम	बीआरजीएफ	2008-09	सम	6.29	फतेहगढ़	1.75
		2009-10	तेजमालता	23.40	तेजरावा	1.25

(ग्रामीण विकास मंत्री)

पंचायत समिति	योजना	वर्ष	सबसे अधिक व्यय वाली पंचायत		सबसे कम व्यय वाली पंचायत	
			पंचायत का नाम	राशि (लाखों में)	पंचायत का नाम	राशि (लाखों में)
जैसलमेर	बीआरजीएफ	2008-09	मोहनगढ़	66.24	मदासर	7.29
		2009-10	मोहनगढ़	64.50	मदासर	7.09
सम	एसएफसी	2008-09	देवीकोट	6.89	सत्तो	1.00
		2009-10	रामगढ़	14.10	देवड़ा	0.75
जैसलमेर	एसएफसी	2008-09	मोहनगढ़	18.00	मदासर	1.00
		2009-10	मोहनगढ़	15.96	मदासर	1.30
सम	टीएफसी	2008-09	रीवडी	12.83	म्याजलार	1.20
		2009-10	रामगढ़	11.36	नर की ढाणी	0.76
जैसलमेर	टीएफसी	2008-09	मोहनगढ़	17.32		1.18
		2009-10	मोहनगढ़	17.00	मदासर	1.00

पंचायत समिति सम एवं जैसलमेर में नरेगा में वर्षवार श्रमिकों के आवेदन एवं उनके विरूद्ध नियोजित किये गये श्रमिकों का विवरण निम्न प्रकार है

पंचायत समिति	वर्ष	रोजगार हेतु प्राइज़ आवेदन	रोजगार उपलब्ध श्रमिक की संख्या
जैसलमेर	2008-09	32272	32272
	2009-10	34008	34008
सम	2008-09	56503	56503
	2009-10	46382	46382

(परिशिष्ट विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा जिले में ए.पी.एल. परिवारों को आटा वितरण हेतु अधिकृत संस्था

149. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा में राशन की दुकानों से गरीबी रेखा के ऊपर जीवनयापन करने वाले लोगों को वर्तमान में गेहूं के स्थान पर आटा दिया जा रहा है? यदि हां, तो कितना आटा किस दर पर तथा गेहूं को पीसकर आटा बनाने में कितनी लागत आती है?

(2) क्या सरकार ने गेहूं के स्थान पर आटा वितरण के लिए किसी संस्था को अधिकृत किया है? यदि हां, तो उक्त संस्था को अधिकृत करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गये? उक्त संस्था को सरकार द्वारा गेहूं की आपूर्ति किस दर पर की जाती है और संस्था द्वारा राशन की दुकानों पर आटा किस दर पर सप्लाई किया जाता है? दर, छीजत, पैकिंग व ट्रांसपोर्टेशन सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या नियमानुसार उक्त संस्था को सरकारी गेहूं एवं इसका आटा राशन की दुकानों के अतिरिक्त अन्यत्र भी सप्लाई करने की अनुमति है? यदि हां, तो उक्त संस्था द्वारा वर्तमान सत्र में राशन की दुकानों के अलावा किन-किन स्थानों पर कितना कितना गेहूं/आटा सप्लाई किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला कोटा में कोटा शहर की नगरीय सीमा में राशन की दुकानों के माध्यम से ए.पी.एल. श्रेणी के उपभोक्ताओं को वर्तमान में गेहूं के स्थान पर आटा दिया जा रहा है।

ए.पी.एल. श्रेणी के राशनकार्डधारी उपभोक्ताओं को 10 किलोग्राम के पैकेट में 9 रु. प्रति किलो की दर पर गेहूं आटा दिया जा रहा है। गेहूं को पीसकर आटा बनाने की पूरी प्रक्रिया यथा एफ.सी.आई. गोदाम से मिल तक परिवहन, पिसाई, पैकिंग मय प्रिन्टिंग बैग, दुकानों तक पुन: पहुंचाने एवं टैक्स आदि सम्मिलित करने पर 10 किग्रा. के पैकेट में 215 रु. प्रति क्विंटल तथा 5 कि.ग्रा. के पैकेट में 237 रु. प्रति क्विंटल की लागत आती है।

खुली बिक्री योजना में 20 किग्रा. की पैकिंग में 14/- रुपये प्रति किग्रा. की दर पर वितरण किया जा रहा है।

(2) विभाग द्वारा कोटा शहर की नगरीय सीमा में आटा वितरण करने हेतु खुली निविदा के माध्यम से चयनित कर कोटा दाल मिल, कोटा को अधिकृत किया गया है।

(राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति)

उक्त संस्था (मिल) का चयन विभाग द्वारा खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया है और तदनुसार थोक विक्रेता का प्राधिकार पत्र जारी किया गया है। इस सम्बन्ध में निर्धारित किये गये मानदण्डों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। संस्था मिल को ए.पी.एल. श्रेणी हेतु गेहूं 634.40 रुपये प्रति क्विंटल की दर से आबंटन किया जाता है। संस्थान द्वारा खुदरा विक्रेताओं, राशन की दुकानों, डेयरी बूथों एवं उपभोक्ता भण्डारों पर आटा 8.70 रुपये प्रति किग्रा. की दर से सप्लाई किया जाता है। ए.पी.एल. में राशन की दुकानों, डेयरी बूथों एवं उपभोक्ता भण्डारों को विक्रय कमीशन 30 पैसा प्रतिकिग्रा. शामिल कर 9 रुपये प्रतिकिग्रा. एपीएल राशन कार्ड धारकों को प्रति राशन कार्ड दिया जा रहा है।

इसकी भारतीय खाद्य निगम गोदाम से परिवहन, पिसाई, पैकिंग मय प्रिन्टिंग बैग, उचित मूल्य दुकान तक परिवहन व अन्तर टैक्स की राशि को मिलाकर 10 कि.ग्रा. हेतु 215 रु. प्रति क्विंटल एवं 5 कि.ग्रा. हेतु 237 रु. प्रति क्विंटल निर्धारित है तथा 5% छीजत दी गयी है।

(3) उक्त संस्था को नियमानुसार आटा राशन की दुकानों के अतिरिक्त डेयरी बूथों एवं उपभोक्ता भण्डारों एवं चल दुकानों के माध्यम से भी सप्लाई करने की अनुमति है, संस्था द्वारा राशन की दुकानों के अलावा वितरण किये गये आटा का विवरण परिशिष्ट-2 एवं 3 पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि

150. डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर), **श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा को साठ से बढ़ाकर बासठ वर्ष करने के सम्बन्ध में सरकार ने गत साल उच्च स्तर पर विचार-विमर्श किया था? यदि हां, तो विचार-विमर्श की कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार साठ वर्ष की सीमा को बढ़ाकर बासठ वर्ष करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विचार किया जाता रहता है परन्तु निर्णय नहीं हो पाने के कारण विवरण सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

(वित्त मंत्री)

(2) समय-समय पर विचार-विमर्श होता रहता है परन्तु वर्तमान में कोई नीति तय नहीं की गई है।

प्रमाणित बीज वितरण में विलम्ब हेतु दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

151. श्री ओम बिरला (कोटा-दक्षिण) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा रबी 2010 में गेहूं के प्रमाणित बीज निजी क्षेत्र के उत्पादकों वितरकों द्वारा अनुदान पर कृषकों को वितरण के आदेश कब जारी किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि आदेश विलम्ब से दिये जाने के कारण कृषकों को गेहूं का प्रमाणित बीज महंगी दरों पर खरीदना पड़ा? क्या सरकार निर्णय विलम्ब से लेने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इस वर्ष सरकारी तथा निजी उत्पादकों द्वारा कितना गेहूं का प्रमाणित बीज तैयार किया गया एवं राज्य व राज्य के बाहर कितना बीज वितरित किया गया? सरकारी तथा निजी उत्पादकवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा वर्ष 2010 में अब तक सरसों के कितने कितने प्रमाणित बीज का वितरण राज्य व राज्य से बाहर किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रबी 2010 में गेहूं के प्रमाणित बीज निजी क्षेत्र के उत्पादकों/वितरकों द्वारा अनुदान पर कृषकों को वितरण करने के निर्देश अभी जारी नहीं किये गये हैं।

(2) जी नहीं। रबी 2010 की शुरूआत ही अक्टूबर, 2010 से होगी। अत: यथा समय आदेश जारी किये जावेंगे।

(3) इस वर्ष अर्थात 2009-10 में गेहूं के प्रमाणित बीज का उत्पादन अभी प्रक्रियाधीन है। गेहूं की फसल कटाई के बाद निर्धारित प्रक्रियानुसार अन्तिम मात्रा प्रमाणीकरण के पश्चात् ही प्राप्त होगी। रबी 2009-10 में विभिन्न बीज संस्थाओं (सरकारी व निजी क्षेत्र) द्वारा राज्य में लगभग 86323 एकड़ क्षेत्र में गेहूं प्रमाणित बीज उत्पादन का कार्यक्रम लिया गया है, जिसका संस्थावार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(कृषि मंत्री)

सरकारी व निजी क्षेत्र के बीज उत्पादकों द्वारा रबी 2009-10 में राज्य में व राज्य से बाहर निम्नानुसार गेहूं बीज का वितरण किया गया है। संस्थावार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

क्र. सं.	बीज उत्पादक संस्था	वर्ष 2009-10 में राज्य में वितरित गेहूं बीज मात्रा (क्विंटल)	वर्ष 2009-10 में राज्य से बाहर वितरित गेहूं बीज मात्रा (क्विंटल)
सरकारी क्षेत्र			
1	केन्द्रीय राज्य फार्म	52028.9	3886.60
2	राष्ट्रीय बीज निगम	48022.0	0
3	राजस्थान राज्य बीज निगम	249111.0	0
4	तिलम संघ	3681.60	0
5	कृभको	6656.40	0
	योग	359499.90	3886.60
	निजी क्षेत्र	343066.70	33387.60
	कुल योग	702566.60	37274.20

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि रबी 2008-09 में उत्पादित गेहूं प्रमाणित बीज का वितरण रबी 2009-10 में किया गया है तथा राज्य में गेहूं बीज उत्पादन हेतु रबी 2008-09 में पंजीकृत निजी क्षेत्र की विभिन्न बीज संस्थाओं जिनका विवरण परिशिष्ट 2 पर दिया गया है, के अलावा अन्य बीज संस्थाओं द्वारा भी राज्य के बाहर से गेहूं बीज प्राप्त कर राज्य में रबी 2009-10 में वितरित किया गया है। इस प्रकार रबी 2009-10 में राज्य में कुल लगभग 7.17 लाख क्विंटल (प्रोविजनल) गेहूं बीज का वितरण हुआ है।

(4) राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा वर्ष 2010 में सरसों का कोई बीज राज्य में व राज्य से बाहर वितरण नहीं किया गया है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राजगढ़ (अलवर) में महिला कालेज की स्थापना

152. श्री सूरजभान (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार राजगढ़ (अलवर) में महिला कालेज की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुये राजकीय क्षेत्र में नवीन महिला महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

भीम में मिनी-बैंक की स्थापना

153. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार नरेगा के अन्तर्गत किये गये कार्यों के भुगतान को समय एवं सुव्यवस्थित ढंग से करने हेतु दूरदराज पंचायतों के मुख्यालयों पर मिनी-बैंक खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र भीम की ग्राम पंचायत कालागुमान में मिनी-बैंक खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार मिनी बैंक के स्थान पर Banking Correspondent Model पर विचार कर रही है एवं इसके लिए बैंकिंग प्रतिनिधियों से वार्ता की जा रही है।

(2) नरेगा श्रमिकों के भुगतान हेतु वर्तमान में ग्राम पंचायत कालागुमान में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मिनी बैंक खोले जाने का विचार नहीं है। सरकार मिनी बैंक के स्थान पर Banking Correspondent Model पर विचार कर रही है एवं इसके लिए बैंकिंग प्रतिनिधियों से वार्ता की जा रही है।

प्रश्न संख्या-154

(स्थगित)

मत्स्य पालकों को लीज मनी की वापसी

155. **श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर) : क्या मत्स्य पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य के मत्स्य पालकों ने इस वर्ष अधिकांश बांधों में पानी न होने के कारण अगले साल मछली पालन नहीं करने का फैसला किया है और उन्होंने लीज मनी भी जमा नहीं कराई है? यदि हां, तो प्रदेश के किन-किन बांधों में राज्य के मत्स्य पालकों ने मछली पालन नहीं करने का फैसला किया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार ने ऐसे मत्स्य पालकों का ठेका निरस्त कर दिया है, जिसके कारण गरीब मत्स्य पालकों को प्रतिभूति राशि से हाथ धोना पड़ा है? यदि हां, तो कुल कितनी प्रतिभूति राशि का नुकसान मत्स्य पालकों को हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बांधों में पानी नहीं होने से मत्स्य पालकों को हुए नुकसान के कारण लीज माफ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कुल 123 में से 51 जलाशयों का मत्स्याखेट ठेका राज्य के अनुज्ञापत्रधारी (पट्टेदार) द्वारा छोड़ दिया गया है तथा लीज मनी जमा नहीं कराई है। बांधों में पानी न होना ही इसका एक मात्र कारण नहीं है। ये सभी मत्स्य पालक नहीं होकर मत्स्य ठेकेदार हैं। इन जलाशयों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। राजस्थान मत्स्य नियम 1958 के प्रावधानानुसार एक चौथाई लीज राशि समय पर जमा न कराने पर पट्टेदारों के ठेके निरस्त किये गये हैं तथा उनके द्वारा जमा करायी गई रुपये 84.58 लाख की प्रतिभूति राशि जप्त की गयी है। इनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर है।

(3) जी नहीं। नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सीकर जिले के कृषकों से मीटर रीडिंग से अधिक राशि की वसूली

156. **श्री पेमाराम** (धोद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा किसानों के मीटर

(श्री पेमाराम)

वाले कृषि कनेक्शनों से सीजन के समय एवरेज चार्ज के बिल जारी किये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों व इस संबंध में जारी आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला सीकर में कृषि उपभोक्ताओं से मीटर रीडिंग से अधिक एवरेज चार्ज के रूप में किस-किस सहायक अभियन्ता कार्यालय द्वारा कितने-कितने कृषि उपभोक्ताओं से कितनी अधिक राशि वसूल की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) सीकर जिले के अन्तर्गत कृषकों के मीटर खराब/बन्द/जले/दोषपूर्ण पाये जाने पर निगम आदेशानुसार एवरेज चार्ज न कर फ्लेट रेट दर से उपखण्डवार चार्ज किये जा रहे कृषकों की संख्या विवरण परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पैट्रोल व डीजल पर विक्रय कर में कमी

198. श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि हरियाणा एवं अन्य प्रदेशों में पैट्रोल व डीजल पर राजस्थान के मुकाबले कम टैक्स होने से व्यवसाय में विपरीत असर पड़ रहा है? क्या सरकार पैट्रोल और डीजल की दर को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए सेल्स टैक्स कम करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। यह सम्भव है कि पास के राज्यों में पैट्रोल और डीजल पर टैक्स कम होने के कारण सीमावर्ती जिलों में इनकी बिक्री प्रभावित हो।

जी नहीं। सरकार के पास पैट्रोल एवं डीजल पर सेल्स टैक्स (वैट) कम करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। पैट्रोल एवं डीजल पर वैट कम करने पर राज्य के समग्र राजस्व पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

उप कोषालय सादुलशहर में कोषाधिकारी का पदस्थापन

199. श्री सन्तोष कुमार सहारण (सादुलशहर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सादुलशहर मुख्यालय पर उप कोषालय स्वीकृत किया गया है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कोषालय में ट्रेजरी अधिकारी का पदस्थापन नहीं करने के कारण कोषालय में कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है? क्या सरकार ट्रेजरी अधिकारी का पदस्थापन करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) हां। सरकार द्वारा सार्दुलशहर मुख्यालय पर वित्त (जी. एण्ड टी.) विभाग की अधिसूचना दिनांक 18.8.2008 के द्वारा स्वतंत्र उपकोषालय स्वीकृत किया गया है। (प्रति संलग्न)

(2) विभागीय आदेश क्रमांक 24353-55 दिनांक 10.02.2009 के द्वारा श्री गोपाल राम सहायक लेखाधिकारी का पदस्थापन कर रखा है। श्री गोपाल राम ने दिनांक 20.09.2009 को कार्य ग्रहण कर लिया है।

उपकोष सादुलशहर में 35 आहरण एवं वितरण अधिकारी हैं। जिसके बिल

(वित्त मंत्री)

पारित करने के कार्य सादुलशहर तहसील भवन में स्थान अभाव के कारण मुख्यालय श्रीगंगानगर से किया जा रहा है तथा भुगतान का कार्य एस.बी.आई. बैंक सार्दुलशहर से किया जा रहा है। स्टाम्प एवं पेंशन का कार्य तहसील भवन में उपलब्ध एक कमरे में किया जा रहा है। तहसील भवन में अतिरिक्त स्थान आबंटन होने/किराया का भवन उपलब्ध होते ही उपकोषालय सादुलशहर से बिल पारित करना प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या-200

(स्थगित)

दिल्ली स्थित राजस्थान के राजकीय भवन/सम्पत्तियां

201. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नई दिल्ली में राजस्थान के कई भवनों पर केन्द्र सरकार एवं अन्य सरकारों का कब्जा है? यदि हां, तो किस-किस भवन पर किस-किस का कब से कब्जा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ऐसे भवनों को खाली कराये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? सरकार द्वारा इस बारे में अब तक क्या-क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बीकानेर हाउस का कुछ भाग केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों के पास वर्ष 1950 से किराये पर है।

उदयपुर हाउस दिल्ली सरकार के पास वर्ष 1965 से किराये पर है।

(2) जी हां। उदयपुर हाउस के संबंध में दिल्ली सरकार के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गयी। दिल्ली एवं केन्द्र सरकार के उच्च अधिकारियों के साथ पत्राचार किया गया है।

भारतीय प्रशासनिक/राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं की पदोन्नति में उच्च न्यायालय के निर्णय की क्रियान्विति

202. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं दिये जाने हेतु कोई याचिका राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त याचिका पर राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा फरवरी, 2010 में निर्णय दे दिया गया है? यदि हां, तो निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अब राजस्थान प्रशासनिक सेवा एवं अधीनस्थ सेवाओं की पदोन्नति से आरक्षण समाप्त कर पदोन्नतियां करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति हेतु नियमों में कोई आरक्षण नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) राजस्थान प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करने की राज्य सरकार की कोई मंशा नहीं है।

केन्द्रीय कारागृह सेवर (भरतपुर) में कैदियों से बरामद अवैध हथियार व मोबाइल

203. श्री बहादुर सिंह (बैर) : क्या कारागार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला भरतपुर की केन्द्रीय जेल सेवर में कैदियों से अवैध हथियार व मोबाइल फोन बरामद किये गये थे? यदि हां, तो कब तथा सरकार द्वारा इस हेतु दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि केन्द्रीय जेल सेवर में कैदियों में आपस में झगड़े की घटनाएं घटित होती हैं? यदि हां, तो दिनांक 1 जनवरी, 2009 से 1 जनवरी, 2010 तक कितनी बार कैदियों में झगड़ा हुआ तथा इन घटनाओं की किस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सेवर जेल में उक्त घटनाओं को रोकने हेतु कोई कारगर योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। 1 जनवरी, 2009 से 1 जनवरी 2010 तक की अवधि में केन्द्रीय कारागृह भरतपुर में बरामद हुए अवैध हथियार एवं मोबाइल का विवरण निम्न प्रकार है।

(कारागार राज्य मंत्री)

बरामद होने की तिथि	अवैध वस्तु का प्रकार			की गई कार्यवाही
	मोबाईल	सिम	हथियार	
16.3.09	1	-	-	विचाराधीन बंदी सोरेन पुत्र रामचन्द से बाद पेशी जेल दाखिल होते समय तलाशी से बरामद हुआ। बंदी को उसकी एक माह की अवधि के लिये मुलाकात सुविधा बंद करने के जेल दण्ड से दण्डित किया गया है।
19.12.09	-	-	1 कटटा एवं 2+5=7 कारतूस	जेल के अन्दर लावारिस बरामद। प्रकरण की पुलिस थाना सेवर में एफ.आई.आर. नं. 493/09 दर्ज कराई गई। दो कारापालों के विरूद्ध 17 सीसीए में कार्यवाही की जा रही है एवं जेल अधीक्षक से बिना अवकाश स्वीकृति के अनुपस्थित रहने के लिये स्पष्टीकरण चाहा गया है।
21.12.09	14	4	-	लावारिस बरामद हुए। पुलिस अधीक्षक, भरतपुर को जांच हेतु लिखा गया।
22.12.09	6	5	-	लावारिस बरामद हुए। पुलिस अधीक्षक, भरतपुर को जांच हेतु लिखा गया।
23.12.09	4	4	-	लावारिस बरामद हुए। पुलिस अधीक्षक, भरतपुर को जांच हेतु लिखा गया।
24, 25.12.09	99	22	-	लावारिस बरामद हुए। पुलिस अधीक्षक, भरतपुर को जांच हेतु लिखा गया।
26.12.09	3	-	-	लावारिस बरामद हुए। पुलिस अधीक्षक, भरतपुर को जांच हेतु लिखा गया।
28.12.09	3	-	-	लावारिस बरामद हुए। पुलिस अधीक्षक, भरतपुर को जांच हेतु लिखा गया।
30.12.09	2	2	-	लावारिस बरामद हुए। पुलिस अधीक्षक, भरतपुर को जांच हेतु लिखा गया।

(2) 1 जनवरी, 2009 से 1 जनवरी, 2010 तक की अवधि में केन्द्रीय कारागृह भरतपुर (सेवर) में कैदियों में आपस में झगड़े की तीन घटनायें हुई है, जिसके संबंध में पुलिस थाना सेवर में एफ.आर.आर. दर्ज कराई गई है। उक्त घटनाओं में की गई कार्यवाही का विवरण निम्न भांति है :-

(कारागार राज्य मंत्री)

कारागृह में बंदियों में झगड़ा होने की दिनांक	झगड़ा किन-किन बंदियों के मध्य हुआ।	झगड़े का कारण	कारागृह प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही	दर्ज एफ.आई.आर पर की गई कार्यवाही
26.2.09	दण्डित बंदी मजीद पुत्र सफी मोहम्मद, रामोतार पुत्र लच्छाराम, वासिद पुत्र जोहरू, कलक्टर पुत्र सत्तार व अन्य बंदियों द्वारा दण्डित बंदी विजयपाल पुत्र रामचरण के साथ गाली-गलौच व मारपीट की गई।	बंदियों में आपसी गुटबाजी व कहासूनी के कारण	दोषी बंदियों के विरुद्ध पुलिस थाना सेवर में एफ.आई.आर. न. 90/09 दर्ज कराई गई	प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।
10.5.09	बंदी लाखनसिंह पुत्र नवलसिंह, राकेश पुत्र विजेन्द्र एवं जसवीर पुत्र विक्रमसिंह द्वारा बंदी कुलदीप पुत्र सुगड़ासिंह एवं विजेन्द्र पुत्र सुखनंदन के साथ झगड़ा व मारपीट की गई।	पानी भरने की बात को लेकर आपसी कहासुनी को लेकर झगड़ा	दोषी बंदियों के विरुद्ध पुलिस थाना सेवर में एफ.आई.आर. न. 190/09 दर्ज कराई गई	प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।
19.12.09	बंदी विनोद ओमी, राकेश, लोकेन्द्र, जयकिशन एवं विज्जों द्वारा बंदी प्रशांत पुत्र कृष्ण कुमार के साथ झगड़ा व मारपीट की गई।	बंदियों द्वारा अन्य बंदियों पर अवैध रूप से दबाव डालने पर झगड़ा हुआ।	दोषी बंदियों के विरुद्ध पुलिस थाना सेवर में एफ.आई.आर. न. 494/09 दर्ज कराई गई	प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

(3) केन्द्रीय कारागृह सेवर में उक्त प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये बंदियों के वार्डस/बैरिक्स का निर्धारण बंदी के नाम के वर्ण क्रमानुसार किये जाने, अतिरिक्त सुरक्षा निगरानी वाले आदतन अपराधी बंदियों को अलग वार्ड में रखे जाने, विचाराधीन बंदियों से जबरन कार्य नहीं लेने, निषिद्ध वस्तुओं की रोकथाम के लिये बैरिक्स की आकस्मिक व नियमित तलाशी गंभीरता से लेने तथा गेट तलाशी कार्य हेतु उज्जवल छवि के सुरक्षा कर्मियों को तैनात करने एवं जेल सेवा में लगाये गये समस्त, C.N.W. (कन्वीक्ट नाईट वाचमेन), C.O. (कन्वीक्ट ओवरसियर), OPEN C.O. (ओपन कन्वीक्ट ओवरसियर) के आचरण व कार्य की समीक्षा करने संबंधी निर्देश कारागृह प्रभारियों को समय-समय पर दिये गये हैं। अनुशासनहीन एवं उदण्ड बंदियों के स्थानान्तरण अन्य कारागृहों पर किये गये।

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय कारागृह भरतपुर को एक डोर मैटल डिटेक्टर, एक हैण्ड मैटल डिटेक्टर तथा 1 बायामेट्रिक फिंगर प्रिन्ट स्कैनर उपलब्ध कराये गये है।

नन्दावट ग्राम (भीम) में कारागृह की स्थापना

204. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या कारागार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार उप कारागार भीम की असुविधाओं को देखते हुये ग्राम नन्दावट की सुरक्षित भूमि खसरा नं. 1872 में नवीन उप कारागार/कारागृह बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। उप कारागृह, भीम के नये भवन के निर्माण हेतु उक्त भूमि विभाग को आबंटित नहीं हुई है।

खाजूवाला के किसानों को डिग्गियों हेतु अनुदान

205. डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बीकानेर, हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर में वित्तीय वर्ष 2009-10 में किसानों को अनुदान पर कितनी-कितनी डिग्गियां स्वीकृत की गयीं?

(2) क्या यह सही है कि हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर की तुलना में बीकानेर जिले को बहुत कम डिग्गियां अनुदान पर दी गई हैं? यदि हां, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला के नहरी क्षेत्र में अनुदानित डिग्गियां आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी एवं कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 2009-10 में किसानों को बीकानेर जिले में 225, हनुमानगढ़ जिले में 575 एवं श्रीगंगानगर जिले में 700 डिग्गियां स्वीकृत की गयीं।

इसके अतिरिक्त बीकानेर जिले में 17, हनुमानगढ़ जिले में 14 एवं श्रीगंगानगर जिले में 45 सामुदायिक जल स्रोत स्वीकृत किये गये।

(2) अनुदान हेतु डिग्गी निर्माण लक्ष्यों का आबंटन विगत 3 वर्षों की प्रगति को आधार मानकर किया गया है। उक्त आधार पर बीकानेर जिले हेतु पर्याप्त संख्या में डिग्गियों का आबंटन किया गया है।

(कृषि मंत्री)

विगत 3 वर्षो की श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एवं बीकानेर जिलों में डिग्गी निर्माण की प्रगति (संख्या) निम्नानुसार रही है :-

जिले का नाम	**वर्ष**		
	2006-07	**2007-08**	**2008-09**
श्रीगंगानगर	294	101	110
हनुमानगढ़	117	58	92
बीकानेर	86	33	27

डिग्गियों के अतिरिक्त बीकानेर जिले को 375 जल हौज निर्माण के लक्ष्यों का भी आबंटन किया गया है।

(3) बीकानेर जिले को आबंटित अधिकांश डिग्गियों का निर्माण खाजूवाला के नहरी क्षेत्रों में ही किया जा रहा है।

रोहट (पाली) पंचायत समिति के नवीन राशन कार्ड

206. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा जिला रसद अधिकारी, पाली एवं पंचायत समिति रोहट को नये राशन कार्ड जारी करने के निर्देश दिये गये थे? यदि हां, तो कब?

(2) क्या सरकार द्वारा निर्देश दिये जाने के बावजूद भी अब तक नये राशन कार्ड जारी नहीं किये गये? यदि हां, तो क्यों?

(3) अब नये राशन कार्ड बनवाकर कब तक वितरित करा दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा जिला पाली एवं पंचायत समिति, रोहट को नये राशन कार्ड जारी करने के निर्देश नहीं दिये गये हैं। परन्तु वर्तमान में पुरानी पद्धति के आधार पर 2010 तक के नये एपीएल राशन कार्ड बनाये जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा नये राशन कार्ड जारी करने के निर्देश अभी नहीं दिये गये हैं। नवीन राशन कार्ड जारी करने की कार्यवाही विचाराधीन है।

(राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति)

(3) पुराने राशन कार्ड वर्ष 2010 तक की अवधि के लिये बनाये गये थे, इनकी अवधि समाप्ति से पूर्व नये राशन कार्ड बनाये जाने के निर्णय हेतु कार्यवाही विचाराधीन है।

फुलेरा में नवीन गैस एजेन्सियों की स्वीकृति

207. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में वर्ष 2009-10 में कितनी गैस एजेन्सी खोली गयीं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के कस्बा फुलेरा, किशनगढ़, रेनवाल में गैस एजेन्सी खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य स्तरीय समन्वयक से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य में वर्ष 2009-10 में 18 गैस एजेन्सियां खोली गयीं, जिनका जिलेवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	नाम जिला	गैस एजेन्सी की संख्या
1.	अजमेर	1
2.	अलवर	1
3.	बाड़मेर	1
4.	बीकानेर	1
5.	चूरू	1
6.	जयपुर	3
7.	जोधपुर	1
8.	झालावाड़	4
9.	करौली	1
10.	कोटा	1
11.	श्रीगंगानगर	2
12.	सवाईमाधोपुर	1
	कुल	**18**

(राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति)

(2) जी हां। इण्डियन आयल कार्पो. लि. द्वारा दिनांक 3.11.2002 को खुली श्रेणी तथा शहरी वर्ग के बाजार हेतु नई गैस एजेन्सी खोलने के लिये विज्ञापन जारी किया गया था। प्राप्त आवेदनों की छटाई का काम पूरा हो चुका है तथा निकट भविष्य में योग्य आवेदनकर्ताओं के साक्षात्कार की कार्यवाही की जानी प्रक्रियाधीन है।

धौलपुर में नवीन गैस एजेन्सियां

208. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र, धौलपुर में कितनी गैस एजेन्सियां हैं एवं उक्त में कितने-कितने उपभोक्ता हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि धौलपुर में एक ही गैस एजेन्सी है जिससे उपभोक्ताओं को गैस उपलब्ध कराने में काफी समय लगता है?

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में नई गैस एजेन्सी खुलवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में एक गैस एजेन्सी मैसर्स शिवेन गैस सर्विस (एचपीसीएल), धौलपुर है। इस एजेन्सी में 16466 उपभोक्ता हैं।

(2) जी हां।

(3) राज्य सरकार द्वारा गैस एजेन्सी नहीं खोली जाती हैं। राज्य स्तरीय समन्वयक से प्राप्त सूचना के अनुसार इण्डियन आयल कार्पो. लि. द्वारा दिनांक 3.11.2007 को सुरक्षा (पश्चिम) श्रेणी और शहरी तथा ग्रामीण मार्केट की श्रेणी हेतु नई गैस एजेन्सी के लिये विज्ञापन जारी किया गया था। इस हेतु केवल एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था, जो कि जांच पर अयोग्य पाया गया। अत: निकट भविष्य में पुन: उक्त स्थान हेतु विज्ञप्ति जारी की जानी है।

जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा दोषपूर्ण सामग्री आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही

209. श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा गत पांच वर्षों में समस्त उपकरणों यथा ट्रांसफार्मरों, खम्भों आदि की खरीद का कार्य निविदाओं के आधार पर किया गया है?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उक्त महत्वपूर्ण उपकरणों की खरीद के लिए उपकरण सप्लाई करने वालों के लिए गुणवत्ता एवं उपकरण की उम्र को लेकर शर्तें निर्धारित की जाती हैं?

(3) क्या यह सही है कि यदि उपकरण सप्लाई करने वाली फर्में शर्तों की पालना नहीं करती हैं, तो उन्हें दण्डित किये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो वर्तमान वित्तीय वर्ष में ट्रांसफार्मर, केबल, पोल व तार आदि सप्लाई करने वाली कितनी फर्मों ने शर्तों का उल्लंघन किया तथा इन फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। ट्रांसफार्मर, केबल पोल व तार आदि सप्लाई करने वाली फर्मों को माल सप्लाई करने के आदेश विभिन्न शर्तों के आधार पर दिये जाते हैं और यदि फर्में शर्तों का उल्लंघन करती हैं तो उन पर क्रय आदेश के प्रावधान के आधार पर कार्यवाही कर दण्डित किया जाता है।

उपकरण/सामान फर्म के वर्क्स पर निरीक्षण के दौरान निर्धारित मापदण्डों के आधार पर नहीं पाये जाने पर उपकरण/सामान को अस्वीकार कर दिया जाता है। इसी तरह वर्क्स पर सही पाये जाने के उपरान्त उपकरण/सामान का पुन: निरीक्षण निगम में स्थापित केन्द्रीय जांच प्रयोग शाला में रेण्डम सैम्पलिंग के आधार पर निर्धारित मापदण्डों अनुसार जांच की जाती है। जांच के सही पाये जाने पर ही उपकरण स्वीकार कर भुगतान किया जाता है।

अगर उपकरण निर्धारित उम्र (गारंटी अवधि) में खराब हो जाता है तो उसको सम्बन्धित फर्म द्वारा स्वयं के खर्चे पर सुधारा अथवा बदला जाता है।

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में उपकरण/सामान की आपूर्ति शर्तों के अनुसार नहीं करने वाली फर्मों को वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान दण्डित किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

1. दो पावर ट्रान्सफार्मर सप्लाई करने वाली फर्मों के 4 ट्रान्सफार्मर

(ऊर्जा मंत्री)

गुणवत्ता जांच में फेल होने के कारण लौटा दिये गये। क्रय आदेश के प्रावधान के अनुसार 5 प्रतिशत की शास्ति लगेगी।

2. 35 वितरण ट्रान्सफार्मर सप्लाई करने वाली फर्मों को गारण्टी अवधि में खराब हुए ट्रान्सफार्मर की समय पर मरम्मत नहीं करने के कारण उनका रुपये 6.05 करोड़ रुपये का भुगतान रोक दिया गया।

शेरगढ़ (जोधपुर) तहसील के प्रस्तावित ग्रिड सब-स्टेशन

210. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जोधपुर में दिसम्बर, 2008 से जनवरी, 2010 तक 132 व 33/11 केवी के कितने ग्रिड सब-स्टेशन स्वीकृत किये गये हैं? स्थान व बजट राशि सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) तहसील शेरगढ़ में 132 व 33/11 केवी ग्रिड सब-स्टेशन के कितने प्रस्ताव कहां-कहां के लिये स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं? क्या सरकार प्रस्तावित ग्रिड सब-स्टेशन स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में दिसम्बर, 2008 से अब तक तीन 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन क्रमश: बाप, सांवरीज और सेज-कापरडा में बनाये जाने के लिए स्वीकृत किये गये हैं। परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार इन ग्रिड सब-स्टेशनों की अनुमानित लागत (सम्बन्धित 132 के.वी. लाइन सहित) क्रमश: 1519.00, 1437.31 एवं 1476.34 लाख रुपए है।

जोधपुर जिले में उक्त अवधि में 33/11 के.वी. के 24 सब-स्टेशन स्वीकृत किये गये। जिनका स्थान व बजट का विवरण प्रपत्र-अ पर उपलब्ध है।

(2) तहसील शेरगढ़ में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन बनाये जाने का कोई अन्य प्रस्ताव प्रसारण निगम में न तो प्राप्त हुआ है न ही विचाराधीन है। भविष्य में क्षेत्र की विद्युत मांग के अनुरूप 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन बनाने हेतु प्रस्ताव के प्राप्त होने एवं उसके तकनीकी, आर्थिक जांच में साध्य पाये जाने पर आगे की कार्यवाही की जा सकेगी।

तहसील शेरगढ़ के ग्राम बारनाऊ में 33/11 के.वी. सब-स्टेशन निर्माण का

(ऊर्जा मंत्री)

प्रस्ताव जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. के कार्यालय में विचाराधीन है। तकनीकी एवं आर्थिक रूप से साध्य होने पर तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार उक्त सब-स्टेशन के निर्माण की स्वीकृति देने की कार्यवाही की जायेगी।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

रूपवास (भरतपुर) के ग्राम मदरियापुरा में 33/11 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन का निर्माण

211. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर दीपा (नदबई) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि रूपवास (भरतपुर) के गांव मदरियापुरा में 33/11 केवी ग्रिड सब-स्टेशन स्वीकृत है? यदि हां, तो उक्त का कार्य कब तक शुरू करा दिया जावेगा?

(2) क्या यह भी सही है कि गांव कूम्हा एवं धौर में 33/11 केवी ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित कराना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार महुआ सिमपिनी (भरतपुर) में लगे 33/11 केवी ग्रिड सब-स्टेशन के पुराने तारों को बदलवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। रूपवास (भरतपुर) के गांव मदरियापुरा में 33/11 के.वी. सब-स्टेशन स्वीकृत है। इसका निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जिसके अन्तर्गत सिविल कार्य पूर्ण हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2010-11 में उक्त सब-स्टेशन का कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा।

(2) जी हां। गांव कूम्हा एवं धौर में 33/11 के.वी. सब-स्टेशन स्थापित करना प्रस्तावित है। इनकी स्वीकृति ग्राम पंचायत विद्युत वितरण योजना के अन्तर्गत प्राप्त हो चुकी है। भूमि के अलाटमेंट के लिये प्रशासन एवं संबंधित ग्राम पंचायत से सम्पर्क किया जा रहा है।

(3) महुआ सिमपिनी (भरतपुर) में लगे 33/11 के.वी. सब-स्टेशन के पुराने तारों को जो क्षतिग्रस्त हैं उन्हें बदलवाया जा रहा है।

बयाना एवं रूपवास में नवीन घरेलू विद्युत कनेक्शन

212. श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बयाना व रूपवास में सिंगल फेस के ट्रांसफार्मर नहीं हैं? क्या सरकार द्वारा उक्त क्षेत्रों में नवीन गृह कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों व अब कब तक दे दिये जायेंगे?

उत्तर

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र बयाना व रूपवास में सिंगल फेस के ट्रांसफार्मर उपलब्ध है। विगत 6 माह में सरकार द्वारा इस विधान सभा क्षेत्र में कुल 944 नवीन गृह कनेक्शन जारी किये गये हैं।

पंचायत समिति मुख्यालय कोटकासिम एवं खैरथल में 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन की स्थापना

213. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के पंचायत समिति मुख्यालय कोटकासिम एवं नगरपालिका क्षेत्र खैरथल में विद्युत भार के हिसाब से 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में पुर, कोटकासिम (जिला अलवर) में 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन बनाये जाने की योजना को हाल ही में स्वीकृत किया गया हैं, जिसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। नगरपालिका क्षेत्र खैरथल में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन बनाये जाने के प्रस्ताव की तकनीकी साध्यता की जांच की जा रही है। तकनीकी रूप से साध्य पाये जाने पर इसे बनाने का विचार किया जायेगा।

श्रीगंगानगर जिले में विकलांगों हेतु संचालित योजनाएं

214. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला श्रीगंगानगर में सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में कितने विकलांगों को किस-किस योजना में लाभान्वित किया गया तथा कितने आवेदन शेष हैं? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

(2) उक्त जिले में पालनहार योजनाओं के अन्तर्गत कितनी विधवा महिलाओं को लाभान्वित किया गया तथा कितने प्रकरण लम्बित हैं? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में किन-किन विकलांगों को किस-किस कार्य हेतु ऋण दिया गया तथा वर्तमान में ऋण हेतु कितने आवेदन लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला श्रीगंगानगर में गत तीन वर्षों में 1180 विकलांगों को विभिन्न योजनाओं में लाभान्वित किया गया है तथा 45 आवेदन लम्बित हैं। तहसीलवार लाभान्वितों का विवरण परिशिष्ट “अ” एवं दो योजनाओं में लम्बित आवेदन का विवरण परिशिष्ट “आ” संलग्न है।

(2) श्रीगंगानगर जिले में पालनहार योजना के अन्तर्गत गत तीन वर्षों में 691 विधवा महिलाओं को लाभान्वित किया गया है तथा 134 प्रकरण लम्बित हैं। लाभान्वितों की सूची परिशिष्ट “ब” एवं लम्बित प्रकरणों की सूची परिशिष्ट “स” संलग्न है।

(3) विकलांगों को स्वरोजगार हेतु “विस्वास” सहायता योजना में 49 तथा राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम लि., श्रीगंगानगर द्वारा योजनान्तर्गत 11 विकलांगों को ऋण दिया गया। लाभान्वितों का विवरण परिशिष्ट “द” तथा लम्बित 10 आवेदनों का विवरण परिशिष्ट “य” संलग्न है।

(विवरण/सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

गाड़ियों लुहारों को आवास निर्माण हेतु स्वीकृत राशि

215. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

सरकार द्वारा वर्ष 2009 में कितने गाड़िया लुहारों को आवास निर्माण हेतु राशि दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विभाग द्वारा वर्ष 2008-09 में 881 गाडिया लोहार परिवारों को प्रथम किश्त के रूप में 81.10 लाख रुपये, 689 गाड़िया लोहार परिवारों को द्वितीय किश्त के रूप में 68.90 लाख रुपये तथा 889 गाड़िया लोहार परिवारों को तृतीय किश्त के रूप में 44.45 लाख रुपये की अनुदान राशि दी गई है।

मारवाड़ जंक्शन के बी.एड. कर रहे छात्रों को देय छात्रवृत्ति

216. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य के बाहर से बी.एड. करने वाले अभ्यर्थियों को कितनी छात्रवृत्ति राशि देय होती है व छात्रवृत्ति हेतु क्या-क्या प्रक्रिया पूर्ण करनी होती है एवं छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किस प्रकार और किसके माध्यम से किया जाता है? छात्रवृत्ति आवेदन से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला पाली में सत्र 2005-06 एवं 2006-07 में राज्य के बाहर से बी.एड. करने वाले कितने अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया गया है? विवरण अभ्यर्थी का नाम, स्थानीय पता, भुगतान की गयी छात्रवृत्ति राशि, भुगतान तिथि सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के गांव निम्बली माण्डा के सर्वश्री पुखराज, जेठाराम एवं चम्पतराज को पांच-पांच हजार छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया गया एवं वोपारी निवासी श्री दूदाराम को आठ हजार तथा भोजावास निवासी श्री मानाराम को 24,000/- रुपये के करीब छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया गया है? यदि हां, तो क्यों? असमानता के कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के बी.एड. करने वाले अभ्यर्थियों को शेष राशि का भुगतान कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य के बाहर से बी.एड. करने वाले अभ्यर्थियों को निम्नानुसार अनुरक्षण भत्ता दिये जाने का प्रावधान है :-

नाम योजना	अनुरक्षण भत्ता प्रतिमाह	
	छात्रावासी	डे-स्कॉलर
अजा/अजजा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति	510	330
अ.वि.वि. मैट्रिक छात्रवृत्ति	290	190

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

अनुरक्षण भत्ते के साथ नान-रिफण्डेबल फीस का भी पुनर्भरण किया जाता है।

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत विभाग द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर शिक्षण संस्थान के संस्था प्रधान से प्रमाणित कराकर अभ्यार्थी के गृह जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय को अग्रेषित किया जाता है। पात्र आवेदकों के स्वीकृति योग्य आवेदन पत्रों को जिलाधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृत किया जाकर संबंधित अभ्यार्थी के बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किये जाने की प्रक्रिया है।

(2) जिला कार्यालय पाली द्वारा सत्र 2005-06 एवं सत्र 2006-07 में राज्य से बाहर बी.एड. करने वाले अभ्यार्थियों को स्वीकृत की गई छात्रवृत्ति का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के निम्न छात्रों को निम्नानुसार छात्रवृत्ति स्वीकृत की गयी है :-

1. पुखराज/लिखमाराम मेघवाल नि. निम्बली माण्डा-5300/- रु. (फीस-2000 रु. एवं अनुरक्षण भत्ता 3300 रु.)
2. जेठाराम/वोराराम मेघवाल नि. निम्बली माण्डा-5300/- रु. (फीस-2000 रु. एवं अनुरक्षण भत्ता 3300 रु.)
3. चम्पतराज (सम्पतराज)/तुलसाराम मेघवाल नि. निम्बली माण्डा-5300/- रु. (फीस-2000 रु. एवं अनुरक्षण भत्ता 3300 रु.)
4. दूदाराम/देवाराम मेघवाल नि. वोपारी - 5300/- रु. (फीस- 2000 रु. एवं अनुरक्षण भत्ता 3300 रु.)
5. मानाराम/मिश्रीलाल मेघवाल नि. भोजावास पो. वोपारी-24050/- रु. (फीस-22400 रु. एवं अनुरक्षण भत्ता 1650 रु.)

वर्ष 2006-07 से पूर्व राज्य से बाहर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को 2000 रुपये नान-रिफण्डेबल फीस के पुनर्भरण के आदेश दिये गये थे। वर्ष 2006-07 से राज्य से बाहर अध्ययनरत विद्यार्थियों को भी पूर्ण फीस (नान-रिफण्डेबल) का पुनर्भरण किये जाने का प्रावधान किया गया है। पुखराज, जेठाराम, चम्पतराज (सम्पतराज) तथा दुदाराम का अध्ययन वर्ष 2005-06 होने के कारण उन्हें 2000 रुपये फीस का पुनर्भरण किया गया है तथा मानाराम का अध्ययन वर्ष 2007-08 होने के कारण उसे नियमानुसार पूर्ण फीस का पुनर्भरण किया गया है।

(4) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के बी.एड. करने वाले उपरोक्त अभ्यार्थियों को विभागीय पत्र क्रमांक 30669 दिनांक 29.05.2007 के अनुसरण में जिलाधिकारी पाली को बकाया छात्रवृत्ति नियमानुसार स्वीकृत करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पशु चिकित्सा उप केन्द्र खारियानींव (सोजत) का क्रमोन्नयन

217. श्रीमती संजना आगरी (सोजत) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सोजत के ग्राम खारियानींव में पशु चिकित्सा उप केन्द्र स्थापित है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त पशु चिकित्सा उप केन्द्र को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सोजत का पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खारियानींव नवम्बर 2003 से स्थापित है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में पशु चिकित्सा उपकेन्द्र को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने का विचार नहीं है।

प्रतापगढ़ जिले के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

218. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला प्रतापगढ़ में कितने पशु चिकित्सा केन्द्र संचालित हैं? उक्त संचालित पशु चिकित्सा केन्द्रों में कितने पद किस-किस संवर्ग के सृजित हैं व इनमें से कितने पद भरे हुए तथा कितने रिक्त हैं और रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा? पंचायत/तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त जिले में नये पशु चिकित्सा केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने व कहां-कहां व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला प्रतापगढ़ के पंचायतवार, तहसीलवार संचालित पशु चिकित्सा केन्द्र व उनमें स्वीकृत, भरे हुए तथा रिक्त पदों का विवरण संलग्न है।

पदों को भरने की स्वीकृति प्राप्त होने पर रिक्त पदों को भरा जाता है।

(2) वर्तमान में नवीन पशु चिकित्सा केन्द्र खोलना प्रस्तावित नहीं है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

नगर दुग्ध उत्पादकों को देय प्रोत्साहन राशि

219. श्रीमती अनिता सिंह (नगर) : क्या डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला भरतपुर में कितनी दूध डेयरियां चलाई जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र नगर (डीग क्षेत्र सहित) में उक्त प्रकार की कितनी डेयरियां कहां-कहां चलाई जा रही हैं? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त दूध डेयरियों पर सरकार द्वारा दूध उत्पादकों को कितनी राशि का भुगतान किस दर से किया जा रहा है व क्या-क्या अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि दूध उत्पादकों को प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है? यदि हां, तो किस योजना में कितनी तथा क्या उक्त राशि का भुगतान किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला भरतपुर में कुल 172 दुग्ध समितियां हैं, जिसका विवरण प्रदर्श-1 पर है।

(2) विधान सभा क्षेत्र नगर (डीग क्षेत्र सहित) में कुल 58 दुग्ध समितियां हैं जिनका विवरण प्रदर्श-2 पर है।

(3) उक्त दुग्ध डेयरियों पर संघ द्वारा दुग्ध उत्पादकों को 6.5 प्रतिशत फैट एवं 9.0 प्रतिशत एस.एन.एफ. स्तर पर रुपये 22.10 प्रति किलो दुग्ध का भुगतान 340/- रुपये प्रति किलो फैट की दर से किया जा रहा है एवं अन्य सुविधाओं में दुग्ध उत्पादकों को पशु आहार, मिनरल मिक्सचर, टीकाकरण, प्राथमिक चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे सरस सुरक्षा कवच, सरस आरोग्य बीमा इत्यादि सुविधायें उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

(4) जी नहीं। क्योंकि उत्पादकों को संघ द्वारा उचित दुग्ध दर एवं अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय चिकित्सालय होलसेल भण्डार अनूपगढ़ में नियुक्त संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण

220. श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार होलसेल भण्डार अनूपगढ़ (राजकीय चिकित्सालय) में नियुक्त संविदा कर्मचारियों को स्थाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार होलसेल भण्डार के संविदा कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। अनूपगढ़ में श्रीगंगानगर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि. की मेडिकल शाप है जिसमें एजेन्सी के माध्यम से संविदा पर फार्मासिस्ट कार्यरत हैं। उक्त कार्यरत फार्मासिस्ट एजेन्सी के कर्मचारी है न कि भण्डार के कर्मचारी। अत: भण्डार द्वारा स्थायीकरण नहीं किया जा सकता है।

(2) जी नहीं। भण्डार में कर्मचारी पूर्णतया संविदा पर एजेन्सी के माध्यम से रखे गये हैं जो भण्डार के कर्मचारी नहीं हैं।

जवानपुरा (विराटनगर) ग्राम पंचायत की आबादी भूमि को अस्थायी तौर पर किराये पर देने हेतु स्वीकृति

221. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों को अपने अधिकार क्षेत्र की सम्पत्ति (भूमि, भवन, अन्य सम्पत्ति) को आय प्राप्ति हेतु किराये पर देने का अधिकार है? यदि हां, तो इस संबंधी आदेश/निदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र विराटनगर की जवानपुरा पंचायत की आबादी भूमि को राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कम्पनी द्वारा अस्थायी तौर पर काम में लेने/किराये पर लेने की अनुमति हेतु आवेदन किया है? क्या सरकार उक्त अनुमति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत अपने स्वामित्व की भूमियों को पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-67 व पंचायती राज नियम, 1996 के नियम-163 व 164 के अनुसार किराये पर दे सकती है। अधिनियम व नियमों की प्रति परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) मैसर्स कृष्ण अर्जुन एण्टरप्राइजेज कम्पनी की ओर से दिनांक 30.7.2009 को ग्राम पंचायत के समक्ष 3 बीघा भूमि 3 वर्ष के लिए किराये पर दिये जाने का आवेदन किया है। यह भूमि राज्य सरकार द्वारा अपने आदेश दिनांक 28.9.1993 से ग्रामीण विकास विभाग की सेवा एवं सुविधा योजना की क्रियान्विति के लिए 30 वर्ष की लीज पर सशर्त आबंटित की गई है, जिसकी शर्तो के अनुसार आबंटी को भूमि अन्तरण रहन, दान आदि करने का अधिकार नहीं होगा। आबंटित भूमि का उपयोग केवल विकास विभाग द्वारा प्रस्तावित योजनाओं की क्रियान्विति हेतु किया जावेगा। अत: यह भूमि हाइवे निर्माण की ठेकेदार कम्पनी को किराये पर नहीं दी जा सकती है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

तारानगर पंचायत समिति को सरकारी वाहन की सुविधा

222. श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति तारानगर की साधारण सभा की बैठक में कई अधिकारियों के बार-बार अनुपस्थित रहने पर विगत एक वर्ष में दो बार निंदा प्रस्ताव पारित किया गया? यदि हां, तो कब-कब तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक में जिन अधिकारियों के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया गया, उन पर सरकार द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति तारानगर में प्रधान व विकास अधिकारी के पास कोई भी चौपहिया वाहन नहीं है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त पंचायत समिति में वाहन उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) वर्तमान में चूरू जिले में किस-किस पंचायत समिति के पास कितनी-कितनी निजी आय है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति तारानगर की इस साधारण सभा बैठक दिनांक 11 अगस्त, 2009 एवं 7 सितम्बर, 2009 में दो अधिकारियों श्री हरचन्द नोखवाल, सहायक अभियन्ता, जोधपुर, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड व श्री पी.सी. शर्मा अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अनुपस्थित रहने पर उक्त तिथियों को इनके विरूद्ध निन्दा प्रस्ताव पारित किया गया। जिला कलक्टर, चूरू द्वारा अनुपस्थित रहने वाले उक्त अधिकारियों को कारण नोटिस जारी किये गये तथा जवाब प्राप्त होने पर जिला कलक्टर, चूरू द्वारा भविष्य के लिए चेतावनी दी गई है।

(2) जी नहीं। साधारण सभा बैठक में अनुपस्थित रहने वाले दोनों अधिकारियों को जिला कलक्टर, चूरू द्वारा कारण बताओ नोटिस दिये गये और जवाब प्राप्त होने पर उन्हें भविष्य के लिए चेतावनी दी गई है।

(3) जी हां। पंचायत समिति तारानगर का वाहन नकारा (कण्डम) होने के कारण दिनांक 9.12.2009 को नीलामी द्वारा विक्रय कर दिया गया है। पंचायत समिति तारानगर के पत्रांक 3982-84 दिनांक 24.12.2009 द्वारा निजी आय से वाहन क्रय की स्वीकृति चाही है। राज्य स्तर पर विचाराधीन है।

(4) वर्तमान में चूरू जिले की पंचायत समिति में निजी आय की स्थिति इस प्रकार है :-

क्र. सं.	पंचायत समिति	निजी आय
1.	तारानगर	847387 रुपये
2.	चूरू	275000 रुपये
3.	रतनगढ़	885153 रुपये
4.	राजगढ़	842899 रुपये
5.	सरदारशहर	422337 रुपये
6.	सुजानगढ़	741330 रुपये

जयपुर जिले की वृहद् पंचायतों का पुनर्गठन

223. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

(1) क्या यह सही है कि सरकार को जिला जयपुर में नई ग्राम पंचायतों के गठन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो किस-किस पंचायत समिति की किन-किन पंचायतों का पुनर्गठन किया जावेगा और परिसीमन में कौन-कौन से गांव लिये जावेंगे? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पंचायत समिति गोविन्दगढ़ एवं सांभर लेक (जयपुर) में नवीन पंचायतों का पुनर्गठन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों का कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पंचायती राज अधिनियम, 1994 में यह प्रावधान है कि किसी भी पंचायत का पुनर्गठन करने पर पुनर्गठित पंचायत भंग हो जाती है और 6 माह में उनके नये चुनाव करवाया जाना आवश्यक हो जाता है। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव जनवरी-फरवरी, 2010 में सम्पन्न हुए हैं। अत: फिलहाल कोई नई पंचायत बनाने का विचार नहीं है।

(2) जी नहीं। पंचायती राज अधिनियम, 1994 में यह प्रावधान है कि किसी भी पंचायत का पुनर्गठन करने पर पुनर्गठित पंचायत भंग हो जाती है और 6 माह में उनके नये चुनाव करवाया जाना आवश्यक हो जाता है। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव जनवरी-फरवरी, 2010 में सम्पन्न हुए हैं। अत: फिलहाल कोई नई पंचायत बनाने का विचार नहीं है।

बायतू के अकालग्रस्त गांवों में पशु शिविर

224. **कर्नल सोनाराम चौधरी** (बायतू) : क्या सहायता एवं अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र बायतू के कितने ग्राम अकालग्रस्त हैं? क्या सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र में पशुओं के संरक्षण हेतु पशु शिविर खोले गये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र बायतू के समस्त गांव अकालग्रस्त हैं। उक्त गांवों में पशुओं के संरक्षण हेतु अभी तक पशु शिविर नहीं खोले गये हैं।

केकड़ी में संचालित गौशालाओं को देय अनुदान

225. डा. रघु शर्मा (केकड़ी) : क्या सहायता एवं अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में कौन-कौनसी गौशाला किस-किस संस्था द्वारा संचालित की जा रही है और उक्त में कितनी-कितनी गायें हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2004 से 2009 तक सरकार द्वारा उक्त गौशालाओं को कितनी-कितनी सहायता प्रदान की गई? वर्ष एवं गौशालावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा वर्तमान में दी जा रही सहायता राशि गौशालाओं के लिए अपर्याप्त है? क्या सरकार सहायता राशि को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी एवं कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) वर्तमान में चारा परिवहन हेतु अनुदान बाबत कितनी राशि दी जाती है? क्या सरकार उक्त राशि को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा केकड़ी में संस्थाओं द्वारा संचालित गौशालाएं एवं उनमें गायों की संख्या का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

(2) वर्ष 2004 से 2009 तक सहायता प्रदान गौशालाओं की संख्या एवं उन्हें वर्षवार दी गयी सहायता (अनुदान) राशि का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-2)

(3) गौशालाओं को अनुदान वर्तमान में प्रचलित सीआरएफ नार्म्स के अनुसार दिया जा रहा है। इसे बढ़ाया जाना केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार में है।

(4) चारा परिवहन अनुदान दूरी के आधार पर दिया जाता है जिसकी वर्तमान में प्रचलित दरें निम्नानुसार है-

दूरी कि.मी. में	**अनुदान राशि रु. प्रति क्विं.**
51 से 100	60
101 से 200	65
201 से 350	75
351 से 500	90
500 कि.मी. से अधिक	100
हरा चारा (गन्ने के अति.)	40

(सहायता एवं अकाल राहत मंत्री)

चारे के क्रय मूल्य में से चारा परिवहन अनुदान राशि घटाकर, चारे की कीमत में 10 रु. प्रति क्विं की दर से वितरण एवं छीजत लागत जोड़कर चारे का विक्रय मूल्य तय किया जाता है, जिसके फलस्वरूप चारा अनुदानित दर पर उपलब्ध हो जाता है। वर्तमान में उक्त दरें बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र में संचालित गौशालाओं के सम्बन्ध में सूचना

क्र. सं.	नाम गौशाला	संचालित करने वाली संस्था का नाम	पशुओं की संख्या
1.	केकड़ी गौशाला केकड़ी	जैनिया राणी संस्था बाजटा	305
2.	जयनिया राणी गौशाला बाजटा	देहात विकास समिति बाजटा	150
3.	आचार्य अभयगुरू जैन गौशाला शोकल्या सरवाड़	अखिल जैन समाज अजमेर जिला	513
4.	प्राज्ञ जैन गौशाला सरवाड़	अखिल जैन समाज अजमेर जिला	250

परिशिष्ट-2

वर्ष 2004 से 2009 तक विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में संचालित गौशाला एवं उन्हें दी गयी सहायता (अनुदान) राशि का वर्षवार विवरण (लाखों में)

नाम गौशाला	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10
श्री केकड़ी गौशाला केकड़ी	37371	39721	43294	113370	119280	302043	359691
श्री जयनिया राणी गौशाला बाजटा	—	—	—	—	—	44075	224035
श्री आचार्य अभयगुरू जैन गौशाला शोकलिया	—	—	285615	409623	920475	227505	328042
श्री प्राज्ञ जैन गौशाला सरवाड़	—	—	193503	—	167580	356886	237504
योग	**37371**	**39721**	**522412**	**522993**	**1207335**	**930509**	**2079781**

घास पर देय अनुदान राशि में वृद्धि

226. श्री रामलाल गुर्जर (आसींद) : क्या सहायता एवं अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अकाल में घास पर अनुदान दिया जाता है? यदि हां, तो किस आधार पर?

(2) क्या सरकार उक्त अनुदान की राशि को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना एवं कब से व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। अभावग्रस्त क्षेत्रों में चारा डिपो के माध्यम से अनुदानित दर पर चारा वितरण कराया जाता है। इसके अन्तर्गत चारा डिपो संचालित करने वाली संस्था द्वारा परिवहन कर लाये जाने वाले चारे पर चारा परिवहन अनुदान दिया जाता है। चारे के क्रय मूल्य में से चारा परिवहन अनुदान राशि घटाकर, चारे की कीमत में 10 रु. प्रति क्विं की दर से वितरण एवं छीजत लागत जोड़कर चारे का विक्रय मूल्य तय किया जाता है, जिसके फलस्वरूप चारा अनुदानित दर पर उपलब्ध हो जाता है। चारा परिवहन अनुदान दूरी के आधार पर दिया जाता है जिसकी वर्तमान में प्रचलित दरें निम्नानुसार हैं :-

दूरी कि.मी. में	**अनुदान राशि रु. प्रति क्विं.**
51 से 100	60
101 से 200	65
201 से 350	75
351 से 500	90
500 कि.मी. से अधिक	100
हरा चारा (गन्ने के अति.)	40

(2) वर्तमान में उक्त दरें बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

मोहकमवाला (श्रीगंगानगर) ग्राम पंचायत के स्वीकृत कार्यों का बकाया भुगतान

227. श्री दौलतराज नायक (रायसिंहनगर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्रीगंगानगर जिला परिषद् एवं पंचायत समिति के एस.जी.आर.वाई. योजना अन्तर्गत स्वीकृत कार्य पूर्ण हैं? यदि हां, तो उक्त अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण करा दिया जावेगा?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना का भुगतान बकाया है? यदि नहीं, तो रायसिंहनगर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मोहकमवाला का एस.जी.आर.वाई. योजना, जेड़पी एस.जी.एन.आर. द्वारा स्वीकृत कार्य का भुगतान नहीं किये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) ग्राम पंचायत मोहकमवाला के बकाया भुगतान के संबंध में दोषियों के विरुद्ध सरकार द्वारा कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) श्रीगंगानगर जिला परिषद एवं पंचायत समिति के एसजीआरवाई योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

(2) जी हां। आयुक्त ईजीएस ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग जयपुर के पत्रांक एफ 4(1) ग्रावि/ग्रुप-3/एसजीआरवाई/08 दिनांक 31.08.08 तक कर शेष राशि नरेगा में सम्मिलित करने के आदेश दिये गये थे। ग्राम पंचायत मोहकमवाला का दायित्व दिनांक 29.08.08 को जिला परिषद् गंगानगर को प्राप्त हुआ, उस दिन एसजीआरवाई अन्तर्गत राशि समाप्त हो चुकी थी। वर्तमान में जो राशि एसजीआरवाई अन्तर्गत उपलब्ध है व निरस्त कार्यों के पेटे है। 31.08.08 को कोई राशि उपलब्ध न होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका है एवं प्रकरण राज्य स्तर पर अग्रेषित किया गया है, जो विचाराधीन है।

(3) प्रकरण राज्य स्तर पर विचाराधीन होने के कारण इस संबंध में कोई दोषी नहीं है।

जिला परिषद् टोंक द्वारा हैण्डपम्प स्थापन में अनियमितताएं

228. श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रामस्वरूप कसाना)

(1) जिला परिषद् टोंक द्वारा टी.एफ.सी./एस.एफ.सी. (जिला परिषद् मद) योजना में वर्ष 2007-08 से जनवरी, 2010 तक कितने-कितने हैण्डपम्प कहां-कहां पर स्वीकृत/लगाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्रामीण कार्य निर्देशिका के अनुसार जिला परिषद् विकास कार्य ठेके पर सम्पादित करवा सकती है? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत व नहीं, तो वर्ष 2007 से जनवरी, 2010 तक जिला परिषद् टोंक द्वारा किन-किन नियमों एवं आदेशों के अन्तर्गत कौन-कौन से विकास कार्य कितनी-कितनी राशि के स्वयं द्वारा करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि (समान मानदण्ड होते हुए भी) जिला परिषद् टोंक द्वारा लगाये गये हैण्डपम्पों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा लगाये हैण्डपम्पों की दरों में काफी अन्तर है? यदि हां, तो तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जिला परिषद् टोंक द्वारा लगाये गये हैण्डपम्पों में पंचायत समितियों द्वारा लगाये गये हैण्डपम्पों से अधिक राशि व्यय करने के लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? क्या सरकार अधिक व्यय राशि उनसे वसूलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला परिषद् टोंक द्वारा टी.एफ.सी./एस.एफ.सी. तृतीय (जिला परिषद् मद) योजना में वर्ष 2007-08 से जनवरी, 2010 तक 162 हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये हैं। जिनमें से 136 हैण्डपम्प लग चुके हैं। सूची-अ संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि ग्रामीण कार्य निर्देशिका के अनुच्छेद 13 के अनुसार जिन योजनाओं में ठेकेदार के माध्यम से कार्य करवाने की अनुमति हैं। उनमें ठेके से कार्य करवाये जा सकते हैं। टी.एफ.सी. एवं एस.एफ.सी. तृतीय की मार्ग निर्देशिका के अनुसार एवं पंचायती राज नियम 1996 के नियम 181(1) के अनुसार ठेके पर कार्य नहीं करवाने का इस आधार पर प्रावधान है कि मजदूरों को बिना मध्यस्थ के पूर्ण मजदूरी के भुगतान की सुनिश्चितता हो। हैण्डपम्प स्थापना का कार्य तकनीकी रूप से भारी मशीनों से खुदाई का कार्य है। जिसमें मजदूरी का हिस्सा न्यून है। अतः जिला परिषद् साधारण सभा की बैठक दिनांक 12.01.2007 के प्रस्ताव संख्या 10 में निम्नानुसार खुली निविदा से हैण्डपम्प स्थापित करने का निर्णय लिया गया था।

बारहवां वित्त आयोग जिला परिषद् निधि से प्रशासनिक स्वीकृति प्रति

(ग्रामीण विकास मंत्री)

हैण्डपम्प राशि रु. 30000/- जारी की गदग। इस राशि में हैण्डपम्प स्थापना होना सम्भव नहीं था। अत: बाद विचार-विमर्श निर्णय लिया गया कि हैण्डपम्प स्थापना हेतु खुली निविदा में प्राप्त राशि के आधार पर जो जन स्वास्थ्य अभि. विभाग द्वारा लगवाये गये हैण्डपम्पों की राशि में कम होने की स्थिति में नियमानुसार स्वीकार कर हैण्डपम्प लगाये जावे। निविदा से प्राप्त दरें जनस्वास्थ्य अभि. विभाग की दरों से अधिक होने पर जन स्वास्थ्य अभि. विभाग से ही लगवाये जावें।

हैण्डपम्प स्थापना के अतिरिक्त अन्य कोई विकास कार्य जिला परिषद् द्वारा स्वयं के स्तर पर नहीं कराये गये हैं हैण्डपम्प स्थापना पर वर्ष 2007 से जनवरी 2010 तक निम्नानुसार राशि के कार्य करवाये गये -

वर्ष	हैण्डपम्पों की संख्या	कुल राशि
2007	44	1760044
2008-2010	92	6404879
		8164923

(3) जी हां। समान मापदण्ड नहीं होकर जनस्वास्थ्य अभि. विभाग के मापदण्ड एवं गहराई के कारण हैण्डपम्पों की दरों में अंतर है।

जिला परिषद् एवं पंचायतों में दरों के अंतर की तुलनात्मक स्थिति वर्षवार निम्नानुसार है :-

वर्ष	जिला परिषद की दरें	पंचायत की दरें
2007-08	रुपये 40001 (सम्पूर्ण हैण्डपम्प स्थापना)	टोंक 40 से 45 हजार
		देवली 40 से 45 हजार
		टोडा 40 से 45 हजार
		मालपुरा 45 हजार
		निवाई 50 हजार
		उनियारा 40 हजार से 80 हजार

(ग्रामीण विकास मंत्री)

वर्ष	जिला परिषद की दरें	पंचायत की दरें
2008-09	रु. 51885 (गहराई 70 मीटर, केसिंग पाइप 125 मि.मी. के 5 मीटर स्टील ट्यूब 32 मि.मी. की 30 मीटर)	टोंक 40 से 50 हजार
		देवली 40 से 50 हजार
		टोडा टोंक 45 से 50 हजार
		मालपुरा टोंक 48 से 50 हजार
		निवाई 45 से 50 हजार
		उनियारा 74 से 80 हजार

(4) हैण्डपम्प स्थापना नियमानुसार निविदा प्रक्रिया अपनाकर जिला स्तरीय क्रय समिति द्वारा दरें अनुमोदित की गई थीं। अत: जिला स्तरीय समिति द्वारा तत्कालीन परिस्थितियों और बाजार दरों के आधार पर तत्समय अनुमोदन की दृष्टि से प्रत्यक्ष रूप से किसी का उत्तरदायित्व नहीं है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

डिस्ट्रिक्ट बार एसोसियेशन जयपुर के भवन निर्माण पर व्यय

229. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसियेशन जिला कलेक्ट्रेट बनीपार्क, जयपुर के भवन हेतु वर्ष 2006 में विधायक कोटे से राशि स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो कितनी व किस-किस कार्य हेतु? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त राशि का पूर्ण उपयोग कर भवन निर्माण करवाया गया? यदि हां, तो क्या-क्या निर्माण कार्य करवाये गये व इस पर कितनी राशि व्यय की गयी?

(3) क्या तखमीने व स्वीकृत नक्शे के अनुसार कार्य करवाया गया? यदि नहीं, तो क्या-क्या निर्माण कार्य नहीं करवाया गया? स्वीकृत तखमीने एवं नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री कालीचरण सराफ)

(4) क्या यह सही है कि कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया? यदि हां, तो प्रमाण पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2006 में विधायक कोटे से दिनांक 11.7.2006 को राशि रु. 5.00 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति "दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट बार एसोसियेशन जिला कलेक्ट्रेट बनीपार्क, जयपुर के कक्ष के उपर भवन निर्माण" हेतु जारी की गयी थी। दिनांक 1.9.2006 को उक्त कार्य की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई।

उक्त स्वीकृति में प्रथम मंजिल पर लोहे की कैंची पर जी.आई. शीट की छत बना कर फाल्स सिलिंग का कार्य एवं फर्श में कोटा स्टोन एवं विद्युत कार्य मय भूतल से प्रथम मंजिल पर पहुंचने हेतु आर.सी.सी. सीढी का निर्माण सम्मिलित हैं।

आदेशों की प्रति संलग्न परिशिष्ट "अ" एवं "ब" पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। भवन में प्रथम मंजिल पर लोहे की कैंची पर जी.आई. शीट की छत बना कर फाल्स सिलिंग का कार्य एवं फर्श में कोटा स्टोन एवं विद्युत कार्य मय भू-तल से प्रथम मंजिल पर पहुंचने हेतु आर.सी.सी. सीढी का निर्माण करवाया गया। निर्माण कार्य पर रुपये 5.00 लाख का व्यय किया गया है।

(3) जी हां। तखमीने व नक्शे की प्रति परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध है।

(4) जी हां। पूर्णता प्रमाण पत्र की प्रति परिशिष्ट "द" पर उपलब्ध है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अनुदानित महाविद्यालय के शिक्षकों का राजकीय महाविद्यालयों में समायोजन

230. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों व कर्मचारियों को राजकीय महाविद्यालयों में समायोजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कैसे? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि समायोजित प्राध्यापकों को राजकीय महाविद्यालयों के प्राध्यापकों के समान सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होंगी? यदि हां,

(श्री वासुदेव देवनानी)

तो इस पर अतिरिक्त कितना व्यय होगा एवं वर्तमान में अनुदानित महाविद्यालयों को कितना अनुदान दिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माननीय मुख्य मंत्री द्वारा वर्ष 2010-11 का बजट पेश करते समय घोषणा की गई है कि अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को ग्रामीण राजकीय महाविद्यालय के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्राप्त करने का विकल्प दिया जायेगा।

(2) उपरोक्त के संबंध में एक अधिनियम लाया जाना प्रस्तावित है, जिसमें शिक्षकों व कर्मचारियों की सेवा शर्तें पृथक से निर्धारित की जायेंगी। वर्तमान में अनुदानित महाविद्यालयों में 55 महाविद्यालयों को 80 प्रतिशत व 11 महाविद्यालयों को 70 प्रतिशत तथा 5 को 60 प्रतिशत अनुदान स्वीकृति है जिन्हें स्वीकृत बजट राशि के अनुपातिक रूप से प्रदान किया जाता है। महाविद्यालयों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(सूची/विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जायल में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

231. श्रीमती मंजू देवी (जायल) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जायल के छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु जायल से दूर नागौर अथवा डीडवाना जाना पड़ता है? यदि हां, तो क्या उक्त कारण छात्र/छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र जायल में राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। जायल विधान सभा क्षेत्र में गैर अनुदानित वीर तेजा महाविद्यालय, जंवरी लाल सुनार संचालित है।

(2) जी नहीं। विभाग की वार्षिक योजना में बजट प्रावधान नहीं होने के कारण एवं राज्य सरकार के सीमित वितीय संसाधनों को देखते हुये राजकीय क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा डिग्रियों का वितरण

232. श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 1992 से स्नातक एवं स्नातकोत्तर की प्रोफेशनल एवं अन्य कोर्सेज की डिग्रियां प्रदान नहीं की गयी हैं? यदि हां, तो क्यों तथा इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार वर्ष 1992 से 2009 तक की प्रोफेशनल कोर्सेज व अन्य कोर्सेज की डिग्रियां शीघ्रातिशीघ्र प्रदान किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 1992 से सिर्फ प्रोफेशनल परीक्षाओं की डिग्रियां प्रदान नहीं की गई हैं। स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा 2002 तक की डिग्रियां सम्बन्धित महाविद्यालयों में भिजवा दी गई हैं।

छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए छात्रों की मांग पर विश्वविद्यालय द्वारा व्यवसायिक, स्नातक व स्नातकोत्तर परीक्षाओं की उपाधियों का अंग्रेजी वर्जन 100 रुपये शुल्क लेकर प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 1996 से वर्ष 2010 तक कुल 40,607 डिग्रीयों का अंग्रेजी वर्जन छात्रों को दिया गया है। विश्वविद्यालय में डिग्रीयों के वितरण हेतु विश्वविद्यालय प्रशासन ही उत्तरदायी है।

(2) जी हां। विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार व्यावसायिक परीक्षाओं की 1993 से व स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षाएं 2003 से 2007 तक की डिग्री बनवाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है। सन् 1992 से सन् 2009 तक की डिग्रीयां बनवाने एवं प्रदान करने में न्यूनतम एक वर्ष का समय लगने की सम्भावना है।

शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर की स्थापना

233. श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर को कब तक शुरू करने का विचार रखती है तथा उक्त विश्वविद्यालय अब तक प्रारम्भ नहीं करने के क्या कारण हैं?

(2) उक्त विश्वविद्यालय के लिए अध्यादेश कब निकाला गया था तथा अब

(श्री अमराराम)

तक बिल पास नहीं होने के क्या कारण रहे और अब कब तक उक्त बिल पास कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) सीकर में शेखावाटी विश्वविद्यालय खोले जाने की वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण होने पर अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

(2) विश्वविद्यालय के लिये अध्यादेश जारी नहीं किया गया है।

सेन्ट्रल लाइब्रेरी विश्वविद्यालय जयपुर में नवीनीकरण कार्य का बकाया भुगतान

234. **श्री रामस्वरूप कसाना** (कोटपूतली) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अधिशासी अभियन्ता विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा वर्ष 2003-04 में एग्रीमेन्ट संख्या 16/2003-04 में सेन्ट्रल लाइब्रेरी में रिनोवेशन आफ टायलेट का कार्य कितनी राशि का करवाया गया? क्या उक्त कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि हां, तो इस कार्य के लिये कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया जाना था तथा अब तक कितनी राशि का भुगतान किया गया एवं शेष राशि के भुगतान में विलम्ब के क्या कारण रहे और शेष राशि का भुगतान अब कब तक कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि माप पुस्तिका संख्या 981 में अन्तिम बिल का भुगतान का इन्द्राज होने के पश्चात् भी अब तक भुगतान नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों? माप पुस्तिका संख्या 981 की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अधिशासी अभियन्ता राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा वर्ष 2003-2004 में अनुबंध संख्या 16/2003-04 में अन्तर्गत सेन्ट्रल लाइब्रेरी में रिनोवेशन आफ टायलेट का कार्य राशि रुपये 99,899/- का करवाया गया था। उक्त कार्य दिनांक 13.8.2003 को पूरा हो चुका था। इस कार्य के लिए कुल 99,899/- का भुगतान किया जाना था। अब तक रुपये 74,368/- का प्रथम रनिंग बिल पारित कर संवेदक को नियमानुसार सुरक्षा राशि, आयकर बिक्री कर एवं पानी के चार्जेज की कटौतियां कर रुपये 70,584/- का भुगतान कर दिया गया है। संवेदक द्वारा माप पुस्तिका में अंतिम

(उच्च शिक्षा मंत्री)

बिल के मापों को स्वीकार करने एवं अंतिम बिल के मापों (Measurement) से सहमति दर्शाते हुए हस्ताक्षर करने हेतु वर्ष 2003-04 में उपस्थित नहीं होने एवं तत्पश्चात् एम.एस.आर. मद में इस कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अभाव में भुगतान नहीं हो सका है। शेष राशि का भुगतान दिनांक 31.3.2010 तक करने हेतु विश्वविद्यालय ने सूचित किया है।

(2) जी हां। यह सही है कि माप पुस्तिका संख्या 981 में अंतिम बिल का भुगतान इन्द्राज होने के पश्चात् भी अब तक भुगतान नहीं किया गया है। भुगतान में विलम्ब के कारण निम्नलिखित हैं :-

(अ) माप पुस्तिका में क. अभियन्ता द्वारा सम्पादित कार्यों के इन्द्राज किये गये मापों को स्वीकार करने एवं सहमति देने हेतु संवेदक द्वारा माप पुस्तिका एवं बिल में हस्ताक्षर करने हेतु वर्ष 2003-04 में उपस्थित नहीं होने के कारण।

(ब) वर्ष 2003-04 के पश्चात् कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध नहीं होने के कारण।

माप पुस्तिका संख्या 981 की प्रति परिशिष्ट-अ के रूप में संलग्न है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में श्रमिकों को देय राशि में वृद्धि

235. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बढ़ती महंगाई के कारण नरेगा में दी जा रही 100 रुपये की मजदूरी अपर्याप्त है? क्या सरकार इस राशि को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं कितनी व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार राज्य के लोगों को नरेगा में अधिक मजदूरी दिलाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही 100 रुपये के अलावा देश के अन्य राज्यों की भांति कुछ राशि अपने हिस्से की मिला कर मजदूरों को देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में न्यूनतम मजदूरी दर 1 मार्च, 2008 को संशोधन कर अकुशल श्रमिकों के लिए रुपये 73 से बढ़ाकर रुपये 100 की गई है। केन्द्र सरकार द्वारा नरेगा

(ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री)
योजनान्तर्गत मजदूरी दर की सिलिंग रुपये 100 प्रति दिवस निर्धारित की गई है। वर्तमान में मजदूरी दर विधि सम्मत होने से इसमें संशोधन का विचार नहीं है।

(2) जी नहीं। वर्तमान मजदूरी दर पूर्ण रूप से विधि सम्मत होने से इसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

बसेड़ी में राष्ट्रीय रोजगार योजना में करवाये गये कार्य

236. श्री सुखराम (बसेड़ी) : क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में नरेगा योजना के अन्तर्गत वर्तमान में किस किस प्रकार के कार्य कितनी राशि के करवाये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में नरेगा योजना में कार्य कर रहे मजदूरों की मजदूरी का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो कुल कितनी राशि का भुगतान अब तक किया गया?

(3) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में नरेगा योजना के तहत चल रहे कार्यों में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो इसमें लिप्त दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1)

क्र. सं.	कार्य का नाम	योग
1.	पोखर खुदाई एवं पक्कीपाल निर्माण	176717148
2.	ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य	147696511
3.	एनीकट निर्माण	12192250
4.	खरंजा निर्माण	27008013
5.	वृक्षारोपण कार्य	10828733
6.	व्यक्तिगत लाभ हेतु STC/SC/BPL परिवारों की भूमिका पर कार्य हेतु	97250
	योग	**374539905**

(ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री)

(2) जी हां। माह जनवरी, 2010 तक का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। कुल मजदूरी राशि 240045804/- का भुगतान किया गया है।

(3) जी हां। अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी पंचायत समिति बाडी के तहत ग्राम पंचायत चिलाचौंद के सरपंच के खिलाफ एफआईआर तथा पंचायत समिति बसेडी के ग्राम पंचायत सलेमपुर में ग्राम सेवक, सरपंच, कनिष्ठ तकनीकी सहायक के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया है।

झाडोल में मृत नरेगा श्रमिक के आश्रितों को मुआवजा

237. श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल) : क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र झाडोल में नरेगा श्रमिकों की मौत हुई है? यदि हां, तो कितनी?

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त श्रमिकों के मृतक आश्रितों को कोई सहायता दी गई है? यदि हां, तो कितनी व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र झाडौल में योजना प्रारम्भ से अब तक नरेगा कार्यस्थल पर तीन नरेगा श्रमिकों की मौत हुई है।

(2) जी हां। रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुसूची द्वितीय के सेक्शन 2.4 के बिन्दु संख्या 3 में वर्णित प्रावधान अनुसार मृतक के आश्रितों को निम्नानुसार अनुगृह राशि स्वीकृत की गयी है :-

क्र. सं.	मृतक श्रमिक का विवरण	स्वीकृत अनुगृह राशि	स्वीकृत वर्ष
1.	श्रीमती सुगना पत्नी गुलाबसिंह ग्राम रोडीवाला ग्राम पंचायत ओडा झाडोल	25,000	06-07
2.	श्री मकना पुत्र देव डामोर ग्राम गुरा ग्राम पंचायत ढेडमारिया कोटडा	25,000	06-07
3.	श्री खानिया पुत्र नाना ग्राम निचली सुबरी ग्राम पंचायत कोटडा पंचायत समिति कोटडा	25,000	06-07